सोमवार, 16 अगस्त 1982

25 श्रावण 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक : 21, सोमवार, 16 अगस्त, 1982/25 श्रावण 1904 (शक)

टल पर रखे गये पत्र	2
प सभा से संदेश	2—3
कों पर अनुमति	3
परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	4—185
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा	5
श्री विद्याचरण शुक्ल	19
श्री समर मुखर्जी	24
श्री वी० एन० गाडगिल	33
श्री फ्रैंक एन्थनी	39
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	44
श्री एच० के० एल० भगत	56
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	63
श्री मगनभाई बरोट	69
श्री त्रिदिव चौधरी	74
श्री चरण सिंह	75
श्री यशवन्त राव चव्हाण	83
श्री इन्द्रजीत गुप्त	88
श्री प्रणव मुखर्जी	97
श्री सी० टी० दंडपाणि	105
श्री आर० एस० स्पैरो	110
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	114
श्री आर० वेंकटारामन	119
श्री चित्त बसु	122
श्री चन्द्रशेखर सिंह	125
श्री चन्द्रजीत यादव	129

श्री पी० शिवशंकर 132
श्री राम विलास पासवान 138
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 144
श्रीमती इन्दिरा गांधी 146
श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 158

लोक सभा

सोमवार, 16 अगस्त, 1982/25 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध है, आपके विरुद्ध नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा आप केवल विश्वास का प्रस्ताव रखेंगे ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 222 के अन्तर्गत आपको लिखकर दिया है कि राष्ट्रीय ध्वज पर एक आदमी की खोपड़ी और एक औरत की खोपड़ी लटकाई हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में देखूंगा ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का प्रश्न है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंवाला) : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : कश्यप जी, आप पहले रूल्स को पढ़ लिया करो । यह रूल्स आपने बनाए है । इनके अनुसार आप काम किया करो तो अच्छे लगोगे ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैंने नियम के अनुसार ही किया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं किया है । एक दिन में दो क्वैश्चन्स नहीं हो सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे ढंग से लाइए, ऐसे नहीं आएगा ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,
नई दिल्ली को वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग तथा इपास्त और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक—महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4504/82)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन महासंघ लिमिटेड
नई दिल्ली की वर्ष 1980-81 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मन्त्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं ।

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 4505/82)

———

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रि ा तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अगस्त, 1982 को अ नी ैठक में लोक सभा द्वारा 9 अगस्त 1982 को पारित किये गए औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अगस्त, 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 अगस्त 1982 को अपनी पारित बैठक में किए गए मोटर यान (संशोधन) विधेयक 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 11 अगस्त, 1982 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 अगस्त 1982 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 से बिना किसी संशोधन सहमत हुई।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मुझे इसके साथ लोह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकार (संशोधन) विधेयक, 1982 जिसे लोक, 1982 सभा द्वारा 7 अगस्त, को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उनकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था। लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नही कानी है।"

श्री मनीराम बागड़ी : सचिव महोदय को हिन्दी में बोलना चाहिए।

विधेयकों पर अनुमती

सचिव : महोदय, मैं 13 अगस्त, 1982 को सभा को सूचित करने के पश्चात वर्तमान सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयक सभापटल पर रखता हूं।

(एक) सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1982

(दो) विनियोग (रेलवे) संख्यांक 3, विधेयक 1982

(तीन) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक 1982

मन्त्रि परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त कृपया शान्त।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : विश्वास होना आवश्यक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से यह अपील करना चाहूंगा कि वे इस बात को नोट करें कि हम 11 बजे म० पू० से 7 बजे म० प० तक बैठेंगे और प्रधान मन्त्री द्वारा अन्त में उत्तर दया जायेगा। तब तक मैं यह विनियमित करने का प्रयत्न करूंगा···

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : वह हस्तक्षेप करेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा कीजिए। वह हस्तक्षेप करेंगी। मुझे इन आठ घन्टों में कार्यवाही चलानी है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य भाग ले सके। इसके लिये मैं समझता हूं ...

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : उधर से ज्यादा लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा, मैं आपको आधा घण्टा दूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : एक घन्टा मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती हूं।"

मैं विपक्ष के अपने मित्रों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी सरकार के विरुद्ध यह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया है जो किसी का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात कहने का हक है और उनको भी अपनी बात कहने का हक है। प्रत्येक बात की अपनी सीमा होती है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते क्यों नहीं। जब आपकी बारी आयेगी तब आप उत्तर दें।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जिन्हें... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उन्होंने कहा है कि यह सरकार किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह सरकार निश्चित रूप से देश के लोगों की भावना का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने ये शब्द कैसे प्रयोग किए हैं ? हम इस पर आपत्ति करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं अपनी बात को यह कहते हुए शुरू करता हूं कि वे एकाधिकारी पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे सभी जोतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जो कुछ भी बुरा है उसका तथा स्वतन्त्रता संग्राम के सिद्धान्तों के जो कुछ भी विपरीत है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वे इन सबका प्रतिनिधित्व करने में खुश हैं तो मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। इस सभा में बहुमत में होने मात्र का अर्थ यह नहीं है कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि यह सरकार वास्तव में लोगों का प्रतिनिधित्व करती होती तो क्या उसे आवश्यक सेवा अधिनियम जैसे कठोर कानूनों की आवश्यकता होती ? क्या इसे प्रेस की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के लिये कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होती ? क्या राज्यों में सरकारों तथा दल को यह कहने की आवश्यकता होती कि वे नामजद निकायों का रास्ता अपनाएं जोकि न तो लोकतन्त्रात्मक है और न हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष के सिद्धान्तों के अनुरूप है ? मुझे इस विषय में कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि सत्ताधारी दल ने जो अपनी बराबरी राष्ट्र से तथा राष्ट्र की एक व्यक्ति से की है यह लोक सभा अथवा संसद सहित हमारी महान संस्थाओं पर बहुत बहुत बड़ा आघात किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे हैं ? आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? आपको कौन रोक रहा है ? जब आपकी बारी आयेगी तब कह दीजिएगा।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मैं उनकी कठिनाई जानता हूं, वे तथ्यों का सामना नहीं कर सकते। सत्ताधारी दल के साथ इस समय गड़बड़ी यह है कि उसने स्वयं अपना नियंत्रण खो दिया है। राज्यों में सत्ताधारी दल में सत्ता के दल में सत्ता के लिये छोटे-छोटे झगड़े चल रहे है। ये झगड़े विभिन्न राज्यों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की जड़े ही खोखला कर रहे हैं। भारत सरकार में प्रधान मन्त्री निवास के अलावा अन्यत्र कहीं भी काम नहीं हो रहा है और यह बात सभा में भी बार-बार सिद्ध की जा चुकी है। अतः एक मन्त्री ने कहा था, और जहां तक मुझे याद है यह सूचना मंत्री थे जिन्होंने यह कहा : "हमारे दल में केवल एक ही बिंदु पर अर्थात नेता के स्तर पर विचार तन्त्र काम करता है और बाकी सबको केवल अनुपालन करना होता है।" ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति यह अच्छी तरह से समझ सकता है कि हमारे जैसे विशाल देश में, जिसके सामने भाषायी, धार्मिक जातीय तथा गत 35 वर्षों में हुए

हमारे असन्तुलित विकास की समस्यायें हैं, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें देश की प्रभुसत्ता और एकता को संकट और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है एक ऐसी परिस्थिति जिसके बारे में प्रधान मन्त्री को भी लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए कहना पड़ा। प्रधान मन्त्री बार-बार देश की अखंडता और एकता बनाए रखने की आवश्यकता की बात करती हैं। यदि आप राष्ट्र की सम्पूर्ण तस्वीर को देखें तो यह कैसी दिखाई देती है? पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा है? किन्तु क्या प्रधान मन्त्री थोड़ी देर के लिये एक बार के सिवाय वहां स्वयं कभी गई हैं? क्या वह मणिपुर गई हैं? मस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में आग लगी हुई है। किन्तु क्या उन समस्याओं का कोई समाधान निकाला गया है? यदि किसी ने और जब भी कभी किसी व्यक्ति ने इस बारे में कुछ प्रश्न पूछे हैं क्या सरकार ने विभाजन के बाद वहां जो भी स्थिति रही हैं उसके बारे में बताया है? क्या इस प्रश्न के बारे में जोकि एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है और अभी तक लटका हुआ है—अर्थात असम में घुसपैठियों के प्रश्न के बारे में जो विभिन्न घटनाएं हुई हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई श्वेत पत्र निकाला है? क्यां सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान तथा बाद में बंगलादेश की सरकार के साथ उन विभिन्न लोगों के बारे में जो असम में आए हैं, जैसे कि देश के कुछ अन्य भागों में आये हैं, भारत सरकार द्वारा किए गए समझौतों के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है?

तथ्य यह है कि इस सरकार ने असम की स्थिति के सम्बन्ध में मोनो लिसा की था कृतियों का जैसा दृष्टिकोण अपनाया है अर्थात समस्या के बने रहने का रवैया अपनाया है। सरकार बोलना नहीं चाहती है; सरकार तथ्यों को प्रस्तुत करना नहीं चाहती है। सरकार हर एक को असमंजस की स्थिति में रखना चाहती है और ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहती है जो जनता के किसी न किसी वर्ग को लगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में वास्तव में कई बातें हैं और यह केवल घुस पैठियों का ही प्रश्न नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास योजनाओं को ही देखिये। एक साधारण सी बात, बैंकिग प्रणाली को ही लीजिए जो इस समस्त क्षेत्र में अथवा समस्त देश में चल रही है और आप देखेंगे कि असंतुलित आर्थिक विकास चल रहा है तथा उस क्षेत्र से वित्तीय और प्राकृतिक साधनों की बहरी क्षेत्रों को निकासी हो रही है। इसी के कारण वे सारी विकृतियां और गड़बड़ियां हुई हैं जिनका हम सामना कर रहे हैं। समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र ही नहीं किन्तु संथाल परगना, छोटा नागपुर, कोंकण, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, बिहार और मध्य प्रदेश आदि प्रदेशों के भागों में भी ये समस्याए हैं। इस असंतुलित विकास से इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को साधनों की निकासी से तथा समस्त विकास को उपनिवेशवादी सम्बन्धों पर इस प्रकार आधारित करने से जैसे कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का उपनिवेश हो, समस्याए पैदा हो रही हैं। विकसित क्षेत्र अपने पार्श्व क्षेत्र को अपना उपनिवेश समझते हैं। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप राष्ट्र में एक भयावह स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए प्रधान मन्त्री-विपक्ष को तथा राष्ट्र को एकता तथा अखंडता बनाये रखने के लिए कहती हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा तो यह होगा कि उनके प्रभार में जो कुछ है वह उसे अच्छी तरह से निभाएं अर्थात उन लोगों को और उन क्षेत्रों को जो उनके प्रभार में हैं स्वावलम्बी और आत्म निर्भर बनाएं। नये 20-सूत्री कार्यक्रम को पढ़ने की बजाय कांग्रेस पार्टी के उस संकल्प को पढ़े जो 1947 में दिल्ली में पारित

हुआ था, जब कांग्रेस ने इस देश के भावी विकास की एक निश्चित रूप रेखा निर्धारित की थी। वह संगठित कांग्रेस थी जिसमें स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी विद्यमान थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 17 नवम्बर, 1947 को दिल्ली में हुई अपनी बैठक में एक संकल्प पारित किया था। महोदय, मैं सम्पूर्ण संकल्प को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय की कमी है, किन्तु यह बताऊंगा कि उन्होंने विकास एवं आर्थिक विकास का परिपूर्ण कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति में पं० जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जय प्रकाश नारायण और प्रो० एन० जी० रंगा शामिल थे। मुझे प्रसन्नता है कि उस महान परम्परा प्रो० रंगा यहां उपस्थित हैं और वे ही अकेले के सदस्यों में अब जीवित हैं, यद्यपि वह अब गलत पक्ष में हैं। इनके अतिरिक्त श्री गुलजारी लाल नन्दा, श्री कुमार झा, अच्युत्त पटवर्धन, जो कुछ कारणों से बाहर हैं, तथा श्री शंकर राव देव जो अब इस दुनियां में नहीं हैं, इस समिति के अन्य सदस्य थे।

महोदय, इसमें इन सब बातों तथा एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र का और एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण रोकने के बारे में व्यवस्था की गई है तथा कृषि क्षेत्र में क्या किया जाना है, औद्योगिक क्षेत्र में क्या किया जाना है आदि इसमें सब दिया गया है। आपात स्थिति के 20-सूत्री कार्यक्रम और 1980 के बाद के नये 20-सूत्री कार्यक्रम में वस्तुतः कुछ भी नई बात तथा आमूल परिवर्तन की बात नहीं है। यह 20-सूत्री कार्यक्रम इस संकल्प की एक अच्छी व्याख्या भी नहीं है। इसमें कोई नयी दिशा अथवा लक्ष्य भी नहीं रखा गया है। उक्त संकल्प सर्व सम्मति से पास किया गया था और इस प्रकार गठित समिति का प्रतिवेदन सर्व सम्मति से अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा 1948 में स्वीकृत किया गया था। इस संकल्प को फिर से जाना होगा।

महोदय, प्रधान मन्त्री की यह बड़ी इच्छा है कि विपक्ष को कुछ रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। वह इस बात से बहुत चिंतित हैं कि विपक्ष को अभी भी कुछ स्थान है और समाचार पत्रों में विपक्ष के बारे में कहा जाता है। कल लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो भाषण दिया उससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रचार माध्यमों द्वारा समाचारों एवं विचारों का जो प्रसार किया जाता है उस पर पूर्ण एकाधिकार सत्ताधारी दल का ही है। क्या उनकी योजनाओं में विपक्ष का कोई स्थान नहीं है ?

मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि विपक्ष के मेरे मित्र भी मेरे इस विचार से सहमत होंगे, यदि प्रधान मंत्री भूमि सुधारों के बारे में गम्भीरता से कुछ करना चाहती है—और मैं जानता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश में, जब मैं वहाँ मुख्य मन्त्री था, इस सम्बन्ध में कितनी क्षति उठानी पड़ी—यदि प्रधान मंत्री और उनका दल भूमि सुधारों में गहरी रुचि रखते हैं तो आइए हम बिहार राज्य का भूमि स्वामित्व का रिकार्ड सही करें, हम सभी इसमें सहयोग करें, हम सभी एक जुट होकर बिहार में भूमि स्वामित्व के रिकार्ड को सही करें जिसे वहाँ सत्ताधारी दल की एक के बाद दूसरी सरकारें ठीक नहीं कर पायी है। हम दो जिलों के थे। हम पूर्णिमा और समस्तीपुर अथवा किसी भी जिले में जिसे वे चाहें चलें। यदि वह उत्तर प्रदेश के

किसी जिले में जाना चाहती हैं तो हम वहां चले अथवा किसी भी क्षेत्र या स्थान में चलें हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। हमें यह देखना होगा कि निहित स्वार्थ कहां है और खराबी अपना कष्ट कहां है ? हमें यह देखना होगा कि किस दल में सामन्तवादी स्वार्थ प्रबल हैं। हमें यह देखना होगा कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है। यही कारण है कि सत्ताधारी दल की ओर संकेत करते हुए मैंने कहा था "आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आप सामन्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्ता और पदों में भारी संख्या में विद्यमान हैं और आज प्रधान मंत्री के सारे दल में हैं।" आपकी कांग्रेस की, जिसकी आप बार बार दुहाई देते हैं, परम्परा को आगे चलाने में रूचि नहीं है।"

क्या मैं एक और बात पूछ सकता हूं ? विकास की क्या नीति है ? योजना की समस्त नीति वित्तीय आयोजना पर आधारित है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे 1974 के राष्ट्रीय विकास परिषद के, जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला था, रिकार्ड को देखें। उसमें मेरा भाषण है। मैंने उस समय भी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि तत्कालीन सरकार इन योजनाओं में अपनाई गयी विकास नीति को जारी रखती है तो भारत भिखारी क्लब का स्थायी रूप से सदस्य बना रहेगा। मुझ यह कहते हुए खेद होता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की अमेरिका की वर्तमान यात्रा से, जिसके दौरान उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में कहा है अथवा उदर सहायता की भारत की आवश्यकता की बात कही है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम भिखारी क्लब के सदस्य हैं अथवा इसके स्थायी सदस्य बने रहेंगे।

इन 35 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धि रही हैं ? इन 35 वर्षों में किस वर्ग के लोगों को क्या लाभ हुआ है ? हमारी उपलब्धि यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आज उनकी संख्या 74 प्रतिशत है। और इतनी बड़ी संख्या होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हमारी नीति 'सम्पन्न' लोगों की सहायता करने की है, न कि 'निर्धनों' की सहायता करने की।

करों की दर तथा कराधान के उपायों को ही देख लीजिए। यह सारी व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि 1951 में सरकारी करों से कुल राजस्व के दसवें भाग की प्राप्ति हुई थी। आज इनसे चौथाई राजस्व की प्राप्ति होती है। यह राजस्व कहां से आ रहा है ? इसे कौन दे रहा है और यह धन कौन दे रहा है ? **(व्यवधान)** गढ़वाल आपके लिए वाटरलू रहा है; और आप जिंदगी भर गढ़वाल को याद रखेंगे।

आज सरकार के राजस्व का 9/10वाँ भाग अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। अप्रत्यक्ष करों का किस पर प्रभाव पड़ता हैं ? वे किस पर लगते हैं जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है, मैं भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन से सिद्ध कर सकता हूं कि यद्यपि निगमित कर की दरें हमारे एकाधिकार गृहों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों आदि के सम्बन्ध में 55 से 65 प्रतिशत हैं, किन्तु 279 गृहों के अध्ययन से जान पड़ता है कि किसी भी एक वर्ष में उन्होंने उन पर लागू होने वाली कर की दर का 40 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया है। यह कुल मिलाकर 40 प्रतिशक बैठता है।

इसका क्या अर्थ है ? यह कैसे हो रहा है ? यह ऐसे हुआ कि ऐसी कम्पनियां हैं जो बोनस और लाभांश दे रही हैं । ऐसी कम्पनियां हैं जो बोनस शेयर और शेयर दे रही हैं । किन्तु आय-कर नहीं दे रही हैं, और ऐसी कम्पनियां कोई एक नहीं हैं । उनकी संख्या बढ़ गई हैं । टेल्को ने गत कई वर्षों में एक भी रुपया आय-कर का नहीं दिया है और मैं यह सिद्ध करने के लिए संगत अध्यायों और शब्दों को उद्धृत कर सकता हूं कि किस प्रकार बड़े बड़े व्यापार ग्रहों, एकाधिकारी गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने आपको इस तरह से धोखा दिया है ।

उनकी विदेशी धन पर भी निगाह रही है और मेरे माननीय मित्र, उद्योग मंत्री विदेशी पूंजी के भारत में लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा करने के लिए स्विटजर लैंड तक पहुंचे । किन्तु आज तक क्या अंशदान रहा है ? 1956 से 1976 तक विदेशी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों का निवेशीय पूंजी अंशदान भारत में कुल पूंजी निवेश का 5.2 प्रतिशत रहा है वे भारत क्या लाये ? भारत से सभी ससाधनों को बाहर ले जाने, भारत को धोखा देने भारत को लूटने के सिवाय इस सम्पूर्ण मामले के प्रति उनका क्या रवैया रहा है ?

अत: सरकार अभी भी जंगल में भटक रही है जिसे उन्होंने स्वयं अपने लिए अपनाया है और अब इससे बाहर निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है ।

जैसा कि दावा किया गया है हमारा वैज्ञानिक जन शक्ति के मामले में विश्व में तीसरा स्थान है और फिर भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा नीचे से तीसरा स्थान है । मैं कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्र की प्रगति का सही द्योतक नहीं मानता हूं । क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में भी अब कुल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्र की प्रगति का सही द्योतक नहीं माना जाता है । परन्तु वस्तुतः इसका अर्थ यह है कि कुल कितने लोगों को इससे लाभ हुआ है ।' इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि जब तक यह सरकार योजना सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती और हमारी जन शक्ति की उपलब्धता तथा भूमि खनिज पदार्थों निर्मित बुनियादी ढाँचे, स्थापित भारी उद्योगों के रूप में हमारे संसाधनों की स्थिति को आधार बनाकर नहीं चलती तब तक सफलता नहीं मिलेगी तथा यदि सर इस विशेष आधार पर योजना बनाने के लिए तैयार है तो सारा दष्टि कोण तथा सारी प्रगति की दिशा ही बिल्कुल भिन्न होगी और इसका लाभ उन करोड़ों लोगों को मिलेगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा जो आज गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं और जैसा कि मैंने कहा है यही वे लोग हैं जिनका यह सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती और क्या देश की अधिकांश आबादी में ये लोग ही नहीं आते हैं ?

अब सरकार कहती है कि उन्हें विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए । यह सहयोग क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्या इसकी आज तक कोई परिभाषा की गई है ? किन-किन क्षेत्रों में यह विशेष सहयोग मांगा जा रहा है ? क्या इस सहयोग का अर्थ प्रत्येक बात के लिए 'हां' कहने अथवा तर्क करने या सुनने से है ? क्या इसका कोई तरीका है ? इसकी व्याख्या नहीं की गई है ।

मुझे आशा है कि जब प्रधान मंत्री बोले तो वह यह स्पष्ट करेंगी कि वह विपक्ष से किस प्रकार का सहयोग चाहती हैं और वह किस प्रकार का सहयोग विपक्ष द्वारा दिये जाने की आशा करती हैं।

हम यह कहते आ रहे हैं कि इस देश में लोक तंत्र संकट में है। चाहे यह लोक सभा जैसी संस्थाओं का प्रश्न हो, प्रधान मंत्री द्वारा इसके प्रति बहुत कम शिष्टाचार दिखाया जाता है। यदि आप जितने घंटे वह संसद में बैठती हैं और जितने घंटे श्री जवाहर लाल नेहरू संसद में बैठते थे इसकी तुलना करें तो आप को मालूम हो जाएगा कि वह अपने पिता के तौर तरीकों का तथा संसदीय प्रणाली का कितना आदर करती हैं। यह स्पष्ट है कि उनकी संसद में अथवा लोक सभा में कोई रूचि नहीं हैं।

इसी प्रकार न्यायपालिका को भौहों के इशारे पर नचाया जा रहा है। उन्हें तबादले की धमकियाँ दी जा रही हैं। विचित्र बातें हो रही हैं। हिन्दी-भाषी व्यक्ति को तमिलनाडु भेजा जा रहा है तथा तमिलनाडु के व्यक्ति को हिन्दी भाषी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। वे मामले के रिकार्ड को कैसे समझ पायेंगे ? वे इसके बारे में वास्तव में क्या कर सकते हैं ? न्यायपालिका को कसा जा रहा है और अब उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को कसने का प्रयास हो रहा है। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त न पड़े रहते। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है तथा उन संस्थानों को जो लोकतंत्र के रक्षक हैं सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा कमजोर किया जा रहा है अथवा कसा जा रहा है।

मुझे याद है प्रधान मन्त्री जब विपक्ष में थी तो वह अधिकारियों का मनोबल गिराने के प्रति गहरी चिंता रखती थी और वह इसकी बात भी करती थी। मैं यह मानता हूं कि 'हां' कुछ मामलों में ऐसा हुआ था। दो-एक बातें ऐसी हुई जिनसे यह लगा कि अधिकारियों के प्रति अपनाये गये दृष्टिकोण से अधिकारी तंत्र का मनोबल गिरेगा। किन्तु जब से वह सत्ता में आई हैं उन्होंने क्या किया है ? जिन अधिकारियों को बिना-बारी के पदोन्नत किया गया उनको एका-एक बुरे तरीके से निकाल बाहर किया गया ; यहा तक कि उनको निकाले जाने के आधे घंटे पहले तक भी उनको मालूम नहीं था कि उन्हें जाने के लिए कहा जायेगा। श्रीमती गांधी ने क्या किया ? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में तबादला करना उनके लिए मनोविनोद की जैसी बात रही है। यह सरकार प्रशासनिक तंत्र का मनोबल गिराती रही है जिससे कि वे इनके कहे अनुसार चलें तथा इस प्रकार काम करें जैसे कि वे इनके दल के कार्य कर्त्ता हों। अतः मैं समझता हूं कि प्रशासनिक तंत्रको, जो कि वास्तव में लोक तंत्र का दूसरा वाद है, इस प्रकार इस सीमा तक कमजोर बनाया गया है कि इसका पता भी नहीं लगता है।

इसके बाद प्रेस विधेयक को देखिये। बिहार के प्रेस विधेयक को ही देख लीजिए। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं अपने मन ही मन में चुपचाप सोच रहा था कि प्रधान मन्त्री को क्या हो गया है। मुझे याद है कि जब सुदूर दक्षिण में हिन्दी आन्दोलन चल रहा था उस समय वह श्री लाल बहादुर शास्त्री के मन्त्रिमण्डल में मन्त्री थीं और अपने लोगों द्वारा सलाह दिये जाने के बावजूद भी वह तमिलनाडु गई। तमिलनाडु में वास्तव में आग लगी हुई थी। अब इनको क्या हो गया है ? बिहार में कुछ होता है और उन्हें उसकी कोई चिन्ता ही नहीं। अरूणाचल प्रदेश

में कुछ होता है और उन्हें कोई चिन्ता नहीं होती। विहार के मुख्य मन्त्री एक विधेयक लाते हैं। इस विधेयक की विषयवस्तु क्या है? प्रेस रीलड के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे उदाहरण हैं, क्या आपने ऐसे मामलों का पता लगाया है, आपको इस प्रकार के विधेयक की आवश्यकता क्यों हुई।' मुख्य मन्त्री ने कहा, 'नहीं'। तव उन्होंने उनसे पूछा, 'आपको इस विधेयक की आवश्यकया क्यों पड़ी?'' उन्होंने उत्तर दिया।

क्योंकि मैं इसे चाहता हूं।' और उन्होंने पूछा कि वह इसे क्यों चाहते हैं? उन्होंने कहा वह प्रेस की आँख और कान बन्द करना चाहते हैं ताकि वे न सुन सकें न देख सकें और यदि देख भी सकें तो राजनीतिक कूटनीति के माध्यम से सरकार अन्धों की तरह उन्हें जो दिखाना चाहे उसे ही देखें। इस प्रकार से प्रेस को अन्धा किया गया है। भागलपुर में विचाराधीन कोटि में से लेकर प्रेस तक अन्धा किये जाने की यह एक लम्बी प्रक्रिया है। प्रधान मन्त्री ने न केवल चुप्पी—साधी है किन्तु लोक तंत्र को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया है तथा इसकी शक्ति और क्षमता कम होने दी है। और वह फिर भी चुप हैं। इस विधेयक में अपराधों के सम्बन्ध में जमानत की व्यवस्था नहीं है। यह विधेयक कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को संज्ञेय अपराध के मुकदमे चलाने का अधिकार देता है। यह बड़ी अजीब बात हुई है और प्रधान मन्त्री ने चुप्पी साध रखी है। कम से कम हमारे माननीय मित्र श्री वसंत साठे ने हमें आश्वासन दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था है और सरकार इसका ध्यान रखेगी। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने अभी संविधान के उस खण्ड को याद रखा है जिसे वे व्यवहारिक रूप में भूल गये जैसे प्रतीत होते हैं। ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं। ये वे प्रश्न हैं जो हमारी भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता पर इन प्रतिबन्धों को लगाकर हम क्या करना चाहते हैं? किन्तु प्रधान मन्त्री ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है और उन्होंने कोई परवाह नहीं की है।

साथ ही बेरोजगारी का भी प्रश्न है। मुझे प्रसन्नता है कि यह वाद-विवाद अगस्त के महीने में हो रहा है जब कि हम देश के प्रति पुनः अपनी निष्ठा अर्पित करते हैं तथा यह वह महीना है जब हम राष्ट्र की सेवा में पुनः अपने को लगाते हैं यह महीना हमें उन बहादुर देशभक्तों की याद दिलाता है जिन्होंने हमें आज यह दिन दिखाने के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी थी। लाल किले के प्राचीर से प्रधान मन्त्री ने कल क्या कहा था? उन्होंने बेरोजगारी की बात की। किन्तु 1956 के मुकाबले 1981 में बेरोजगारी की क्या स्थिति है? बेरोजगारों की संख्या 7.5[?] लाख से बढ़कर 163 लाख हो गई है। इसका क्या अर्थ है? प्रधान मन्त्री किस बात में सफल हुई हैं? बहुमत वाला सत्तारूढ़ दल कहे कि सहित वे प्रत्येक बात में सफल हुए हैं जिसमें बेरोजगारी में वृद्धि भी शामिल है मैं भी अपना हाथ उठाऊंगा और कहूंगा, 'हां' आपने ऐसा किया हैं यदि उन्हें बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में अपनी विफलता पर विश्वास है तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। छठी पंच वर्षीय योजना में यह भी कहा गया है कि वर्ष दौरान एक समय बेरोजगार लोगों की संख्या 2.1 करोड़ हो जायेगी। यदि प्रधान मन्त्री सन्तुष्ट चाहती हैं तो वह छठी योजना को देख सकती है और स्वयं मालूम कर सकती हैं। ऐसा क्यों रहा है? इसका कारण यह है कि उन क्षेत्रों में भी पूंजी-प्रधान उद्योग लगाये जा रहे हैं =

उनके स्थान पर कुछ उद्योग लगाये जा सकते थे। लीवर ब्रदर्स को साबुन बनाने की अनुमति दी जा रही है। कालगेट पामोलिव को टूथ पेस्ट बनाने की अनुमति दी जायेगी और मेरे माननीय मित्र इस बात को भुला कर औद्योगिक नीति में परिवर्तन कर देंगे कि जवाहरलाल, नेहरू ने 1948 में कहा था। जवाहरलाल, गांधी जी और सुभाष बाबू के नाम लिये जा रहे हैं। सुभाष बाबू ने टोक्यो विश्वविद्यालय में समाज-वाद के बारे में कहा था। उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय में सरकारी क्षेत्र की बात उस समय कहीं थी—जब वह देश से बाहर भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहरा रहे थे। जवाहर लाल ने भी इसकी बात की। सरदार पटेल तथा प्रत्येक व्यक्ति की इसमें सहमति थी हमारे माननीय तथा आदरणीय मित्र श्री रंगा भी इसमें सहयोजित थे और श्री रंगा अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि इस दिशा में वे कहां तक आगे बढ़े हैं।

ऐसा क्यों हो रहा है ? क्योंकि श्रम प्रधान क्षेत्रों का त्याग दिया जा रहा है। महोदय, मुझे आरम्भ किये हुए अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है

महोदय, इन कम्पनियों को सभी प्रकार की राहत दी गई है और देश में 30 से भी अधिक कंपनियां हैं जो कि काफी सम्पन्न कंपनियां हैं किन्तु उन्होंने एक भी पैसा कर का नहीं दिया है क्योंकि उन्हें सभी प्रकार की राहतें दी गई हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि लघु उद्योग सिमट कर रह गये हैं। अब उन्होंने जो औद्योगिक नीति अपनाई है उससे अन्ततः लघु उद्योग समाप्त ही हो जायेंगे क्योंकि टाटा लीवर ब्रदर्स, बिड़ला आदि अपनी इच्छानुसार अपनी क्षमता बढ़ाते चले जायेंगे और यह निश्चित है कि लघु उद्योगों के अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेंगी। वे मूल्य नियंत्रण की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है हमने मूल्यों को नियंत्रित किया है। मैं मूल्यों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मूल्यों का जो स्तर है उसे कोई भी स्वयं देख सकता है। जनवरी 1980 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 371 था, मई, 1982 में यह 452 हो गया अप्रैल, 1981 से जून, 1981 तक 1-3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अप्रैल 1982 से जून, 1982 तग 4·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जनवरी, 1982 से जुलाई, 1982 तक 27·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि वे इन आंकड़ों से प्रसन्न हैं और यदि वे इस तथ्य से प्रसन्न हैं कि बाजार में टमाटर 8 रु० से 10 रुपये प्रति किलो ग्राम बिक रहा है और यदि उन्हें इस बात की खुशी है कि उत्पादक को एक किलो ग्राम के 2 रुपये भी नहीं मिल रहे है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। उत्पादक को सब्जियों से कुछ भी नहीं मिल रहा है; जो बाजार-भाव है उन्हें उसका 25 प्रतिशत भी नही मिल रहा है तथा बिचौलिए बीच में मुनाफा खा रहे है। प्रो० रंगा भी उस समिति में कुमारप्पा और जवाहर लाल के साथ थे। जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों से बिचौलियों को समाप्त करने की सिफारिश की थी ताकि एक ओर उत्पादक को और दूसरी ओर उपभोक्ता को भी न लूटा जाये किन्तु यह कहानी चलती जाती है और सरकार खुशी से यह कहती है कि मूल्य नियंत्रण में हैं।

साथ ही व्यापारियों को भी धमकियां दी जा रही हैं ? ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं ? मैं आपको बता सकता हूं कि ये धमकियां क्या हैं आयकर विभाग द्वारा हजारों छापे मारे गये किन्तु कितने अभियोग चलाए गये ? केवल 3 अभियोग चलाए गए। इस प्रकार वे लोगों

को डरा रहे हैं। छापे मारे जायेंगे किन्तु अभियोग नहीं चलाए जायेंगे क्योंकि बीच में कुछ हो जायेगा और सारी बात समाप्त हो जाएगी।

साथ ही चीनी का कोटा देने की बात भी है। क्या इसका मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है? प्रत्येक व्यक्ति इसे देख सकता है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि कृषि मंत्री को इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

दिल्ली में मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई है। मैं एक प्रस्ताव करना चाहता हूं। मैं आज कृषि मंत्री के साथ दिल्ली में किसी भी उचित दर की दुकान पर जाने के लिए तैयार हूं और वहां जाकर हम देखें किस किस्म का गेहूं वहां बेचा जा रहा है। यदि उचित दर की दुकानों पर बेचा जाने वाला 50 प्रतिशत गेहूं में कूड़ा और धूल नहीं हो तो मैं सभा से क्षमा माँगने के लिए तैयार हूं और अपनी गलती मागने के तैयार हूं। महोदय, मैंने व्यक्तिगत पूछ-ताछ की है…

कुछ माननीय सदस्य : यह सत्य नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा : मैं झुक नहीं रहा हूं। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूं। क्या होता है? गरीब और गरीब हो गया है। मैं शीघ्र ही इस पर आऊंगा क्योंकि भारत सरकार द्वारा खर्च किये गए प्रत्येक रुपए में गरीब का हिस्सा 16 प्रतिशत भी नहीं है। गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को तो यह भी नहीं मिलेगा। इसका अधिकांश भाग किसको मिलता है? केन्द्रीय सरकार के खर्च में से 83·4 प्रतिशत धनी लोगों के काम के लिए खर्च किया जाता है जबकि गरीबों के हिस्से में केवल 16·6 ही आता है। यही बजट का वास्तविक हिसाब है।

महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में सभा में जो कुछ भी कहा गया है मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं सबसे बुरी बात यह है कि भ्रष्टाचार न केवल देश में ही व्याप्त है… **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आपके बारे में क्या स्थिति है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा : मेरे ऊपर अभियोग चलायें। मैं इसके लिए तैयार हूं। यदि मैं भ्रष्ट हूं तो प्रधान मंत्री मेरे ऊपर अभियोग क्यों नहीं चलाती?

मैं प्रधान मन्त्री से प्रस्ताव करता हूं कि वह मेरे विरुद्ध भ्रष्टाचार का अभियोग चलाए। वह मेरे विरुद्ध अभियोग चलाएं और मैं उसका सामना करने को तैयार हूं। **(व्यवधान)** महोदय, मेरे युवा मित्र जय प्रकाश नारायण के नाम का उल्लेख कर मुझे याद दिलाते हैं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आपके श्री जयप्रकाश नारायण ने 1974 में आपके बारे में क्या कहा था?

1974 में राज नारायण जी ने नारायण ने जय प्रकाश जी की मीटिंग में नारा लगाया था कि—

जब से आया बहुगुणा,
भ्रष्टाचार बढ़ा सौ गुना।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा, 'मेरा नाम बार बार न लीजिए।' वही बात इन्होंने उनसे कही होगी। बात यह है कि लखनऊ की एक सार्वजनिक सभा में श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था कि, "मैं बहुगुणा की सरकार के विरुद्ध आन्दोलन नहीं चलाऊंगा।" अतः मुझे इससे ऊंचे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक भूमि सुधारों का सम्बन्ध है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए (व्यवधान)

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : क्या आप मानेंगे नहीं ? आपको भी मौका मिलेगा।

26 नवम्बर को किये गए एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार फालतू जमीन अनुमानतः 180 लाख एकड़ थी। सरकार को क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा : मुझे कहने दीजिए। इन 180 लाख एकड़ भूमि में से उन्होंने 38·9 लाख एकड़ भूमि अधिगृहीत की है। प्रधान मन्त्री पहले भी 1966 से 1977 तक प्रधान मन्त्री रही हैं। इस बारे में अर्थात गरीबों में भूमि वितरण के बारे में हमारी कई बैठकें हुई थीं। इस बारे में कुछ नहीं हुआ। अब तक केवल 17.9 लाख एकड़ भूमि ही वितरित हुई है।

जहाँ तक उद्योगों और बैंकों का प्रश्न है मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ किया है वह केवल एकाधिकारी गृहों की सहायता के लिए ही किया है। उन्होंने केवल यही कार्य अच्छा किया है कि उन्होंने यह सुझाव दिया है कि वे औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों के कार्य निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी कक्ष बनायेंगे। दत्त समिति ने इसकी बहुत पहले 1969 में सिफारिश की थी। जहाँ तक क्षमताओं का सम्बन्ध है औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अपनी क्षमताओं में 2100 से 150 गुना तक वृद्धि की गई है और एक मामले में तो उन्हें आवंटित क्षमता की 1300 गुना वृद्धि की गई है। अपने संतुलन-पत्र में उनमें से कुछ कम्पनियाँ यह कहती हैं कि उन्हें किसी कानून के अन्तर्गत अपना पंजीकरण करने के लिए भी कहा गया है, यहां तक कि औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भी नहीं। बैंक ऋण की क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वे तथ्यों से भी डरते हैं। मै केवल तथ्य प्रस्तुत कर रहा

हूं । कुल बैंक ऋण में से 93 प्रतिशत ऋणकर्त्ताओं ने 10,000 रुपये लिए जबकि एक ऋणकर्त्ता ने 10 लाख रुपये से अधिक लिए और इस प्रकार वे 60 प्रतिशत बैंक ऋण ले गये। क्या इसी से समाजवाद आयेगा ? 3.244 ऋण कर्त्ताओं पर प्रत्येक पर बकाया राशी एक करोड़ रुपये से अधिक हैं और कुल 6,9 915.49 करोड़ है । यदि यही स्थिति है तो अन्य बातों को भी देखिए । बैंकों से ली गई राशि भी देखिए । यह सरकार राज्य सरकारों के बारे में कहती है कि उन्हे ओवर ड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी । माननीय वित्त मंन्त्री ने बार । बार धमकी दी है कि " मैं राज्यों को ओवर ड्राफ्ट की अनुमति नहीं दूंगा । हम करते क्या हैं ? बैंकिग प्रणाली में कमजोर क्षेत्रों से धन सशक्त क्षेत्रों को जाता है । मैं भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन द्वारा दिये गये तथ्यों से यह सिद्ध कर सकता हूं । पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी यह हुआ उत्तर प्रदेश के मामले में 1,353.83 करोड़ रुपये तथा पश्चिम बंगाल के मामले में 1,318 कोरड़ रुपये की इस प्रकार निकाली हुई । यदि आप चाहते हैं कि लोगों के धन पर तीव्र जमा पूजी पर आपका पूरा नियत्रण रहे और यदि राज्यों के सामने और कोई चारा नहीं है और कि अमेरिका जैसे पूजी वाली यदेश में एक सिटी बैंक हो सकता है और एक यूनिट बैंक तथा क्षेत्रीय बैंक हो सकता है तो क्यों न ऐसा बैंक उस क्षेत्र में अच्छा कारोबार करे और निवेश करे । आप समस्त बैंकिग ढांचे को फिर से गठित करने का पुनर्विचार क्यों नहीं करते हैं ? क्यों इस बारे में सोचा नहीं जा रहा है ताकि किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लाभ के लिए धन की निकासी न हो ? (व्यवधान) ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के वित्त का सम्बन्ध है मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जीवन बीमा नियम जैसे निवेश में निवेश योग्य निधि का गैर - सरकारी क्षेत्र को 96 8 प्रतिशत मिलता है और सरकारी क्षेत्र को केवल 3.2 प्रतिशत मिलता है ।

महोदय , आत्म - निर्भरता बहुत बड़ा शब्द है और मुझे प्रधान मंन्त्री का भाषण याद आता है — मैं समझता हूं वह बहुत ही खराब दिन जब उनकी इस सभा की सदस्यता समाप्त की गई थीं — जब उन्होंने इस स्थान से कहा था कि उन्हे आत्म निर्भरता की बड़ी चिन्ता हैं क्यों कि भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं । मैं लिखित रूप में सारा विवरण देने के लिए तैयार हूं तथा यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि साइयन्र के साथ सहयोग योग की आपकी नई रीति के उन्तर्गत सातवीं और आठवीं योजना के बाद भी तथा राजाध्यक्ष समिति कीसिफारिशों के आधार पर आपने जो नई नीति अपनाई है उसके अन्तर्गत सातवीं और आठवीं योजना में स्थापित की जाने वाली क्षमताओं के सम्बन्ध में यदि आप पूरे उत्पादन के क्रयादेश भी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दें फिर भी यह उपक्रम 50 प्रतिशत क्षमता पर ही काम करेगा । यही नहीं किन्तु उनका अनुसंधान (व्यवधान)

यह तथ्यों की बात है । यदि आप तथ्य चाहते हैं तो मैं माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हुं । वह इस पर चिंतित न हों । महोदय , जहां तक भारत हैवी इकेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसधान और विकास का सम्बन्ध है , इसे विफल किया जा रहा है तथा यह सब साइमेन के साथ मिलकर इस तरह से दे किया जा रहा है कि अब कन्डेन्सर जैसी छोटी वस्तु तथा नियंत्रण प्रणाली से सम्बद्ध कोई उपकरण अथवा कोई भी अन्य उपकरण आप भारत में

नहीं बना सकते । आपको उन से अधिक से अधिक खरीदारी करनी होगी और केवल कच्चे माल के सम्बन्ध में ही भारत हे वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का कुल आयात पहले ही - 69 प्रतिशत तक पहुंच गया है । क्या यही आत्म निर्भरता होगी ? क्या आत्म निर्भरता का यही हल है ?

महोदय, तारापुर की क्या स्थिति है ? पिछले दिन प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हम जब भी चाहे, इस्तेमाल करने के बाद अवशिष्ट ईधन को परिष्कृत कर सकते हैं । हम इसके सम्बन्ध में अमेरीका की व्याख्या से सहमत नहीं हैं । ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, यह महीना भी बहुत अच्छा महीना है ; बहुत महत्वपूर्ण महीना है प्रधान मन्त्री-कहें कि 1963 की सन्धि के दायित्वों के अन्तर्गत अमेरिका के परामर्श से पुनः परिष्करण की सुविधाएं बनाने के बाद वह कल से ही ईधन के पुनः परिष्करण का आदेश देंगी । यदि यह आवश्यक न हो फिर भी इस नाजुक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह छोटा सा प्रयास करें । यदि वह ऐसा नहीं करतीं तो उसका अर्थ-यही है कि यद्यपि वह आत्म निर्भरता की बात करती है किन्तु उस पर अमल नहीं करती है । हाल के तारापुर समझौते में उन्होंने कुछ भी प्रयास नहीं किया हैं । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि तारापुर के मामले में उन्होंने अधिकाँशत समर्पण ही किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने 40 मिनट से अधिक ले लिए हैं । आपको समाप्त करना है...

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं केवल 40 मिनट ही बोला हूं ...

अध्यक्ष महोदय : मुझे समय को बाँटना है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं मानता हूं किन्तु पिछले दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक घंटा चाहिए । मुझे 15 मिनट और दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैंने आपसे चालीस मिनट कहा था । मैं इतना ही दूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, 1963 का सहयोग करार जैसा था वह ठीक था किन्तु तब सोवियत रूस और फ्रान्स हमें परिष्कृत यूरेनियम दे रहे थे जब कि अमेरिका हिचकिचा रहा था । किन्तु हमने उनसे लेने से इन्कार कर दिया । महोदय, मेरे पास इस सम्बन्ध में विस्तार से बताने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमने उन देशों से कह दिया था कि हम इसे आपसे नहीं लेंगे । **(व्यवधान)** महोदय, हमें विदेश मन्त्री से हाल के दृष्टिकोण के बारे में जानने का अवसर मिला है । अचानक क्या हो गया ? परामर्श दायी समिति की बैठक हुई थी—और उस बैठक में प्रधान मंत्री ने तारापुर मामले में एक नयीं बात रखी और धीरे-धीरे उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्रीय हित में तथा अमेरिका का साथ सम्बन्धों के हित में तारापुर के बारे में निर्णय को ध्यान में रखना होगा तथा इस सन्धि के समस्त प्रभाव को ध्यान में रखना होगा, आदि ।

महोदय, यह एक ऐसे समय किया गया जब एक रिपोर्ट के अनुसार तथ एक समाचार पत्र के अनुसार, जिसके कुछ अंश मैं यहां पढ़ूंगा अमेरिका के वि हमारे दृष्टिकोण से सहमत होने की स्थिति में आ गये थे ...

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, कृपया हमारे करार को भी ध्यान में रखिए

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : करार यह था कि आपने कहा था कि एक जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटता हूं। मैंने कहा दूंगा और मैं दे रहा हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं तारापुर के बारे में बोल रहा हूं। मेरा समय कम हो गया है। कृपया यह ध्यान में रखिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरा ध्यान है। मैं प्रत्येक को मौका देना चाहता हूं

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : तारापुर के बारे में अमेरिका के डिप्टी से मि० वारेन क्रिस्टोफर ने जून, 1980 में सिनेट के समक्ष कहा जिसे मैं उद्धृत कर

> "यदि हम यह सप्लाई नामंजूर कर देंगे तो भारत को 1963 के व स्वयं को अपने दायित्वों से मुक्त समझने की छूट होगी। उस स्थिति में के मूल ईंधन का पुनः परिष्करण कर सकता है और तारापुर के रिएक्ट का उपयोग कर सकता है। यदि हम यह सप्लाई नामंजूर करते हैं तं सम्बन्धी करार से भी पीछे हट सकता है और तारापुर के लिए पहले गये किसी भी अन्य सामग्री के प्रयोग के बाद हमारी असहमति की निर्णय कर सकता है...दूसरी ओर रचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकृत की जाती हैं तो हम कम से कम वर्तमान करारों के अन्तर्गत भ को दो-एक वर्ष और बनाये रख सकते हैं।"

वस्तुतः वे यह कह रहे थे कि हम इस सप्लाई के लिए सहमत हों। ज पड़ रहा था तो हम भी अमरीकियों को संतुष्ट करने के लिए पीछे झुकने लगें के प्रपत्र ने अमेरिका में एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि सरकारी क्षे लिए एक बुनियादी ढांचा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल द्वारा 1929 से प्रतिपादित सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। इन 40 वर्षों में कांग्रेस ने यह स्वीकार नहीं की थी।

महोदय, मैं अन्त में तारापुर के बारे में कुछ प्रश्न पूछना ये हैं:

फ्रान्स से परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के बारे में जो सहमति हो चु

वरी कार्यक्रम की क्या स्थिति है ।

क्या वे किसी डिलवरी कार्यक्रम का अनुपालन करेंगे या नहीं ; क्या संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से यह वचन देगा कि तारापुर के लिए आवश्यक फालतू पुर्जे हमेशा तथा समय पर उपलब्ध होंगे ? महोदय, क्या प्रधान मन्त्री ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत को इस्तेमाल किये जाने के बाद अवशिष्ट ईधन को जिस प्रकार चाहे परिष्कृत करने का अधिकार होगा ? और अन्त में क्या वे यह सुनिश्चित करेंगे कि नयी बातचीत और करारों के परिणाम स्वरूप भारतीय सुविधाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही खण्ड आदि, जैसी कोई अन्य अतिरिक्त शर्त नहीं होगी ?

एक माननीय सदस्य : हरिजन अत्याचार ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों और साम्प्रदायिक दंगों पर आता हूं । जहां तक हरिजनों पर अत्याचारों का सम्बन्ध है, एक वर्ष में हरिजनों पर 31,000 तथा इससे भी अधिक अत्याचार हुए हैं और यह सरकार कमजोर वर्गों की रक्षक होने का दावा करती है । मैंने अपना अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है जिसे समस्त राष्ट्र के हित में स्वीकृत किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री विद्याचरण शुक्ल ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रधान मन्त्री ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह दावा किया है कि वह साम्प्रदायिक दंगों को समाप्त करेंगी । प्रधान मन्त्री जब वाद-विवाद का उत्तर दें तो बतायें कि साम्प्रदायिक दगों के कारण कितने अधिकारियों का तबादला किया गया और कितनों को सजा दी गई ।

अतः मेरा सभा से निवेदन है कि मैंने जो अविश्वास का प्रस्ताव पहले ही पेश किया है उसे पास किया जाये : अर्थात्

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है ।"

धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है ।"

श्री विद्याचरण शुक्ल ।

(व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, क्या उन्होंने विश्वास प्राप्त कर लिया है ?

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय लोक सभा का जब सत्र बुलाया जाता है तब विपक्षी दलों के नेताओं तथा प्रधानमन्त्री को उन विषयों पर चर्चा करने हेतु जिनसे विपक्ष विक्षुब्ध है तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने हेतु, आमन्त्रित करने की आपने नियमित प्रथा बना ली है। आपको स्मरण होगा कि इस चर्चा के दौरान उठाए गए लगभग सभी मामलों पर संसद के इस सत्र में चर्चा हो चुकी है। यह न केवल आश्चर्यजनक है वल्कि इससे विपक्ष के दृष्टिकोण का भी पता चलता है कि किस प्रकार इन सभी विषयों पर चर्चा कर चुकने के पश्चात् इन्होंने किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर नहीं, अपितु आपको तथा सरकार को परेशान करने हेतु उन सभी बातों को दोहराने के लिए, जो वे कई बार कह चुके हैं, सत्र की समाप्ति पर मन्त्री-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में सोचा...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कैसे ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, क्या आप परेशान हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, पिछले शुक्रवार को खत्म होने वाली सभा की बैठक को बढ़ाने की सहमति देकर हमने संसद के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रकट किया है ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहने और सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं ? उन्हें बोलने दीजिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह कोई नई बात नहीं है। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। इन्होंने एक बार पहले भी, जब प्रधान मन्त्री विदेश में थी, ऐसा प्रस्ताव रखा था।

अब मैं श्री बहुगुणा द्वारा उठाए गए एक और प्रश्न को लेना हूं। उन्होंने बहुत ही हास्यास्पद ढंग से प्रश्न उठाया है—हम किसका प्रतिनिधित्व करते हैं ? और इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। 1980 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ उन्होंने बहुत ही ऊंचे स्वर में नारा लगाया था —**इन्दिरा लाओ, देश बचाओ।**

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : ओह, नहीं, नहीं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री बहुगुणा गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और न केवल वह गढ़वाल में, अपितु देश के विभिन्न भागों में, जहां वह गए, बहुत ही ऊंचे स्वर में बोले। वह अपना भाषण 'इन्दिरा लाओ देश बचाओ' से आरम्भ करते और इन शब्दों से समाप्त करते कि देश को केवल कांग्रेस (इ) के शासन द्वारा बचाया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार नहीं। उनका विश्वास ठीक था क्योंकि वह निजी अनुभवों के आधार पर बोल रहे थे। वह पिछली

सरकार में मन्त्री थे, वह अन्दर से जानते थे कि उन्होने अपने शासन के दौरान, जिसके श्री बहुगुणा अंग थे, कितनी तबाही की है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है तथा किस प्रकार सार्वजनिक जीवन को नुकसान पहुंचाया है। अतः जब उन्होने कहा :

'इन्दिरा को लाकर देश को बचाना है" तब सभी ने यही सोचा कि वह सच बोल रहे हैं और वस्तुतः वह सच ही बोल रहे थे। परन्तु अब यदि वह अपनी बात पर टिके नहीं रहना चाहते हैं तो यह समझ आने वाली बात है। उन्होंने ये बातें कोई बहुत पहले नहीं, केवल दो वर्ष पहले कही थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम लेकर उस समय उन्हें कितना बहुमत मिला। लगभग 1.30 लाख यह तब की बात है, जब उन्होंने गढ़वाल में कांग्रेस (इ) के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। और अब जब उन्होंने कांग्रेस (इ) के विरुद्ध चुनाव लड़ा है तो उनका बहुमत कम होकर 29,000 वोट ही रह गया है इसे उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र समझा जाता था ...(**व्यवधान**) मैं तो यह कहूंगा कि इन्हें 29,000 वोट का यह बहुमत अतीत में उनके कांग्रेस (इ) के साथ सम्बन्धों के कारण मिला न कि उनके अन्धकारपूर्ण वर्तमान के कारण। उनका देश की सेवा से कोई सम्बन्ध नही रहा है। वह कांग्रेस (इ) के सेवक थे, एक सामान्य सिपाही और और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस (इ) के नेता परन्तु इस सब के लिए उन्हें संभवत. इतने अधिक मत न मिलते। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वोटों में अन्तर हमारे दो वर्ष के शासन के बाद आया है जबकि उन्हें 1980 के बहुमत से अधिक मत प्राप्त करने चाहिए थे। परन्तु वह जानते हैं कि यह बहुमत भी उन्होंने कैसे और किस प्रकार प्राप्त किया है।

श्री बहुगुणा महत्वाकांक्षी है। यह हम सब जानते हैं। पंडित जी यहां बैठे हैं। वह जानते हैं कि वह किस प्रकार उन पर हावी हो गए। महोदय, हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जनता पार्टी के अपने मित्रों पर हावी होने का प्रयास किया। चौधरी साहब यहीं बैठे थे, मैं नहीं जानता कि वह क्यों चले गए हैं।

एक माननीय सदस्य : वह श्री बहुगुणा के भाषण से निराश हो गए हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि केवल तीन वर्ष पूर्व अगस्त, 1979 में चौधरी साहब ने तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को क्या लिखा था। मुझे आशा है कि आप मुझे इन प्रलेखों को पढ़ने की अनुमति देंगे क्योंकि ये सार्वजनिक कागजात हैं और सभापटल पर रखे जा चुके हैं तथा व्यापक रूप से प्रकाशित भी हुए है।

भारत के तत्कालीन गृह मन्त्री श्री चरण सिंह भारत के तत्कालीन प्रधान मन्त्री को अपने एक अर्द्ध सरकारी पत्र में लिखते है,— मैं उद्धृत करता हूं :

"श्री बहुगुणा ने लखनऊ में मुझे यथा संभव बदनाम करने वाले दो अपशब्दपूर्ण पैम्फलेट प्रकाशित कराए—जिनमें से एक को मैं मार्च 1977 में आपके ध्यान में लाया था।"

महोदय, इससे यही स्पष्ट होता है कि श्री बहुगुणा किस प्रकार योजना बनाने में सफल

हो जाते हैं और इन बातों के लिए किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं।

महोदय, वह आगे फिर कहते है :

श्री बहुगुणा के कहने पर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री को हटाने के अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है और जिस दिन से वह इस पद के लिए निर्वाचित हुए उसी दिन से यह अभियान चलाया गया।"

वह श्री राम नरेश यादव का उल्लेख कर रहे थे।

महोदय, अन्तिम भाग संभवतः सच न हो क्योंकि वह निजी जानकारी के आधार पर बोल रहे थे परन्तु प्रथम भाग उन्होंने भारत के गृह मन्त्री के रूप में लिखा। उनके ये विचार उनके अधिकार में सरकारी प्रतिवेदन तथा सरकारी कागजातों पर आधारित थे।

महोदय, श्री बहुगुणा किस मुंह से भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि देश के गृह मन्त्री के श्री बहुगुणा के भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार हैं। महोदय, वह कहते हैं :

"जहां तक श्री बहुगुणा के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का सम्बन्ध है, मैं उनमें से कुछ का यहां उल्लेख करूंगा। भूतपूर्व प्रधान मंत्री को 25 नवम्बर, 1975 को प्रस्तुत एक प्रतिवेदन के अनुसार श्री बहुगुणा ने (एक) हरदुआगंज (अलीगढ़) स्थित पावर स्टेशन को मोदी को देकर (दो) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर को दो पावर यूनिट देकर तथा (तीन) जयपुरिया के स्वामित्व में स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर का पक्षपात काके पर्याप्त वित्तीय लाभ उठाया।"

'मोदी श्री बहुगुणा के मुख्य वित्तपोषक थे और कम चुंगी शुल्क शेयरों की खरीद तथा श्री के० एन० मोदी की प्रान्तीय औद्योगिक निवेश निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के रूप में उनके साथ अनुचित ढंग से तरफदारी की गई। श्री बहुगुणा के फंड में और भी उनके औद्योगिक गृहों ने योगदान दिया।

अब वह कह रहे हैं, कि हम इन औद्योगिक गृहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में श्री चरण सिंह ने गृह मन्त्री के रूप में कहा था कि वह उनका प्रतिनिधित्व करते हैं।

(व्यवधान)

चरण सिह आगे लिखते हैं।

मैं उद्धृत करता हूं —

'श्री बहुगुणा के कोष में और भी अनेक औद्योगिक गृहों ने योगदान किया। उनके 28 वर्षीय सुपुत्र युवा वकील श्री विजय बहुगुणा को अनेक बड़ी कम्पनियों ने रिटेनर के रूप में नियुक्त किया। ये आरोप चार महीने पहले आपके ध्यानमें आए थे परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ।

श्री चरण सिंह को इस बात का खेद था।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह आगे कहते हैं,

15 जनवरी, 1978 को कांग्रेस फार डेमोक्रेसी के टिकट पर निर्वाचित एक संसद सदस्य श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने आपको एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें श्री बहुगुणा के कदाचार और भ्रष्टाचार की 101 मिसालें दी गई थीं उनके पत्र की एक प्रति मुझे और श्री जगजीवन राम को पृष्ठांकित की गई थीं। श्री सक्सेना ने अपने पत्र को निम्न-लिखित शब्दों के साथ समाप्त किया :

'मैंने उपर्युक्त पृष्ठों में लम्बी और चार महीने से अधिक समय की कष्टपूर्ण जांच का परिणाम दिया है। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा उल्लिखित तथ्य सच हैं। इन निष्कर्षों से उन्हे धक्का लगा है। मुझे आश्चर्य है कि इस चरित्र का व्यक्ति, जो स्वयं शैतान का अवतार है ...(व्यवधान)... और लोग जिसे नटवर लाल कहते हैं भारत सरकार के मंत्रिमण्डल का सदस्य हो। अतः मैंने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा गहराई से जाँच करने हेतु उपर्युक्त तथ्यों को आपके ध्यान में लाना अपना कर्त्तव्य समझा।

(व्यवधान)

अब हमें पता लगाना है, बल्कि हमें पता नहीं लगाना है क्योंकि वेआरोप बिल्कुल स्पष्ट है; वे रिकार्ड में है। यदि इन आरोपों में सच्चाई नहीं है तो यह श्री बहुगुणा का काम है कि इनका खण्डन करें। अथवा चौधरी साहब आगे आकर यह कहें कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह झूठ था, अथवा यह कहें कि जो कुछ उन्होंने कहा उसे गलत उद्धृत किया अथवा इस संबंध में कुछ और कहें। परन्तु ये आरोप सही हैं और और उनका किसी के द्वारा खण्डन भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आरोप चौधरी साहब द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं अपितु भारत के ग्रह मंत्री के नाते लगाये गये थे। इसी प्रकार श्री शिब्बन लाल जी ने ये आरोप अपने दल के सदस्य के रूप में लगाये थे।

अब राजनीतिक नैतिकता के संबंध में यह कहूंगा कि श्री बहुगुणा ने पांच वर्षों में छः दल बदले हैं। यह रिकार्ड में है।

(व्यवधान)

यदि आप मेरी बात का खण्डन करने हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं उन्हें गिना दूंगा 1975-76 में वह कांग्रेस में थे। यह पहला नम्बर है। बाद में वह बाबू जगजीवन राम के साथ कांग्रेस फार डेमोक्रेसी में गए.। तत्पश्चात् वह जनता पार्टी में गए। जनता पार्टी के पश्चात् वह लोकदल में गए और श्री चरण सिंह के साथ मिल गए और वित्त मंत्री बने। यह चौथी पार्टी हुई। पांचवी बार वह कांग्रेस (इ) में वापस आ गए। छठी बार वह इसे छोड़ गए और अब वह लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के नेता हैं।

(व्यवधान)

ये सब तथ्य हैं। एक व्यक्ति, जो पाँच वर्ष में छः पार्टियां बदल सकता है, वह अवश्य अत्यन्त महत्वाकाँक्षी होगा।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक महान बहुरूपिया।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह संसद के प्रति हमारे सम्मान की बात कर रहे थे। वह उस सरकार में थे। जिसने पाँच महीने तक संसद का सामना किए बिना इस देश पर शासन किया। जिस दिन श्री बहुगुणा को देश के वित्त मंत्री के रूप में संसद में बैठना था और लोकसभा का सामना करना था, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और भाग खड़े हुए।

उनमे संसद के सामने आने की ही हिम्मत या साहस नही था। वे संसद के सम्मान आदि कीं बात कैसे कह सकते है? यदि वे संसद के प्रति कुछ सम्मान रखते मे उन्हें संसद का सामना करना चाहिए था। उन्हे मामले को लोक सभा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। और यदि लोक सभा अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर देती तो उन्हे त्याग पत्र दे देन चाहिए था। परन्तु वास्तव मे यह कुछ ऐसा है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उस समय जो सज्जन देश पर शासन कर रहे थे उनके दिल मे संसद के प्रति कोई सम्मान नही था।

न्यायपालिका के विषय मे थी, जिसका श्री बहुगुणा ने जिक्र किया है, मैं कुछ जानकारी रखता हूं क्योंकि देश भर मे मेरे विरूद्ध बहुत से मुकदमे चल रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि कम से कम दो उच्चान्यायालय न्यायधीशों की पदोन्नति मेरी वजह से हुई हैं। एक वे ओर ओ०एन० वाध्य थे, जिनको मुझे और स्व श्री संजय गांधी को दो बर्ष की सजा सुनाने के लिए पदोन्नति दी गयी थी। इसी प्रकार से रायपुर में एक जिला तथा सम न्यायाधीश को जनता सरकार को में पदोन्नत मेरे बारे मे इच्छित रिपोर्ट देने पर उच्च-न्यायालय किया गया। हम और भी बहुत सी बाते जानते है तथा यह भी जानते हैं कि न्यायाधीशों के मामलों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा काफी समय तक विचार होने के बाद कैसे निर्णय लिया गया था और अब विपक्ष मे बैठे उस दल पर विभिन्न लोगों ने जब वे सत्ता मे थे न्यायपालिका के साथ किस प्रकार व्यवहार किया

इस बात का श्री बहुगुणा को अच्छी तरह पता है, क्योंकि वे काफी वर्षों तक हमारी पार्टी का एक अंग रहे हैं, कि हम आम लोगों का सामान्य रूप से और अलपसंख्यकों अनुसूचित जातियों। जनजातियों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का विशेष रूप से केसे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे वी ही हमारे वोट बैंक है और वर्षो से अपरिवर्तित रहे हैं। आज यदि कोई यह कहना चाहता है कि हम एकाधिकारी ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो श्री बहुगुण के बारे में श्री सिब्बन लाल सक्सेना तथा श्री चरण सिंह की टिप्पाणियों से यह बात स्पष्ट हो जाती है है कि हम उनका प्रति निधित्व नही करते बल्कि विपक्ष ही में कुछ ऐसे सदस्य बैंठे है। जो अधिकारी ग्रहों का प्रति निधित्व करते है मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जब कि श्री बहुगुणा ने श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा कांग्रेस हार्टी की उपलोब्धयों का गुणगान किया है! और अब मुझ

उनसे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने 35 वर्षों मे कुछ नही किया । हमने इतना कुछ किया है कि आज देश विश्व के अग्रणीय देशों के रुप मे सम्मान किया जाता है। ऐसी टिप्पणियाँ करके आप देश के सम्मान को कम नही कर सकते । जो कि इस राष्ट्रीय के समुदाय में प्राप्त है

काफी बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा परन्तु यहाँ पर मैं एक बात को दोहरा देना चाहता हूं कि श्री बहुगुणा लोगों को हमेशा वेवकूफ नहीं बना सकते । वह उनको थोड़े समय के लिए वेवकूफ बना सकते हैं परन्तु हमेशा के लिए नहीं। उनको अब यह महसूस करना चाहिए कि इन घिसे पिटे नारों को दोहराकर के न तो लोगों को फुसला सकते और न ही उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अतः मैं उनसे वर्तमान परिस्थितियों को समझने और अपने अविश्वास प्रस्ताव को वापस लेने का निवेदन करता हूं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : यह कहा गया है कि इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव एक औपचारिकता बन गई है क्योंकि जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उन पर सभा में चर्चा की जा चुकी है । अतः मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की थी तो जो मुख्य विषय सामने आया था वह महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री श्री अन्तुले द्वारा किये गये भ्रष्ट कार्यों के बारे में । उस समय प्रधानमन्त्री प्रायः मौन रही । अब जब हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं श्री अन्तुले की स्थिति क्या है । श्री अन्तुले प्रधान मंत्री की कृपा से सत्ता में आए और भ्रष्टाचार के सत्त स्रोत के प्रतीक बने···

(व्यवधान)

श्री मगनभाई बरोट (अहमदाबाद) : महोदय एक व्यवस्था का प्रश्न है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री समर मुखर्जी : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है; ऐसा कुछ नहीं है···**(व्यवधान)** मैंने श्री अन्तुले का जिक्र किया है उस शीर्ष पर जो उनके पास था की तुलना में अब उनकी स्थिति क्या है ? अतः हमने जो आलोचनायें और भ्रष्टाचार के आरोप उनके विरुद्ध यहाँ लगाये थे वे अदालत के द्वारा सही ठहरा दिये गए हैं और राज्यपाल ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमती दे दी है । उनको पद से भी हटा दिया गया है ।

यह एक अनुष्ठानमात्र नहीं है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। हम जनता की वास्तविक भावनाओं को यहां प्रतिविम्बित करना चाहते हैं। इसलिए बाहर जनता जो कुछ आलोचना करती हैं प्रायः उसका प्रक्षेपण यहां पर हो जाता है। यह संघर्ष चलता रहेगा और इसके परिणाम कल नहीं तो परसों अवश्य सामने आयेंगे । इसीलिए हम आपकी नीतियों व कार्यों की आलोचना करते हैं···**(व्यवधान)**

श्री शुक्लजी ने हमारे मित्र श्री बहुगुणा के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मुझे याद है

कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि श्री बहुगुणा को आपकी पार्टी में लेने का प्रस्ताव था और स्वयं प्रधान मन्त्री, उनकी पुत्रवधु तथा उनके पोत्र पोत्री श्री बहुगुणा के घर गये··· (व्यवधान) इस बात का उत्तर वह देगी कि वे आपकी पार्टी में लिए गये अथवा नहीं···(व्यवधान) मैं सोचता हूं कि आपकी पार्टी में रहकर श्री बहुगुणा ने अनुभव प्राप्त किये हैं और कटु अनुभवों के साथ पार्टी से निकल गये। इसीलिए वह आपके घोर आलोचक बन गये हैं··· **व्यवधान** हां, आपकी पार्टी को और लोग भी कटु अनुभव के साथ छोड़ देंगे और आपके विरुद्ध लड़ाई में हमारा साथ देंगे··· **(व्यवधान)**

मैं श्री बहुगुणा को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आयाराम, गयाराम की नीति का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने अपनी संसदीय सीट से त्याग पत्र देकर और इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। इस प्रकार से उन्होंने ससदीय परम्पराओं का सम्मान किया है।

आप गढ़वाल में चुनाव कराने से इतने भयभीत क्यों थे ? केवल उसी समय जब पश्चिमी बंगाल के मामले में उच्चतम न्यायालय में आप मुकदमा हार गये थे और चुनाव आयोग ने 10 मई को उपचुनाव कराने की घोषणा की तब आपको गढ़वाल में चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। गढ़वाल के लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और प्रजातान्त्रिक विधि से आपके विरुद्ध अपना निर्णय दिया··· (व्यवधान)

मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से वह ईमानदार है या बेईमान क्योंकि आपकी पार्टी में बहुत से लोग है, श्री अन्तुले तथा दूसरे जो बेईमान हैं। उन मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है।

इस अविश्वास प्रस्ताव में 'कूँओं' सौदे का मामला भी है। यह सोदा क्या है ? यह कूँओं' तेल सौदा है।

(व्यवधान)

श्री मगनभाई बरोट : महोदय अदालत में एक अपराधिक शिकायत दर्ज करायी गयी है। अत: इस सौदे के बारे में संसद में या संसद के बाहर कुछ भी चर्चा की जानी उचित नहीं है। यह ऐसा मामला है जो न्यायालय में विचाराधीन है और प्रक्रिया नियमों के नियम 352 के अन्तर्गत कोई भी सदस्य इसका संदर्भ नहीं दे सकता मैं इस बात को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। कृपया···

(व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय हम पर चर्चा करने जा रहे है। कृपया आप इस पर अपना विनिर्णय दें क्योकि मैं अपने भाषण में इस सौदे का जिक्र करने जा

रहा हूं ।

व्यवधान

श्री समर मुखर्जी : न्यायालय में क्या है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : न्यायालय में क्या है ? गुम हुई फाईल का मामला न्यायालय में नहीं है ।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । इसमें कुछ नहीं है । आप अनावश्यक बातें कर रहे हैं । इसमें क्या है ?

कृपया बैठ जाइये ।

व्यवधान

श्री समर मुखर्जी : महोदय, प्रधान मन्त्री के एक विशेष सचिव के पास से इस फाईल का रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो जाना और प्रधानमन्त्री का इस पर चुप रहना, मैं इन बातों का जिक्र करना चाहता हूं । इन बातों से पता चलता है कि देश जब किस गर्त में डूबता जा रहा है। मैं इसकी ओर पूरी सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले अविश्वास प्रस्ताव आज तक समूचे देश की स्थिति क्या है ? मैं उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : हाँ ।

श्री समर मुखर्जी : इसलिए मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं । आप प्रगति कर रहे हैं । परन्तु प्रगति क्या हुई है ? महोदय, विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश की स्वतन्त्रता के 35 वर्ष बाद भी हमारा देश निम्नतम् आप वर्ग के देशों की सूची में नीचे से तीसरे स्थान पर है । आजादी के 35 वर्षों के बाद हमारा देश आज तक सबसे गरीब देश बना हुआ है । 35 वर्षों के बाद भी आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, आप बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं । परन्तु सभी आंकड़ों से पता चलता है कि गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और प्रति दिन मूल्यों और जीवनयापन की लागत में वृद्धि हो रही है । निश्चित रूप से यह एक प्रगति है और आप इसके लिए श्रेय का दावा कर सकते हैं कि आप··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उनको बोलने दीजिए ।

श्री समर मुखर्जी : यदि आप इससे भी उद्वेलित नहीं होते, यदि आप इससे भी स्वआलोचना नहीं करते कि यह सब क्यों हो रहा है तो केवल भगवान ही आपकी मदद कर सकता है यह स्वभाविक है कि 1977 जैसा वह दिन आ जायेगा जब ये ही लोग आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे । आज आप इसी डर से भयभीत हैं । इसीलिए अपने संसदीय प्रजातन्त्र की जड़ों को ही काटना शुरू कर दिया है । आप 19 मई के इस उपचुनाव से ही अपनी पूरी स्थिति का अनुमान लगा लीजिए । क्या आपकी स्थिति मजबूत हुई है ?

कुछ माननीय सदस्य : हाँ ।

श्री समर मुखर्जी : बहुत अच्छा । हरियाणा में आप अल्पमत हो गये । आपका बहुमत था । क्या यह प्रगति है ?

एक माननीय सदस्य : पैसे से ।

श्री समर मुखर्जी : अब हमने समाचार पत्रों में देखा कि एक विधायक को 20 लाख रुपये में खरीदा गया । क्या यह संसदीय परम्परा है ? आप 38 से···

यह स्तर है जो आपने देश में ला दिया है । 38 से अब आपड 6 हो गये हैं । यह 'आपाराम' 'गयाराम' है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब क्या भाव है ?

श्री समर मुखर्जी : मैंने समाचार पत्रों में 20 लाख पड़ा था । वह बढ़ सकती है । इस श्रेय का आप दावा कर सकते हैं परन्तु आप किसे खरीद रहे हैं ? आप उन्हें खरीद रहे हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध बगावत की जिन्होंने आपके विरेद्ध बगावत की उनको मंत्री बनाया जा रहा है और जो आपके प्रति वफादार रहें उनको मंत्री मण्डल से बाहर फैंका जा रहा है । इसलिए आप उनको पुरस्कार दे रहे हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध बगावत की थी । बगावत करने वालों को पुरस्कार देकर आपकी पार्टी बहाल नहीं रह सकती । (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : भाड़े के सिपाही तो भाड़े के सिपाही ही हैं ।

श्री समर मुखर्जी : हो क्या रहा है ? अब मैं बिहार के प्रैस विधेयक को लेता हूं । हम यहां पर आलोचना कर रहे हैं परन्तु जनता कापी कर रही है । यह प्रैस विधेयक क्यों लाया गया यह इसलिए लाया गया क्योंकि सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है । वे भ्रष्टाचार के मामलों में समाचारों में छपने से रोकना चाहते हैं । सभी पूर्व सावधानियों के बावजूद भी भ्रष्टाचार के समाचार आ रहे हैं । अतः इससे बिहार के मुख्य मंत्री को परेशानी हो रही है इसीलिए यह काला क्रूर विधेयक न केवल प्रैस के लोगों के विरुद्धबल्कि उन सभी के विरुद्ध लाया गया जो कार्य कर रहे हैं···(**व्यवधान**) मैंने समाचार पत्र में पढ़ा है । जहां मैंने देखा है मैं उस समाचार पत्र को भी लाया हूं ।

श्री नगीना राय : बंगाल में क्या हो रहा है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप जैसे पापी लोग वहां नहीं जा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है । जब आपकी तरफ से कोई बोलेगा तो वह बताएगा, आप क्यों बोल रहे हैं, बिना वजह । कुछ शिष्टता बरतिए ।

श्री समर मुखर्जी : अब बिहार सचिवालय के अधिकारी संघ द्वारा भी इस प्रैस विपेक्षी विधेयक का विरोध किया जा रहा है । यह विधेयक न केवल पत्रकारों के विरुद्ध है बल्कि उनके

विरुद्ध भी है जो गुप्त रूप से भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हैं, और उनको पांच वर्ष की जेल की सजा हो जायेगी इसीलिए हम इस भ्रष्टाचार रूपी क्रूर विधेयक का विरोध करना चाहते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात पर गम्भीर रूप से विचार करें कि देश इस हद तक भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका है कि मुख्यमंत्रिगण भी भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त नहीं है। उनकी आलोचना न केवल प्रैस में बल्कि आम जनता के द्वारा भी की जा रही है मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। महाराष्ट्र के 22 संसद सदस्यों ने ज्ञापन भेजा है है। उन्होंने इसे प्रैस में भेजा है और आरोप लगाया है कि वहां के वर्तमान मुख्यमन्त्री भी अमुक आर्थिक भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त हैं और प्रशासन बहुत अधिक अकुशल है। ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये महाराष्ट्र के 22 संसद-सदस्यों के शब्द है जो समाचार पत्रों में आये हैं। (व्यवधान) श्री मूपनार आपके नेता है महासचिव मूपनार आपके नेता हैं। यदि अब भी आप सीखना नहीं चाहते तो आप जो हैं वही रहेंगे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : किसी ने भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये।

श्री समर मुखर्जी : मैं समाचार पत्र लाया हूं। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा मैं इसे पढ़ देता।

फिर मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि आन्ध्र प्रदेश में एक कांग्रेस मंत्री वर्तमान मंत्री ने खुल्मखल्ला श्री संजैया के विरुद्ध आरोप लगाये हैं। यह सब समाचार पत्रों की रिपोर्ट हैं (व्यवधान) यह सीमेंन्ट काण्ड के बारे में है। श्री अंजैया ने प्रैस को केवल यही बत या, "मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं क्योंकि मेरे दल के लोगों ने मेरे ऊपर खुल्लम खुल्या आरोप लगाये हैं। मैं आपसे इन आरोपों की जांच करने का अनुरोध करता हूं।

आपकी नीतियों से देश सर्वनाश के पथ पर बढ़ रहा है। (व्यवधान) मेरा समय नष्ट मत कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। सभा के समय को नष्ट मत कीजिए।

श्री अनन्त रामुल मल्लु (नगर कुरनूल) : वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री समर मुखर्जी : कांग्रेस (आई) के मुख्य मंत्रियों को एक के बाद एक इसी प्रकार से जाना पड़ता है।

अब मैं आर्थिक स्थिति पर आता हूं। मुझे याद है कि पिछली बार प्रधान मंत्री ने अपने उत्तर में दावा किया था कि मुद्रा समिति रोक दी गयी है और थोक मूल्यों में कमी हो रही है। अब उस दावे का क्या हो गया? इस महीने के अन्तर्गत कल के ही इक्नोमिक्स टाइम्स में कहा गया है :

"31 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताह में सभी वस्तुओं के सरकारी थोक मूल्य सूचकांक में 0.4% की वृद्धि हुई है जो पिछले सप्ताह के 290.7 से बढ़कर 291.9 हो गया खाद्य वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में 1.5% की वृद्धि हुई है जो 253.1 से बढ़कर 256.9 हो गया.. ।"

वह थोक मूल्यों % के बारे में है । मैं फुटकर मूल्य की बात नहीं कर रहा हूं । पिछली बार भी आपने स्वीकार किया था कि थोक मूल्य में हुई कमी का भी उपभोक्ता मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं होता। उपभोक्ता मूल्य इतने अधिक बढ़ गये है कि मूल्यों पर बहुत अधिक दबाव डालने की आवश्यकता है । यह परसों व 12-8-1982 को भी प्रकाशित हुआ था । **(व्यवधान)** जुलाई में टमाटर का मूल्य 10/- रु० प्रति किलो था जो कि आम और दूसरी चीजों का लगभग दोगुना था । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बहुत ही गम्भीर रूप से खतरनाक अनुपात में बढ़ रहा है । और मज़दूरों की वास्तविक आय में गम्भीर रूप में कमी हो रही है ।

अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के अपने 35 वर्षों के दौरान जबकि आप समाजवाद की बात करते हैं आप संविधान नीति निर्देशक सिद्धान्तों की बात कहते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है किसरकार की नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले और इसको प्राप्त किया जा सके—आयकी असमानता को कम किया जा सके परन्तु आपकी नीति क्या है ? पिछले 35 वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा बड़े गृहों ने भारी मुनाफा कमाया है ।

अभी उस दिन आप एकाधिकार तथा निर्बंधनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधन के लिए ? विधेयक लाये थे । किस उद्देश्य के लिए एकाधिकार गृहों को और अधिक छूट देने के लिए तथा प्रतिबन्धों को और अधिक ढीला करने के लिए । इस संदर्भ में श्री अमरीक सोमनाथ चटर्जी ने जब से यह अधिनियम पारित किया गया था तब तक की अवधि की सच्चर समिति की रिपोर्ट से उद्धरण दिये । इस अवधि के दौरान सरकार ने इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक हित में, कुछ मामलों में प्रक्रिया के उदारीकरण को अधिकृत किया ।

"कतिपय धाराओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा 1 जुलाई 1970 से 31 दिसम्बर 1977 तक की अवधि में प्राप्त किये गये कुल 618 प्रभावी आवेदनों में से केवल 59 ही सरकार द्वारा आयोग को भेजे गये ।"

आप सभी बड़े बड़े एकाधिकार गृहों को संरक्षण देना चाहते हैं । उनकी परिसम्पत्ति कितनी बढ़ गयी है ? वे कितने बड़े बन गये हैं ? मैं श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषण में से पढ़ रहा हूं :

"एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत 20 व्यापार गृहों के नवीनतम् आँकड़ों से पता चलता है कि उनकी आस्तियां जो 1969 में 2,430 करोड़ की अब बढ़कर 4,465 करोड़ रु० हो गयी हैं ।"

यह सत्य है या नहीं ? इस प्रकार आप एकाधिकारी गृहों को भारी मुनाफा कमाने की अनुमति देकर असमानता में कमी कर रहे हैं ? मैं और भी उद्धरण देता हूं ।

"1970 से 1975 के बीच की अवधि में आस्तियां में 68.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन 20 में से सबसे बड़े दो उद्योग गृहों की आस्तियों 1,760 करोड़ रु० हो गयी है जो मोटे तौर पर कुल आस्तियो का 40% बनता है।"

वह कुछ और भी आंकड़े हैं। आपकी प्रगति के परिणाम दर्शाएगे। जो टाटा ग्रुप की आस्तियाँ 1937 में 10.46 करोड़ रु० की जो 1976 में बढ़कर 981.77 करोड़ हो गयी और बिरला ग्रुप की आस्तियाँ 1937 में 1 79 करोड़ रु० थी जो 1976 में बढ़कर 974 63 करोड़ रु० हो गयी। आप किसकी सेवा कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : पश्चिमी बंगाल के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री समर मुखर्जी : यह आपका उत्तर है आप एकाधिकारी गृहों की सेवा कर रहे हैं। जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप पूछते हैं कि पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है ? पश्चिमी बंगाल प्रभुसत्ता सम्पन्न देश नहीं है। यह भारत के राज्यों में से ही एक है।

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत ही चल रही है।

श्रमिकों की वास्तविक आय कम हो रही है। इसलिए दिन-ब-दिन यह असमानता बढ़ती जा रही है। जितना अधिक आप सत्ता में रहेंगे उतना ही अधिक यह विषमता अवश्य ही बढ़ेगी जितना ही अधिक आप सत्ता में रहेंगे उतना ही अधिक कीमतें बढ़ती जायेगी और जितने ही अधिक आप दमनकारी उपाय करेंगे, और श्रमिक वर्ग को दबाने के लिए जितने भी दमनात्मक विधेयक लेकर आयेंगे—जबकि जीवन सूचकांक में वद्धि हो रही है, जबकि आपने वेतनजाम करने की नीति अपना रखी है, तो उनके सामने कम से कम अपने वर्तमान जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह जाता है और इसीलिए अब उन्हें आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

एक माननीय सदस्य : आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री समर मुखर्जी : मैं तो उत्तेजित नहीं हूं। मैं आपसे जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं जिससे आपमें कुछ सद्बुद्धि आये। ये तथ्य हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हम आपको भड़काना चाहते हैं।

श्री समर मुखर्जी : केन्द्रीय श्रम मन्त्री अपने मन्त्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की कार्य मंत्रणा समिति की दिनांक 27 अप्रैल, 1982 की बैठक में उत्तर देते समय, श्रमिकों की मजदूरी वास्तविक मजदूरी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित आंकड़े दिये थे :

(आधार—100 रुपये)

1967	91
1968	94

1969	101
1970	101
1971	101
1972	103
1973	92
1974	71
1975	69
1976	75

ये सभी जनता शासन काल के आंकड़े नहीं हैं। यह मजदूरों की असल मजदूरी के आपके शासन काल के दौरान के आंकड़े हैं। यह एक अच्छी बात नहीं हैं। और यह सच्चाई है। आज श्रमिकों के लिए और कौन सा रास्ता है? इस स्थिति को बदलने के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आप आवश्यक सेवा अधिनियम लेकर आ रहे हैं। अब आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ले आए हैं।

अब आपने हड़तालों को अवैध घोषित करने के लिए, सभी प्रकार के आन्दोलनों को अवैध करार देने के लिए औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया है। अत: पूर्णरूपेण दमनकारी इस नीति के पीछे सत्तावादी शासन स्थापित करने का आशय है: आवश्यक सेवा अधिनियम पर यहां चर्चा हुई। हम सारी रात विरोध प्रकट करते रहे, परन्तु सरकार इतनी कठोर हो गई थी कि उसने कुछ सुना ही नहीं।

यहां तक कि औद्योगिक विवाद विधेयक के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, हमने सुझाव दिया कि विधेयक को लाने से पूर्व श्रम मन्त्री महोदय को केन्द्रीय श्रमिक संघों से विचार विमर्श करना चाहिये। परन्तु उन्होंने इन्कार कर दिया। यह तो इनका रवैया है। अत: आपने टकराव और चुनौती की नीति को अपना लिया है और श्रमिकों के प्रति आपका रवैया बिल्कुल स्पष्ट है।

बम्बई के टैक्सटाईल मजदूरों की हड़ताल को अब तक सात मास से ऊपर हो चुके हैं। आज 211 वाँ दिन है। और उन्हें हड़ताल को जारी रखने के लिए बाध्य किया गया है तथा अब उन्होंने जेलभरो आन्दोलन आरंभ करने का फैसला किया है।

उन्होंने उत्पादकता वर्ष की घोषणा तो की है परन्तु इसके पीछे उनका इरादा क्या है? वो श्रमिकों पर इंटक को थोपना चाहते है जिसे श्रमिकों ने पूर्णतया अस्वीकार किया है। परन्तु आज बम्बई में क्या हो रहा है? मैं यहाँ यह घोषणा कर सकता हू कि यही सभी उद्योगों में होगा।

(व्यवधान)

ये लक्षण हैं जिन्हें आपको समझ लेना चाहिये।

देश अब मन्दी के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आपने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। उनकी शर्तें आपने इस तरह से पूरी की है कि विश्व-बैंक को इतने बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रमाण-पत्र दिया है। प्रथम समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व, उन्होंने यह दबाव डाला था कि जब तक सरकार अड़चनें दूर नहीं करती है, तब तक वे धन नहीं देंगे। परन्तु उन शर्तों के पूरा हो जाने के बाद अब विश्व बैंक बड़ा सन्तुष्ट है और इसलिए उन्होंने इस सरकार को 1,800/- करोड़ रुपये का अब एक अन्य ऋण दे दिया है। परन्तु उन्होंने आगे और भी शर्तें लगा दी है जिसमें उन्होंने आगे ऋण लेने पर पाबन्दी लगा दी है तथा आगे ऋण बहुत दबाकर देंगे और हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने उनको लिखा है कि जनवरी में फिर से "हम विचार विमर्श करेंगे।" आप क्या विचार-विमर्श करेंगे? आप हमारे बजट के बारे में विचार करेंगे। उस विचार-विमर्श एवं समीक्षा द्वारा, विश्व-बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारे बजट पर प्रभाव डालना चाहते हैं। यह शर्म की बात है। यह तो विश्व बैंक और अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष को अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता सौंपना है।

मेरे पास समय नहीं है। अन्यथा मैं स्पष्ट करता कि कौन-कौन सी शर्तों ने हमारी अर्थ व्यवस्था में विनाश खड़ा कर दिया है!

जब हमारी फैक्टरियाँ बन्द हो गई हैं तो आपने आयात को उदार बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री गाडगिल।

श्री समर मुखर्जी : एक मिनट।

मैं अपनी अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में बीमा उद्योगों के कुछ आँकड़े दे सकता हूं जो स्वयं बीमार होती जा रही है। औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव में बता चुका हूं। आपको यह पता होना चाहिये कि आप देश को किस ओर ले जा रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकलेगा।

> "न केवल छोटी इकाईयों में बल्कि मध्यम दर्जे की इकाईयों में भी औद्योगिक रुग्णता का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है।"

> "1979 को 1,040 के मुकाबले जून' 1980 के अन्त में मध्यम दर्जे की इकाईयों की संख्या 4026 थी। 219 के मामले में बैंकों का बकाया ऋण है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि जून 1979 के अन्त में 20'326 इकाईयों के मुकाबले, जून 1980 के अन्त में रुग्ण लघु-औद्योगिक इकाउयों की संख्या 22, 325 थी।"

मैं पढ़कर सुनाना नही चाहता हूं। इसी तरह तो सारी अर्थव्यवस्था डाँवाडोल स्थिति में है। मन्दी शुरू हो गई है। माल जमा हो रहा है और फैक्टरियाँ बन्द की जा रही हैं। श्रमिकों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। दूसरी ओर आप कीमतों में वृद्धि कर रहे है, रेलों के किराये में डाक खर्च में, कोयले की कीमतों और फिर डीजल, पेट्रोल की कीमतों में आप वृद्धि कर रहे हैं और यह सभी अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष के कहने पर हो रहा है तथा एकाधिकारी गृहों की सन्तुष्टि

के लिए किया जा रहा है। अत: एकाधिकारी घरानों की सेवा करने से और अधिक गरीबी और बेरोजगारी फैलेगी। अत यदि ऊपर से कोई उपचार नहीं किया जाता है तो ये लाखों-लाखों लोग एक होकर गलियों में निकल आयेंगे और आपकी नीतियों को वदल देंगे तथा अन्तत: आपको सरकार से निकाल बाहर करेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : महोदय, इस प्रस्ताव को इसके प्रस्तावक, इसके उद्देश्य और इसकी चाल के सन्दर्भ में समझना होगा।

प्रस्तावक के बारे में श्री वी० सी० शुक्ल काफी कुछ कह चुके हैं। मैं तो केवल इतना ही कहुंगा कि यदि वे अपने आप को गढ़वाल का वहुत वड़ा अभिनेता समझते हैं तो उन्हें यह जानना चाहिये कि यह केवल हमारा ही समर्थन था जिससे कि वे पिछला चुनाव 30.000 मतों से जीते थे और अब धर्मनिरपेक्षा में विश्वास करने वाले श्री बहुगुणा भारतीय जनतापार्टी सहित सभी अन्य विपक्षी दलों के समर्थन तथा धन और सभी अन्य साधनों से जीत पाये हैं। महोदय आप तो संस्कृत के विद्वान हैं। एक कहावत है :

सर्वगुणा: कांचनम् आश्रयंते।

सब धन 'गुण' के पास जाता है और वह न केवल गुण हैं बल्कि 'बहुगुणा' है। अत: आप कल्पना कर सकते हैं।

जहाँ तक उनके दल-बदलने की बात है, मैं इसके सिवाय और कुछ नहीं कहुगा कि उन्होंने छ: बार दलबदल किया है और हालीवुड की अभिनेत्रियाँ भी इस प्रकार बार-बार अपने पति नहीं बदलती जिस तत्परता से उन्होंने राजनीतिक दल बदले हैं।

श्री बहुगुणा की राजनीतिक शाख क्या है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि सभी विपक्षी दलों ने उन्हें अपना प्रवक्ता बना लिया है। इससे उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता का पता चलता है।

भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। श्री बहुगुणा जी जनता मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे और उस मन्त्री मण्डल में कम से कम तीन ऐसे सदस्य थे जिनके विरुद्ध जांच आयोगों ने निन्दात्मक टिप्पणियां की थी। कुछ ही समय पहले गुजरात के मुख्यमन्त्री के विरुद्ध इस आरोप के आधार पर आन्दोलन चलाया गया कि वह भ्रष्ट है। नव-निर्माण आन्दोलन आरम्भ हो गया और वह जयप्रकाश नारायण का बना जिसका सारा इतिहास आप जानते है। अब आन्दोलन हम पाते देखते क्या हैं? दूसरे ही दिन उन्हीं चिम्मनभाई को गाजे-बाजे के साथ जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और महाराष्ट के जनता पार्टी नेता का कहना था "जनता पार्टी तो गंगाजी की तरह है यह पवित्र करती है।" यदि ऐसी बात है ती मेरा सुझाव है कि हमें सभी कारावास और जेलें तोड़ देनी चाहिये तथा भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता को समाप्त करके ऐसे सभी लोगो को डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के पास भेज देना चाहिये।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मुझे स्वीकार्य है।

श्री वी० एन० गाडविल : अचंभे की बात यह है कि उन दिनों के जनता मंत्रि मन्डल के एक मन्त्री आज एक विदेशी पत्र को साक्षात्कार में बताते हैं।

"...जनता पार्टी बिहार और गुजरात में भष्टाचार के विरुद्ध युवकों और छात्रों के आन्दोलन के फलस्वरूप सत्ता में आई थी जो कि बाद में बड़ी तेजी से एक बड़े आन्दोलन का रूप धारण कर गया था। हम तो भष्टाचार का समाधान करने में असफल रहे। जनता सरकार भष्ट अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के विरुद्ध कोई अभियान न चला सकी परन्तु वास्तव में उनमें से बहुत से लोगों की पदोन्नति की।"

उन्होंने एक और विचित्र बात कही है :

"भ्रष्टाचार अब कोई समस्या नहीं रह गयी है और अब इसे जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।"

यह बात किसने कही है ? यह बात महान सैनानी, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने न्यूयार्क के एक समाचार पत्र 'इण्डिया एब्रौड' से साक्षात्कार में कहीं। यह तो है भ्रष्टाचार की स्थिति।

मुझे याद है, जनता शासन काल के दौरान—जबकि उसमें केवल श्री बहुगुणा ही नहीं बल्कि प्रो० मधु दण्डवते भी थे - हमने एक प्रश्न श्री कान्ति देसाई के बारे में उठाया था। हमें क्या बताया गया ? हमें बताया गया था कि आरोप सभी साधारण हैं। उसमें किन्तु, शब्द का प्रयोग कर कहा गया था कि आरोप 'निराधार' है यह भी कहा गया था कि आप सभी छिद्रान्वेषी हैं, इसलिए कोई आयोग नहीं बैठाया जायेगा।' मैंने जब 1971 में इस महान सभा में प्रवेश किया था तो मैंने इस सदन की एक दीवार पर इस महान भारतीय प्रार्थना को अंकित पाया :

सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा क्वाचित दुखमाप्नुयान
ओम् शान्ति शान्ति शान्ति।

जनता शासनकाल में यह हो गया था :

सर्वे रूटिनः किन्तु
सर्वे किन्तु निराधारः
सर्वे छिद्राणि पश्यन्तु
मा कमिशनाप्नुयान

ओर कांतिः कांतिः कांतिः

यह था जनता शासन का रिकार्ड...(व्यवधान) मैं आपसे भी बात करूंगा चिन्ता मत कीजिए।

श्री समर मुखर्जी ने उपलब्धियों की बात की है। मैं ऊंची आवाज में बोल कर अपनी तर्क हीनता को नहीं छुपाऊंगा। मैं तो उपलब्धियों को तथ्यों सहित बताऊंगा। सोवियत संघ जो कि क्षेत्रफल में भारत से लगभग तीगुना है और जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या से आधी है, समाजवादी क्रान्ति के 60 वर्ष पश्चात भी खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं बन पाया है।. .

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : बहुत थोड़ी जानकारी है।

श्री वी० एन० गाडगिल : यह रिकार्ड में है। दूसरी महान शक्ति के बारे में क्या स्थिति है? श्री डेनिएल पेट्रिक मोयनिहान ने 'न्यूयार्क टाइम्स' में इस बारे में लिखा है :

> "हम 1930 से घोर मन्दी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा लगभग 10% श्रम शक्ति और 30% औद्योगिक क्षमता बेकार पड़ी है। असल ब्याज दरें और संघीय घाटी इतिहास के अपने सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके हैं। 'डन' और ब्राडस्ट्रीट ने रिपोर्ट दी है कि 1932 से अकेले एक सप्ताह में व्यवसाय की असफयताओं की सर्वाधिक संख्या रहीं हैं।"

तथाकथित विकसित राष्ट्रों और महान शातियों, सोवियत रूस और अमरीका का रिकार्ड ही देखिए और हमारा रिकार्ड भी देखिए। सभी आंकड़े देने का तो मेरे पास समय नहीं है, परन्तु आप देखेंगे कि 1980-81 की तुलना में वर्ष 1981-82 में कोयले के उत्पादन में 9.6% की, विद्युतोपादन में 10.2% की वृद्धि हुई और गत वर्ष की अपेक्षा औद्योगिक उत्पादन 8% बढ़ा। यही स्थिति पेट्रोलियम और विभिन्न अन्य उद्योगों की है। परन्तु सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि कीमतों के बारे में है, यद्यपि उसकी हंसी उड़ाई गई है। कीमतों में वृद्धि जो कि जनता शासन काल में बहुत ही अधिक थी, उसे अब अप्रैल में लगभग शून्य पर लाया गया है .. (**व्यवधान**) निस्सन्देह, हाल ही में मामूली सी वृद्धि हुई है, परन्तु यह अस्थायी वृद्धि है। श्री दण्डवते को मौसमी और दीर्घकालिक वृद्धि के अन्तर को अवश्य समझना चाहिए। यह वैसी ही मौसमी वृद्धि हैं जो कि किसी भी देश में प्रतिवर्ष आप देखते है। अतः आर्थिक क्षेत्र में, हमारी ये उपलब्धिया रही हैं।

एक अन्य दृष्टि से भी मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। हमें इससे भी उनकी कार्य निष्पादकता का जायजा लेने का अवसर प्राप्त होता है उन्होंने क्या कुछ करके दिखाया है? विपक्ष का क्या श्रेय हैं? सबसे बड़ा दल था लोक दल। अब यह भी बंटकर...

एक माननीय सदस्य : परलोक दल।

श्री वी० एन० गाडगिल : मुझे लोकदल (टी) के बारे में बताया गया है। मैंने विमान परिचारिकाओं से चाय या काफी या मैं आदि शब्द कहते है। अब शीघ्र ही हमारे सामने लोक-दल (टी), लोकदल (काफी) और लोकदल मैं आने वाले हैं।

लोकदल मैं निस्सन्देह श्री चरण सिंह जी का होगा। लोकदल की यह तो स्थिति है।

एक नये लोक दल ने जन्म लिया—समाचार-पत्रों से मुझे पता लगा हैं कि उन्होंने संविधान तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की है तथा श्री जार्ज फर्नान्डीस सविधान के प्रारूप तैयार करने में व्यस्त हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जब संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे हैं तो श्रीमान लिमये यह योजना बना रहे होंगे कि जब तक कि संविधान तैयार हो किस तरह पार्टी को तोड़ा जाए। यह है लोकदल।

श्री वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है ? मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह मेरी प्रिय पार्टी है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जितना मनोविनोद, मनोरंजन और विनोद यह पार्टी करती है कोई अन्य नहीं करती। अपने बचपन से ही मुझे इसकी जानकारी है क्योंकि मैं एक ऐसे नगर का रहने वाला हूं जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गढ़ कहा जा सकता है और मैं पुणे के उस क्षेत्र में रहता हू जिसमें मेरा घर ही एकमात्र कांग्रेसी का घर हैं और जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उस मरुस्थल में एकमात्र मरूधान हैं। उनकी उपलब्धि क्या है ? जब मैं विद्यालय में था तो पुणे में मुझे बताया गया था कि नागपुर में इसकी शाखा में जनसंख्या का 1% लोग हैं और जब मैं नागपुर गया तो मुझे बताया गया कि पुणे में शाखा के 2% लोग सदस्य हैं। वहीं स्थिति अभी भी है। जब मैं हिमाचल-प्रदेश गया तो मुझे बताया गया कि दिल्ली की तुलना में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल-प्रदेश से अधिक शक्तिशाली है।

मैं वहां गया और मैंने देखा कि ट्रकों, ट्रैक्टरों, इश्तहारों आदि पर विपुल धनराशि लुटाई जा रही थी। श्री वाजपेयी ने वहां का कई बार दौरा किया। उपलब्धि क्या है ? विधान सभा में हमारे स्थानों में तो 7 से बढ़कर 31 हुए और उनकी 25 से बढ़कर 29 हुए। इसे महान उपलब्धि समझा जाता है, महान राष्ट्रीय विकल्प कहा जाता है।

केरल में देखिए। जिन 68 से 70 स्थानों पर वहाँ चुनाव लड़ा गया, उनमें से 82 की जमानतें जब्त हुई। यह उनकी उपलब्धि हैं। वास्तव में वे भारत सरकार के वित्त में वृद्धि कर रहे हैं। बाद में क्या हुआ ? श्रीमान वाजपेयी जी ने एक प्रेस सम्मेलन में बताया है कि उन्हें एक महान उपलब्धि हुई है क्योंकि उन्हें औसतन 3,000 से अधिक मत प्राप्त हुए और हमें भी पुणे नगर निगम के चुनावों में औसतन 3000 मत प्राप्त हुए हैं। इस महान राष्ट्रीय विकल्प को औसतन 3,000 मत प्राप्त हुए। इसे महान राष्ट्रीय विकल्प माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा है भारतीय जनता पार्टी मनोरंजन प्रदान करती है। वी० जे० पी० ए० बी० वी० पी० है। परन्तु ए० वी० वी० पी० का क्या अर्थ है ? मेरे कहने का तात्पर्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नहीं है। इसका अर्थ है अटल विहारी वाजपेयी की पार्टी और इसके सिवाय दल में और कुछ है ही नहीं। औरों के बारे में क्या कहूं ? पहले जनता पार्टी को ही लीजिए और जिस दल के डा० स्वामी उपनेता हों उसके साथ मैं केवल सहानुभूति ही दिखा सकता हूं मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा।

जहाँ तक सी. पी. आई और सी. पी. एम. की बात है। मेरे पश्चिम-बंगाल और केरल के मित्र उत्तर देने के लिए तैयार रहे। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि मैं उन्हे आलोचना नहीं

करूंगा और न ही मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि यदि उन्हे उत्तर देना होगा तो उन्हे अनुदेश प्राप्त करने में कहीं अधिक समय लगेगा और इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

श्री बहुगुणा ने सोचा होगा कि उन्होंने यह कहकर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा उठाया है, कि प्रधान मन्त्री संसद में नहीं आती हैं। उन्हे यह पता होना चाहिये कि विश्वभर में ऐसा ही होता है। मैं अब जैम्स मरगींक की पुस्तक "दि एनाटामी आफ पावर" से उद्धरण देता हूं। मैं यह बता दूं कि यह राजनीतिज्ञों की लिखी हुई नहीं है। अन्यथा उन्हे सन्देह रहेगा। यह पुस्तक **लण्दन टाइम्स** के लण्दन स्थित राजनीतिक सम्वाददाता द्वारा लिखी गई है। वह कहते है :

> "परन्तु आजकल परम्परा इस प्रकार बन गयी है कि प्रधानमन्त्री सप्ताह में केवल दो बार ही प्रश्नकाल के दौरान सदन में आते हैं और उसके बाद शीघ्र ही चले जाते हैं।"

इग्लैण्ड में भी ऐसी स्थिति है।

> "समय-और-प्रस्ताव के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि आधुनिक प्रधान मन्त्री और मन्त्रि-मण्डल के वरिष्ठ सदस्य हाऊस आफ कामनस और सांसदो के बजाय आजकल अधिक समय संगठन के दो नये स्तम्भों ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ब्रिटिश उद्योग महासंघ के साथ बैठको में लगाते हैं।

और फिर यह कहा जाता है **(व्यवधान)**...जब वे यह कहते हैं कि प्रधान मन्त्री को यहां आकर वक्तव्य को पढ़ना चाहिये तो वे जिम्मेवारी के सिद्धान्त को हास्यास्पद सीमा तक पहुंचा देते हैं। इससे अन्तर क्या पड़ता है? मैं तो नहीं जानता हूं। आप फिर एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

अब हाऊस आफ कामन्स को ही देखिए। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा।

> "जब श्री जेम्स कैलाघन, प्रधान मन्त्री बनने से पहले विदेश-सचिव थे तो गत दो वर्षों के दौरान प्रथम बार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद-विवाद आलोचन किया गया था उनके द्वारा आधुनिक विश्व के सर्वेक्षण को सुनने के लिए चेम्बर में केवल मुठ्ठी भर संसद सदस्य रह गये थे। राजनयिक-दीर्घा में कोई भी राजदूत नहीं था और विदेश प्रेस दीर्घा में समाचार-पत्रों से सम्बद्ध पांच पुरूष और महिलाए बैठी थीं।"

आधुनिक प्रशासन की अपरिहार्यताएं हैं। इसलिए यह कह कर कि प्रधान मन्त्री महोदय को हर बार यहाँ आकर उत्तर देना चाहिये, आप जिम्मेवारी के सिद्धान्त को हास्यास्पद सीमा तक नहीं घसीट सकते हैं। आज के युग में यह अपेक्षित नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : पंडित नेहरू ऐसा किया करते थे।

श्री बी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं आपने मार्क्सवादी मिश्र को एक बार फिर यह बता देना चाहता हूं कि हाल ही में हमारी प्रधानमन्त्री ने जापान और अमरीका का दौरा किया था और यह उनकी एक महान व्यक्तिगत विजय थी। वह जापान के प्रधानमन्त्री से मिलीं और उन्होंने (जापानी प्रधानमन्त्री ने) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की स्थिति को दोहराया और यह उनकी दूसरी विजय थी। यही बात श्रीमती थैचर ने भी श्रीमती गांधी से मिलने के बाद दोहराई थीं। उन्होंने गर्व और शान के साथ अमरीकी सरकार और जनता के मित्रतापूर्वक और दृढ़तापूर्वक बातें कीं। निस्सन्देह, इससे विपक्ष के कुछ लोग थोड़ा से जल-भुन गये हैं। यह तो मानवीय कमजोरी है। उनमें से कम से कम कुछ लोग तो परेशान से नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको रात में तब तक नींद ही नहीं आती है—जब तक कि वे दिन में दो काम नहीं कर लेते हैं—एक तो अमरीकी प्रजातन्त्र की प्रशंसा और दूसरे श्रीमती गांधी को राजवंशीय या वंशागत राजनीति के लिए दोषी ठहराना। उस प्रजातन्त्र के सर्वोच्च नेताओं ने नेहरू परिवार के योगदान की प्रशंसा की है। स्वाभाविक ही है कि इससे उनकी परेशानी बढ़ेगी। मुझे उनकी परेशानी में उनके साथ सहानुभूति है। उन्होंने संस्थाओं की बात की है। इस देश में संस्थाओं को नष्ट किसने किया? शाह आयोग ने सिविल सेवाओं का मनोबल गिराया। आप किसी भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से बात करके देख लीजिए और वह आपको साफ-साफ बतायेगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ा था। और न्यायपालिका का राजनीतिकरण किसने किया था? महोदय, मैं 25 वर्ष से वकालत कर रहा हूं। इस प्रकार के मामलों का कौन राजनीतिकरण करता है। आज भी, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के विरुद्ध समावेश—याचिका दाखिल की हैं। उसमें क्या आरोप लगाए गये है? यह तो सभी राजनीतिक आरोप हैं। यह तो बस एक प्रकार का प्रचार-मात्र है। उन्होंने तो स्वयं न्यायपालिका का राजनीतिकरण किया है। फिर वे किस मुंह से न्यायपालिका की बात करते हैं। महोदय, उन्होंने सबसे बुरा काम यही किया है। यह एक बड़ी ही खतरनाक बात है। उन्होंने यह सब तथाकथित दूसरी आजादी के बहाने करना आरम्भ किया है। सेना की फाइलों से प्रतिदिन गुप्त बातें उद्धृत की जाती हैं। मेरे विचार से फ्रैंक एन्थोनी यह जानते हैं। अधिकारियों के स्थानान्तरणों और पदोन्नतियों तथा उनकी तैनाती को लेकर उच्चतम न्यायालय में समादेश याचिकाएं दायर की जाती है। यदि आप इस तरह से सेना के काम में हस्तक्षेप करने की अनुमति देंगे तो मैं नहीं जानता कि सेना का क्या बनेगा। विपक्ष के एक सदस्य ने तो इस सदन में थल सेनाध्यक्ष की फाइलों पर की गई टिप्पणियों तक को उद्धृत किया है। स्थिति कहां तक पहुंचेगी? सेना केवल गोपनीयता और अनुशासन से ही जीवित रहती है—आप इसे आँख मींचकर आज्ञापालन करना कह सकते हैं। यदि आप उसी के साथ तोड़-फोड़ आरम्भ कर दें तो, कोई सेना कैसे रह सकती हैं? उसमें तो केवल खतरा ही रहेगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं।

अन्त में, मैं इतना और कहूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को कौन लेकर आ रहा है और कौन इसका समर्थन कर रहा है? इसे श्री बहुगुणा ने पेश किया है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। परन्तु, इसका समर्थन श्री चरणसिंह कर रहे हैं, जिन्होंने इस सदन में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं किया। श्री जार्ज फर्नान्डिस ने सरकार के विरुद्ध लाए गये

अविश्वास प्रस्ताव का बड़ी तत्परता से विरोध किया था परन्तु दूसरे ही दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ऐसे लोग इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। मुझे खेद पूर्वक उनसे कहना पड़ रहा है कि आपने अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो दी है। भारत एक गतिशील राष्ट्र बनता जा रहा है। यदि आप सदन के समक्ष सैकड़ों अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाएं तो भी राष्ट्र प्रगति ही करता जायेगा, क्योंकि भारत के लोगों ने यह फैसला किया है कि राष्ट्र के समक्ष कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस में श्रीमती इन्दिरा गांधी का कोई विकल्प नहीं हैं।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री फ्रैंक एन्थनी

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल- भारतीय) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कुछ सदस्य मुझ पर आपत्ति उठा रहे हैं। विपक्ष के ये सदस्य अनेक वर्षों तक, अनेक सदियों तक मेरी स्थिति का अन्दाजा नहीं लगा सकेंगे। मै इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ।···

एक माननीय सदस्य : विपक्ष में होने के नाते।

श्री फ्रैंक एन्थनी : हाँ विपक्ष में होने के नाते और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ? यह अविश्वास प्रस्ताव किस संदर्भ में है ?

एक ओर आप देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत मिला है और दूसरी ओर मेरा यह सादर निवेदन है कि हमारे छोटे-छोटे दल और ग्रुप हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केन्द्र में इन छोटे-छोटे दलों या ग्रुपों की थोड़े समय के लिए तथा सत्ता की भूख के उद्देश्य से भी एक ओर जनता सरकार बनाने की कोई सम्भावना नही दिखाई देती है। जनता गठबंधन की स्थिति का हमें पता है और उनमें से यहां कुछ सदस्य इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद गलाकाट, छलपूर्ण और असंगत विचारधारा सम्बन्धी मतभेदों के कारण इस तरह के गठजोड़ के पुनः अस्तित्व में आने की कोई सम्भावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः हाल के उपचुनाव से क्या स्पष्ट हुआ है ? जनता पार्टी के तथा कथित कुछ नेताओं के आडंबरपूर्ण वक्तव्यों के बावजूद जनता गठजोड़ का चुनावों में सफाया हो गया है। हाल के उपचुनावों से यह स्पष्ट हो गया है। आज अखिल भारतीय स्तर का कोई विरोधी दल नहीं है। मैं यह अपने मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते हुए कहता हूं। वे तो क्षेत्रीय दल के हैं। क्षेत्रीय दलों में अपेक्षाकृत दो बेहतर संगठित दल हैं भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय जनता पार्टी। (व्यवधान) मुझे आशा है कि मेरे मित्र नाराज नहीं होगे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा जनसंघ का मिलाजुला रूप है। ये दोनों क्षेत्रीय दल राजनीतिक दृष्टि से एकदम भिन्न हैं। उनके विरोध कुछ भी हों। एक तो निरपेक्ष रूप से वामपंथी सर्वाधिकारवादी दल है और दूसरा दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवादी दल है। देश के लिए यह सौभाग्य की बात हैं किन इन दोनों सर्वाधिकारवादी दलों के केन्द्र में सत्तारूढ़ होने की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती है। (व्यवधान) यदि किसी कारण या दुर्भाग्य से इनमें से कोई दल सत्तारूढ़ हो जाता है तो लोकतंत्र पूर्णतया समाप्त हो जाएगा···

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं श्री समर मुखर्जी के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहता हूं कि वामपंथी दल के लिए लोकतंत्र एक बुर्जुआ विद्रूप है और दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवादी दल के लिए लोकतंत्र एक अपशब्द है। कोई चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि··· (व्यवधान) मैं किसी को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। ये तो मेरे अपने उद्धरण हैं। मैं राजनीतिशास्त्र का एक प्रमादी धाम नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

मुझे ज्ञात है कि जब मेरे मित्र पर हत्या के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो वह मुझे अपना वकील बनायेंगे।

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप कितनी फीस लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे कुछ नहीं लेंगे।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : यदि इन दोनों सर्वाधिकारवादी दलों में से कोई भी दल केन्द्र में सत्तारूढ़ हो जाता है तो चुनाव नहीं होंगे। वे चुनाव की औपचारिकता तो निभा सकते हैं परन्तु वे बेशर्मी से राजनीतिक सत्ता से चिपके रहेंगे।

इसके अतिरिक्त यहां पर मेरे ऐसे भी मित्र हैं जिन्होंने इन दलों और ग्रुपों के साथ न जाकर समझदारी का परिचय दिया है। प्रमुक और अन्नाद्रमुक हैं। ये क्षेत्रीय दल हैं।···

एक माननीय सदस्य : अन्य दलों के बारे में क्या विचार हैं?

श्री फ्रैंक एन्थनी :— मुझे अन्य दलों को भूल नहीं गई उनके नारे में मेरा विचार यह है: उनका इस प्रकार से विस्मयकारी गठ जोड़ हुआ है कि उसमें वर्णमाला के सभी तो वर्ण समाहित हो गए हैं। सभी को तो मैं नहीं जानता हूं—जे(एस), जे (जे), डी (एस), एल डी टी किसी ने इसे एल डी सी कहा है। अध्यक्ष महोदय, में गम्भीरता के साथ कहता हू कि ये छोटे-छोटे दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) श्री फ्रैंक एन्थनी इस वर्णक्रम में आप कहां हैं?

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं एक अद्वितीय स्थान है। एक अखिल भारतीय स्तर का नेता हूं जो समुचे भारत के समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रधान मंन्त्री को छोड़कर इस सभा में ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसका निर्वाचन क्षेत्र सारा भारत है (व्यवधान)

मैं कहने जा रहा था कि ये छोटे-छोटे दल भारतीय राजनीति के अभिशाप अतिवादी व्यक्तिवाद, के प्रतीक है और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए तावीज हैं। कुछ छोटे छोटे दलों मे अनुनायियों को अपेक्ष नेता अधिक हैं। इनमें नेता, उपनेता, सहायक नेता आदि हैं। और उनमें से सभी इस प्रकार बोलते हैं मानों अपने में हर के एक नेता हो। विधान सभा चुनावों में भीं आपने क्या देखा वेलय न कह कर मैं तो यह कहूंगा कि सामूहिक मंच बनाने के लिए कुछ भावात्मक प्रयास हुए

इसके लिए प्रयास मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किये। परन्तु ऐसी स्थिति में यह असंगति न जाड़े स्वीकार नहीं किया गया। विलय के बारे में की गई, कोई बात—मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे मित्र यह समझते नहीं हैं—ओहदे के लिए न केवल पाखण्ड है, अपितु पक्की राजनीतिक आत्म प्रवंचना है। अब, इस संदर्भ में यह अविश्वास प्रस्ताव क्या है - जिसे पास करने के लिए क्षमता का कोई आभास भी नहीं है और इससे कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की क्षमता का आभास भी नहीं होता है। यह तो विनाशवाद का उन्माद है जो सभी कुछ नष्ट कर देगा और नष्ट करता रहेगा। विनाशवाद की तकनीक के अनुसार आज छोटे छोटे दल, ग्रुप हर तरह का आन्दोलन करने को तैयार है। इसका एकमात्र उद्देश्य चरित्र हनन बदनामी करना और इस बात का विचार न करते हुए सरकार को कमजोर बनाने का प्रयास है कि ऐसा करने में वे न केवल देश की अर्थ व्यवस्था को कमजोर करते हैं अपितु रक्षा तैयारी को भी प्रभावित करते हैं।

मैं दुःसाहस के साथ एक उदाहरण देता हूं—असम का। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक दुराग्रह है। मैं कहता हूं कि नहीं। मेरा यह कहना है कि वे खुले आम पृथकतावादी है। उन्होंने न केवल समूचे राष्ट्र की स्थिति अस्त-व्यस्त कर दी है, अपितु उन्होंने राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की है। मैं असम आन्दोलनकारियों को ऐसी ही मानता हूं। उनके कारण हमारे कुल तेल उत्पादन में 12% की कमी आई है जिससे हमारे तेल बिल में भारी वृद्धि हुई है जिसे हमें पूरा करना पड़ा हैं। आज तेल के लिये अधिक अदायगी के कारण हमारी मुद्रा स्फीति में 40-50% वृद्धि हुई है और मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने असम आन्दोलन दुर्भावना के साथ समर्थन किया है—यद्यपि मुझे इसकी आशा नही थी। इसका कारण क्या है ? मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता हूं परन्तु मेरे विचार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के उनके साथी यह समझते हैं कि जब विदेशी नागरिकों का पता लगा लिया जाएगा तो अधिकाँश लोग मुसलमान पाये जायेंगे और इतनी अधिक संख्या में मुसलमान देश से बाहर निकाल दिये जायेंगे। उनका यह खुलेआम उनकी मुसलमान विरोधी भावना के अनुरूप हैं। इसीलिए मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी न केवल मुसलिम-विरोधी है अपितु उनकी विचारधारा ही अल्पसंख्यक विरोधी है। मेरे मित्र मुझे चुनौती दे सकते परन्तु उनके दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर के कुछ उद्धरण सदैव मेरे पास रहते हैं। उन्होंने क्या कहा ? जो कुछ कहा उसमें स्पष्टवादिता थी, ईमानदारी नहीं उन्होंने यह कहा है कि अल्पसंख्यकों को समग्र रूप से हिन्दू राष्ट्र के अधीन रहना होगा, जिसमें उनका कोई दावा नही होगा, कोई हक नहीं होगा यहां तक कि उन्हें नागरिकता का अधिकार भी नही होगा। अल्प-संख्यकों के प्रति उनका यह विचार है। और वे आशा करते हैं कि मैं अपने मित्र द्वारा समर्थित इन अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन वापस लेता हूं और वह इसका समर्थन करे।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : वे हंस रहे हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर तो

हरेक को शर्म आनी चाहिए।

श्री फ्रैंक एन्थनी : इसी कारण से उन्होंने असम आन्दोलन को दूर्भावना के साथ समर्थन दिया है। अब प्रश्न यह है कि मार्क्सवादियों ने क्यों समर्थन किया ? उनका सिद्धान्त भी उग्रवाद को समर्थन देना है परन्तु उन्होंने असम आन्दोलन को अधिक समर्थन नहीं दिया, क्योंकि अनेक बंगाली असम में विशेष रूप से कछार में रहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह हास्यास्पद है पंजाब के बारे में क्या है ? हमने पंजाब में उग्रवादियों का विरोध किया। इस वृद्धावस्था में वह इस प्रकार आरोप क्यों लगाते हैं ?

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : इधर देखिए मेरे मित्र मुझे सरकार का चमचा और समर्थक बताते हैं। कम से कम एक नाम निर्देशित सदस्य के रूप में सदैव विपक्ष में बैठा हूं और मैंने सरकार को— जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार की अप्रयत्यक्ष रूप से उस समय आलोचना की है जबकि मैंने समझा कि उनकी आलोचना की जानी चाहिए थी।

अब मैं जनता पार्टी की बात करता हूं। उस सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रति मुझे बहुत प्रेम है। 1/2 वर्षों में क्या हुआ है ? जनता सरकार ने राष्ट्र के समूचे बुनियादी ढांचे को समाप्त कर दिया। सौभाग्य से वर्तमान सरकार धीरे-धीरे उस बुनियादी ढाँचे को पुन: कायम कर सकी है। मैं कुछ आंकड़े देता हूं। कोयले का उत्पादन 1140 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है जो सबसे अधिक है; बिजली का उत्पादन 17% बढ़ गया है; इस्पात का उत्पादन इतना अधिक है कि इसकी भरमार है।

अब, मुद्रास्फीति तो एक ऐसी चीज है जिससे विश्व की कोई भी सरकार प्रभावित हुए बिना नहीं रही है। तेल के मूल्य में भारी वद्धि से न केवल इस देश में परन्तु अत्यन्त उन्नत देशों सहित विश्व भर में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसा कि अभी मैंने कहा है कि कि 40 से 50% तक मुद्रास्फीति तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण हुई हैं। मेरे पास यहाँ आंकड़े हैं। 1975-76 में हमारा आयात बिल 900 करोड़ रुपये था; 1981-82 में यह 5,000 करोड़ रुपये से अधिक था। पेट्रोलियम उत्पादों सहित हमारे तेल का बिल 600 प्रतिशत बढ़ गया है। हमारी 75 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आय तेल के आयात पर व्यय की जा रही है और असम के इन लोगों ने हमारे कुछ तेल उत्पादन का 12% उत्पादन कम कर दिया है। अध्यक्ष महोदय यह स्वयं सिद्ध है कि मुद्रास्फीति को रोकने का सबसे बड़ा साधन उत्पादन है और हम क्या देखते हैं ? विपक्ष का प्रत्येक दल मजदूर संघ नेताओं के रूप में श्रमिक अराजकतावादी तत्वों का समर्थन कर रहा है।

(व्यवधान)

मेरी समझ में नहीं आता है कि वह क्या कर रहे हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय सच बात कहने से हरेक को चोट लगती है। आपने देखा है कि राजनीतिक अराजकतावादी तत्वों ने आवश्यक सेवायें अधिनियम की निन्दा करने में श्रमिक अराजकतावादी तत्वों का साथ दिया है। मैंने

अच्छी बातों के कारण आवश्यक सेवायें अधिनियम समर्थन किया था। उन्होंने इसकी निन्दा इसलिए की थी क्योंकि वे चाहते थे कि आवश्यक सेवाओं में लोगों को खुली छूट दी जाये जिससे वे न केवल इन सेवाओं को अस्तव्यस्त कर सकें अपितु अर्थव्यवस्था तथा हमारी रक्षा को भी अस्तव्यस्त कर सकें।

महोदय, मैं अब अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं।

भारत का इतिहास क्या है ? यह जनजातीय संगठन का इतिहास रहा है। मैं स्पष्ट कहता हूं। एक प्रतिष्ठित भारतीय ने एक बार कहा था : समूचे भारतीय इतिहास में भारतीयता की भावना रही है परन्तु भारतीय राष्ट्रीयता की भावना कभी नहीं रही है। साधारणतया यहां सभी तरह के विघटनकारी, पृथकतावादी तत्व सदैव रहे हैं। और आज हम जनजातीय संगठन का विद्रोह देख रहे हैं। मेरे मित्र पंजाब की बात कर रहे थे। हम जनजातीय संगठन का विद्रोह न केवल पूर्वोत्तर असम में देख रहे हैं अपितु खेद की बात है कि हाल ही में हमने पंजाब में भी देखा है। हम इस प्रकार का जनजातीय संगठन, यह भाषायी व क्षेत्रीय अतिराष्ट्रीयता देखते हैं।

इस सभा में केवल मैंने ही भाषा के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण का विरोध किया था। मैंने भविष्यवाणी की थी और स्टेट्समैन में कहा गया था कि जो कुछ भी मैंने कहा था वह भारतीय इतिहास में विद्यमान रहेगा। मैंने यह कहा था यदि एक बार आप भाषावाद को राजनीतिक सत्ता के समानार्थक समझेंगे तो आपको वही देखने को मिलेगा जो कि आज देख रहे हैं— भाषायी व क्षेत्रीय अन्धभक्ति। इसे हम काश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में देख रहे हैं। यह उभर रही है।

प्रो० मधु दंडवते : महात्मा गांधी भाषावाद के समर्थक थे। **(व्यवधान)**

श्री फ्रेंक एन्थनी : हो सकता है। **(व्यवधान)**

भौगोलिक दृष्टि से हमारा देश एक देश नहीं है; हम एक उपमहाद्वीप भी नहीं हैं, हम एक महाद्वीप हैं। और फिर भी विनाशवाद के रूख को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पर आघात हो रहा है। मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का समर्थन क्यों किया ? मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए जैसा कि मैंने उनसे कहा था कि यदि उन्हें कभी गिरफ्तार किया जाये तो मेरे पास आ जाये। आपात स्थिति के दौरान 'आंसुका' के अंतर्गत मैंने 14 मामले निपटाये थे और हर मामले में मुझे सफलता मिली। **(व्यवधान)** 14 मामलों में से प्रत्येक में नजरबंदी आदेश रद्द किया गया। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : 'आंसुका' का दुरुपयोग किया गया था और आप 'आंसुका' के मामलों के लिए पैसा ले रहे थे। **(व्यवधान)**

श्री फ्रेंक एन्थनी : संविधान के निर्माण में मेरा हाथ भी रहा है। हमने जानबूझकर निवारक शक्ति को रखा था और हमने अध्याय तीन—मूल अधिकार अध्याय में निवारक विरोध को बड़ी अनिच्छा से न्यायोचित ठहराया था, क्योंकि हमने यह समझा था कि विघटन की बड़ी

बुराई से निपटने के लिए यह आवश्यक था । इसी कारण हमने देश की सुरक्षा और अखण्डता बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्था की । परन्तु मेरे मित्र सहमत नहीं हैं । जैसा कि मैंने कहा था कि विनाशवाद के इस रुख के कारण उनको इस बात की चिन्ता नहीं है चाहे देश का सदा के लिए विघटन हो जाए ।

अब मेरी एक शिकायत है और मैं वह शिकायत बताकर के अपना भाषण समाप्त करूंगा । मुझे खुशी है कि प्रधानमन्त्री यहां हैं । (व्यवधान) सरकार के विरुद्ध एक सही शिकायत है । आप थोक मूल्य सूचकांक पर तो नियंत्रण रख रहे हैं परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कोई नियंत्रण नहीं है । घटबढ़ होती रहती है । परन्तु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नियंत्रण क्यों नहीं रखा जाना चाहिए ? दिल्ली में हमेशा बिना किसी कारण के आवश्यक वस्तुओं, सब्जियों, मांस डबल रोटी की कीमतों में वृद्धि क्यों होती है । मैं आपको बताऊंगा । (व्यवधान) क्योंकि आपके पास जन्मजात रक्त चूस, मुनाफाखोर, काला बाजार करने वाले लोग हैं यदि वे ये नहीं हैं तो कौन हैं ? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अधिकांश रूप से ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मतदाता हैं (व्यवधान) । आप उन पर नियंत्रण क्यों नहीं रखते ? आपात स्थिति के दौरान आपने ऐसा किया था । आपात स्थिति का यह एक अच्छा काम था । आपात स्थिति के दौरान मुद्रास्फिति को रोकने के लिए भारत की सराहना की गयी थी और आपने मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोका था क्योंकि सरकार ने इन जन्मजात रक्तचूसकों को दण्ड दिया था । यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप मूल्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे । उन पर मुकदमा चलाना ठीक नहीं है । वे वकीलों के पास जाएंगे जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है और हम कोई न कोई उपबन्ध उपयोग में लायेंगे और उन्हें रिहा कर देंगे (व्यवधान) यदि आप उन्हें नजरबंद करेंगे तो आप देखेंगे कि मूल्य शीघ्र ही गिरने लगेंगे । मेरी ऐसी धारणा है है । (व्यवधान) हम इन बातों में सौभाग्यशाली हैं । (व्यवधान) हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि कम से कम एक सच्चा राष्ट्रीय दल है और कम से कम एक राष्ट्रीय नेता है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : और हम ईश्वर के इसलिए भी शुक्रगुजार हैं कि एक फ्रैंक एन्थनी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे, आपको " ((व्यवधान)

वे स्पष्ट रूप से हंसी उड़ा रहे हैं ।

सरकार कोई हो उसमें त्रुटियां, कमजोरियां तो होती ही हैं परन्तु मुझे यह कहना चाहिए यहां कम से कम हमारा बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है अपितु एक स्थायी लोकतंत्र है जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बढ़ रहा है और नाशवादी दलों को छोड़कर यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इसके बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को देखे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आजादी की 36वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देशवासियों से अपील की कि वह थोड़ा आत्म-निरीक्षण करके देखें, मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी, आप आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया स्वयं से प्रारम्भ करें ।

अविश्वास के प्रस्ताव में खंडन मंडन स्वाभाविक है, लेकिन आत्म-चिन्तन की प्रक्रिया सत्तारूढ़ दल में शुरू हो गई है और इसका पता लगता है सूचना मंत्री श्री वसन्त साठे के भाषण से। अभी हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र शिकायत कर रहे थे कि प्रतिपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाता है ?

सच्चाई यह है कि अविश्वास के अलावा प्रधान मंत्री से दो, दो बातें करने का मौका अब सदन में नहीं मिलता है। यह कहा जा सकता है कि और मंत्री भी तो हैं, मगर स्वयं सूचना मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तम्बू की तरह है जो एक खम्बे पर खड़ी है। अब अगर बात होती है तो प्रधान मन्त्री से होनी चाहिए, जो तम्बू के नीचे दुबके बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का कोई लाभ नहीं।

इतना ही नहीं, वसन्त साठे जी ने कुछ और भी बातें गम्भीर कही हैं।

एक माननीय सदस्य : नौकरी जाएगी उनकी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने कहा है "डैमोक्रेसी स्ट्रेन्थेन्स यूनिटी (लोकतंत्र से एकता मजबूत होती है) पर कल यहां दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि ऊपरी समाधानों से न तो समस्याएं हल होती हैं और न संतुलित आर्थिक विकास ही सुनिश्चित होता है जो कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।"

ऊपरी (स्युपरफिशियल) शब्द पर ध्यान दीजिए। उन्होंने आगे कहा : "उन्होंने यह अनुभव किया कि इन मामलों पर मन्त्रिमंडल में या कांग्रेस कार्य समिति में कोई विचार नहीं हुआ।

उनसे अपने विचार को विस्तार से बताने के लिए कहे जाने पर उन्होंने तुरन्त कहा "आपने मेरी बात नहीं सुनी।"

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने विचार किया है। उन्होंने कहा कि हां उन्होंने किया और इसी कारण से वह समस्याओं की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान और बर्मा में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने चेतावनी दी। भारत में भी वही स्थिति हो सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मर गया।

एक माननीय सदस्य : रहम करिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री साठे ने इस भाषण का खंडन नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली से पूना जाकर के बाद में एक जगह पर जो भाषण उन्होंने दिया उसमें अपनी आशंकाओं को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। मैं सरकार पर आरोप लगाने के लिए उस भाषण का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, प्रधान मन्त्री अपने हृदय पर हाथ रखकर बताएं, क्या आप उससे सन्तुष्ट हैं ?

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ढाई साल बीत गये, आधी अवधि समाप्त हो गई, क्या लेखा-जोखा लेने का वक्त नही आया है ?

जनता सरकार ने क्या किया, यह आज वाद-विवाद का विषय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये सरकार में आ गये हैं, मगर अभी तक ये पूरी तरह समझ नहीं पाये कि सरकार में आ गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने की चर्चा की जाती है, तो वित्त मन्त्री कहते हैं कि यह वृद्धि सीजनल है। श्री प्रणव मुखर्जी जैसे सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन सारी महंगाई को सीजनल बताएं, यह किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री फ्रैंक एन्थनी ने भी यह स्वीकार किया है

श्री अटल बिहारी वापेयी : काश यह महंगाई मौसमी होती। लेकिन यह मौसमी नहीं है। यह अर्थ नीतियों के परिवर्तन से जुड़ी है।

पिछले दो साल में जिस तरह से औद्योगिक नीति बदल गई, लाइसेंस नीति में परिवर्तन किए गए, आयात-निर्यात व्यापार के मामले में रद्दो-बदल किए गए, उस सब का कुल मिलाकर परिणाम यह हो रहा है कि आम आदमी पिस रहा है, विदेशी कर्जा बढ़ रहा है और स्वावलम्बन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है।

प्रधान मंत्री ने जब सत्ता सम्भाली, तब विदेशी कर्जा 10,000 करोड़ रुपए के करीब था—मार्च, 1980 में विदेशी कर्ज की राशि 10,000 करोड़ रुपये थी। मार्च, 1982 में बढ़कर 15,459 करोड़ रुपए हो गई। आई एम एफ का ऋण की राशि 20,000 रुपये तक पहुंचेगी। 2 विलियन डालर हमें ब्याज का चुकाना पड़ेगा। 7 से 8 विलियन डालर का हमारा व्यापार में घाटा होने वाला है। हम इस देश को किधर ले जा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : तरक्की के रास्ते पर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आई एम एफ लोन के साथ जो शर्तें लगी हैं, उनके अनुसार हम स्वावलम्बन से हट रहे हैं। अब अनाज के मामले में भी हमें विदेशों की तरफ देखना है। ऐसी स्थिति में किस तरह से गुट निरपेक्षता की नीति पर ईमानदारी से चला जा सकता है ? प्रधान मन्त्री ने अमरीका में कहा कि अमरीका वालों ने मान लिया है कि हम सही रूप में गुटनिरपेक्ष हैं।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मुझे याद है मैंने यह नहीं कहा। ये आपके शब्द हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये मेरे शब्द नहीं है। यह समचार पत्रों में छपा हुआ है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : उनकी हर एक बात न मानिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया है। आपके पास इतना बड़ा दफ्तर है, मैडम (व्यवधान) और फिर मैं आपके पास प्रतिनिधि मंडल में नहीं था। मैं कहां से होता ? विदेश मन्त्री तक नहीं थे। (व्यवधान) लेकिन अगर अखबारों में छपे हुए समचार और भाषण का खंडन नहीं हुआ, तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसको सही मानूं। अगर प्रधान मन्त्री कहती है कि उन्होंने नहीं कहा, तो वह बताएं कि उन्होंने क्या कहा ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने कहा कि हम झुकते नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री ने कहा कि हम न उधर झुकते हैं, हम सीधे खड़े रहते हैं। जब यही बात 1977 और 1978 में हमने कही थी, तब आपने कहा था कि अमरीका की तरफ झुकाव को छिपाने के लिए आप यह कह रहे हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : आपने कहा था कि आप जैनविनवी नान-एलाइन्ड हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और आप कह रही है कि आप ट्रूली नान-एलाइन्ड हैं। फर्क क्या है ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : फर्क यह है कि नान-एलाइन्ड मूवमेंट हम पर विश्वास कर रहा है और हमारी तरफ देख रहा है और आप पर वह विश्वास नहीं करता था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नान-एलाइन्ड मूवमेंट किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखता है और यह संयोग की बात है कि प्रधान मंत्री आज आप हैं। (व्यवधान) प्रधान मंत्री का समर्थन करने के लिए कैसे कैसे माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपस में बातचीत नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधान मन्त्री की विदेश-यात्रा के परिणाम स्वरूप अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ है, तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा—अगर सुधार हुआ है, तो। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन का उत्तर प्रधान मन्त्री ही दे सकती हैं। तारापुर के मामले में जो समझौता हुआ है, बार-बार प्रधान मंत्री कहती हैं कि हमने री-प्रोसेस करने का अधिकार नहीं छोड़ा, यह ठीक है कि अधिकार नहीं छोड़ा, मगर री-प्रोसेस करने का अवसर आपने छोड़ दिया। अगर समझौता टूट जाता है और यह समझौता तोड़ना अमेरिका के लिए अनैतिक होता, वह 30 साल तक हमें एनरिचड यूरेनियम देने के समझौते से बंधे हुए हैं, उन से कहना चाहिए था कि अगर आप समझौता तोड़ रहे हैं, हम कहीं और से लाएंगे, हम अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करेंगे। मगर हमने क्या किया ? अब हमें एनरिच्ड यूरेनियम फ्रांस से मिलेगा, मगर वाया अमेरिका मिलेगा। क्या फ्रांस से सीधा समझौता नहीं कर सकते थे ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : सीधा ही होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हिन्दुस्तान और अमेरिका दोनों को मिलकर फ्रांस के पास जाने की क्या जरूरत है ? ···(व्यवधान)···

तारापुर के स्पेयर्स का क्या होगा ? स्पेयर्स के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमें प्रयुक्त ईंधन हटाना पड़ेगा । कहां ले जायेंगे ? हम फ्रांस से सीधा समझौता कर सकते थे। अमेरिका को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं थी ।

यह ठीक है कि अमेरिका के रुख में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन अमेरिका के रुख में परिवर्तन केवल भारत के बारे में नहीं हुआ है, ब्राजील के बारे से हुआ है, साऊथ अफ्रीका के बारे में हुआ है। लेकिन तारापुर का सवाल जिस तरह से हल होना चाहिए था, हल नहीं हुआ ।

पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों के बारे में क्या फैसला हुआ ? पालम हवाई अड्डे पर प्रधान मंत्री से पूछा गया कि क्या उन्होंने अमेरिका ने कोई आश्वासन दिया है भविष्य के बारे में ? प्रधान मंत्री ने कहा कि मैंने आश्वासन मांगा ही नहीं । मांगा ही नहीं तो देने का क्या सवाल है ? हथियार मिलते रहेंगे। आखिर अमेरिका के साथ गलत फहमी पैदा हुई तो पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों को लेकर हुई, वे तारापुर समझौते से मुकर रहे हैं, इस को लेकर हुई। दोनों सवालों पर हम कहां पहुंचे ? मैं इस में ज्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे जरा घरेलू मामलों की चर्चा भी करनी है ।

दिल्ली किस तरह से चल रही है ? प्रदेशों में गड़बड़ चल रही है, उसके लिए कहा जाता है हम क्या करें ? राज्य का विषय है । दिल्ली किसके अधीन है ? दिल्ली पर सीधा केन्द्र का शासन है । प्रधान मन्त्री ने कह दिया एकदम 24 घंटे के अन्दर दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक करो। अगर उस आदेश का पालन कर दिया जाता तो दिल्ली वाले खुश होते । हमको भी सन्तोष होता कि प्रधान मंत्री के शब्द की कोई कीमत है । 24 घंटे बीत गये । घंटे दिनों में बदल गए, दिन हफ्तों में परिवर्तित हो गए । दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पांच-पांच घंटे बिजली नहीं आती। मैं आँकड़े रख सकता हूं डेसू पर खर्चा बढ़ रहा है। उत्पादन घट रहा है। यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता ।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या दिल्ली में आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सिविल सप्लाइज कारपोरेशन नही बनाया गया ? उसको 1 करोड़ 90 लाख की पूंजी थी और 1 करोड़ का घाटा हो गया। 80 लाख रुपये चीनी के सौदे में गोलमाल कर दिए गए। चीनी मद्रास में खरीदी गई 850 रुपये क्विटल के भाव से। दिल्ली के लिए चीनी खरीदी गई । दिल्ली में एक किलो भी नहीं आई, और मद्रास में ही बेच दी गई 550 रुपये क्विटल के भाव से 80 लाख रुपये का घाटा हुआ । कोई है जवाब दे इस बारे में ?

दिल्ली में रेलों के तीन पुलों को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है—आजादपुर, नारायणा और एक पुल और हैं। उसके लिए मिट्टी की जरूरत थी। रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली

प्रशासन से कहा कि मिट्टी का इन्तजाम करो। 8 हजार ट्रक मिट्टी चाहिए थी। इसी समय दिल्ली का नजफगढ़ वाला नाला खोदा जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है। दिल्ली प्रशासन ने कहा कि रेलवे के लिए हम मिट्टी नही दे सकते। आप अपना टेंडर निकालें। मिट्टी मंगाओ। नाले से मिट्टी निकालने का अलग ठेका दिया गया। रेलवे ने अलग टेंडर दिए कि हमें मिट्टी चाहिए। दोनों ठेकेदार मिल गए। नजफगढ़ ड्रेन की मिट्टी रेलवे को दे दी गई और 1 करोड़ 10 लाख रुपया कमा लिया गया। -(व्यवधान) क्या कोई यह मान सकता है कि यह काम ठेकेदार बिना अफसरों से मिले हुए कर सकते हैं? क्या कोई यह मान सकता हैं कि अफसर यह काम बिना ऊपर के इशारे के कर सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रेस की स्वाधीनता की चर्चा हुई हैं। ये जो घटनाएं हो रही हैं, यह अकेली नहीं हैं। बिल बिहार में आया। बिहार की सरकार की प्रेस कौंसिल में शिकायत लेकर आज तक नहीं गई। कुछ पत्रिकाएं ऐसी हो सकती हैं जो अनर्गल बातें लिखें। उनका ध्यान रखने का काम हम ने प्रेस कौसिल को सौंपा है। आवश्यकता हो तो प्रेस कौंसिल को और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मानहानि का कानून है। बिहार की सरकार केवल एक मामले में अदालत में गई है और उस मामले में भी 8 बार ऐडजर्नमेंट लिया है बिहार की सरकार ने। अगर आप समझते हैं कि मान-हानि हुई तो मुकदमा चलाइए। मगर बिहार को छोडिए। बिहार के मुख्यमंत्री बिना केन्द्र के इशारे के इतना बड़ा काम नहीं कर सकते और अगर बिहार के मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम बिना केन्द्र के इशारे के करने लगे हैं तो मानना पड़ेगा कि जिस एक खम्भे पर यह तम्बू खडा है वह खम्भा भी कुछ हिलने लगा है।

मगर दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ लिखा है उस से दिल्ली के दरबार में बड़ी नाराजगी है और इंडियन एक्सप्रेस के मालिकों से कहा जा रहा है कि अरुण शौरी को निकाल दो। अगर अरुण शौरी को मंगसेसे एवार्ड नहीं मिलता तो अरुण शौरी इंडियन एक्सप्रेस से निकालने का नोटिस मिल गया होता। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक अरुण शौरी को निकालना नहीं चाहते। उन पर कौन दबाव डाल रहा है।

दिल्ली से एक हिन्दी साप्ताहिक निकालता है। उस हिन्दी साप्ताहिक ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय एक लेख प्रकाशित किया। लेख में ज्ञानी जैलसिंह की कुछ आलोचना थी। आप जानते हैं उस पत्रकार को अब नौकरी से हटाया जा रहा है और राजनैतिक दबाव में हटाया जा रहा है। ग्वालियर में आन्ध्र के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है···(व्यवधान)···

आप मुझे अधिक समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त करें।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं? आप सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, आंग्रे ने सूर्य को खरीदा, वह उनका अपना फैसला है सूर्य में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता। लेकिन सूर्य को बात लिखने का अधिकार है या नहीं ? अगर चोरी का आरोप होता तो राजमाता सिंधिया के खिलाफ होता, आंग्रे के खिलाफ नहीं होता···(**व्यवधान**)··

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सिसवाकांड की काफी एर्चा हो चुकी है। शायद पहली बार इतना लज्जाजनक कांड हुआ है जिसमें कि महिलाओं पर बलात्कार कर्रा में पुलिस वाले भी शामिल हैं। वहां की महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमंत्री को आकर मिला था और शायद प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि सी बी आई उसकी जाँच करेगी लेकिन उसकी जांच शुरू नहीं की गई है। आज हालत यह है कि सिसवा में जाकर उन आभागी औरतों से कहा जा रहा है कि तुम्हें रुपया चाहिए तो रुपया ले लो, कपड़े चाहिए तो कपड़े ले लो और बरतन चाहिए तो बरतन ले लो लेकिन यह मत कहो कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया गया है। मेरे पास वहाँ के के नागरिकों द्वारा लिखी गई चिट्टी आई है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसको पढ़कर सुना सकूं... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

माननीय सदस्यगण, हमें सभा की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलानी चाहिए। मेरा आप से नम्र निवेदन है। इस पक्ष से जब कभी कोई सदस्य बोलते हो तो आप सभी कृपया उन बातों को नोट कर लें और जब आपको बुलाया जाये तब उन बातों का खंडन करें या उनका जवाब दें। संसदीय प्रक्रिया यही है। यही सही संसदीय प्रक्रिया हैं। मेरा यह अनुरोध है कि जब इस पक्ष से कोई बोल रहा हो तब कोइ भी व्यवधान न डाले। सभी बातों को नोंट करके जवाब दीजिए। यही समुचित प्रक्रिया है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया का पालन करें।

श्री वाजपेयी, अब आप समाप्त करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में भूमिहीन हरिजनों पर अत्याचार ढ़ाए जा रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है इसलिए कि वे सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी मांग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विशुद्ध साम्प्रदायिक दंगे हैं उन्हें दो बदमाशों के गिरोह के दंगे के रूप में पेश किया जा रहा है। अभी मुंगेर-जमालपुर में जो दंगा हुआ है उनमें 14 व्यक्ति मारे गए। उसमें बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई है। मैं पूछना चाहता हूं... (**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्रालय में राजमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हम सभा में राज्य के मामलों को उठाने जा रहे हैं या हमें नीति सम्बन्धी मामले पर चर्चा करनी चाहिए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसलिए क्या हम पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा कर सकते हैं और

तब उस तथ्य से कोई शोर शराबा नहीं होगा ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई और मध्य) : जी हां, चर्चा करिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम इस सभा में अनेक साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : बेहतर तो यह है कि आप दंगों से सम्बन्धित विषय को न लें। मेरे विचार में अविश्वास प्रस्ताव पर यह पक्ष या वह पक्ष मामलों और नीतियों पर ही बोलेगा। यह उचित होगा। मेरा निवेदन यह है कि कृपया इस बात पर ध्यान दें कि किसी राज्य के विषय को न किया जाये। यदि कोई भी इस विषय को लेगा तो यह उचित चर्चा नहीं होनी। मेरा सुझाव है कि कृपया किसी राज्य के मामले को न ले।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन ?

श्री रशीद मसूद : नियम 376 के अधीन।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री रशीद मसूद : डिप्टी स्पीकर साहब, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि कम्युनल रायट्स डिस्कस होंगे लेकिन मौका नहीं मिला कम्युनल रायट्स डिस्कास करने का। लिहाजा कम्युनल रायट्स को रेफर करने का पूरा अख्तियार मेम्बर्स को है। (**व्यवधान**) चूंकि बहुत इन्टेंन्सिव तौर पर यह चीजें हो रही हैं लिहाजा मेम्बर्स को नहीं रोका जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए केवल नीतियों पर ही चर्चा होनी चाहिए। यह तो भारत सरकार और मंत्रिपरिषद की कतिपय नीतियों के बारे में है।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कहने दीजिए। मैं अभी बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। कुछ उदाहरणों को उद्धृत किया गया है।

(**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मूल बात तो यह है कि जब अध्यक्ष पीठ से कोई कुछ कह रहा हो तो कोई भी सदस्य खड़ा न हो।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। जब मैं खड़ा हूं तो कृपया आप बैठ जाइये।

जब तक आप नहीं समझेंगे कि आपको अध्यक्ष पीठ के आदेश का पालन करना चाहिए तब यक आप एक सफल सांसद नहीं बन सकते।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जाइये।

माननीय सदस्यगण, यह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा है। यह अविश्वास प्रस्ताव मंत्रि-परिषद या केन्द्रीय सरकार के बारे में है।

कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। क्या ये मंत्री इन बातों के लिए जिम्मेदार हैं? अतः मेरा कहना है कि भारत सरकार की नीतियों पर ही बोलें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखते के लिए हम सरकार की असफलताओं पर चर्चा नहीं कर सकते?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कर सकते हैं। (व्यवधान) आपने जो उदाहरण दिए हैं, उनके लिए ये मन्त्री जिम्मेदार नहीं हैं, केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब आप अपना भाषण जारी रखिए। श्री वाजपेयी, आप एक विद्वान और महान नेता हैं। मेरे विचार में आपको यह पता है। कृपया मेरी मदद कीजिए।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ··· (व्यवधान) ···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं जानता हूं बिहार में राज्य सरकार हैं और उससे जवाब तलब किया जा सकता है। मैं तो प्रधानमंत्री का ध्यान एक विशेष स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उस गांव में पुलिस तैतात थी, होमगार्डस तैनात थे... (व्यवधान)... प्रधान मन्त्री लाल किले पर खड़े होकर काम्युनल रायट्स की माइनोरिटीज की बात कर सकती हैं, मैं सदन में खड़े होकर नहीं कर सकता... (व्यवधान) ...वहां हर वे सारे देश का जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमन्त्री को वहां पर कहना चाहिए था —मैं खाली यूनियन टैरिटरीज के लिए बोल रही हूं, राज्यों के लिए नहीं बोल रही हूं ...(व्यवधान)...।

उपाध्यक्ष महोदय : 19 जून, 1982 को उस गांव में सात होमगार्डस थे और एक मैजिस-ट्रेट तैनात थे। 20 जून को तीन सिपाहियों ने अपने को बीमार घोषित करा लिया। बन्दूक रखकर चले गए, बाकी के सिपाही भी चले गए, मैजिस्ट्रेट भी चले गए। यह संयोग नहीं है। इसकी जाँच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें कहां तक सच्चाई है, कहीं दंगाइयों से ये लोग मिले तो नहीं थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर खत्म करना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें। यदि आप समय पर समाप्त नहीं करेंगे तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। अब आपको समाप्त करना होगा।

श्री नारायण चौबे : आप सदस्यों से भी अधिक समय लेते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 17 सितम्बर, 1981 को इसी सदन में प्रधानमन्त्री ने बहस का जवाब देते हुए एक बात कही थी, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं।

"मेरे विरुद्ध जो मामले थे, उन पर मैं नहीं जाना चाहती। परन्तु मैं एक मामले का उल्लेख अवश्य करना चाहती हूं। पता नहीं आप इसके बारे में जानते हैं या नहीं। एक 'नान बेलेबल' वारन्ट पर मुझे सुदूर इम्फाल, मणिपुर जाना पड़ा था। क्या आप को पता है कि आरोप क्या था? मुझ पर दो चूजे और 6 अण्डे चुराने के लिए एक व्यक्ति को उकसाने का आरोप लगाया गया था। यह था जनता पार्टी का चरित्र और लोकतंत्र सम्बन्धी सिद्धान्त—"

उनकी बात सुनकर हम लोग सन्नाटे में आ गए थे। इस तरह के छोटे आरोप में कौन प्रधानमन्त्री को इम्फाल घसीटकर ले गया। लेकिन बाद में मैंने सारे तथ्य इकट्ठे किये। यह बात गलत है कि प्रधानमन्त्री के खिलाफ कोई नान-बेलेबल वारन्ट इशू किया गया था—(व्यवधान)—यह बात गलत है (व्यवधान)—

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : वारन्ट जारी किया गया

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधानमन्त्री के खिलाफ समन इशू किया गया था—(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने निदेश 115 के अधीन नोटिस दिया था। मेरे पास सारे कागजात हैं। मैंने मिश्रा आयोग के कागजात इस बात को साबित करने के लिए दिये थे कि—

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं बिलकुल सही कह रहा हूं। क्या यह सच नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को बुलाया गया था? (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं (व्यवधान)—आप कहते हैं कि इम्फाल से—

(व्यवधान) मिश्रा आयोग समूचे मामले की जांच कर रहा था। यदि आपका यह कहना सही है कि श्रीमती गांधी के विरुद्ध बेलेबिल वारंट* जारी नहीं किया गया था तो मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं।

*पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) के मूल शब्द "नोन बेलेबिल वारन्ट" थे उपर्युक्त शुद्धि मन्त्री ने अपने भाषण की प्रतिलिपि लौटाते समय की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एक अभियुक्त के रूप में।

श्री पी० शिवशंकर : आप जो कुछ कह रहे हैं यदि यह सही नहीं हो तो आप संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उन्हें उसका उत्तर देने दीजिए। मैं श्री वाजपेयी के सिवाय किसी ओर को अनुमति नही दे रहा हूं।

अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने जो कुछ बढ़ा है, उसमें दो बातें··· (**व्यवधान**)···

प्रधानमन्त्री ने दावा किया है कि उनके खिलाफ नान बेलेबिल वारन्ट इथू किया गया था। मेरा कहना यह है कि उनके खिलाफ:समन जारी किया गया था, नान बेलेबिल वारन्ट नहीं।

मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और मैं कागजात पेश करूंगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरी बात क्या है? क्या इम्फाल के लिए ये सम्मन साक्ष्य देने के लिए थे अथवा क्या उन्हें एक अभियुक्त के रूप में बुलाया गया था? अब आप हमें बतायें।

श्री पी० शिवशंकर : यदि आप वहां होते, जबकि उनसे सारे दिन 10 30 से 6.60 बजे तक जिरह हुई थी, वह साक्ष्य नहीं था—

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और उपाध्यक्ष महोदय तक को यह कहने का अधिकार नहीं हैं कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

प्रो० मधु दंडवते : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : अब कौन से नियम का अतिक्रमण किया गया है?

प्रो० मधु दंडवते : मैं नियम 376 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। पेट्रोलियम मन्त्री महोदय ने जो कि पहले विधि मन्त्री भी रह चूके हैं अभी-अभी एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण विधि का मुद्दा उठाया है। जब श्री वाजपेयी ने कोई वक्तव्य दिया तो वह उठ खड़े हुए और उन्होंने उसका खण्डन करने का प्रयास किया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि उन्होंने बात मान ली थी।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा है पेट्रोलियम मन्त्री महोदय ने उसका खण्डन किया है। मै आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहता हू कि मैं कुछ दस्तावेज अध्यक्ष महोदय को पहले ही प्रस्तुत का चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आध्यक्ष महोदय सक्रियता से इस पर विचार कर रहे हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : वह एक भिन्न मामला है। वह नियम 115 के अधीन है। महोदय मुझे अपना निवेदन पूरा करने दो। मैंने अपना निवेदन अभी पूरा नहीं किया है।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। इनको आप रोकिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : श्री शिवशंकर महोदय, सदन में ऐसी धारणा बनाना चाहते है कि प्रधानमन्त्री महोदया की गिरफ्तारी का वारन्ट जारी किया गया था। वास्तव में, यहाँ पर विधि अधिवक्ता श्री महाजन बैठे हैं जिन्होंने कहा है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं इसका उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मैं यह जान सकता हू कि आपने किस बात की मनाही की है? (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य बातें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न कीजिए।

श्रीमान वाजपेयी जी, अब आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिवशंकर महोदय ने चुनौती दी है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। हम इस मामले पर कैसे निर्णय लें? सारे मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए, और मैं उसके फैसले को मानने को तैयार हूं।

श्री पी० शिवशंकर : विशेषाधिकार समिति के पास क्यों? इस पर सीधे यहीं पर निर्णय

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिया जाना चाहिये ।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : डिप्टी स्पीकर महोदय, अभी मैंने वाजपेयी जी का भाषण सुना ।

उन्होंने कुछ चर्चा दिल्ली और दिल्ली की बातों की । मैं इस डिबेट को दिल्ली के बारे में डिबेट में नहीं बदलना चाहता हालांकि मैं उन बातों का जिक्र जरूर करूंगा जिन को वाजपेयी जी ने कहा है । यह खुशी की बात है कि वाजपेयी जी को कुछ दिल्ली का ध्यान तो आया है हालांकि वाजपेयी जी न दिल्ली की एक-दो बातों की चर्चा नहीं की, जिन के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में कहूंगा । उन्होंने उस बात की चर्चा नहीं की, जो दिल्ली में कल हुई है । उस की चर्चा उन्होंने नहीं की । दिल्ली में जो नई इलेक्ट्रिक ट्रेन चालू हुई है, जिनसे लाखों लोगों को फायदा होगा, उस की चर्चा भी इन्होंने नहीं की । मैं तो यह कहूंगा कि प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, वाजपेयी जी पर बहुत महरबान हैं । मुझे इससे भी कोई शिकायत नहीं है कि प्रधानमन्त्री जी इन पर बहुत मेहरवान हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि इन की जो नई दिल्ली की कांस्टीटुएन्सी है, उस में इन को कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है । नई दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए सरकार वहां पर सड़कें चौड़ी कर देती हैं या फ्लाई-ओवर बना देती है और इस तरह के सारे काम कर देती है । नई दिल्ली में सब से अच्छा काम हो रहा है और उस को सब तरह की सुविधायें दी जा रही हैं, तो फिर वाजपेयी जी को कुछ करने की जरूरत क्या है । प्रधानमंत्री जी वह सब कुछ कर रही हैं, इसलिए उन को लोगों के पास आने जाने की फुरसत नहीं है और जो लोगों के लिए कुछ काम करने होते हैं, लोगों के कागजों पर कुछ दस्तखत करने का जो काम होता है, वह उन की जगह मुझे करना पड़ता है और अब ये बातें कर रहे हैं दिल्ली की । वाजपेयी जी फ्री नहीं हैं इन कामों को करने के लिए ।

वाजपेयी जी ने चैलेंज दे दिया और चैलेंज हो गया । मैं वाजपेयी जी का बहुत एडमाइरर हूं । मैं चाहता हूं कि वे अपनी मेमोरी को ताजा करें । मैं कोई जाती बात इस में नहीं लाना चाहता था लेकिन एक वाक्या मेरे साथ हुआ और वह इन के जमाने में हुआ था । सन् 1977 के बीच में अखबारों में वह छपा था और वह यह था कि इन्होंने बहुत से लोगों के पासपोर्टों को जब्त कर लिया था और उस में मेरा पासपोर्ट भी था ।

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा कि आप श्री वाजपेयी के प्रेमी हैं । आपको यह पता होना चाहिए कि वह अविवाहित हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और यह उस वक्त किया जा रहा था जबकि वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे और मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट के कागजात को जब्त करने का काम हुआ । उस के बाद जब हम जीत कर वापस आ गये, तो मैं ने एक दिन वाजपेयी जी से लाइबरेरी में पूछा कि वाजपेयी जी, मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया गया था ?

आपका पासपोर्ट जब्त हुआ, मुझे तो पता ही नहीं । विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के

हुक्म से बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के, हमारे हारने के बाद हमारे पासपोर्ट जब्त होते हैं, संजय गांधी का, मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त होता है और कई लोगों के पासपोर्ट जब्त किये गये लेकिन वाजपेयी जी को मालूम नहीं। इस बारे में मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता।

एक उन्होंने दिल्ली का चर्चा किया। उन्होंने दिल्ली की सिविल सप्लाईज कारपोरेशन की मिसाल दी कि चीनी खरीदने में 80 लाख रुपये का घाटा हुआ। यह एक साल या डेढ़ साल का वाक्या है। जब इस बारे में इनकी पार्टी के लोकल लोगों ने इल्जाम लगाया था तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने जवाब दिया था कि जो चीनी खरीदी गई थी वह किसी प्राइवेट पार्टी से नहीं खरीदी गयी थी, वह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन हुआ था।

एक माननीय सदस्य : आप इसकी जांच से क्यों डरते हैं? **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैं यह कह रहा था कि साल डेढ़ साल पहले एक इल्जाम लगाया गया था जिसके बारे में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि यह इल्जाम कतई गलत है। आज डेढ़ साल के बाद, नो कांफिडेंस मोशन के समय वाजपेयी जी इसकी चर्चा करते हैं, इस से मालूम होता है कि उन्हें दिल्ली की हालत के बारे में कितनी दिल्ली दिलचस्पी है, कितनी वाकफियत है। वह दिल्ली की हालत के बारे में कितने अनजान हैं। यह जरा आप सोचें इन्होंने एक ठेके का जिक्र कर दिया कि मिट्टी यहां से उठाई गई, वहां से उठाई गयी। मुझे ऐसा लगता है कि कांटेक्टर्स से इनकी काफी वाकफियत हैं और वे इनको मिलजुल कर बताते रहते हैं।

मैं तो इनका आदर करता हूं क्योंकि इनको चुटकले बाजी में और जुमलेबाजी में काफी महारत हासिल है जिसका कि उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अभी इन्होंने चर्चा किया कि जनता के जमाने में क्या हुआ, हम ऐसी बात न करें। आप खुद बातें उठा रहे हैं।

अभी उन्होंने कहा कि आदर हिन्दुस्तान हुआ, प्रधान मंत्री जी ने इन्टरवीन किया। प्रधान मंत्री ने खुद कहा कि नान एलाइनमेंट वाले हमारी कद्र करते हैं, हिन्दुस्तान की कद्र करते हैं। उन्होंने तो हमेशा यह कहा है कि हिन्दुस्तान की कद्र होती है। लेकिन पहले में और आज में फर्क है।

प्रधान मंत्री जी ने हमेशा यह कहा है कि हिन्दुस्तान की कद्र होती है। लेकिन आज फर्क इतना ही है कि जहां प्रधान मंत्री मोरारजी भाई और वाजपेयी जी के जमाने में हिन्दुस्तान की बेकद्री होती थी, आज इन्दिरा जी की रहनुमाई में कद्र होती है। उस जमाने में और आज के जमाने में यह फर्क है। आप से हम कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहते क्योंकि आप तो हमेशा विदेशों में रहते थे। क्या हुआ आपके जमाने में? बूटस्टेप डिप्लोमेसी हुई। यू० एस०ए० के प्रेजीडेंट ने क्या कहा आपसे? आपने कहा कि तारापुर सैल आऊट यह बहुगुणा जी ने कहा। उनके तारापुर सेल आऊट कहने पर मुझे ताज्जुब होता है। हम यह नहीं मानते हैं। हमारी प्रधान मंत्री ने आते ही यह कहा कि मैं कोई अश्योरेंस लेने अमेरिका नहीं गयी थी। मोरारजी अश्यारेंस मांगने

गये थे। अश्यारेंस भिखारी मांगने जाते हैं, अश्यारेंस लोग नीची गर्दन करके मांगने जाते हैं। ऊंची गर्दन करके जाने वाले अश्यारेंस नहीं मांगते। हमारी प्रधान मंत्री ने जाते समय भी यह कह दिया था कि मैं आर्म्स खरीदने नहीं जा रही हूं, मैं भीख मांगने नहीं जा रही हूं मैं किसी से मदद लेने के लिए नहीं जा रही हूं, मैं तो हिन्दुस्तान का पक्ष अमेरिका के सामने रखने जा रही हूं। इस बात को सारी दुनिया ने माना है, दुनिया के अखबारों ने माना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करके कहिए। आप उन्हें उत्तर मत दीजिए :

श्री एच० के० एल० भगत : मैं यह कह रहा था कि सारी दुनिया ने और हिन्दुस्तान के सारे अखबारों ने और उन अखबारों ने जिनके किये सब बड़े सपोर्टर हैं ने इस बात को माना है। दुनिया के अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया है। न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि तारापुर का जो मामला है, "यह श्री रीगन का इन्दिरा गांधी के सम्मुख आत्मसमर्पण है।"

मैं इसको सरेण्डर नहीं मानता। ये क्या इस से डिनाई करते हैं? ये यह बात कहते हैं, मुझे इस से ताज्जुब होता है। मैं वाजपेयी जी से एक बात कहना चाहता हूं।

मोरारजी देसाई ने दो बातें कही थीं न्यूक्लियर एक्सप्लोशन के बारे में। वाजपेयी जी उस समय नहीं बोले, मोरारजी की राय के खिलाफ नहीं बोले। मोरारजी ने कहा कि हम पीसफुल परपजेज के लिए भी एक्सप्लोसन नहीं करेंगे, तब भी वाजपेयी जी नहीं बोले, मोरारजी ने कहा कि मैं नहीं कह सकता कि पोखरन का जो एक्सप्लोसन था वह पीसफुल परपजेज के लिए था, तब भी वाजपेयजी जी नहीं बोले।

आज इंदिराजी की चाहे यू एस ए की विजिट हो, चाहे फ्रांस की विजिट हो या जापान की विजिट हो, उससे दुनिया भर में हिन्दुस्तान की जगह बनी है, जिस तरीके से इंदिराजी ने देश को चलाया है उसका एक असर दुनियाभर में पड़ा है। लेकिन बहुतगुणाजी की कैप्टेंसी में तो कान्फीडेंस मोशन आया तो उन्होंने कुछ कहना था। लेकिन एक रीजन यह भी है कि इस समय दुनिया भर में हिन्दुस्तान की इमेज और बढ़ गई हैं, मजबूत होती जा रही है तो इस समय हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ पोलीटिकल डस्ट फेंकनी चाहिए, एक मोटिव यह यह भी है।

अब मैं बहुगुणा जी पर आते हैं, उनका मैं आदर करता हूं। हमारे बहुत पुराने साथी हैं। हमनें मिलकर बहुत काम किया है। 1976 के अन्त तक वे हमारे साथ रहे, इमर्जेंसी में भी हमारे साथ थे। इमर्जेंसी को इन्होंने सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर की कोठी पर जो सालीडरिटी रैली हुई, उनमें सबसे आगे थे। मैं जो वाकयात कह रहा हूं उससे बहुगुणा जी डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फैक्ट्स पर बोल रहा हूं। हमारे हारने के बाद हमारे ऊपर मुकदमे चले। कहा गया था कि डी टी सी की बसें ली गई और किराया नहीं लिया गया, मिस यूज हुआ। उसमें डी टी सी के कुछ अफसर निकाले गए, हम लोगों पर मुकदमे चले। उसमें श्री हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम भी था, जिस नाम को बाद में बदल कर इनके सैकेट्री श्री हैलन का

नाम लिखा गया ही काँट डिनाई, और उस समय इन्होंने क्लेम किया था कि यू० पी० में इमर्जेंसी के सपोर्ट में सबसे बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद अभी इन्होंने जय प्रकाश नारायण जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि "मैं यू० पी० की गवर्नमेंट के खिलाफ संघर्ष नहीं करूंगा।" मैं नहीं जानता कि उन्होंने कहा था और जय प्रकाश नारायण जी के बारे में उन्होंने कितनी बार कहा, यह वे स्वयं बता देंगे, लेकिन बहुगुणा जी के बहुगुणा बहुगुणों में से एक गुण यह भी है कि वे जयप्रकाश नारायण जी को खुश कर लें और उसकी निन्दा भी कर लें।

अभी समर मुखर्जी साहब ने एक बात कही, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने कहा इंदिरा जी और उनके बेटे संजय गाँधी बहुगुणा जी के घर पर गए। घर पर गये तो कोई गुनाह नहीं किया। मुझे याद है कि बहुगुणा जी जब नेहरू जी की समाधि पर आए थे, तब वहां पर उन्होंने कहा था और हमने सुना भी था कि "इंदिरा जी आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा।" इंदिरा जी खुद होकर गई, तब भी मैं नहीं कहता कि उन्होंने बुरा किया। (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं उससे इंकार करता हूं। यह एकदम मनगढ़ंत बात है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह शत प्रतिशत सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहता हूं कि इंदिरा जी खुद गई थी या बहुगुणा जी ने कहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुगुणा जी हमारे साथ आ गए, हमारी पार्टी में आ गए। ये इंदिरा जी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। अभी इंदिरा जी चली गई हैं नहीं तो उनके सामने कहना मुश्किल होता। बहुगुणा जी इतने होशियार हैं कि इन्दिरा को भी चक्कर में ले लिया और मुझे तो अब भी डर है कि कहीं फिर कांग्रेस (आई) में न आ जाएं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक बहुगुणा जी का ताल्लुक है, ये सिर्फ 1977 से लेकर 1980 तक ढाई साल काँग्रेस से अलग रहे। उससे पहले कांग्रेस में जो अच्छी से अच्छी पोजीशन हो सकती थी, वह इनको मिली। जनरल सेक्रेटरी रहे, यू०पी० में मन्त्री रहे…। मुख्य मंत्री रहे। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का उनके साथ मिलकर चुनाव आर्गेनाइज करने का। मैं उनकी तारीफ करता हूं और उनकी क्वालिटीज को खूब जानता हूं। मुझे ताज्जुब यह है कि साढ़े तीन साल वह कांग्रेस से बाहर रहे लेकिन फिर भी पेंतीस साल की मुल्क की तरक्की को झुठला रहे हैं, उसकी निन्दा कर रहे हैं।

करप्शन की बात पर मैं आता हूं। बहुत ज्यादा यहां करप्शन की चर्चा की जाती है. किसी जाती बात पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, एक दो तीन आदमियों के खिलाफ कोई करप्शन की बात करना नहीं चाहता हूं और न ही यह मौका है इस तरह की बात करने का। लेकिन अजीब हालत है। गाडगील साहब ने इसकी चर्चा की है। जो आदमी कांग्रेस का हो और अगर अपोजिशन में चला जाए, उसके साथ चला जाए तो सारी करप्शन की बात खत्म हो जाती है

और वह पवित्र हो जाता है लेकिन अगर कांग्रेस में रहता है तो कुरप्ट रहता है। बीजू पटनायक कांग्रेस में थे तो कुरप्ट थे, अपोजिशन में चले गए तो उनकी कुरप्शन खत्म हो गई इस तरह से चिमन भाई पटेल की बात में कहना चाहता हूं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन जो अखबारों में छपा है वह बताता हूं।

इसका खंडन भी नहीं हुआ है। राम जेठमलानी ने इसका खंडन नहीं किया है। चिमन भाई पटेल ने कहा है अंतुले साहब के बारे में। मैं केस के मैरिट्स में नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम तुम्हारे साथ केस नहीं करेंगे—

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : खंडन किया है।

श्री एच० के० एल० भगत : राम जैठमलानी ने नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : किया है।

श्री एच० के० एल० भगत : हम जरा सोचें इस कुरप्शन के मामले पर भी। इतने साल हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गए हैं लेकिन फिर भी हमारे मुल्क में प्रजातंत्र टिका हुआ है। हम जरा सोचें कि हमारे इर्द-गिर्द के मुल्कों का क्या हाल है। आप पाकिस्तान को देखें, इंडोनेशिया को देखें और किसी हद तक बंगला देश को देखें। इस तरह से कुछ और भी देश हैं उनको आप देखें। वहाँ हमेशा यह हुआ है कि वहाँ की जो पोलिटिकल लीडरशिप थी उसके खिलाफ कुरप्शस के एलीगेशन बार बार लगाये गये, वाइल्ड एलीगेशन लगाए गए, उनको, वहाँ की पोलिटिकल लीडरशिप की, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंज को डैनीग्रेड किया गया और नतीजा यह हुआ कि अल्टीमेटली वहाँ डैमोक्रेसी खत्म हो गई। इसी तरह से हम भी देखते हैं कि जब ये विरोध में आ जाते हैं तो इस तरह की सारी बातें कहना शुरू कर देते हैं। आज जो कुरप्शन की इस तरह से चर्चा करते हैं वे इस चीज को नहीं समझते हैं।

पार्लिमेंट की चर्चा भी अभी की गई है। कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बैठती। प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको बैठना चाहिए। यह उनकी जिम्मेवारी है वाजपेयी जी बोले कि बहुगुणा जी गढ़वाल से जीत गए। मैं उनको बधाई देता हूं। वह दो तीन बार जीतने के बाद हाउस में आए हैं। आज उनके दर्शन अच्छी तरह से हुए हैं। वर्ना पाँच चार मिनट के लिए ही वह हाउस में बैठा करते थे। वाजपेयी जी बैठते हैं चरण सिंह जी तो कभी कभी-कभी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कही गई है इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

वाजपेयी जी ने कहा कि प्रधान मन्त्री जी खुद कहें कि देश की हालत से वह संतुष्ट हैं। लाल किले से कल उन्होंने कहा तो है कि देश में बहुत कुछ कठिनाइयाँ हैं, बहुत मुश्किलें हैं, उनको दूर करना है। मैं पूछता हूँ कि संतुष्ट कौन है? मैं नहीं हूँ, प्रधान मन्त्री जी नहीं हैं, फर्क इतना है कि देश की खराब हालत से आप फायदा उठाते हैं, उसको देख कर खुश होते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, हम उन कठिनाइयों से लड़ना चाहते हैं, उनका

मुकाबला करना चाहते हैं। आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, प्योरली नेगेटिव है, आवस्ट्रकशनिस्ट है जिस को देश को जरूरत नहीं है।

इस देश को आप जैसे सर्वनाशी, निराशाजनक विनाशकारी पेंगरों की और आवश्यकता नहीं है बल्कि इस देश को इंदिरागाँधी जैसे आशाजनक, मेहनती, अनुशासन पसंद पेंगकरों की आवश्यकता है।

बहुगुणा जी ने कहा कि गढ़वाल हमारे लिए वाटरलू साबित हुआ है। आपकी विजय हुई, आपको मुबारिक। यह खुशी की बात है। लेकिन आप इससे इतने सैल्फ आवसैस्ड क्यों हैं ? वाजपेयी जी जीते हैं, उनकी पार्टी एक दो चुनाव जीती है, पार्लिमेंट के भी जीती है, सी पी एम ने जीते हैं, कुछ और अपोजीशन पार्टीज ने जीते हैं। 1980 में कांग्रेस फिर पार्लिमेंट और ज्यादा तर असेम्बलीज के चुनाव जीतकर सत्ता में आयी।

तो एक आप वहाँ से जीत गये तो हमारा वाटरलू हो गया, और किसी जगह वाटरलू नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बहुगुणा जी हैं इसलिए वाटरलू हैं। आप अपने बारे में इतना सेल्फ ओबसेस्ड क्यों हैं ? राजीव जी तो आप से बहुत ज्यादा मेजारिटी से जीते हैं, आप अपनी जीत को सेल्फ ओबसेस्ड होकर क्यों देखते हैं ? जनता पार्टी के जमाने में जहाँ तक मुझे मालूम है 16 पालियामेंट के बाई-इलेक्शन्स हुए थे और उनमें से 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं, मेजारिटी में जीते थे, उसमें से कुछ सीटें हमने आप से छीनी थी। यही नहीं छोटा सा म्युनिसिपल कोरपोरेशन का बाई-इलेक्शन हुआ था दिल्ली में वह सीट भी हमने जीती थी।

श्री फूलचन्द वर्मा (शाजापुर) : मध्य प्रदेश के सागर और जबलपुर में कांग्रेस की सीट्स हमने छीनी हैं। (**व्यवधान**) *

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नहीं स्वीकार करते, आप व्यवधान नहीं डाल सकते। इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल उनके स्वीकार करने पर ही आप बीच में बोल सकते हैं। अन्यथा इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रेस की स्वतंत्रता चाहते हैं, संसद में भाषण की स्वतंत्रता नहीं।

श्री एच० के० एल० भगत : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात मैं इनके हक में कह रहा हूं अगर वह भी इनकी समझ में न आये तो मै क्या करूं ? मैंने तो कहा मध्य प्रदेश में आपने जीती, आपको मुबारक।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं कह रहा था कि माननीय बहुगुणा जी ने कहा :

यह सरकार मात्र निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करती है। जितने लोग हमारे यहाँ चुन कर आये 1981, 1982 में क्या वह लोगों ने चुन कर नहीं आये ? सिर्फ यही चुनकर आये हैं ? कौन इस बात को मानेगा। मैं दोहराना नहीं चाहता, श्री फ्रैंक ऐन्थनी साहब ने अच्छे ढंग से स्थिति को पेश किया। अभी जिक्र किया नार्थ ईस्ट फ्रन्टियर में क्या हालत थी ? वहाँ जो हालत थी पहले अगर वह कंसालीडेट की गई तो इन्दिरा जी के जमाने में की गई, और आज भी उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कंसालिडेट किया या रिबेलियन ?

श्री एच० के० एल० भगत : हर जगह टुकड़े-टुकड़े हुई चीजों को जोड़ा गया। आपको अपने अचीवमेंड पर भी शर्म आ रही है ? आप जनरल सेक्रेटरी थे ए० आई० सी० सी० के।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, कम्यूनल राइट्स, हरिजनों पर अत्याचार यह सारी बातें सदन में डिस्कस हो चुकी हैं। इस मुल्क में बहुत बड़ा काम 35 वर्ष में हुआ जिसमें बहुगुणा जी भी शामिल थे, और भी कई दोस्त हमारे थे जो हमारे साथी थे। और मैं समझता हूं जो मुल्क में अच्छा काम होता है, चाहे भले ही अपोजीशन गाली दे, मैं क्रेडिट देता हूं इनका भी क्रेडिट है कि 35 साल में देश ने काफी तरक्की की है और आइन्दा भी हमारा देश इनकी ओबस्ट्रकशनिस्ट ऐप्रोच के बावजूद भी आगे जाएगा और हम कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करेंगे।

माननीय वाजपेयी जी ने साठे जी की स्पीच का चर्चा किया। मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा, एक बात उन्होंने कही कि हमारी पार्टी में एक मजबूत खम्भा है, तो भाई यह देश का सौभाग्य है, हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि आज वह खम्भा केवल हिंदुस्तान का ही खम्भा नहीं माना जाता है··· आज नान-एलाईड वर्ल्ड का खम्भा माना जाता है, जो पीसफुल फोर्सेज का खम्भा माना जाता है।

अरे, एक तो है, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं, जो छोटे-छोटे खम्भे हैं वह दिन में 4 बार टूट रहे हैं। मालूम नहीं कि अगली दफे जब हम सैशन में मिलेंगे तो डी एस पी एक होगी या दो होंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका अपोज करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। उनके दल को दस मिनट का समय दिया गया है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात

बात निर्धारित समय में ही पूरी करें। प्रधान मन्त्री को ठीक 7 बजे बोलने के लिए बुलाया जायेगा। किसी भी सदस्य को अधिक समय नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आप यह दोष नहीं लगा सकते कि कुछ सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं 7 बजे से पहले ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उस स्थिति में, प्रधान मंत्री को तुरन्त उत्तर देने के लिए बुलाया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं श्री ए० एम० बहुगुणा द्वारा प्रस्तुत किये गये अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अपने उत्तर में श्री शुक्ला ने अपना अत्याधिक ध्यान श्री बहुगुणा के चरित्र पर दिया है। उन्होंने जितने भी उद्धरण दिये वे नवम्बर 1979 से पहले के थे और वे प्रकाशित हुए थे तथा सरकार, वर्तमान सत्तारूढ़ दल, इससे अवगत थी और यह सब जानने के बाद भी श्री बहुगुणा को उनके दल में शामिल किया गया और उन्हें महासचिव नियुक्त किया गया। अतः श्री शुक्ला की इस सदन के प्रति यह जिम्मेदारी है कि वह बताएं कि उन्होंने उन सब प्रमाणों की उपेक्षा क्यों की जो उन्हें अत्याधिक महत्त्वपूर्ण लगे और उन्हें श्री बहुगुणा के विरुद्ध सदन में उद्धृत किया।

अब प्रश्न यह है कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों कर रहा हूं? कांग्रेस (आई) ने अपने शासन के इन 31 महीनों में मेरे मतानुसार; स्वतन्त्रता संग्राम के सबसे अभीष्ट उद्देश्य को खत्म कर दिया है और वह उद्देश्य है आत्मनिर्भरता का। प्रत्येक क्षेत्र में मैंने देखा है कि विपरीत दशा हुई है। इससे हम बहुत चिंतित हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार जो कुछ कर रही है उसे ध्यान में रखते हुए इसे त्यागपत्र दे देना चाहिए।

आर्थिक मामले में, हमें देखना है कि वह कितनी आत्मनिर्भर हुई है। सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण को ही लीजिए। जब इस ऋण की चर्चा की जा रही थी तो विपक्ष के सदस्यों ने भारी चिंता व्यक्त की। अब जब की उस ऋण का 50 प्रतिशत भाग लिया जा चुका है, देश की क्या स्थिति है? क्या उसमें सुधार हुआ है? वास्तव में, यदि आप आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि हमने आने वाली पीढ़ी को बन्धक रख दिया है। हमारे ऊपर पहले ही 15000 करोड़ रुपए का ऋण है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 5,500 करोड़ रुपए के ऋण का अर्थ होगा कि ऋण में ब्याज दर जोड़ने पर हमें 9000 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। यह अदायगी 1 जनवरी 1985 से शुरू होगी और इस पर 850 करोड़ रुपए के पूर्व ऋण की अदायगी सहित 9 वर्ष तक प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा देनी होगी। उसका अर्थ है कि 1 जनवरी 1985 से देश को वर्तमान व्यापार घाटे जो 6 हजार करोड़ कर है, के अतिरिक्त, 1850 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी होगी।

यह पैसा कहां से प्राप्त होगा? इसका अर्थ है कि सरकार निश्चय ही इस ऋण का भुगतान नहीं कर पाएगी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से इस ऋण की अदायगी कार्यक्रम में परि

वर्तन करने के लिए कहेगी। जिसका अर्थ है और शर्तों को स्वीकार करना। इस तथ्य में यह भी निहित है कि विश्व में फालतू कच्चे तेल की स्थिति पैदा हो रही है जिसका अर्थ है कि हमें जो लगभग 5000 करोड़ रुपए विदेशों से प्रेषित मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, उनमें और वृद्धि नहीं हो सकती। और पश्चिमी देशों में मंदी का वातावरण है जिसका अर्थ है कि निर्यात में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। इस सरकार की अवधि समाप्त होने तक हमें गम्भीर वित्तीय संकट की स्थिति का सामना करना होगा। हम समझोते के अनुसार ऋण नहीं चुका सकेंगे। यह बात मेरे विचार में आत्मनिर्भरता के विपरीत होगी।

हाल ही में वित्त मन्त्री ने 8 जून, 1982 को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने उन कुछ बातों की ओर संकेत किया है,जो कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रसन्न करने के विचार से की है। उन्होंने यही बात कही थी।

उन्होंने यहीं कहा "हम मूल्य नीति में काफी परिवर्तन करने में लगे हुए हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है।" वित्त मन्त्री ने यही कहा था। उसका क्या अर्थ है? इस्पात कोयला, बिजली और उर्वरक आदि के मूल्यों में वृद्धि! इससे मध्यम वर्ग के लोगों और किसानों के लिए बहुत कठिनाई हो गई है। यह वह नीति है जो वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उनका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह मानकर पेश कर रहें हैं, कि वे इसे अनुमोदित करेंगें। मेरा तात्पर्य हैं वे कहेंगें 'अनुमोदित' दूसरे "हमने विदेशी कम्पनियों को तेल की खोज करने की अनुमति दे दी है।"

उन्होंने अपने पत्र में ये शब्द कहे। मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने इस देश को तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। आज वे यह शिकायत कर रहें हैं कि उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में विदेशी क्रम्पनियां उन क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं वहां उन्हें कार्य नहीं करना चाहिए था। इलाको के बलाक उनके लिए आरक्षित रखे जा रहे हैं। वित्त मन्त्री ने पत्र में यही कहा है।

महोदय, तीसरी बात यह हैं कि "लाइसेंस नीति को अत्यधिक उदार बनाया गया है।"

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को यह बताने की क्या आवश्यकता है कि लाइसेन्स नीति को उदार बना दिया गया है? मैं उस लाइसेन्स प्रणाली के पक्ष में हूं जो सरल और स्वचालित हो, जो छोटे उद्योंगो की उन्नति में सहायक हो। लेकिन इसके अनुसार कहते हैं कि बहुत से नए उद्योगों को एम.आर.टी.पी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है और उन्हें जितनी क्षमता के लिए लाइसेन्स दिया गया है। उसके अतिरिक्त उनको 13%, 150% आदि के लिए क्षमता के लिए स्वयः ही लाइसेन्स मिल जायेगा। इसका अर्थ यह है कि उदारीकरण करने से जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर किया गया है। इस देश के लघु उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, अन्त में, वे कहते है :

"हमने तकनीकी ज्ञान के आयात और विदेशी सहयोग के बारे में लचीली और व्यवहारिक नीति अपनाई है।"

इसका अर्थ है कि हमारी आयात प्रतिस्थापन और योजनागत प्राथमिकताओं की पुरानी नीति को छोड़ा जा रहा है अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण हमारे देश के लिए बहुत घातक है और जहां तक आत्मनिर्भरता का सम्बन्ध है उस पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मैं तो कहूंगा कि आत्मनिर्भरता की नीति की उल्टी दिशा में चलाने के कारण ही, सोवियत संघ, जो पहले यह ऋण देने में हटा कर रहा था, उसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में दिए गए हमारे दूसरी किश्त के आवेदन-पत्र का बड़े उत्साह से समर्थन किया। यह एक बात है।

खाद्यान्नों के क्षेत्र में भी हमने आत्मनिर्भरता से उल्टी दिशा अपनायी है। श्री गाडगिल ने यह दिखाने के लिए आँकड़े उद्धत किया हैं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना बढ़ गया है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि अपने खाद्यान्नों का रिकार्ड तोड़ उत्पादन किया है, तो फिर आपके लिए पिछले वर्ष आस्ट्रेलिया और सोवियत संघ से 2.65 करोड़ टन गेंहूं आयात करना आवश्यक क्यों हो गया था? एक तर्क यह दिया गया कि किसानों ने वसूली के लिए खाद्य निगम को पर्याप्त अनाज नहीं दिया। ठीक है, किसानों ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप उन्हें प्रति क्विटल पर केवल 130 रुपए दे रहे थे। सोवियत संघ के किसानों के पास गए आस्ट्रेलिया के किसानों के पास गए और उन्हें 204 रुपए प्रति क्विटल दिया, यह बात उन्होंने स्वयं इस सदन में कहीं थी। वे विदेशी किसान को 204 रुपए प्रति क्विटल की दर पर गेंहू के लिए पैसा देने को तैयार हैं लेकिन भारतीय किसान जो मूल्य चाहता है, वह उसे नहीं मिलेगा। इस नए मौसम में, उन्होंने वसूली का मूल्य बढ़ाकर 142 रुपए तक कर दिया है लेकिन भारतीय किसानों को इतना मूल्य नहीं चाहिए। वे 160 रु० प्रति क्विटल लेना चाहते हैं। यदि उन्हें 160 रुपए प्रति क्विटल मिल जाए तो वे सारा अनाज, जितना वे चाहते हैं, दे देंगें। लेकिन मुझे इस मनोवृत्ति का मारण यहीं पता है। कुछ लोग कहते हैं कि विदेशों से अनाज खरीदने पर आपको कमीशन मिलता है। यह उत्प्रेरक कारण हो सकता है। महोदय, मैं नहीं जानता।

अध्यक्ष महोदय —कुछ लोग कहते हैं, आप नही कह रहे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, मैं नही जानता। मैं यह कैसे कह सकता हूं जब तक आप मुझे आयोग बैठाने और इसकी जाँच करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन सदन में तेल सौदे की चर्चा हुई थी जिसमें राष्ट्र के 15 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मैं तो कहूंगा कि मुझे इसलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मुद्रा स्फीति क्यों हो रहीं है। मुद्रा स्फीति का कारण भ्रष्टाचार है। वे कहते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, तो फिर मूल्य भी क्यों बढ़ रहे है। मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था। मैं अपने छात्रों को पढ़ाया करता था कि जब उत्पादन बढ़ता है, मूल्य कम हो जाते हैं। लेकिन इस सरकार ने अर्थशास्त्र के नियमों को भी बदल दिया है। वे कहते हैं कि उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ मूल्य भी बढ़ेंगें। इन नीतियों अर्थात् आत्मनिर्भरता के

प्रतिकूल नीति अपनाने के कारण ही मूल्य ही बढ़ रहें हैं।

महोदय, मैं जानता हूं कि आप बहुत बेचैन हो रहें हैं अतः मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, सभी बुराइयों के लिए जनता सरकार को दोषी ठहराना एक आम बात हो गई है। उन्होंने केवल 31 महीनों तक शासन किया; अतः वे इसे जनता सरकार की देन नहीं कह सकते लेकिन बहरहाल जनता सरकार की देन स्पष्ट हैं। उनकी सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में इसके सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं मैं आपको पृष्ठ संख्या भी बता सकता हूं जहां आंकड़ों में दिखाया गया है कि हमने आरक्षित विदेशी मुद्रा को खाद्यान्न के भन्डारों की किस तरह वृद्धि की यह सब उसमें है—

एक माननीय सदस्य : यह 1975-76 की देन है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एक पुरानी कहावत है कि जहां अज्ञानता का बोलबाला है वहां बुद्धिमान होना मूर्खता है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि यदि उनके पास समय है—मैं नहीं जानता कि उन्हें पढ़ने की आदत है या नहीं तो 1981-82 के आर्थिक सर्वेक्षण के पृष्ठ 123 पर ब्यौरा दिया गया है। वे स्वयं इसे देखकर उत्तर दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमने इसे नोट कर लिया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं और वह तारापुर मामले के बारे में है। परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति से भी हम पीछे हटे हैं। इस बारे में कोई प्रश्न नहीं है। मैं यह कहना नहीं चाहता कि-मेरा मतलब है, मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो यह कहे कि प्रधान मन्त्री ने देश को बेच दिया है। मैं समझता हूं वह भी अन्य लोगों की भांति देशभक्त हैं और इसलिए कोई भी कार्य जागरूक होकर नहीं किया गया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि या उन्हें बहुत गलत परामर्श दिया गया अथवा उन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। हम इस नीति से पीछे हटे हैं। मैं जानता हूं कि प्रधानमन्त्री भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने 1974 में भूमिगत विस्फोट का कार्य संचालन किया। लेकिन स्वयं प्रधानमन्त्री ही 1968 की निरस्त्रीकरण - संधि पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। लेकिन उनके मंत्रिमण्डल में श्री मोरारजी देसाई ने जिद की, जिसने उन्हें हस्ताक्षर करने से रोका। (**व्यवधान**) प्रधानमन्त्री ने ही केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सभी उपकरण नंदा देवी नदी पर लगाने की अनुमति दी थी।

मैं उनकी भलाई के लिए उन्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि उन्होंने अमेरिका में ऐसी सौदा किया है जो देश के लिये अपमानजनक है। अभी भी वह उससे पीछे हट सकती हैं। मैं नही जानता वह ऐसा करने की स्थिति में हैं या नहीं। 1963 की संधि को समाप्त करने की बजाय उन्होंने अमेरिका के लिए मुखतारी चुन लिया है। वह फ्रांस है। क्या फ्रांस अमेरिका से कुछ अच्छी स्थिति में है? मैं यह कहना चाहता हूं कि रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि सब देश लण्दन

सप्लायर्स क्लब के अंश हैं। और वे सब उसी अनुशासन में बन्धे हुए है जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है उनका रूख, चाहे वह रूस ही या अमेरिका एक समान है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने संसद में क्या कहा ? मैं उनकी स्मृति और आपकी स्मृति को ताजा करूंगा। यह प्रश्न काल में कहा गया था।

एक माननीय सदस्य : कब ? पिछले वर्ष ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अभी हाल ही में 11 अगस्त 1982 को कहा गया है। आप भी उपस्थित नहीं थे। (**व्यवधान**) मैंने कहा था—आपने संधि को पुन: आरम्भ क्यों किया ? श्रीमती गांधी ने कहा संधि समाप्त नहीं की गई थी, इसके पुन: आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं था। मैंने उनकी बात में व्यवधान डाला कि क्या इसकी घोषणा इसी प्रकार की गई थी। उन्होंने उत्तर दिया—जो कि गलत सूचना देने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, कि "नहीं, ऐसा नहीं था। हमने कहा यदि अमेरिका सप्लाई नहीं करेगा फिर भी हम इसे मानेंगे। संधि में यह नहीं कहा गया कि सोवियत संघ ईन्धन की पूर्ति करेगा। शब्द हैं 'कि वे पूर्ति करने की व्यवस्था करेंगे... प्रधानमन्त्री ने यहीं कहा। मैं वापिस गया और यह देखने के लिए वास्तविक संधि पत्र लाया कि उसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 2-क में कहा गया है,

> "इस समझौते की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत सरकार को इन्धन वेचेगा और भारत सरकार आवश्यकतानुसार तारापुर विद्युत केन्द्र के यूरेनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका इन्धन खरीदेगा।"

यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गयी है कि अमेरिका इन्धन वेचेगा और भारत तारापुर स्टेशन की आवश्यतानुसार सिर्फ अमेरिका से ईन्धन खरीदेगा। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से इस संधि का उल्लघन किया है। लेकिन श्रीमती गांधी का कहना है 'नहीं, उन्होंने प्रदायक का पता लगाने के लिए बाध्य किया था। अब उन्हें प्रदायक देश का पता चल गया है। फ्रांस ऐसा प्रदायक देश नहीं है जिस पर कि निर्भर किया जा सके। उन्हें यह पता होना चाहिए कि कालपवक्रम में क्या हो रहा है। फ्रांस वहां विखण्डय पदार्थ भेजने के लिए बाध्य है। क्या उन्होंने वायदे के अनुसार ऐसा किया ? क्या वे अपने पैर पीछे नहीं हटा रहे ? हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि तारापुर में वे ईन्धन सप्लाई करेंगे ? यदि फ्रांस ही ईन्धन की सप्लाई नहीं करता तो हम अमेरिका से क्या आशा रख सकते हैं ? श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार के पास एक विकल्प था वह विकल्प यह था कि अपना मिश्रित आक्साइड ईन्धन प्रयोग करें। यदि श्रीमती गांधी की सरकार वास्तव में ही परमाणु क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए वचनबद्ध है, तो उन्हें एक काम यह करना होगा कि वह सदन में यह घोषणा करे कि कल मिश्रित आक्साइड ओक्स इन्धन की छड़े तैयार है और वे उसे रिएक्टर में लगाने जा रहे हैं।

यदि वह ऐसा कर सके और कहें, "हाँ मिश्रित आक्साइड इन्धन उपलब्ध है और एक दिन उसका उपयोग भी किया गया था "तो मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने किसी तरह का समझौता किया हैं। लेकिन ऐसा नहीं है।

मैं जानता हूं कि आपने मुझे बहुत अधिक समय दिया है। मैं अन्तिम प्रश्न पर आ रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि यह अन्तिम प्रश्न है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी— मैं अपनी बात बीच में नहीं बन्द कर सकता।

श्रीमती गांधी जहां भी जाती हैं, समाचार पत्रों में उसका पूरा ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन उन्होंने विदेशों में जो बातें कहीं उनमें से कुछ यहां कही गई बातों से भिन्न हैं। मैं ऐसा एक उदाहरण दूंगा। यदि वह इसका खंडन करती हैं, यह ठीक है। लेकिन यदि वह इसका समर्थन करती हैं, तो मेरे विचार से, यह बहुत खेद का विषय हैं। मैं 5 अगस्त, 1982 के "दि टाइम्स आफ इन्डिया" में प्रकाशित समाचार का उल्लेख कर रहा हूं। मैं उद्धृत करता हूं— "उन्होंने पिछले सप्ताह "न्यूयार्य टाईम्स" के श्री जेम्स रैस्टन को बताया कि धर्म-परिवर्तन की समस्या..."

मैं आणुविक परिवर्तन की बात नहीं बल्कि मीनाक्षीपुरम में हुए धर्म-परिवर्तन की बात कर रहा हूं—

> "बहुत सा अरब धन आ रहा है। और उन्होंने बहुत गरीब लोगों का, जिनमें अधिकांश हरिजन हैं और एक स्थान पर ईसाई भी हैं, धर्म-परिवर्तन कराने का प्रयास किया है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मत को स्वीकार करती हैं क्योंकि यह किसी ऐसे व्यक्ति का मत नहीं है जो मीनाक्षी गया हो। मैंने मीनाक्षीपुरम् का दौरा किया है। यह धर्म-परिवर्तन हरिजनों पर अत्याचार के कारण हुए थे और उसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है। यदि वह महसूस करती हैं कि अरब धन—जो प्रचुर मात्रा में आ रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है और यदि वह ऐसे काम को रोक पाने में समर्थ नहीं है तो अरब देशों के साथ उनकी मित्रता करने का क्या लाभ है। उनको उन्हें चले जाने के लिए कहना चाहिए। यदि वह कहती हैं कि वास्तव में, यह स्थिति है, तो उन्हें संदन में प्रमाण देने के लिए बढ़ना चाहिए क्योंकि हमने यहां यहां वाद-विवाद किया और सरकार ऐसा कोई मत देने के लिए आगे नहीं आई।

अंत में, उन्होंने अमेरिका में एक और बात कही उन्हें यह आशा थी कि संभवत: हम लोग उनकी इस टिप्पणी को नहीं पढेंगे, लेकिन वह जो कुछ कहते हैं हम सब कुछ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा—

> "आपातकाल इस लिए लगाया गया था क्योंकि उनके कानूनी सलाहकार और विधि मंत्री तथा अन्य लोगों ने सोचा कि केवल यही एकमात्र तरीका है "कि हम संविधान के अनुसार कुछ कर सकते हैं। श्रीमती गांधी ने इस बात से इन्कार किया कि आपात्तकाल के दौरान हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार किए गए तस्करों, डाकुओं और समाज विरोध तत्त्वों की संख्या भी बहुत अधिक थी।"

मैं चाहता हूं कि वह अपने गृह मंत्रालय की फाइलों को देखें। उनसे उन्हें पता चलेगा कि आँतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत 25000 राजनैतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया था, डी० आई० आर० के अन्तर्गत 35000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाखों लोगों को धारा 144 आदि का उलंघन करने पर गिरफ्तार किया गया। उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा लगता है कि वास्तव में प्रधान मंत्री अपनी सरकार के कार्यों पर ध्यान नही, देती अथवा वह जान-बूझकर जनता को गलत सूचना देती हैं।

अत: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश के आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों को छोड़ा जा रहा है, मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भगवान के लिए इस देश की भलाई के लिए पद त्याग कर दें।

श्री मगनभाई बारोट (अहमदाबाद) : मुझे ठीक डा० स्वामी के भाषण के बाद बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे इसका एक लाभ है जो कि मेरे अन्य मित्रों को नहीं मिलेगा कि डा० स्वामी को कभी भी गम्भीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। अत:, जो बहुत-सी बातें उन्होंने सदन में कही है, उनके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु चूंकि वह विपक्षी दल के नेता के रूप में बोले हैं, अत:, मैं उनकी मुख्य बातों का उत्तर देना चाहूंगा।

उन्होंने एक मुख्य बात यह कही है कि देश बड़ी तेजी से अपनी आत्म-निर्भरता खोता जा है अर्थात तारापुर के मामले में देश को बेंचा गया है और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मामले में हमने अपने अधिकारों को सदैव सदैव के लिए उनके हाथों सौंप दिया है।

मेरे विचार से जहाँ तक अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष का सम्बन्ध है। अविश्वास प्रस्ताव सहित इस मामले पर इस सम्मानित सदन में, कई बार चर्चा की जा चुकी है। तत्कालीन वित्त मन्त्री महोदय ने यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी थी कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिए गए अपने वचन में हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कि संविधान और हमारे चुनाव-घोषणा पत्र के प्रतिकूल हो। एक बार लोकसभा में, और दूसरी बार राज्य सभा में, दो बार हमारी प्रधान मन्त्री महोदया यह स्पष्ट वक्तव्य दे चुकी हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के साथ कोई शर्तें नहीं जुड़ी हुई हैं परन्तु वे फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण का ही राग अलाप रहे हैं। मेरे विचार से यह एक बेकार की बात है और इसके लिए किसी प्रकार के उत्तर की आवश्यकता नहीं है जबकि हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हमारी स्थिति क्या है।

जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के कारण हमारा ऋण बढ़ जायेगा और हमारी स्थिति और बिगड़ जायेगी, डा० स्वामी इस सच्चाई को न तो समझते हैं और न ही सराहते हैं कि तेल की खोज के मामले में देश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमने अपने तेल के संसाधनों के आयात में कमी कर दी है, जिसका मुख्य कारण है ह

अपने भुगतान सन्तुलन के घाटे को घटाना चाहते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों को धन्यवाद, जो आज हम आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। यदि हमें अपने भावी उत्पादन के कुछ आंकड़े देखना चाहें तो वे इस प्रकार हैं :- 200 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले हम 1982-83 में 295 लाख टन तेल का उत्पादन करने जा रहे हैं। 1983-84 में 213 लाख टन के मूल लक्ष्य के मुकाबले हम इसे 2638 लाख टन करने जा रहे हैं और 1984-85 में 216 लाख टन के वर्तमान लक्ष्य के मुकाबले हमारा इसे 2946 लाख टन करने का विचार है। मुझे पक्का विश्वास है कि इससे देश तेल के मामले में आत्म-निर्भर बन जायेगा और उससे हमें 5,000 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अतः देवताओं विनाश की भविष्यवाणी का भय बेकार सिद्ध होने जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आशा और प्रेरणा प्राप्त करने के लिए स्वामियों के पास जाते हैं। परन्तु हमारे बीच यहाँ एक ऐसे स्वामी बैठे हुए हैं जो कि विनाश की भविष्य-वाणी करते हैं। उनका कहना है कि हम नष्ट होने वाले हैं। इसलिए वे शायद यह उत्तर सुनने के लिए उपस्थित नहीं हैं कि उनकी भविष्वाणी सही नहीं है।

वह अकेले ही प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा का जिक्र नहीं कर रहे थे। वास्तव में श्री वाजपेयी जी इसके बारे में अधिक मुखर स्वर में बोल रहे थे। मैं यह तो नहीं जानता कि ऐसे मामलों में किसकी बात मानी है, परन्तु मेरे पास कम से कम एक ऐसे व्यक्ति का मत है जो कि सरकार या विपक्ष किसी के भी प्रति आसक्त नहीं है और वह है जापान के मुख्य मन्त्री।

मैं 6 अगस्त, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धरण दे रहा हूं जिसके अनुसार जापान के प्रधान मन्त्री ने भारत के प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा का स्वागत किया है :

"रात्रिभोज पर बोलते हुए, जापान के प्रधान मन्त्री ने श्रीमती गाँधी की सफल यात्रा के बाद भारत - अमरीकी सम्बन्धों के नये मोड़ का स्वागत किया और कहा 'यह न केवल भारत और अमरीका के लिए महत्वपूर्ण है अपितु समस्त विश्व के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।"

समाचार-पत्र में आगे कहा गया है :

"जापान के प्रधान मन्त्री महोदय ने भारत की नीति और अर्थव्यस्था के प्रबन्ध के लिए तथा उनकी 'एशिया और विश्व के नेता के रूप में असाधारण बुद्धिमता और सक्रिय योगदान की प्रशंसा की।"

इसमें आगे कहा गया है :

"सुजूकी महोदय ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को सशक्त बनाने के लिए, चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बधों में सुधार करने ने लिए तथा दक्षिणी एशिया के बीच क्षेत्रीय सहयोग की नवीन परिकल्पना को शक्तिशाली समर्थन प्रदान करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रयासों की अनुशंसा की।

उन्होंने कहा : मुझे विश्वास है कि इस सबसे, शान्ति को सबल बनाने, एशिया

और विश्व में स्थायित्व प्राप्त करने में योगदान मिलेगा ।"

इसके बारे में जापान के मुख्य मन्त्री का तो यह कहना है ।

अब मैं तीसरी दुनियां के कुछ मित्रों को-कुछ पत्रिकाओं और कुछ सम्पादकों को जिन्होंने प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा के बारे में कुछ दृटिप्पणियां की हैं, यहां उद्धृत करूंगा : ।- मैं दिवान बीरेन्द्रनाथ की विशेष रिपोर्ट से एक उद्धरण का उल्लेख कर रहा हूं जो कि अमरीका की यात्रा के दौरान उनके साथ गये थे । रिपोर्ट में कहा गया है :

> "जैसा कि **दी थर्ड वर्ल्ड डेली न्यूज**, वांशिगटन के सम्पादक श्री मोहम्मद हमादी ने इस संवाददाता को बताया 'यह सुनना कितनी प्रसन्नता की बात थी कि तीसरी दुनियां का एक नेता खड़ा होकर अमरींकियों की कुछ कड़वी सच्चाईयों को उनके ही मुंह पर बताए । श्रीमती गांधी ने फिलस्तीन और लेबनान के प्रति अमरीका की थोथी नीतियों का भण्डाफोड करने और इजराइल का अन्धाधुन्ध समर्थन करने के लिए उन पर कठोर प्रहार करने के लिए कोई शब्द—कृपणता नहीं दिखाई ।"

उन्होंने आगे कहा :

> "दूसरे, सियोनवादी आक्रान्ताओं और फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन जैसे मामलों पर श्रीमती गाँधी की उदघोषणाओं के माध्यम से भारत, जैसा कि श्री माकसूद अमरीका में अरबलीग के राजदूत ने मुझे बताया है "निरापद रूप से तीसरी दुनिया की सर्वाधिक विश्वसनीय, सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक सम्मानित स्वर' के रूप में उभरा है । इसी मत का श्री अहमद बुदावी ने भी समर्थन किया था जो कि अमरीका में फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के पर्यवेक्षक हैं, उन्होंने मुझे एक वार्तालाप के दौरान बताया कि भारत ने आधी दलित मानवता का अंतःकरण होने के नाते एक बार फिर अपनी स्थिति स्थापित कर ली है ।"

महोदय, यह सिद्ध करने के लिए कि हम आधी दलित मानवता के प्रवक्ता हैं, यह उत्तर है । हमारी प्रधान मन्त्री महोदया के सोवियत रूस के दौरे का यह परिणाम है ।

एक माननीय सदस्य : सोवियत रूस या अमरीका ?

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सोवियत रूस ।

श्री मगनभाई बरोट : महोदय, प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती हर कहीं सोवियत संघ ही सुनेंगे चाहे कुछ और ही क्यों न कहा गया हो ।

महोदय, मैं अब आगामी कुछ दिनों में अपने रिजर्व बैंक का गवर्नर बनने वाले जैसे व्यक्ति की आर्थिक समझ और उसके द्वारा की गई आर्थिक सराहना की बात करता हूं ।

एकोनोमिक टाइम्स को दिए गये एक साक्षात्कार में चहुओर व्यापी आर्थिक मन्दी और आर्थिक संकट, जिससे विश्व गुजर रहा है, पर विचार करते हुए डा० मनमोहन सिंह ने कहा है और मैं 12 अगस्त, 1982 के एकोनोमिक टाइम्स से उद्धरण देता हूं :

"समस्त विश्व ही गहन आर्थिक कठिनाई में फंस हुआ है। आयात मूल्यों, विनिमय दरों और मण्डियों की उपलब्धता के बारे में अनिश्चितता निरंतर बढ़ रही हैं। और इससे न केवल वृद्धिदर में गिरावट आई है अपितु अनेक देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में भी गिरावट आई है। इन सभी कारणों पर विचार करते हुए, गत दो वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि पर्याप्त संतोषजनक कही जा सकती है।"

महोदय, हम इसके बारे में कोई बहुत बढ़-चढ़ कर बातें नहीं कर रहे है, अपितु स्थिति ही ऐसी है।

कुछ मित्रों ने कुछ समस्याओं के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, विशेषकर इस बारे में कि वे अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए हैं। तीन वर्षों की अवधि में यह तीसरी बार हुआ है कि वे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमारी ओर से कांग्रेस पार्टी का यह रिकार्ड रहा है कि हमने केवल एक अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था और हमने इसलिए इसका समर्थन किया था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कोई मजाक तो है नहीं। 11 जुलाई, 1979 को जब हमने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था तो यहां जो सरकार बैठी थी उसने वाद-विवाद को बन्द करा दिया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के परिणामस्वरूप सरकार की छुट्टी हो जानी थी। परन्तु हम आज क्या देख रहे हैं ? हर बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि मैं ऐसा कहूं कि तुलना करने पर हम देखते हैं कि इसे स्थगन प्रस्ताव से भी घटिया ढंग से लाया जाता है। मैं घटिया ढंग इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि एक स्थगन आदेश को स्वीकार कर लिया जाता है तो कम से कम सभा की कार्यवाही तो स्थगित हो जाती है। फिर मामले पर विचार किए जाने के सिवाय कुछ नहीं किया जाता है। यहां सारी सभा ने अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया है सब कुछ हो चुका है, विधेयकों पर भी विचार हो चुका है। अतः उनको सभा की बैठक को तो एक या दो दिन तक और खींचने में तो सफलता मिली है जिसका भार तो राजकोष पर और भारत की जनता पर पड़ना है और वह भी केवल इसलिए कि वे कुछेक भाषण करना चाहते हैं।

जब अध्यक्ष ने यह कहा 'अब आपका समय समाप्त हो गया है।' तो श्री [illegible]र मुखर्जी कुछ शिकायत कर रहे थे। वह अधिक समय की मांग कर रहे थे। ठीक है, मैं [illegible]न मुखर्जी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह सबसे बड़े दल के नेता हैं। आप जानते हैं कि उस दिन इस सभा में जब विदेश मन्त्री महोदय एक वक्तव्य दे रहे थे तो आपने कहा था कि [illegible] यह नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण हमने आशा की थी कि आपको सबसे अधिक समय मिले, परन्तु आपने उसे इस सदन के सबसे छोटे ग्रुप के नेता को दे दिया और फिर

आपने शिकायत की कि आप को समय नहीं दिया गया था। यदि समय ने आपकी सहायता नहीं की तो यह उन्हें दे दिया गया और यह करना हमारी गलती नहीं है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शिकायत की है अटल जी हिन्दी बोलते हैं जो कि धारावाही कही जाती है। वे अपने आप कहें जाते है। यह याद रखना मुश्किल है कि वे क्या कह रहे हैं। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि उनके सहकर्मियों ने एक बार क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ढाई वर्ष बीत चुके हैं।

आधी जिन्दगी चली गई है, अब क्या है।

मैं उन्हें केवल वह याद दिलाना चाहता हूं जो कुछ उनके सहकर्मी ने आज से ढाई वर्ष पूर्व इस सदन में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहा था। ये श्रीमान जार्ज फर्नान्डीस थे जो कि उस प्रसिद्ध वाद-विवाद में भाग ले रहे थे और एक दिन तो उसमें उन्होंने सरकार का समर्थन किया और दूसरे दिन इसके विरुद्ध मतदान किया।

इस भाषण में उन्होंने सरकार की ओर से उद्योग मन्त्री होने के नाते उत्तर देते हुए कहा था और मैं 12 जुलाई 1979 की चर्चा से श्री जार्ज फर्नान्डीस को उद्धत करता हूं :

"महोदय, हम आज तक 2 वर्ष और 3 मास तक सत्ता में रहे हैं और हम हिमालय थोड़े ही हिला सकते थे। हम वह नहीं कर सके।"

वे हिमालय को नहीं हिला सके। वह तो 2 वर्ष 4 माह का समय था और यह दो वर्ष और 7 मास का। वे तो हिमालय को नहीं हिला सके, परन्तु हमसे उसे हिलाने की आशा की जाती है। यदि हम नहीं हिला सकते हैं तो फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी आकर कहते हैं— "आपने किया क्या है।" मेरा यह विनम्र निवेदन है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका अविश्वास प्रस्ताव में उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका उत्तर दिया जा चुका है। बिहार प्रेस विधेयक का मामला ही लीजिए। गृह मन्त्री महोदय कई बार कह चुके हैं कि मामला अभी राज्य के ही कार्यक्षेत्र के भीतर है। राज्य विधान सभा ने इसे पारित किया है और राज्यपाल को इसके बारे में पता है। श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे संविधान के वकील हैं। मैं उनसे पूछता हूं, मैं भी एक छोटा वकील हूं, कि वे मुझे संविधान के अन्दर एक भी ऐसा विधियक उपबन्ध दिखा दें जिसमें विधेयक के राज्यपाल के पास जाने से पूर्व, उसे संघीय प्रबन्ध के अन्तर्गत उसे यह या वह करने के निर्देश दिये जा सकते हैं। कृपया मुझे वह दिखाइये। पश्चिम बंगाल के बारे में सदैव यही कहा जाता है—"कृपया हस्तक्षेप न कीजिए। यह संघीय ढांचे और प्राधिकरण में हस्तक्षेप है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह....लेने के लिए केन्द्र के पास आया है। (व्यवधान)

श्री मगन भाई बारोट : आप भी अकेले व्यक्ति नहीं हैं क्योंकि आप एक वकील की भांति बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां केन्द्र के राज्यपाल को निदेश देना चाहिए। यह समवर्ती सूची में हे। यह केन्द्र के पास आना चाहिए।

श्री मगन भाई बारोट : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि हमें यह कहने का प्रयास नहीं करना चाहिये कि राज्य का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से केन्द्र की भूल होती है। ऐसा नहीं माना जा सकता है। विधिक प्रावधान भी तो है। राज्यपाल को मामले का पता है। उनके पास इसे विधान सभा के पास वापिस भेजने राष्ट्रपति के पास भेजने या अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने के सिवाय और कोई विकल्प ही नहीं है। भारत सरकार तो बीच में तभी आती है जबकि इसे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। परन्तु विपक्ष की कठिनाई यह है कि वे प्रधान मन्त्री के रूप में और कांग्रेस पार्टी की नेता के रूप में श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच भेद नहीं कर सकतें है। जो कुछ वे प्रधान मन्त्री से पूछना चाहते हैं हो सकता ,वह दल के नेता से पूछना उनके अधिकार में हो। मैं यह कहना चाहता हू कि आप राजनीतिक दलों के मामलों को किसी चर्चा में नहीं उठा सकते हैं। इसलिए हमारा निवेदन यह है कि इस प्रकार के मामलों को उठाकर जिन पर कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, विचार किया जा चुका है और उन्हें समाप्त किया जा चुका है, उन्हीं पर फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जा रहा है।

हम गांव के लड़के और भेड़िये की कहानी को तो जानते ही हैं। हम सभी उसे बचपन में सुन चुके हैं। एक दिन सवेरे-सवेरे उसने कहना शुरू किया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया जैसे कि हर समय विपक्ष के लोग कहते रहते हैं। लोगों ने समझा कि कोई गम्भीर मामला है और वे लाठियां और तलवारें लेकर उसकी सहायता को पहुंचे। परन्तु जब वे वहां पहुंचे तो उसने कहा कि वह तो मजाक कर रहा था। गांव के लड़के के मजाक की तरह अविश्वास प्रस्ताव भी मजाक बनकर रह गया है। अब वे यह कह रहे हैं कि यह वह तलवार है जिसको लेकर हम आपसे लड़ेंगे। यह एक ऐसी तलवार है जो कि स्त्री की उंगली को भी नहीं काट सकती है भगवान का शुक्र है कि भारत की प्रधान मंत्री एक महिला है जिसकी उंगलियां आप काट नहीं सकते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्रिद्रव चौधरी। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं वास्तव में बोलने के लिए अभी बुलाए जाने के लिए तैयार न था।

इस अविश्वास-प्रस्ताव के बारे में असल मुद्दा यह नहीं था इसे पारित किये जाने की आशा से लाया गया है। इसे तो वास्तव में आज देश की जैसी स्थिति है उसके प्रति विपक्षी दलों और जनता का विरोध प्रकट करने, रजिस्टर करने के लिए लाया गया है। इन तथ्यों के बारे में कोई सन्देह नहीं है कि जैसा कि सत्तारूढ़ दल दावे पर दावे करता है स्थिति वैसी है नहीं मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो कि यहां पर आर्थिक स्थिति के बारे में पहले ही कही जा चुकी हैं।

इस तथ्य के बारे में कोई सन्देह नहीं है कि केवल जनता सरकार के तीन वर्ष के शासन को छोड़कर देश कांग्रेस पार्टी के शासनाधीन रहा है और एक बार फिर कांग्रेस पार्टी गत दो वर्ष से सत्तारूढ़ है। वे नीति की उसी लकीर को अभी भी पीट रहे हैं जो कि देश को वर्तमान दयनीय स्थिति में लाकर पटक गई है। महोदय, एकाधिकार प्राप्त घराने और अग्रणी व्यावसायिक ग्रुप दिन दूने रात चौगने पनपे हैं। लाईसेंसिंग कमटी रिपोर्ट एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग प्रतिवेदन जैसे और बहुत से प्रतिवेदनों तथा विभिन्न अवसरों पर प्रश्नकाल के दौरान सरकार द्वारा उल्लिखित तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि एकाधिकार प्राप्त घराने फले-फूले हैं और फलते-फूलते रहे हैं। उनके मुनाफों में भारी वृद्धि हुई है और मेरे विचार से आम आदमी विशेषकर भूमिहीन और श्रमिक वर्ग, भूमिहीन किसान और निम्न मध्यम वर्ग के लोग तथा अन्य बुरी तरह कुचले गये है। उनकी गरीबी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है और ये ज्ञात तथ्य है और अभी तक इस स्थिति को बदला नहीं गया है। देश में भ्रष्टाचार को केवल संस्थानीय रूप दे दिया गया है, बल्कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जब कोई भी यह कह सकता है कि इसका लगभग राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। जब तब मुद्दे संसद में उठाये जाते रहते हैं, यिनसे उस विशाल रूप में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कम पता चल पाता है जो कि आज हमारे देश में फैल रहा है। कुओं तेल समझौते का मामला भी यहां उठाया गया है। थाल वैशेत मामला भी आ चुका है। परन्तु ये बड़े मस्ले हैं। हर छोटे कार्य के लिए, आम नागरिक जानता है कि देश में कहीं भी कोई काम कराने के लिए सरकार के कार्यालयों में, उन्हें सम्बद्ध छोटे-बड़े अधिकारियों की हथेली गर्म करनी पड़ती है। और अब वे स्वयं भी उस स्थिति से समझौता कर रहे। जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, यह तो स्थिति है। यदि इस रवैया को बदलना है तो नीतियों को बदलना पड़ेगा। परन्तु मुझे तो आशा नहीं है कि यह सरकार अपनी नीतियों को बदल पायेगी। इसीलिए एक बार फिर अपना विरोध प्रकट करने के विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया हैं।

इन शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री चरणसिंह (बागपत) : सभापति जी, मुझको यह मालूम हुआ है कि जब माननीय शुक्ला जी बोलने के लिए खड़े हुए थे, इत्तफाक से मैं चला गया था, उन्होंने मेरा जिक्र किया था किसी मामले में।... (**व्यवधान**) मैं अर्ज कर रहा था शुक्ला साहब ने फरमाया कि मैंने बहुगुणा जी को के०जी० बी० का एजेन्ट बतलाया था। यह बात गलत है। मुझसे यह बात 25 मार्च को जब मैं अस्पताल में बीमार था 1977 में, मुझसे मश्विरा करने के लिए गये थे कि 26 तारीख को शपथ श्री मोरारजी देसाई लेना है मिनिस्ट्री को आपकी क्या राय है तो उस बात के बीच उन्होंने ही खुद यह कहा था, जब कि बहुगुणा जी का जिक्र आया जो मेरे मुंह में बात रखी गई कि वह के० जी० बी० के एजेन्ट हैं, यह देसाई जी ने मुझसे कहा। और यही बात मैंने 29 सितम्बर को...

(व्यवधान)

अब उन्होंने सही कहा या गलत मुझे नहीं मालूम।...

कुछ माननीय सदस्य : कोई तहकीकाल नहीं की ?

श्री चरण सिंह : पता नहीं उन्होंने कोई तहकीकात की या नहीं...(**व्यवधान**) इधर-उधर जो लोग बैठे हुए हैं उन सबके हर प्रकार के भ्रष्टाचार की तहकीकात हो जाय, में तैयार हूं, मैंने हरगिज हरगिज यह बात अपने ओर नहीं कहीं ।

जहां तक आज के अवि:वास के प्रश्न का ताल्लुक है...

सभापति महोदय : इससे तो समस्या और ज्यादा व्यापक एवं गम्भीर हो गयी ।

श्री चरण सिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शोर मचाया गया और खुशी मनाई गई, तो मैं अर्ज करता हूं कि सारे मामले की तहकीकात हो जाए उधर से भी और यहां से लेकर वहां तक मैं अपने आपको भी शामिल कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : जनता ने फैसला दे दिया ।

श्री चरण सिंह : शोर मचाने से कोई काम नहीं बनता, ध्यान से मेरी बातसुनिये। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे आपको तकलीफ हो। मैं केवल नीतियों की बात करना चाहता हूं ।

दूसरी और तीसरी प्लान में प्लानिंग के 4 उद्देश्य रखे गये थे। पहला एकोनिमक डेवलपमेंट, गरीबी को मिटाना। दूसरा बेरोजगारी को न होने देना और जो है वह खत्म करना। तीसरा यह कि गरीब और अमीर का जो फर्क है, जो उस वक्त फर्क था उसको भी कम करना। गरीब और अमीर का फर्क बिलकुल मिट जाय यह नामुमकिन बात है, लेकिन जितना का किया जा सकता है उसको कम किया जाय। चौथा यह कि इस तरह की अर्थ-व्यवस्था हो, इकोनामी हो जिसमें डैमोक्रेटिक ट्रेंड और बिहेविवर अर्थात जनतांत्रिक व्यवहार हम करने लगे और जनतांत्रिक प्रवृत्तियां मजबूत हों। यह चार उद्देश्य रखे गये थे। दूसरी और तीसरी योजना में देखना यह है कि वह उद्देश्य कहां तक पूरे हुए ? मेरा विचार है कि वह उद्देश्य बिलकुल पूरे नहीं हुए ।

जहां तक गरीबी का ताल्लुक है अभी जो वर्ल्ड बैंक एटलस आयी है उसको देखने से मालूम होता है कि दुनिया के 125 देश ऐसे हैं जिनकी 10 लाख से ज्यादा आबादी है और पर कैपिटा इन्कम के लिहाज से हमारा नम्बर 123 है। 1964-65 में हमारा नम्बर इन्हीं दुनिया के देशों में 85वां था ।

सन 1973 में हमारा नम्बर 102 हुआ, बल्कि 102, 3, 4, श्रीलंका, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की एक ही इनकम थी। आप 102 मान लीजिए। आठ-नौ वर्ष में हमारा देश 17

पोजीशन नीचे गिरा।

अभी 1979 के मुताल्लिक जो रिपोर्ट आई है, उससे पता लगता है कि आज हमारा नम्बर 102 से घटकर 123 हुआ है। यह हमारी आर्थिक प्रगति हुई है जब कि पाकिस्तान और बंगला देश की आबादी को बढ़ने की रफ्तार हमसे ज्यादा है, उन्होंने अपनी पोजीशन को कामयाब बना दिया है, वही 103, 104 के आसपास है, या जो पोजीशन रही हो आज से 10 साल पहले। लेकिन हमारी पोजीशन बावजूद इस बात के कि हमारी पापूलेशन ग्रोथ जनसंख्या की वृद्धि की रफ्तार इन मुल्कों से कम है, हम आमदनी के लिहाज से की नीचे गिरते चले गये, नीचे गिरते जा रहे हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने एक बात 15 नवम्बर, 1980 को, हरिओम् मंडल एक संस्था है, उसका कोई उत्सव हो रहा था, उनको वहां व्याख्यान के लिए निमंत्रित किया गया था, या कोई और सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन कहती है कि देश बड़ा गरीब है, मुझे तो कोई गरीबी दीखती नहीं, सब पहले से अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, सबके चेहरे पर चमक है, लाली है, सबकी आंखों में रोशनी है। यह आपने फरमाया। यह आपकी अपनी रीडिंग है कि देश में बड़ी मालदरी है। बाद में कुछ दिन बाद शायद कुछ लोगों ने आपस में कहा कि यह बयान सही नहीं है, न लोग तनदुरुस्त हैं। आपने कहा कि गरीबी तो सभी देशों में हैं, अमेरिका में भी है योरुप में भी है, वहां भी कुछ लोग गरीब हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिए माननीय सदन के सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि गरीबी की परिभाषा हमारे यहां यह की गई है और सही की गई है प्लानिंग कमीशन ने कि जो आदमी मैनुअल वर्क करता है, अधिकर जो गांव के रहने वाले लोग हैं, जब तक उनको 2400 कैलोरी रोजाना पोषण तत्व नहीं मिलेगा और जो लोग नान-मैनुअल वर्कर हैं, इन्टलैक्चुअल वर्क वगैरह करते हैं, उनको 2100 कैलोरी पोषण तत्व नहीं मिलेगा तो गरीब समझे जायेंगे, गरीबी की रेखा से नीचे समझें जायेंगे।

1978 में हमारे यहां 52 परसेंट आदमी बिलो पावर्टी लाइन थे, उससे पहले 1972-73 में 48 परसेंट थे और अब 1981 के बजट सैशन के दौरान प्लानिंग मिनिस्टर ने जो एक सवाल का जवाब दिया, उसके हिसाब से 68 करोड़ आदमी में से 38 करोड़ 40 लाख आदमी पावर्टी लाइन के नीचे हैं यानी 55 परसैंट। तब से अब तक कीमतें बहुत बढ़ी हैं। जो सुविधा, खाने की वस्तु उस समय गरीब आदमी को हासिल हो सकती थी, वह आज नहीं हो सकती हैं।

माननीय बहुगुणा जी ने 2,3 चीजों का जिक्र किया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं बिला खौफ तरदीद यह कहने के लिए तैयार हूं कि 66 परसेंट आदमी ऐसे बदकिस्मत हैं इस देश में आज जिनको पोषक तत्व खाने को नहीं मिलता है। जो आधे-पेट रात को सो जाते हैं।

बच्चा भूख की वजह से रोता है, मां इस बात को जानती है, लेकिन खाने को नहीं दे

सकती। अपनी झुंझलाहट उतारने के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए बच्चे को थपककर सुलाना चाहती है। क्या आज इससे कोई इन्कार कर सकता है ? यह वाक्या है। आप पूर्वी यू०पी०, मध्य यू०पी० में जाइए वहां ज्यादा परसेंटेज पावर्टी लाईन से नीचे हैं। इसी तरह वेस्टर्न यू० पी०, हरियाणा और बिहार में जाकर देखिए, घरों में बहु-बेटियों, जवान बेटियों को देखिये, उनके पास सिवाय एक धोती के और कुछ नहीं है। घर में एक थाली है, एक बहिन खाना खा ले या कोई भी सदस्य खा ले तो दूसरे के खाने के लिए थाली मांजनी होगी।

1917 में चम्पारन में महात्मा गांधी गये थे, वहां से गुजरे तो इंडिगो प्लान्टर्स की हिन्दुस्तानी काश्तकारों के साथ ज्यादती हो रही थीं। उस स्थिति के अध्ययन के लिए महात्मा जी के साथ माता कस्तूरबा भी थीं। जिन गाँवों में होकर वह गुजरे वहाँ मरद, स्त्री, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठे हुए कि कोई व्यक्ति हमारी दुर्दशा देखने के लिए आया है महात्मा गांधी ने कस्तूरबा जी से कहा कि इनसे जाकर पूछो कि हम मान लेते हैं कि गरीबी है, लेकिन कपड़े मैले क्यों हैं, उन्हें धो ती सकते थे। माताजी ने महिलाओं से पूछा, लेकिन चुप। फिर पूछने पर भी उन्होंने संकोचवश जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने बताया कि कैसे कपड़े धोयें यही धोती है, जो पहने हुए हैं, जब तक यह फट न जाए, दूसरी न आ जाए, न नहा सकते हैं और न उसे धो कर सुखा सकते हैं। मुझे माफ करें, खास तौर से माननीया प्रधान मन्त्री जी और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से म कहना चाहता हूं कि बावजूद इस बात के कि 65 बरस इस बात को बीत गए हैं, आज भी बिल्कुल वही हालत है।

आपने अखबारों में पढ़ा होगा—तीन कालम की सुर्खी हैं –'पीपल **और ईटिंग ग्रास फार वांट ग्राफ फूड**।' और हमारी प्रधान मन्त्री जी को गरीबी दिखाई नहीं देती हैं। उनको ही नहीं, हममें से किसी को भी नहीं दिखाई देती है। हम तो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली की चकाचौध में हमें कहां गरीबी दिखाई देती है। जिन घरों या झोंपड़ियों में हम पैदा हुए थे, उन्हें हम भूल गये हैं और यहां आकर रहने सहने का हमने दूसरा स्टाइल अख्तियार कर लिया है। गरीबी का बुरा हाल है। इसके मिटने का कोई सवाल ही नहीं हैं।

बेरोजगारी के बारे में श्री बहुगुणा ने आंकड़े बताये थे। छः महीने पहले के सरकार के आंकड़े हैं कि 1·80 करोड़ नौजवानों के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज के रजिस्टर में दर्ज हैं। मार्च 1977 में, जब जनता पार्टी ने चार्ज लिया था, 102 करोड़ नाम थे। इन पांच सालों में वह तादाद बजाए घटने के बढ़ती चली गई है। न मैं आपको दोष देता हूं और न जनता पार्टी को, जिसके हाथों में दो ढाई साल पावर रही। दोष है हमारी गलत पालिसी का। मुझे बताया गया है कि कई डाक्टरेट पास, पी० एच० डी०, नौजवान हैं, जो चपरासी की नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन वह भी उन्हें नहीं मिलती है। ऐसे पोस्ट-ग्रेजुएट लड़के हैं, जो रोजाना की मजदूरी पर 7 रुपये की उजरत पर काम करते हैं। दो दिन बाद एम्पलायर कह देता है कि कल न आइए, हमें जरूरत नहीं है।

इसी सिलसिले में मैं एक और बात कहना चाहता हूं। जमींदारी का जिस तरह विनाश किया गया है उससे ग्रामीण समाज को, हमारे देहात को, नुक्सान हुआ है बजाए फायदे के।

इसमें गवर्नमेंट की तरफ से लापरवाही हुई और जमींदारों को इजाजत दी गई गरीब आदमियों को बेदखल करने की। मार्जिनल फार्मर्ज, सब मार्जिनल फार्मर्ज स्माल फार्मर्ज डंडे के जोर से हांक दिये गये। उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया सिवाय इसके मजदूरों की श्रेणी में अपना नाम लिखवा लें।

ज्यादा तफसील में न जाकर मैं कहना चाहता हूं कि 1951 में 70 प्रतिशत आदमी सीधे एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। फिशरीज और एनिमल हसबैंड्री में 2 प्रतिशत लोग थे। उस वक्त सैन्सस के मुताबिक उनमें से 58 किसान थे और 12,13 खेतिहर मजदूर थे। 1961 में किसानों की तादाद घटकर 51 रह गई और मजदूर बढ़कर 17 हो गए। इसके बाद 1971 में किसानों की तादाद और घटकर 43 रह गई, जब कि मजदूर 17 से बढ़कर 27 हो गये अभी 1981 में सैन्सस की पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मालूम हुआ है कि इस वक्त 40 किसान हैं और 30 एग्रीकल्चरल मजदूर हैं। 40 किसानों में 55 प्रतिशत वे लोग हैं, जिनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है। 4 बीघे पुख्ता से कम जमीन है। उसको तो मजदूर रखने की जरूरत नहीं है। उसके घर की ही श्रम शक्ति को काम करने भर के लिए जमीन उनके पास नहीं है। तो 40 में से निकल गये 55 प्रतिशत, 22 ऐसे किसानों को मजदूर की जरूरत नहीं है। जो स्माल फार्मर हैं या जिनके घर में जवान लड़के हैं काम करने के लिये उनको जरूरत नहीं है। तो अब ये 30 खेतिहर मजदूर कहां जांय?

इसी तरह से जो दस्तकार हैं वह सब खत्म हो गये। अंग्रेजों ने हमारी सारी काटेज इंडस्ट्रीज को करीब करीब खत्म कर दिया था लगभग तीन चौथाई को। सन् 31 की सैसन्स रिपोर्ट यह कहती है कि 74 प्रतिशत जो आर्टिजन थे, दस्तकारी का काम करते थे वह धीरे धीरे एग्रीकल्चर में चले गये, केवल 26 प्रतिशत अपने पेशे में रह गए। कोई लम्बी कहानी नहीं कहना चाहता। अंग्रेजों ने हमारी इंडस्ट्री को नष्ट किया अपने उद्योगपतियों के हक में। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं कि स्वराज्य होने के बाद भी दस्यकारों के साथ वही हुआ जो अंग्रेजों ने किया था। हमारे नेताओं ने अपने चुनाव लड़ने के लिए यह किया जिसका नतीजा यह हुआ कि गांव के सभी दस्तकार खत्म हो गये। अंग्रेज इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए लंकाशायर और लिवरपूल जो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और पक्का माल वहां से बनाकर यहां भेजते थे, जूट, काटन यह सब यहाँ से जाय और कपड़ा वहां से बनकर आए, इसके लिए यह सब कुछ किया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे 74 प्रतिशत दस्तकार खत्म हो गए।

आप शायद यह कहेंगे कि आप ऐसी बात क्यों कहते हैं कि दस्तकार कांग्रेस के जमाने में या हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद खत्म हो गए? तो यह कहने के लिए मेरे पास ठोस तथ्य हैं। सन् 55 में नेशनल सैम्पल सर्वे ने एक सर्वे किया। वह इस नतीजा पर पहुंचे कि 1 करोड़ 2 लाख कारीगर गृह उद्योग में लगे हुए हैं। गृह उद्योग की तारीफ उन्होंने यह की कि एक घर के चार से ज्यादा आदमी जिस में न लगे हों। यह तो नेशनल सैम्पल सर्वे के आंकड़े हैं। 1970-71 का जो सैन्सस हुआ उस में सरकार की तरफ से आदेश हुआ कि वह इसका भी हिसाब

लगावें कि काटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री में पहले कितने आदमी हुए हैं। मालूम हुआ है 1 करोड 2 लाख में से 63 लाख ही रह गए। अगर कोई नया उद्योग न लगाता, वही लगे रहते। तो 15 साल बाद 35-36 प्रतिशत जन संख्या बढ़ गई थी, तो वह 1 करोड़ 2 लाख की तादाद जो थी 1 वह करोड़ 38 लाख हो जाती। लेकिन 1 करोड़ 38 लाख की जगह रह गए 63 लाख। ये 75 लाख कहां गए? कोई जवाब है किसी के पास? ये सिर्फ इसलिए गए कि टाटा बिरला के कारखाने जो लगे उस काम को करने के लिए जो गरीब आदमी दस्तकार, छोटे छोटे कस्बे या गांवों में काम कर रहे थे, वह सब मार्जिनल फार्मर्स, छोटे किसान, बहुत छोटे सब-मर्जिनल फार्मर्स, मजदूर या जो लोग दस्तकारी में लगे हुए थे वे सब शहरों की झोंपड़ी, झुग्गियों में आ गए। उन्होंने सुना हुआ था कि बड़े बड़े कारखानों में नौकरी मिलेगी। 33-44 परसेंट बम्बई में हैं, 33 परसेन्ट कलकत्ते में हैं, 26 परसेन्ट आपकी दिल्ली में हैं, और 37 परसेन्ट कानपुर में हैं। यह पांच आल पहले के आँकड़े हैं।

अब आप बम्बई को देखें, जो 20 सालपहले बम्बई थी वह है अब? एक तरफ पच्चीस पच्चीस खण्ड के महल बने हुए हैं और उन के नीचे सड़कों पर गरीब आदमी पड़े हुए हैं। मैं माननीया प्रधान मंत्री से खास तौर से कहना चाहता हूं कि हमारी बहु-बेटियों के बच्चे सड़कों पर पैदा हो रहे हैं, दिल्ली में भी, बम्बई में भी, कलकत्ते में भी उन महलों के साये में। किसी ने जानने की कोशिश की है कि ये लोग कहाँ से आए? ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले कहां से आए? क्यों आए? व्याख्यान देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि गरीबी मिट रही है, देश बड़ी तरक्की कर रहा है, टैक्नालाजी की इम्प्रूबमेंट होनी चाहिए। महात्मा गाँधी की बात को माना नहीं गया। महात्मा गांधी हजार बार सारी उम्र यह कहते गए कि बड़ी फैक्टरी उस काम को करने के लिए अगर होगी जो छोटे पैमाने पर हो सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि अधिक सत्ता कुछ हाथों में केन्द्रित हो और और हमारे लड़के, हमारे नौजवान, हमारे वर्क्स, बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और नेचूरल रिसोर्सज कम हैं। मत नकल करो अमेरिका और यूरोप की।

अमेरिका यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहाँ नेचुरल साधन ज्यादा थे मुकाबले जन-संख्याके उन देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया अथवा अपना दास। वहाँ से अपने बडे उद्योगों के लिए कच्चा माल और कारखानों में काम करने वालों के लिए अन्न लाये। इस तरह से उन्होंने विकास किया। हम दोनों रास्तों में से हमारे लिए कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है। अमेरिका की नकल कैसे करेंगे। 22 करोड़ आबादी, बल्कि अब 70 करोड़ आबादी और 12 लाख वर्ग मील कुल जमीन आपके पास है। जमीन उनके पास हमसे तिगुनी है और आबादी आपकी उनसे तिगुनी है। उन के पास पर कैपिटा दस गुना जमीन हमारे मुकाबिले में हैं। तो आप उसकी नकल नहीं कर सकते। इसलिए गांधीजी ने कहा था कि हम लोगअमेरिका की नकल नहीं कर सकते।

रही पंडित जी की बात। ठीक है, उनके विचारों से सहमत रहा हूं, [illegible] थे, लीडर थे, आज इत्तफाक से नहीं हैं। उन्होंने दूसरी योजना तैयार होते समय जनवरी सन् 1955 में

कहा था कि देश का इंडस्ट्रीजअलाइजेशन होना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिएं। बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए और बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिएं...दैट अलोन मैटर्स, नथिंग एल्स। नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि···(व्यवधान) ··नतीजा यह हुआ कि सन् 50·51 से लेकर 77-78 तक जो ऐग्रीकल्चरल वर्कर और नान-ऐग्रीकल्चरल वर्कर की आमदनी का अनुपात था वह 1 और पौने दो से 1 और पौने तीन हो गया। यानी जो फर्क ऐग्रीकल्चरल और नान-ऐग्रीकल्चर वर्कर की आमदनी में था वह ठीक डबल हो गया क्योंकि कृषि की उपेक्षा की गयी। रही फैक्टी की बात, कहा जाता है, और यही सबूत दिया जाता है कि हमारे यहाँ तो यह भी चीज बन सकती है, वह भी बन सकती है। ठीक है—

बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि इसके नतीजे क्या निकले हैं ? नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड एकोनामिक रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार है गाँवों और शहरों के लोगों की आमदनी के बारे में। निम्नतम 5 परसेन्ट से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30और 90 से 100, इस तरह से गांव और शहर वालों की आमदनी की एक रिपोर्ट उन्होंने दी। बहुत अच्छी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को देखने से पता पड़ता है कि सन् 1976 में गांवों के 1 करोड़ 55 लाख कुटुम्बों की जो निम्नतम 20 फीसदी की श्रेणी में आते हैं, सम्पत्ती जायदाद 10 अरब 94 करोड़ की और टाटा और बिरला की 11 अरब 8 करोड़ तथा 11 अरब 70 करोड़ थी। यह हमारा हिन्दुस्तान बना है। मैं फिर दोहराता हूं—1 करोड़ 55 लाख गाँव के कुल परिवारों के कुल एसेट्स हैं 11 अरब, उनकी झोंपड़ी और बकरी की कीमत लगाकर और इन दो हाउसेज की 11 अरब 8 करोड़ और 11 अरब 70 करोड़। तो जहाँ दो परिवारों की आमदनी और एसेट्स 1 करोड़ 55 लाख परिवारों की आमदनी और एसेट्स से इतना ज्यादा हो, एक तरफ दो करोड़ परिवारों की आमदनी 11 अरब और दूसरी तरफ टाटा के हाउसेज की 11 अरब 8 करोड़ और बिरला के हाउसेज की 11 अरब 70 करोड़ तो वहाँ गरीबी खत्म होनेका सवाल क्या है ?

अब हम कहते हैं कि हम बड़े समाजवादी हैं, अमेरिका पूंजीवादी मुल्क है। लेकिन मुझे एक टेबल मिला था जो मैंने अपनी किताब में शामिल कर लिया है। ताजा आंकड़े हमारी प्राइम मिनिस्टर आर्डर दें तो हमारे एकोनामिस्ट लोग मालूम कर लेंगे, लेकि जो मुझे पुराना टेबल मिला उससे यह मालूम हुआ कि उच्च श्रेणी 20 प्रतिशत आदमी जो यूनाइटेड स्टेट्स के थे उनकी कुल इनकम 45.7 परसेन्टथी सन् 50 में और वह 43 प्रतिशत रह गई 59 में। अमेरिका के चोटी के 20 प्रतिशत लोगों का 1950 में राष्ट्रीय आय श्येयर 45.7 प्रतिशत था जोकि 1959 में घटकर 43 प्रतिशत रह गया। बीस प्रतिशत लोगों की जो 45 परसेन्ट आमदनी थी वह घटी लेकिन यहां पर क्या हुआ ? यहाँ पर उसके बिलकुल उल्टा हुआ। यहाँ पर जो टाप के बीस परसेन्ट मायदार आदमी थे, जिनकी कुल आमदनी 42 परसेन्ट थी 1953 सें 1957 के बीच में, वह बढ़कर 53 परसेंट हो गई 1967-68 में। इस तरह से जिस अमरीका को हम रोज गालियां देते हैं, वहाँ पर 20 परसेंट आदमियों की आमदनी घटती है और इस देश में टाप के 20 परसेंट लोगों की आमदनी बढ़ जाती है।···(व्यवधान) मुझे दस मिनट बोलने की और इजाजत दीजिए।

अब में और ज्यादा तफसील में न जाते हुए यह कहना चहूंगा कि पंडित नेहरू ने 1963 में अपनी नीति की गलती को तस्लीम किया था। जब तक कि वे 2600 करोड़ रुपये का अन्न बाहर से मंगवा चुके थे। पंडित जी ने 8 नवम्बर, 1963 को एन डी सी के सामने कहा था कि देश की तरक्की कृषि से होगी, औद्योगीकरण से नहीं होगी। जब 1965 से 1963 तक अपने तजुर्बों से देख लिया तब जाकर उन्होंने अपनी राय बदली और कृषि पर ज्यादा जोर दिया। उनकी स्पीच के एक्सट्रैक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं लेकिन वक्त की कमी के कारण उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूं।

11 दिसम्बर को लोकसभा में प्लानिंग पर बहस हुई, जिसको श्री कामत ने इनीशिएट किया, था उसमें भी विरोध पक्ष का तर्क यही था कि खरबों रुपये प्लानिंग में खर्च हो गए लेकिन लाखों-करोड़ो लोग और बेरोजगार हो गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ी नहीं और गरीब अमीर का फर्क बढ़ता ही रहा है। उस वक्त पंडित जी ने जो इस सम्बन्ध में कहा था वह रिकार्ड में मौजूद है :

"मैं अब महात्मा गाँधी की विचारधारा पर और अधिक सोचने लग गया हूं। मैं आधुनिक मशीनों का प्रशंसक हूं। मैं चाहता हूं कि सर्वोत्तम मशीनरी और सर्वोत्तम तकनीकों का प्रयोग किया जाय। लेकिन आज की भारत की परिस्थितियों कों देखते हुए, हम जितनी भी तेजी से आधुनिक युग में आगे बढ़े, लेकिन सच्चाई यही है कि इससे अधिकाँश लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है और आगे भी काफी समय तक लाभ नहीं मिल पाएगा। हमें कुछ और उपाय अपनाने होंगे, जिससे कि वे भी उत्पादन में भागीदार बन सकें। चाहे इसके लिए उत्पादन करने वाले यंत्र, आधुनिक तकनीकों के बराकर कुशल न हों।"

उन्होंने 11 दिसम्बर 1963 को लोकसभा में कबूल किया कि योजना से कुछ एक हाथों में भारी पूंजी नहीं जमा होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार और योजना आयोग इस पूंजी के जमा होने को रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने में असफल रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में और कारगार कदम उठाए जायेंगे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

1964 में पंडित जी नहीं रहे लेकिन उनकी तीनों बातें क्लियर हो गयी कि इस देश का डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्सन पर जोर देने से, किसानों के हाथ में पैसा आयेगा, उनके पास क्रय शक्ति आयेगी अन्न आदि के अतिरिक्त उद्योगों से बने हुए सामान की मांग बढ़ेगी।

जब टेंसपोर्ट, इंडस्ट्री, पावर और रोड इत्यादि सब चीज पैदा हो जायेगी। मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं, जब कभी हम कृषि की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि चरणसिंह की पार्टी दखियानुसी लोगों की है, चाहते हैं कि सब लोग खेती करते रहें। नहीं—खेती की प्रोडक्शन पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि नान-एग्रीकल्चर वर्कर्स की तादाद बढ़े और किसान की तादाद घटे। जितना दूसरा पेशा करने वाले लोगों की तादाद वढ़ेगी, उतना ही देश मालदार होगा। लेकिन नान-एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तभी होखा, जब पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाए दूसरे उद्योग धन्धों में पैदावार बढ़ता है तो उसमें वर्कर्स बढ़ जाते हैं और कृषि में पैदा-

बःर बढ़ती है तो काम करने वाले कम होने चाहिए। इसलिए हमारे देश का उद्देश्य यह होना चाहि कि प्रोडक्शन फी एकड़ बढ़े, लेकिन (खेतों में काम करने वालों की तादाद प्रति) एकड़ घटे और वह दूसरे पेशों में जायें, तभी देश मालदार होगा। देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बारे में कोई अर्थशास्त्र की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह देख लीजिए कि खेत पर काम करने वालों का प्रतिशत घट रहा है या नहीं।

आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 72 प्रतिशत आदमी कृषि में लगे हुए हैं। 72 परसेंट सन् 1951 में भी थे। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सन् 1911 में 72·3 परसेंट और सन् 1921 में 73·0 परसेंट ··(**व्यवधान**)···आपको परेशानी हो रही, तो मैं सन् 51 पर आ जाता हूं···(**व्यवधान**) जवाब हो तो ठीक है, नहीं तो शर्म महसूस कीजिए ··(**व्यवधान**)···आपकी कुछ समझ में आए या नही समझ में आए··· (**व्यवधान**) ···हिन्दुस्तान में सन् 51 में 72 प्रतिशत आदमी कृषि में लगे हुए थे, सन् 1961 में 71·94 परसेंट, सन् 1971 में 72·01 परसेंट। टाटा बिरला जैसे 38 बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बेशक अरबपति हो गये। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर जितनी जनसख्या थी, उतनी ही है। देश तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक कि खेती की पैदावार बढ़ाने पर जोर नहीं दिया जाए और बड़े उद्योग पर रोक न लगाई जाए और जो चीज हाथ से छोटे पैमाने पर बन सकती है, उसको बड़े बड़े कारखानों में न बनने दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और साथ ही साथ दोस्तों को भी कि ध्यान उन्होंने से सुना।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : सभापति महोदय, मैं इस वाद-विवाद में किन्ही व्यक्तियों विशेष पर चर्चा करने हेतु, भाग लेना चाहता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चौधरी साहब ने योजना, योजना प्राथमिकताओं तथा निर्धनता के प्रश्न से संबंधित कतिपय मामलों की चर्चा की। मैं नहीं जानता कि उन्हें यह सूचना कहाँ से मिली है कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि देश में निर्धनता नहीं है। सम्भवत: हाल ही के समय में भारत में निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष सबसे पहले उन्होंने ही आरम्भ किया हैं। कुछ वर्गों में निर्धनता हो सकती है। हम उससे इन्कार नहीं करते। गरीबी मिटाने का दावा करना तो संभव नहीं है, परन्तु हम यह दावा अवश्य करते हैं कि भारत में पहली बार गरीबी मिटाने का निश्चय अगर किसी दल ने किया है तो वह कांग्रेस दल है, कोई और नहीं।

चौधरी साहब को आंकड़ों का बहुत शौक है और उन्होंने कुछ आंकड़े प्रस्तुत भी किए हैं और उनसे एक ऐसे दर्शन को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है जिससे सहमत होना कठिन है। निर्धनता, निसन्देह मौजूद है। निर्धनता तो है परन्तु इसे कैसे समाप्त किया जाए, यह निश्चय ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम पहले की भाँति समाज को परम्परावादी रखकर गरीबी मिटा सकते हैं? नहीं। कृषि को अवश्य ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे सभी सहमत हैं और यह कहना उचित नहीं है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कृषि के बारे में केवल 1963 में आकर

सोचा। मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि यह बात कुछ त्रुटिपूर्ण है। मैंने नागपुर कांग्रेस में, जब कृषि के विकास हेतु सहकारिता आन्दोलन को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जा रहा था, 'कृषि का विकास कैसे किया जाय।' इस सम्बन्ध में पंडित जवाहर लाल नेहरू और चौधरी साहब को झगड़ते देखा है। अतः पंडित जवाहर लाल जी प्रारम्भ से ही कृषि विकास के पक्षधर थे। भारत में योजना के बारे में यह सोचा गया कि उद्योग और कृषि का विकास साथ-साथ किया जाए। परन्तु एक बात और विचारणीय हैं अर्थात यदि कृषि का विकास करना ही है तो यह औद्योगिक विकास के साथ ही हो सकता है। आज हम देश में देखते हैं कि औद्योगिक विकास के बिना कृषि विकास भी नहीं हुआ होता। अतः हमारा चौधरी साहब से मतभेद है।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह : मैं आपकी इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूं...

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे समाप्त करने दीजिए। यहीं पर हूं। मैं कोई हार मानने वाला नहीं हूं।

(व्यवधान)

मैंने आपको बहुत ही धैर्य से सुना है। अब आप भी मुझे धैर्य से सुनें।

जब दूसरी योजना बनाई जा रही थी, मुझे याद है मैं एक लम्बे समय तक राज्य प्रशासन में रहा हूं, मुझे याद है मैं जब वित्त मंत्री था, तब मैंने योजना आयोग की बैठक में यह घटना सुनाई थी। जब दूसरी योजना बन रही थी। पंडित जवाहर नेहरू बम्बई आए तब उन्होंने दूसरी योजना के बारे में बताया।

दूसरी योजना में प्रमुख बुनियादी उद्योगों को प्राथमिकता देने का विचार था। उस समय इसी पर विचार किया जाना था परन्तु हमारे देश में पहली बार बुनियादी उद्योगों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा था। मैं भी गाँव का रहने वाला हूं, मैं सम्भवतः उतना ग्रामीण नहीं समझा जाता जितना चौधरी साहब। अतः जब वह मन्त्रियों के साथ आत्मीयता से चर्चा कर रहे थे, तब मैं कनिष्ठ मन्त्री था तथा तब मैंने उनसे वही प्रश्न पूछा जिसे आज चौधरी साहब उठा रहे हैं कि क्या प्रमुख उद्योगों पर जोर देने से, क्या आप यह नहीं सोचते कि कृषि को नुकसान उठाना पड़ेगा ? उन्होंने कहा 'युवक' आप नहीं जानते। यदि आप परम्परागत ढंग से कृषि को चलाना चाहते हैं तो आप प्रगति नहीं कर सकते। परन्तु जब तक देश में आप बुनियादी उद्योगों की स्थापना द्वारा कृषि का विकास नहीं करते तबतक आप कृषि का आधुनिकीकरण नहीं कर सकते। तथा उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। यदि आप सिंचाई सुविधाएं चाहते हैं तो आपको बड़े-बड़े बान्ध बनाने होंगे। यदि आप कृषि जीवन में नई जान फूंकना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही ग्रामीण विद्युतीकरण करना होगा। आप पिछले 25 वर्षों में बिल्कुल यही हुआ है। केवल आँकड़ों को उद्धृत करने से कुछ नहीं होता। आज देश में बहुत अधिक कृषक हैं। हम इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि कृषि क्षेत्र में जनशक्ति बहुत है। मैं उससे इन्कार नहीं करता। इसमें अनेक

कठिनाइयाँ भी हैं। केवल उद्योगों की स्थापना से ही उनको दूर किया जा सकता है, समृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। लघु उद्योगों या ग्रामीण उद्योगों में सुधार से कोई इन्कार नहीं करता। प्रारम्भ से ही ग्राम उद्योगों और लघु उद्योगों पर वल दिया गया हैं। परन्तु आज जब बुनियादीं उद्योगों का विकास हो गया हैं और आरत भारत की गिनती एक ऐसे देश के रूप में की जाती है जो संकट के कठिन समय में खड़ा रह सकता है। इसका कारण यही है कि हम देशमें भारी उद्योगों की स्थापना करने में सफल रहे हैं। इस बात को नहीं भुलाया जा सकता कि यह महानतम योगदान है।

कुछ हाथों में धन के केन्द्रित हो जाने के बारे में चौधरी साहब ने कोई नई बात नहीं कही है। सातवें दशक में जब स्वयं कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया तब कहा—आर रिकार्ड में कांग्रेस के ऐसे कई संकल्प मौजूद हैं जिसमें कहा गया है कि धनी और धनी तथा निर्धन और निर्धन बनते जा रहे हैं, और इसी के आधार पर कांग्रेस वालों ने अपने कार्यक्रम बनाए। यह प्रक्रिया अभी जारी है। मैं इससे इन्कार नहीं करता। परन्तु इसका हल वह नही है जो आपने बताया है। आपने निर्धनता को स्थिति का कुछ हद तक सही उल्लेख किया है। मैं आपसे इस पर सहमत हूं। परन्तु आपने जो सुझाव दिए हैं, वे देश को 200 वर्ष पीछे ले जाने वाले हैं। अतः वे सुझाव हमें स्वीकार नहीं हैं। चौधरी साहब मैं आपको बता दूं कि भारतीय किसान आप से अधिक जानते हैं। आप कृषकों के प्रवक्ता बनने का प्रयास करते हैं। हम भी किसी हद तक कृषकों के प्रतिनिधि होने का दावा कर सकते हैं। यदि आप स्वयं अपनी आंखों से उन कुछ गाँवों को देखें जहाँ सिचाई हेतु पानी पहुंच गया है, लघु उद्योग पहुंच गए हैं तो आप पायेंगे कि वहाँ स्थिति बेहतर है।

हमारा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि निर्धनता मिटा दी गई है। हम भी स्वीकार करते हैं कि निर्धनता मौजूद है और हमारा संघर्ष मुख्यतः निर्धनता के विरुद्ध होगा। हमारे दल के यही उद्देश्य हैं। श्री चरण सिंह वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। कृपया इसे गलत मत समझिए। हम आपसे कुछ बुनियादी मामलों पर मतभेद रखते है···

(व्यवधान)

श्री भीकूराम जैन (चान्दनी चौक) : मतभेदों की अनुमति नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पुनः इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हुए, मैं अवश्य यह कहना चाहूंगा कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहुत गम्भीर बात होती है। संसद के हाल में यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्ति है। इसका प्रयोग इतने हल्के ढ़ंग से नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरह से अब किया गया है। वास्तव में वर्तमान वादविवाद इस सत्र के अन्तिम दिन का मनोरंजन सा बन गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का मुद्दा क्या था? क्या इसके पीछे कोई गंभीरता थी स केवल राजनीतिक निराशा के कारण उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है क्योंकि सभा में

पिछले पांच या छः सप्ताहों में जितने मामलों पर भी चर्चा की गई उनमें से किसी के बारे में भी वे सभा को आश्वस्त नहीं कर सके। सभा ने उनसे भिन्न निर्णय लिया देश ने उनसे भिन्न निर्णय लिया। अब आप हमें यहां 'सत्ता छोड़ने' के लिए कहते हैं। क्या आप सचमुच इस संबंध में गंभीर हैं। यह एक बहुत बड़ा मजाक है। मैं जानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है। जनता पार्टी के शासन में पेश किया गया था। यह एक गंभीर मामला होता है। कृपया इस बारे में सोचिए। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का क्या उद्देश्य है ? क्या आप सरकार की बुनियादी नीतियों को चुनौती देने की स्थिति में हैं। आर्थिक नीतियों विदेश नीति, आन्तरिक नीति, बाह्य स्थिति क्या आप इनमें से कि को चुनौती दे सकते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त राव चव्हाण मैं झुकने वाला नहीं हूं।

आंतरिक समस्याओं के सम्बन्ध में मैं ने आपको बताया है कि योजना प्रक्रिया ने भारत में स्थिति ही बदल दी हैं। हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, हमें अधिकाधिक मौलिक दृष्टिकोंण अपनाना होगा। काम करने के समाजवादी ढंग के बारे में सोचिए। हम निश्चय ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें अभी बहुत दूर जाना है। यात्रा लम्बी और कठिन है। परन्तु आज जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाना आवश्यक है वह यह है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें इस बुनियादी बात का ध्यान रखना होगा।

जहां तक आर्थिक अथवा आन्तरिक नीतियों का संबंध है, सम्पूर्ण विश्व स्फीति की समस्या का सामना कर रहा है। हम एक ऐसे विश्व में रह रहे हैं जो स्फीति की समस्या से ग्रस्त है। इससे धनी और निर्धन सभी देश ग्रस्त हैं। धनी देश संभवतः इससे बच सकते हैं। हमारी अपनी कठिनाइयां हैं।

जब सरकार ने इस का हल ढूंढने का प्रयास किया तब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के धन के बारे में होहल्ला किया जाने लगा" अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इसी प्रकार के संस्थान विश्व की समृद्धि हेतु हैं। यह युद्धोत्तर काल की एक नई किस्म की देन हैं। यह एक नई और महत्वपूर्ण बात है। परन्तु मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जब कभी हम निकायों के पास जाएं हमें अत्यन्त सावधान और सतर्क होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कई बार उनके बारे में अत्यन्त सावधान होना होगा। परन्तु जब इसकी आवश्यकता हो, तब केवल आत्म-निर्भरता की बात करना तथा देश के विकास हेतु आवश्यक सहायता को छोड़ने का प्रयास करना, सहायता लेने से इन्कार करना कोई आत्म निर्भरता नहीं होगी बल्कि स्वयं-भूखों मरने की बात होगी जो हम नहीं कर सकते। हमें अपनी सर्वप्रभुत्ता का ध्यान रखना होगा। हमें 'क' 'ख' या 'ग' द्वारा इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। यह उस दल द्वारा किया जा रहा है जिसने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया। इसे भले-बुरे की बहुत अच्छी पहचान है।

विदेश नीति के बारे में कृपया हमें बताइये हमारी विदेश नीति में क्या बुराई हैं। आप इसमें कोई ठोस दोष नहीं निकाल सके हैं। निस्सन्देह, आपने कई बातों को दोहराया है। परन्तु आप हमारी विदेश नीति में कोई ठोस दोष ढूंढ़ पाने में सफल नहीं हुए है। यदि आप विश्व की वर्तमान स्थिति को देखें तो आप पायेंगे कि यह युद्ध और शान्ति के वातावरण से भरी हुई है। आज देश को इस स्थिति से बचाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : युद्ध के वातावरण से, शान्ति के नहीं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं विश्व-स्थिति की बात कर रहा हूं। चूंकि युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसलिए शान्ति का ख्याल रखना होगा। मैं इस अर्थ में बोल रहा हूं। यदि हम दो महाशक्तियों के इलावा, विश्व की ओर दृष्टि डालें। यदि आप विश्व के किसी भी देश नीति पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि तृतीय विश्व में केवल भारत की नीति सही है जो कि वर्तमान खतरनाक स्थिति से निकलने का उत्तम तरीका है। आज निर्गुट-आन्दोलन में कतिपय अन्तर्विरोध हैं; निर्गुट आन्दोलन में कतिपय प्रभावक-गुट बनते जा रहे है जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वर्तमान स्थिति में सौभाग्य वश भारत ही एक ऐसा देश है जो कुछ रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता है। उसे निर्गुट विश्व ने भी स्वीकार कर लिया है।

आज विश्व में जब भारत की यह स्थिति है तब आप लोग आकर कहते हैं "त्यागपत्र दो, हमारा आप में विश्वास नही है।" आपके विश्वास की किसे चिन्ता है? यह बिल्कुल……

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि शासक दल की यह नीति है।……

(व्यवधान)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आज एशिया और अफ्रीकी देशों में जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखा जाना है वह है……

(व्यवधान)

आज केवल भारत में स्थिर सरकार है और अतीत में भी केवल भारत में ही रही है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यह हम नहीं कहते हैं, अतः भारत को बहुत बड़ी भूमिका अदा करनी है क्योंकि भारत ने औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में आवश्यक संसाधन जुटा लिया है। इसने राजनीतिक दृष्टि से भी विश्व में अपनी स्थिति बनाई है। अतः आज हम न केवल भारत में, अपितु विश्व में, शान्ति के लिए योगदान करने की स्थिति में हैं। इस तथ्य से कदापि इन्कार नहीं किया जाना चाहिए।

अतः मैं यह कहता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव किसी महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषय पर

नहीं है। आप क्योंकि एक व्यक्ति को नहीं चाहते श्रीमती गांधी को नहीं चाहते इसका यह अर्थ नहीं है कि आप को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है। यह एक व्यक्ति विशेष के प्रति दुराग्रह है।······ (व्यवधान)

मैं इस प्रकार का आदमी नहीं हूं। मैं सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाता हूं और यह महसूस करता हूं कि वह देश का सही नेतृत्व कर रही हैं। इसीलिए उनका समर्थन कर रहा हूं······

(व्यवधान)

मैं सभी व्यवधानों का उत्तर नहीं देना चाहता।

(व्यवधान)

मैं कोई लम्बा भाषण भी नहीं देना चाहता। श्री चौधरी ने जो मुद्दे उठाये हैं वे निश्चय ही हमारे इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। कि पिछले 30 वर्षों से चली आ रही योजना प्रक्रिया ने भारत को बचाया है और उसे सही दिशा दी है और यह अविश्वास प्रस्ताव एक निरर्थक चीज है जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, सरकारी पक्ष का जहां तक सम्बन्ध है आज के वाद-विवाद की नोट करने योग्य विशेषता यह लगती है कि सरकार ने आज उन भूतपूर्व मंत्रियों को को मैदान में उतारा है जिन्होंने किसी न किसी कारण अपना पद खो दिया था। आज वे परीवीक्षा पर लगते हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और मैं समझता हूं कि वे मंत्री उचित समय पर बोलेंगे जो परीवीक्षा पर नहीं है।

महोदय, मुझे यहां अपने मित्र श्री गाडगिल द्वारा उठाए गए एक मुद्दे का उत्तर देना है।

(व्यवधान)

श्री गाडगिल को, जो कि, मैं जानता हूं, एक विद्वान व्यक्ति हूं, इस प्रकार की गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी अर्थात उन्हें भारत के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना सोवियत संघ से नहीं करनी चाहिए थी। प्रधान मन्त्री शीघ्र ही वहाँ जाने वाली हैं। यदि वह यह समझती हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है अथवा मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं। वह सही है तो बेहतर यही होगा कि वह जब सोवियत नेताओं से मिलें तो इस सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांग लें।

राष्ट्रपति ब्रेझनेव······

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उससे क्या होगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लगा यह······

सभापति महोदय : आप अपनी बात कहिये—

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह क्यों बोले ?

सभापति महोदय : इधर-उधर से जो पूछा जाए उसमें आप मत उलझें। आपका ही समय बरबाद होगा।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने 1310 लाख टन का उत्पादन किया जिसकी तुलना कुछ वर्ष पहले के उत्पादन से करके हमें निश्चय ही गर्व होता है। भारत ने जहाँ 68 करोड़ जनसंख्या यह 70 करोड़ या 68 ही हो सकती है, के लिए 1310 लाख टन उत्पादन किया है, वही हाल ही में राष्ट्रपति ब्रेझनेव द्वारा सोवियत संघ के साम्यवादी दल की कांग्रेस को प्रस्तुत सरकारी प्रतिवेदन में, जिसे मुझे आशा है कुछ मंत्री तो अवश्य ही पढ़ते होंगे, दावा किया गया है कि वे 26 करोड़ लोगों के लिए पिछले पांच वर्षों से प्रति वर्ष औसतन 2050 लाख खाद्यान्न (**व्यवधान**) का उत्पादन करते आ रहे हैं।

आपको क्यों रंज हो रहा है ? आप मदद के लिए क्यों दौड़ रहे हैं ? यदि उन्होंने गणना की होती और प्रति व्यक्ति उपभोग की तुलना की होती तो वह बेहतर होता और......

एक माननीय सदस्य : उपलब्धता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निस्सन्देह, उपलब्धता जब आपकी अपनी सरकार यह कहती है कि लगभग 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, जिसका अर्थ हुआ उन्हें खाने के लिए पर्याप्त नहीं मिल रहा है तब यह कहने का क्या लाभ है कि हम 1310 लाख टन का उत्पादन कर रहे, है, कि अन्य देशों के लोगों की आदतें भिन्न हैं। वहां लोग केवल खाद्यान्न पर निर्भर नहीं रहते। वे उच्च प्रोटीन खाते हैं। खाद्यान्न के अतिरिक्त वे लोग मछली, मीट और दूध उत्पादों को खाते हैं, अन्य जो कुछ उपलब्ध होता है उसे खाते हैं। इस प्रकार की तुलना आपत्तिजनक है और श्री गाडगिल जी आपको यह पता होना चाहिए की वे खाद्यान्न का अधिकांश आयात से पशुओं के चारे के लिए करते हैं। सोवियत संघ में मक्के का आयात पशुओं के चारें के लिए किया जाता है मनुष्यों के लिए नहीं। आपको पता होना चाहिए।

(व्यवधान)

यह ठीक है। यदि आप यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि आप सोवियत संघ के लोगो से कहीं अधिक बेहतर हैं तो आपका शेखी बधारने के लिए स्वागत है क्योंकि इसका प्रचार विश्व भर में होगा।

निस्सन्देह हमारी प्रधानमन्त्री शीघ्र ही मास्को जाएँगी। उन्हें वहां उनके साथ मात्र विचार विनिमय तथा आंकड़ों के आदान-प्रदान का मौका मिलेगा। परन्तु चूंकि श्री गाडगिल ने यह टिप्पणी की, इसलिए मुझे इसका उत्तर देना पड़े क्योंकि यह टिप्पणी सही नहीं

थी।

(व्यवधान)

दूसरे, हमारा यह विचार है कि यदि संसद को जैसा कि हमने कई बार माँग की थी, छठी पंचवर्षीय योजना पर, जिसका यहाँ कई बार उल्लेख किया जा रहा है और जिसकी विभिन्न व्याख्याएँ की गई है, मसौदे की अवस्था में अथवा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् विचार करने की अनुमति दी जाती तो सदस्यों का बहुत सा श्रम बच जाता में इस सभा में 1980 से हूं और मैं पहली बार यह अनुभव कर रहा हूं कि संसद को पंचवर्षीय योजना पर विचार नहीं करने दिया गया है जबकि आम तौर पर इस पर मसौदे की अवस्था में विचार किया जाता रहा है ताकि सरकार योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद यहां व्यक्त किए गए विचारों से लाभ उठा सकें।

परन्तु ऐसा प्रती होता है कि इस बार समय नहीं निकाला जा सका और दुर्भाग्यवश यह वाद-विवाद उस वाद विवाद का स्थान नहीं ले सकता। हमारे मत में इस देश में भ्रष्टाचार का मुख्य श्रोत तथा उच्च मूल्यों में वृद्धि का कारण हमारी अर्थव्यवस्था में परिचालित काला धन है।

इस काले धन की अपार राशि के एक छोटे से हिस्से को, [हिम शैल के एक छोटे से भाग को श्री वेंकटारमन ने जब वह वित्त मन्त्री थे अपनी आश्चर्यजनक धारक बांड योजना के द्वारा जोकि काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का तथा काले धन प्रचालकों को किसी दण्ड से मुक्ति दिलाने का प्रयास था, हाथ लगाया था अथवा हाथ लगाने का प्रयास किया था। हम सब इसके बारे में जानते हैं। परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि यदि एक काले धन का प्रचालक बांड के बदले में अपने काले धन की एक छोटा सी राशि दे देता है तो वह काले धन का प्रचालक नहीं रहा। वह गलत तरीके से हासिल की गई अपनी पूंजी के एक बड़े भाग को कभी भी प्रकट नहीं करेगा और वह अपने पुराने घृणित कार्यों को जारी रखेगा। अब यही हो रहा है। श्री वेंकटारमन उनके धन का एक छोटा सा भाग प्राप्त करके प्रसन्न हो सकते है। परन्तु इससे अर्थव्यवस्था में परिचालित करोड़ों रुपये के काले धन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। जब तक यह विख्यात समानान्तर अर्थव्यवस्था बनी रहेगी तब तक भ्रष्टाचार उच्च मूल्य वृद्धि और बाजार में कृत्रिम अभाव ती स्थिति को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता।

मैं इस सरकार की आलोचना या निन्दा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि वे बिल्कुल काले धन की कृपा पर हैं। वे अपने चरित्र तथा स्वभाय की वजह से काले धन तथा काले धन चालकों के विरुद्ध संगत तथा घातक संघर्ष न छेड़ने के लिए तैयार हैं और न ही छेड़ सकते है। अत: महोदय, क्या मैं हाल ही में प्रकाश में आई उन कुछ बातों का जिनकी मेरी राय में और अधिक गम्भीरता से आगे जांच कराने की आवश्यकता है, उल्लेख कर सकता हूं।

अब कुओं आयल के बारे में, जिस पर यहाँ चर्चा की गई है और अनेक प्रश्न अनुत्तरित

रह गए हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हू कि जब उन्होंने सरकारी तौर पर उत्तर दिया तब क्या उस समय उनका इरादा उन कई प्रश्नों की गम्भीरता से जांच कराने का था जो यहाँ उठाए गए हैं और अनुत्तरित रह गए हैं। उदाहरण के लिए मेरे विचार में स्वयं अरुण शौरी ने जिनकी अनवेषक योग्यता ने वस्तुस्थिति का भण्डाफोड़ किया है, सार्वजनिक रूप से समाचार-पत्रों में पहली दफा यह कहा है कि हांगकांग स्थित इस कुओं आयल कम्पनी की चुकता पूंजी 150 डालर है। मैं नहीं जानता यह सच है या नहीं। परन्तु सरकार की ओर से किसी ने भी इसका खण्डन नहीं किया है। श्री अरुण शौरी के अनुसार हांगकांग स्थित इस कुओं आयल कम्पनी की कुल चुकता पूजी 150 डालर है। इसका अर्थ हुआ यह केवल नाम मात्र की कम्पनी है तथा किसी और कम्पनी के नाम से काम कर रही है। यहां यह सौदा मोनार्क लिमिटेड के माध्यम से किया गया जिसने आज तक तेल का व्यापार नहीं किया। यह साईकिल के फालतू पुर्जों और खेल के सामान का व्यापार करती थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी अभिकरणों ने किसलिए और किस आधार पर इतना बड़ा आदेश इस प्रकार की कम्पनी को दिया जबकि यह कम्पनी न तो अर्थक्षम थी और न ही तेल के व्यापार में अनुभवी थी। कुओं आयल कम्पनी का यह पहला ठेका था और संभवत: यह अन्तिम भी हो। अत: मैं सरकार से इस प्रकार की बदनाम कम्पनी को आदेश देने की जिम्मेदारी को चुनौती देता हू जिसके कारण उसने उस समय अत्यन्त महत्वपूर्ण और इतने बड़े आकार के ठेके की पूर्ति को खतरे में डालां।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं जानना चाहता हू कि क्या इन आरोपों की गम्भीरता से जाँच की जाएगी। यदि ये आरोप सच्चे नहीं हैं तो आप उनका खण्डन कीजिए। अन्यथा, इससे यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि कोई अवाँछनीय बात हो रही है और यह ठेका इस बात को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया कि ये सौदे वास्तव में अर्थक्षम हैं बल्कि अन्य बातों के आधार पर किया गया।

दूसरे, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के अनुसर कुओं आयल मामले में सरकार को 9 या 10 करोड़ रुपये की हानि होगी। परन्तु एक और मामला प्रकाश में आया है जिसमें 27 करोड़ रुपये की हाँनि हुई है। दूर्भाग्यवश इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया है। यह मामला दूसरी सभा में प्रश्नोत्तर के दौरान प्रकाश में आया। इसका संबंध देश के सबसे बड़े एकाधिकारी व्यापारिक घराने बिड़ला से है और इसीलिए इस बारे में कोई भी अधिक बात नहीं करना चाहता। लोगों की रुचि बिड़ला और टाटा के बारे में बातें करने में नहीं है। क्यों? मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है। यह मामला दूसरी सभा में प्रकाश में आया है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा सूचना देने के लिए हम उनके धन्यवादी हैं, जिन्होंने प्रश्न का उत्तर देते समय बताया कि बिड़ला की हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कम्पनी ने, जिसे 'हिन्डालको' के नाम से जाता जाना है, जान बूझकर 27 करोड़ रुपये की अदायगी नहीं की जो कि उसे अल्युमीनियम विनियम लेखे में कानून अनुसार करनी थी। एक अल्युमीनियम विनियम लेखा है, जिसमें वे कम्पनियां, जिनका धारक मुल्य बिक्री मूल्य से कम है, अथवा बिक्री मूल्य से अधिक है, धन जमा कराती है अथवा धन निकालती है। इस योजना के अन्तंगत हिन्डालको को अल्युमीनियम विनियम लेखे में 27

करोड़ रुपये जमा कराने थे। उन्होंने अब तक भुगतान करने से इन्कार किया है। दूसरी सभा में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि 'हिन्डालको' के असहयोग के कारण सम्पूर्ण मूल्य-योजना खतरे में पड़ गई है"

इसके अतिरिक्त न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यदि मैंने उसका नाम लिया तो वह आपत्ति करेंगे। इस सम्बन्ध में एक माननीय न्यायाधीश ने फरवरी, 1981 में एक मौखिक निर्णय दिया अब अगस्त, 1982 है। अब तक कोई लिखित निर्णय नहीं दिया गया है और सरकार तर्क देती है कि वह इनके विरुद्ध इसलिए अपील नही कर सकती क्योंकि कोई लिखित निर्णय नहीं दिया गया है। सरकार ने कलकत्ता के उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश को निदेश दिलाने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने की चिन्ता नही की।

मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में चुनावों को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को निदेश दिए थे। परन्तु यहाँ, जहां 27 करोड़ रुपये का प्रश्न है, सरकार ने कुछ नही किया है न ही उसने अपील की, न ही उच्चतम न्यायालय में गई और न ही न्यायाधीश के सन्देहास्पद आचरण की जांच की है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : सरकार ने अपील की है, सुनवाई के लिए अपील की तरीख निर्धारित की गई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हो सकता है, राज्य सभा में इस मामले को उठाने के बाद ऐसा किया गया हो।

श्री जगन्नाथ कौशल : उससे पहले किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः हम यह जानना चाहते हैं कि किन कारणों से यह सब हुआ। हम जानते हैं, बिडला कौन है। हम जानते हैं कि सरकार और ऐसे व्यापारिक गृहों में क्या सम्बन्ध होता है।

मैं एक और उदाहरण दूंगा श्री प्रणव मुखर्जी यहां मौजूद हैं। मेरे विचार में उन्हें मामले की पूर्ण जानकारी है। सरकार ने अब भारत में काम करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में से एक बड़ी कम्पनी अर्थात हिन्दुस्तान लीवर को, जो कि यूनी लीवर की एक शाखा है, 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी रखने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जबकि आप जानते हैं कि इन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अपनी विदेश पूंजी को प्रतिशत तक कम करना है। हिंन्दुस्तान लीवर को 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी रखने की अनुमति दी गई है। इस सभा तथा दूसरी सभा में कई प्रश्न उठाए गए हैं। मैं यह कहूंगा कि उनके जो उत्तर दिए गए हैं, वे टालमटोल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

जहां तक मैं समझता हूं सरकार इस कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयास कर रही है जिसका अर्थ है, कम्पनी एक बड़े पैमाने पर अपना लाभ विदेशों में भेज सकेगी। वे तीन आधारों पर इसे उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से कोई भी ठोस नहीं है। यह एक है कि इन कम्पनी का निर्यात बहुत अच्छा रहा है, अत: इसके प्रति कुछ उदारता दिखानी चाहिए। इसके निर्यात के सम्बन्ध में मेरे पास यहां इस कम्पनी की मैगजीन है। वे इंगलैण्ड से कम्पनी की एक पत्रिका 'यूनीलीवर मैगजीन' निकालते हैं। उसमें उन्होंने निम्नलिखित बात लिखी है—मैं उद्धृत करता हूं :

"इस कम्पनी ने अभी न्यूकैसल को कोयला बेचना आरम्भ नहीं किया है, परन्तु हिन्दुस्तान का निर्यात निर्धारित लक्ष्य से कोई खास लीवर कम नहीं है,

भारत से फुटबाल और क्रिकेट के बैट बड़ी मात्रा में इंग्लैंड आ रहे हैं। पहले-पहल हिन्दुस्तान लीवर के उत्पादकों का ही मुख्य रूप से निर्यात होता था। परन्तु अब तो कम्पनी ने तीसरी पार्टी के माल का बहुत बड़ा व्यवसाय आरम्भ किया है। पिछले वर्ष 200,000 सैण्डलों के जोड़ ब्रिटिश बाजार में पहुंचे। यह हिन्दुस्तान लीवर एक्सपोर्ट की वजह से ही हुआ है।"

यहां उन्होंने क्रिया विधि का उल्लेख किया है – काश ! आप मुझे आगे उद्धृत करने देते यह बहुत ही दिलचस्प है। यह कम्पनी अपने साबुनों और अन्य चीजों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद रही है और उन पर अपनी मोहर लगाकर उनका निर्यात कर रही है। इसके लिए इसे 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी रखने की अनुमति दी जा रही है।

एक दूसरा कारण यह दिया गया है कि यह कम्पनी मुख्य क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस मामले में मुख्य क्षेत्र से ताप्पर्य साबुनों और डिटर्जेन्टों से है। सरकार कहती है कि वह उसे और अधिक मात्रा में साबुनों का उत्पादन करने के लिए क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति नहीं दे रही है। परन्तु मैंने देखा है कि उन्हें अतिरिक्त क्षमता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि उन्हे पहले ही असीमित क्षमता दी जा चुकी है। हिन्दुस्तान लीवर पर लाण्ड्री सोप का उत्पादन करने हेतु भी कोई क्षमता सम्बन्धी सीमा नहीं लगाई गयी है जिसका उत्पादन केवल लघु उद्योग क्षेत्र में होना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त यह कहा जाता है कि उनके पास उच्च प्रौद्योगिकी है। मैंने इसका पता लगाया है। साबुन के उत्पादन में खाद्य तेलों का प्रयोग करने की बजाय वे कुछ हद तक अखाद्य तेलों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका दावा यही है। मैं नहीं जानता कि सरकार के पास ऐसा कोई तन्त्र है कि जिनसे यह जाँच हो सके कि वे कितनी मात्रा में खाद्य तेल और अखाद्य तेलों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ विश्व में एक बहुत बड़ी कम्पनी को 51 प्रतिशत विदेशी पूंजी रखने की अनुमति दी गई है। मैं जो सारी मिसालें दे रहा हूं वे नए परिवर्तन, नई दिशा सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन के उदाहरण हैं। जो कि देश के छोटे पैमाने के

उद्योगों की कीमत पर उच्च व्यापारिक गृहों तथा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के बिल्कुल अनुकूल हैं।

मुझे विश्वास है कि श्री संजय गांधी ने राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन के नाम से एक संगठन का उद्‌घाटन किया था अथवा उसे आरम्भ किया था। एक लम्बे समय तक उस निकाय की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं सुना गया। हाल ही में मैंने श्री संजय गांधी द्वारा प्रारम्भ किए राष्ट्रीय युवा उद्यमी संगठन द्वारा समाचारपत्रों में जारी किए गए दो वक्तव्यों को देखा जिसमें कहा गया था कि यदि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार कम्पनियों तथा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कम्पनियों को इतनी अधिक अबाधित सुविधाएं और रियायतें दी गई तो हो सकता है मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग बन्द हो जाएं। आपके विकास की यही दिशा है। योजना और आर्थिक नीति के बारे में जिस नीति सम्बन्धी चर्चा की बात बहुत से लोग करते हैं, काश वह हो पाती परन्तु यह नहीं हुई।

ये सभी बातें अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के अतिरिक्त हो रही हैं। मेरे पास श्री प्रणव मुकर्जी का पत्र है जो पुस्तकालय में मौजूद है। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। यह पत्र 8 जून को अन्तर्राष्टीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध-निदेशक को लिखा गया था। इस प्रलेख को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति उन सब कारणों को जान जाएगा जिनकी वजह से बिडलाओं को कानून का उल्लंघन करने के बाद भी छोड़ दिया गया तथा हिन्दुस्तान लीवर को ये रियायतें दी जा रही हैं।

(व्यवधान)

मैं समय के अभाव में इस पत्र को उद्धृत नहीं करूंगा परन्तु आपको इस पत्र में आयात को उदार करने का सम्पूर्ण दर्शन मिलेगा। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं क्योंकि सरकार अपने पांव एक जाल में उलझा रही है। यह जाल पश्चिमी ताकतें हैं। विकसित देश चाहते हैं कि आप आयात को उदार बनाएं ताकि आप को विदेशों से और अधिक आयात करना पड़े। परन्तु उनके बाजारों के लिए अपने निर्यात में वृद्धि करने हेतु हमें बराबर की सुविधा नहीं दी गई है। इस सबके पीछे यही भावना है कि "भारत जैसे देशों को और अधिक आयात के लिए विवश किया जाए, परन्तु उन्हें उनके अपने बाजारों में मन्दी के आधार पर तथा अपने बाजारों में संरक्षणवाद के आधार पर अपने बाजारों में निर्यात करने की अनुमति न दी जाए।"

क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस घाटे से कैसे निपटेंगे। इस मार्ग को अपनाने से विशाल व्यापारिक घाटे में, जो पहले ही 6000 करोड़ रुपये से अधिक है, और वृद्धि होगी। विकासशील देशों के विरुद्ध जानबूझ कर यह कार्यवाही की जा रही है और हमें इस ओर धकेला जा रहा है। इस सम्पूर्ण ऋण का औचित्य यह कहकर सिद्ध किया जा रहा है कि यह हमें व्यापार-घाटे को पूरा करने में मदद करेगा। परन्तु मैं यह कह रहा हूं कि इस ऋण की शर्तों से आपको घाटा पूरा करने में मदद नहीं मिलेगी बल्कि उससे घाटे में वृद्धि होगी और अन्ततः 1983 और 1985 तक ऋण देनदारियों में उस सीमा तक वृद्धि होगी कि उसकी अदायगी करना असम्भव हो जाएगा। अन्य सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है। हम इस दलदल में और गहरे

धंस जायेंगे और इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा जहां हमें अपनी आर्थिक सर्वप्रभुत्ता की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब तक आप विरोध नहीं करते और अभी तो आपके पास इसके लिए समय है परन्तु मैं नहीं जानता कि सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं उसका अर्थ है कि आपको अपने ऋण की अदायगी के लिए ठोस मुद्रा चाहिए। आप समाजवादी देशों से व्यापार का विस्तार करके प्रसन्न नहीं हो सकते क्योंकि आपको ठोस मुद्रा अथवा डालर नहीं मिलते। वहां सब भुगतान रूपये में होता है। मान लीजिए समाजवादी देशों से व्यापार का वित्त पोषण भी ठोस मुद्रा में होता तो आज हमारी क्या स्थिति होती ? जहां कहीं रुपये से व्यापार होता है वहीं हमें अत्यधिक राहत मिलती है परन्तु एक तरफ इतनी सुविधा होने के बावजूद सरकार सिर तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की दलदल में अधिकाधिक धंसती चली जा रही है, और अन्ततः हम इससे एक भारी संकट में फंस जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

एक माननीय सदस्य : समाप्त करें-किसे सरकार को या भाषण को ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक बम्बई कपड़ा उद्योग में हड़ताल का संबंध है, मुझे केवल एक शब्द कहना है क्योंकि मेरी पहले से ही यह धारणा है कि श्रमिक वर्ग से संबंधित मामलों में हमारे दोनों ओर बैठे मित्रों के दृष्टिकोण में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है मैंने परसों समाचार पत्रों में पढ़ा कि बम्बई में श्री मोरारजी देसाई को उन्हीं की पार्टी की सभा में उन्हीं की पार्टी के सदस्यों ने प्रश्नों की बौछार कर तंग कर दिया क्योंकि उनसे पूछा गया था कि

"बम्बई की इस दीर्घकालिक हड़ताल के बारे में आपके क्या विचार हैं ?" और समाचार-पत्रों में कहा गया है कि श्री मोरारजी देसाई ने जवाब दिया 'यदि मैं सत्ता में होता मैं तत्काल इस हड़ताल को कुचल देता, मैं मजदूरों को परेशान कर देता और हड़ताल असफल हो जाती।"

सरकार भी ठीक इन्हीं हथकन्डों का इस्तेमाल कर रही है। उन्हें परेशान करने का प्रयत्न कर रही है। जब आप भूतपूर्व जनता पार्टी के लोगों का विरोध करें तो आप कृपया यह भी बतायें कि आप उनको किन बातों का अनुकरण करने को तैयार हैं। श्रमजीवी और गरीब लोग यही चाहते हैं।

संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में यह आश्वासन दिया गया है कि भूमि सुधार अर्थात भूमि वितरण 1983 या 1985 तक पूरा हो जायेगा—मुझे ऐसा स्मरण नहीं आता। परन्तु आँकड़ों से पता चलता है कि अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत, जिसे उन्होंने नौवी अनुसूची में रखने से इन्कार कर दिया है ताकि उन्हें न्यायालयों में चुनौती न दी जा सके ; इसे खुला रखा गया है लगभग 40 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई थी और उसमें से वास्तव में 24 लाख एकड़ भूमि का कब्जा लिया गया है तथा 40 लाख एकड़ भूमि में भी वास्तव में 16 लाख

एकड़ भूमि को वितरित किया गया है। 12 लाख एकड़ भूमि अभी भी अदालतों में मुकदमेबाजी में फंसी है क्योंकि यह सरकार, जिसका बड़े-2 जमींदारों के प्रति अत्यन्त नरम दृष्टिकोण है, निरन्तर संविधान की नौवीं अनुसूची में इन उच्चतम भूमि अधिनियमों को रखने से इन्कार कर रही है। अत: 1985 के पश्चात् वे कह देंगे कि भूमि हमने सुधार पूरे कर लिए हैं और अब कुछ भी करना शेष नहीं है। परन्तु वस्तु स्थिति इतनी है कि इस भूमि का अधिकांश भाग, जिसे फालतू घोषित किया गया है, न तो आपके कब्जे में है और न ही इसे वितरित किया गया है तथा न ही इसे वितरित किया जा सकता है क्योंकि यह अदालतों में मुकदमेबाजी में फंसा है। आप इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ?

अन्त में, कल ही लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण में, जिसे मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा और यहां न होने की वजह से रेडियो पर नहीं सुन सका, प्रधान मन्त्री ने मेरी राय में जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा धर्म आदि के नाम पर चलने वाले विभिन्न प्रकार के पृथकतावादी आन्दोलनों के पनपने को देश के लिए खतरा सही समझा है। मैं इससे अधिक उनसे सहमत नहीं हो सकता हूं। परन्तु केवल समस्या का पता लगाने से शासक दल तथा सरकार को उत्तरदायित्व से छुटकारा नहीं मिल जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए वह क्या कर रही हैं ? वहां उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं यह जानना चाहता हूं, उदाहरण के लिए पंजाब में जो स्थिति सामने आई है...

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यदि आप पंजाब जाएं, जो कि आपका अपना राज्य है, और आप वहाँ मुझ से अधिक बार अवश्य ही जाते भी होंगे ; तो आप वहां प्रत्येक व्यक्ति को भिंडरांवाले विचारधारा के पीछे जिन शक्तियों का हाथ है, उनके बारे में खुले आम बातें करता पाएंगे। क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मन्त्री जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ अन्य उद्देश्यों के भिन्डरावाले के साथ गठजोड़ तथा सहायता कर रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जब भिन्डरावाले अपने सशस्त्र अनुयायियों के साथ, जो कि खुले आम अपने शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए, दिल्ली शहर में प्रविष्ट हुए तो कम से कम दो मन्त्री, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहां गए और उनके चरण स्पर्श कर चरण धूलि ली ?

(व्यवधान)

यदि आप अपने घर को नहीं संभालते तो आप इनसे कैसे संघर्ष करेंगे ?

फुलवाड़ी शरीफ में एक दंगा हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुस्लिम वैयक्तिक कानून का केन्द्र है इमारत-ए-शरीया फुलवारी शरीफ में स्थित है। मैं एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। कई प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों से समाचार मिला है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की, इन दंगों को भड़काने वालों को दबाने के लिए बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं की तथा वहां लोग मारे भी गए आदि आदि।

हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार इन समस्याओं के बारे में केवल बातें करके इन साम्प्रदायिकतावादी तत्वों तथा जातिवादी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के प्रयत्न कर रही है। इनमें से कुछ लोगों ने उनके साथ सक्रिय गठजोड़ किया। अत: हम इस आधार पर तथा आर्थिक नीति के आधार पर जो पूर्णतया बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, बिदेशी एजेंसियों तथा बिडला जैसे बड़े व्यापारिक गृहों के हाथों में जा रही है, उन की निन्दा करना चाहते हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : अविश्वास प्रस्ताव की रस्म प्राय: सभी सत्रों में अदा की जाती है। इस के लिए कुछ लोगों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इससे प्रधानमन्त्री के साथ बातचीत करने का अवसर मिलता है कुछ अन्य लोगों का तर्क है कि आर्थिक मसलों पर विचार विमर्श करने का अवसर मिलता हैं, क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए समय नहीं होता। मैं नहीं जानता कौन सा तर्क सही है। पर विपक्ष के भाषणों को सुनने के बाद मैं जो निष्कर्ष निकाल पाया हूं वह यह है कि नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में उन्होंने एक प्रमुख बात यह उठाई है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उचित दिया-निर्देश नहीं है। प्रस्तावक ने कहा है कि उद्योग नीति, आर्थिक नीति और आयात नीतियां इस प्रकार बनाई जाती है कि उससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने बहुराष्ट्रिकों और बड़े,बड़े एकाधिकारी घरानों के आगे आत्म समर्पण कर दिया है। मैं आयात नीति के विषय में सभा का अधिक समय नहीं लुंगा। मैं प्रस्तावक से केवल इतना अनुरोध करुंगा कि वह 1977-78 और 1980-81 की निर्यात नीतियों की तुलना करें और हमें बताएं कि किन क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किए गये है। 'उदार आयात नीति' शब्दावली का निर्माण उन लोगों ने ही 1977-78 में किया था, हमने नहीं किया है। यहां तक कि उन्होंने तो आयात नीति विषयक पुस्तक के आवरण का रंग लाल से हरा कर दिया। पहले इसे लाल पुस्तक कहा जाता था। पर जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने उसे यह संकेत देने के लिए बदल दिया। हम प्रतिबन्धित आयात नीति अपनाना चाहते, हम उदार आयात नीति अपनायेंगे......

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए आप उसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : हम उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप हमें बताए कि 1980-81 कीं आयात नीति के अन्तर्गत हमने 'ओपन जनरल लाइसेंस' सेकिन मदों को निभाता है। यह भी पता लगाए कि इससे आयात को कितना प्रोत्साहन मिला है। हर बार नई-नई शब्दावलि इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं।

आपने बहुराष्ट्रिकों और विदेशी फर्मों के आगे आत्म समर्पण की बात कही। इस देश में विदेशी पूंजी निवेश का अंश कितना है ? अभी पिछले शुक्रवार को मैंने आंकड़े दिये थे। निजी क्षेत्र के कुल 60,000 करोड़ रु० के पूंजी निवेश में विदेशी निवेश की राशि केवल 2500 करोड़

रुपये है। मैं समझता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक भूतपूर्व वित्त मन्त्री इन आंकड़ों से अनभिज्ञ नहीं हैं। यह केवल 2.5 प्रतिशत बैठती है।

फिर दिशाहीनता की बात कही गई है। आरोप लगाया गया है कि उचित दिशा-निर्देश नहीं है और हम आत्मनिर्भरता के मार्ग से पदच्युत हो रहे हैं। सूचकांक क्या बताते हैं। यदि वर्ष 1981-82 में कोयले के उत्पादन में 9% की वृद्धि हुई है, बिजली के उत्पादन में 10% की वृद्धि हुई है, सीमेंट के उत्पादन में 17% को वृद्धि हुई है और पेट्रोलियम के उत्पादन में 17% की वृद्धि हुई है—मैं 1980-81 के आंकड़े नहीं ले रहा जब इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी—और हमने पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 370 करोड़ रुपये की बचत की है तो क्या ये आँकड़े यह दर्शाते हैं कि हम आत्म निर्भरता का मार्ग त्याग रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं ?

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में मैं प्रस्तावक को, जो जनता सरकार में मंत्री थे, यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1976-77 में जब ये लोग सत्ता में आए ही थे उस समय इन उपक्रमों की संख्या 149 थी और उन्होंने 183.89 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। उसके बाद 1977-78 में उन्हें 1.07 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 1978-79 में 44.09 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और 1979-80 में 74.29 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। 1980-81 में भी वही प्रवृति जारी रही, पर 1981-82 में इन्होंने कम से कम 4 670 करोड़ रुपये का तो लाभ कमाया। क्या यह सब आत्मनिर्भरता के रास्ते से हटने का सूचक है !

सरकारी क्षेत्र में लगी 97,500 करोड़ रुपये की भारी रकम का केवल 25 प्रतिशत रकम ही कृषि क्षेत्र में लगी हुइ है। मैं सदस्यों के लाभ के लिये यह दिखाने हेतु कुछ आंकड़े पेश करूंगा कि हम किन क्षेत्रों में भारी पुंजी निवेश कर रहे हैं और फिर वह देखें कि हम भला किन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का रास्ता छोड़ रहे हैं। क्या औद्योगिक विकास की दर में तेजी लाने, सरकारी क्षेत्र मे अधिक उत्पादन करने और उपयुक्त तकनालांजी का इस्तेमाल करने को स्वावलन्बन का रास्वा छोड़ना कहा जा सकता है। क्या इसके मायने रहुराष्टिकों के आगे आत्मसमर्पण करना है !

रोजाना यह कहा जाता है कि नई उद्योग नीति में कुछ रियायतें दी गई हैं। क्या रियायतें दी गई हैं ? 34 चुनेंदा उद्योग स्वत: ही उत्पादन बढ़ा सकते हैं। पर इनमें भी उन मदों के उत्पादन के मामले में यह छूट लागू नहीं होगी जो लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित की गई है। एक आरोप यह लगाया गया है कि उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है। मैं एक मामले विशेष का जिक्र करना चाहूंगा जिससे प्रस्तावक भी भली भांति अवगत हैं। इस विशिष्ट मामले में ये लोग भीं कुछ करना चाहते थे पर मतभेद होने के कारण ऐसा नहीं कर पाए। पर इसमें एक बुनियादी मुद्दा है। यदि आप देखते हैं कि कोई उद्योग अपनी क्षमता बढ़ाता है और आपको उसमें उतने उत्पादन की जरूरत भी है तो क्या आप अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए उसे सजा देंगे या उसके उत्पादन को विनियमित करेंगे ? नई औद्यो

गिक नीति में यह सुझाव निहित हैं। जिन क्षेत्रों में आपको अधिक उत्पादन की जरूरत है, उन्हें लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। आज उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी जेब से पैसा कोई नही लगाता। इसके लिए पूंजी या तो बैंकों से ली जाती है या वित्तीय संस्थाओं से या फिर बाजार ऋण जुटाकर। तो यह कहने में क्या तर्क है कि आप पूंजीनिवेश बन्द कर दें या लाइसेंस देना बन्द कर दें। आप या तो इसे विनियमित कर सकते हैं या निर्बन्धित कर सकते हैं। यही हम कर रहे हैं। हम किस क्षेत्र में सही मार्ग से हट रहे है ? विदेशी एकाधिकार के आगे आत्मसमर्पण या अर्न्तराष्टीय मुद्रा कोष की शर्तें आदि शब्दावली आप की अपनी उपज है। हम इसका सहारा क्यों लेंगे ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह सरकार जिम्मेदार है ? जब हमने सत्ता छोड़ी तो 72 करोड़ रुपया अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार खाते में शेष था और जब आपने सत्ता छोड़ी और हम पुनः सत्ता में आए तो हमें इसमें 2000 करोड़ रुपये का घाटा मिला आप चाहते क्या हैं ? क्या आप चाहते हैं कि हम आयात बन्द कर दें हमारा कुल आयात कितना है ? हमारा आयात 140 से 150 लाख टन का था और यदि आवश्यक हुआ तो हम इतना ही आयात करेंगे। पेट्रोल के आयात का मूल्य लगभग 1700 करोड़ रुपये का था। प्रस्तावक इस बात को मुझसे भी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वे पेंट्रोलियम उत्पाद के प्रभारी मंत्री थे। इसमें तीन गुना वृद्धि हो गई थी। आप क्या करना चाहते हैं ? क्या आप ऐसी स्थिति ला सकते हैं जब आयात करने की जरूरत न हो। यदि आप आयात करना चाहते हैं तो उसके लिए विदेशी मुद्रा कहा से आयेगी ? इस संकट को दूर करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध किये गए हैं ताकि हम अपना विदेशी मुद्रा बाजार खड़ा कर सकें, हम अपना निर्यात प्रसार तेज कर सकें, बाहर से आने वाली विदेशी मुद्रा में वृद्धि कर सकें, और इसके साथ ही आयात पर निर्भरता कम कर सकें। निर्यात से हम जो पैसा कमाते हैं उसका 65 प्रतिशत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, अलौह धातुओं और कुछ पद तक खाद्य तेलों के आयात पर खर्च होता है। हमने कुछ कदम उठाए हैं, इस दशक में विशाखापटनम और उड़ीसा में 30 लाख टन इस्पात है अतिरिक्त उत्पादन, उड़ीसा ती एल्युमीनियम फेक्ट्री में 800,000 टन एल्युमीनियम और एल्युमीनियम उत्पादों का निर्माण, खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए त्वरित कार्यक्रम आदि कुछ ऐसे कदम हैं जिनका उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना है। अतः मेरी समझ में नहीं आया कि वे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम अपने निश्चित मार्ग से हट रहे हैं।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप यह रकम वापस कैसे लौटाएगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम वापस कर सकते हैं, इसी वर्ष हम अपने पेट्रोल बिल में 370 करोड़ रुपये की कमी करने जा रहे हैं। समस्या तो वास्तव में हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसको अनुमति नहीं दी जा सकती कि जो जितना ऋण चाहे उतना ले ले। इसे परियोजना विशेष से सम्बद्ध करना जरूरी है। और हम यह देखेंगे कि उस परियोजना की कार्यान्विति बिलकुल सही और निर्धारित तरीके से हो ताकि हम पैसा वापस कर सकें और ऋण का बोझ असहय न बन जाए, इससे मैं सहमत हूं।

दूसरी बात जो श्री बहुगुणा ने अपने भाषण का श्रीगणेश करते हुए उठाई थी वह मेरे

लिए कुछ आश्चर्य जनक बात है उन्होंने यह कहा था कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुर्वात्तर क्षेत्र में हम बैंकिंग क्षेत्र से संसाधन अन्तरित कर रहे है। पता नहीं उन्हें ये आँकड़े कहाँ से मिले।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : भारतीय रिजर्व बैंक से।

श्री प्रणव मुखर्जी : यह और भी विचित्र बात है कि देश से एक भूतपूर्व वित्त मन्त्री ऋण-जमा अनुपात के आँकड़ों में खो गए और यह बात पूरी तरह से भूल गये कि एक तत्व पूंजी निवेश भी होता है। आज कुल बैंक-जमा का लगभग एक-तिहाई सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश के लिए उधार दिया जा रहा है। अतः आप इसे पूर्णरूप से कैसे भुला सकते हैं? आप को जमाउधार+निवेश का हिसाब में लेकर जमा-उधार को अनुपात निकालना चाहिए, पूंजी निवेश को छोड़ कर नहीं। मैंने इस बात की पुष्टि कर ली है कि अकेले पूर्वोत्तर आंचल में 220 करोड़ रुपये के ऋण से 141 करोड़ रु० का पूंजी निवेश दिया है।

फिर एक बात और हैं जो सर्वविदित हैं। असम पूर्वोत्तर आंचल का अंग है। एक भारी कर कम कम रकम असम के अन्तर्गत नहीं दिखाई जाती, क्योंकि यह रकम अधिकाँश चाय बागानों के लिए होती है जिनके मुख्यालय कलकत्ता में हैं। यद्यपि यह धन असम के चाय बगानों के खाते में जाता है, पर इसे असम में नहीं दिखाया जाता। इन आंकड़ों को पूर्वी आँचल कलकत्ता के अन्तर्गत दिखाया जाता है। असम में चाय बगानों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश होता है यदि आप सारे आंकड़े हिसाब में लेंगे तो संसाधनों के अन्तरण जैसी कोई बात आपको नही मिलेगी।

फिर माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम बैंकिंग क्षेत्र के नए ढाँचें के बारे में क्या करने जा रहें हैं। तेरह वर्ष पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्ण क्या स्थिति थी। उस समय बैंक शाखाओं की कुल संख्या 8363 थी। आज 38,000 से भी अधिक बैंक शाखाएं हैं। कुल जमा-पूंजी छः-सात हजार करोड़ के लगभग थी। आज यह 40 हजार करोड़ से अधिक है। इसे ओर भी बढ़ाया जा रहा है। इस तथ्य को आपने बिल्कुल भुला दिया कि हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की और कितना अधिक ध्यान दिया है, किस प्रकार बैंकिंग क्षेत्र समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेवा में जुटा हुआ है तेरह वर्ष पूर्व बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है यह सर्वविदित है। इस क्षेत्र में हमने जो काम किया है वह काम महत्त्वपूर्ण नही है।

पूंजी निवेश और आर्थिक विकास के अनुपात के आंकड़ों की आपको जानकारी है। जब आप सत्ता मैं थे तब साधारण विकास दर क्या थी और किन परिस्थितयों में आपने छोड़ा था। हमें आप क्या सौंप गए थे। तब से 1979-80 में विकास दर 4.1% रही, 1980 मैं लगभग मैं 8 प्रतिशत रहीं। 1982-83 की प्रथम तिमाही में औद्योगिक विकास दर लगभग सात प्रतिशत रही। अब आप पूंजीनिवेश के लिए तैयार किए किए वातावरण पर आइए। प्राथमिक बाजार से पूंजी जुटाने वाली कम्पनियों की सख्या 1976-77 में केवल 97 थी और शायद देश में पहली बार 1980-81 में इन की संख्या 343 तक पहुंच गई और बाजार पूंजी 45.9 करोड़ से बढ़ कर 452.4 करोड़ हो गई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें गिरावट आती गई है। यह विदेश पूंजी निवेश ही नहीं है, यह केवल बहुराष्ट्रिक कम्पनियों तथा 'फेरा' के अन्तर्गत आने वाली

कम्पनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश नहीं है। आज कुल औद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई उत्पादन छोटे और मझोले क्षेत्र के उद्योग कर रहे हैं। हम इसे कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही नहीं है कि हमने लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को, बिल्कुल त्याग दिया है। इन्हें बनाए रखा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, सहायता दी जा रही है और विशेषज्ञ सलाह दी जा रही है।

एक और बात कही गई है जिसे सुनकर मुझे थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ है कि समर मुखर्जी यहां तक कह गए हैं कि आज अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व मन्दी आ गई है और माल का स्टाक जमा होता जा रहा है।

मुझे नहीं मालूम कि क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के अध्यक्ष ने यह तर्क और अधिक ज़ोरदार तरीके से तथा सही रूप में रखा हो। तर्क यह है कि वे कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी है और हम जोरदार शब्दों में इसका खंडन कर रहे हैं हमने यह सही कहा है कि कोई मंदी नहीं है। किन्तु स्थिति क्या है? उदाहरण के लिए वाणिज्यिक गाड़ी ही लीजिए। यदि मैं वाणिज्यिक गाड़ी चाहता हूं तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि मुझे दो वर्ष तक लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और दो वर्षों के बाद मेरी बारी आयेगी और मुझे गाड़ी मिलेगी। और यदि आज ऐसी व्यवस्था होती है कि यदि मैं जाता हूं और वाणिज्यिक गाड़ी के लिए रुपया जमा करता हूं तो मुझे लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मैं अपना शेयर जमा नहीं कर रहा हूं। उद्योग मंदी की बात करते हैं। यदि मंदी होती तो आप इसे उचित कैसे ठहराते? इसका अधिकांश भाग निजी क्षेत्र से आया है। यदि 18 से 19 प्रतिशत की ब्याजदर के साथ काफी स्टाक जमा होता है तो निजी एकाधिकारी तथा निजी पूंजीपति स्टाक को जमा करते। और यह स्थिति साम्यवादियों अर्थात् वामपंथियों की है। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है।

श्री समर मुखर्जी : बम्बई के सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल के बावजूद भी कपड़े का भारी स्टाक जमा होता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं उनकी स्थिति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि वे भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की तरह कह रहे हैं कि मंदी है और ऋण उदार कीजिए।

श्री समर मुखर्जी : यह बहाना न बनाइए। मिश्र इस्पात में पहले ही उत्पादन में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस्पात का भारी स्टाक जमा हो रखा है।

श्री प्रणव मुखर्जी : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मैं झुक नहीं रहा हूं। आप बात चूके गए हैं। मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में काफी बेचैनी हो रही थी और मुझे आशा है कि कल आप इसे ठीक कर देंगे। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई वामपंथी आगे आयेगा और कहेगा कि ऋण बन्द किया गया है और अर्थव्यवस्था में मंदी है। ऋण उदार बनाने के लिए उद्योगपति हमारे ऊपर यही दबाव डाल रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री समर मुखर्जी : जब कारखाने बन्द हो रहे हैं तो आप मजदूरों की रक्षा कैसे करेंगे?

मैंने यह बात यहाँ उठाई है। कारखाने बन्द किये गये हैं। आप मजदूरों की समस्याओं को नहीं महसूस करते हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, श्री बहुगुणा ने ओवर ड्राफ्ट को बन्द करने के मेरे निर्णय पर छोर आपत्ति की है।

श्री समर मुखर्जी : सत्रह जूट मिलें बन्द है और तेरह और मिलें अब बन्द हो गई हैं।

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैंने ओवर ड्राफ्ट बन्द करने का निर्णय लिया है। जब मैंने ओवरड्राफ्ट बन्द करने का निर्णय लिया था उससे पहले प्रधान मन्त्री मैंने यह निर्णय लिया था कि 31 मार्च, 1982 को जो सभी बकाया ओवर ड्राफ्ट हैं। अतः इस 1743 करोड़ रुपये का दायित्व हमने अपने ऊपर ले लिया है। हमने राज्यों के लिए नये सिरे से आरम्भ करने की व्यवस्था की है और उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि आप नये सिरे से आरम्भ करेंगे और अब अर्थोपाय स्थिति में सुधार हो गया है और केन्द्रीय सहायता भी हम बढ़ा रहे हैं विशेष रूप से श्री मुखर्जी के राज्य को भी······(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका राज्य नहीं।

श्री नारायण चौबे : आपका राज्य कौन सा है?

(व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझें आप ऐसा एक भी उदाहरण बतायें जब एक वर्ष में किसी राज्य को केन्द्रीय सहायता 146 करोड़ रु० से बढ़ाकर 290 करोड़ रुपये की गई हो। यदि आप के पास कोई ऐसा उदाहरण है तो मुझे बताएं। और यह क्यों किया गया? इसका मुख्य कारण यह है कि हम उस राज्य की योजना के आकार को बचाना चाहते थे किन्तु वह राज्य सभी प्रकार की वित्तीय अव्यवस्था कर रहा था। उन्होंने सही आँकड़े नहीं दिये। आप इस प्रकार के रवैये से क्या आशा करते हैं? (व्यवधान) जब मैंने कहा, "आप मुझे सही आंकड़े दीजिए" तो उन्होंने कहा उनके पास सही आंकड़े नहीं है और 340 करोड़ रुपये के मेरे आंकड़े सही हो सकते हैं। जब मैंने कहा मैं उस रकम को मध्यम अवधि के ऋण में परिवर्तित कर रहा हूं तो वे कहते है कि यह राशि इससे भी अधिक हो सकती है। अतः ऐसी विचित्र स्थिति है (व्यवधान)। ऐसी स्थिति है जिसमें हमे कुछ कड़े उपाय करने होंगे और यही कारण है कि हमने बकाया ओवर ड्राफ्ट को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित किया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनिश्चितता न होने देने के लिए हमने आपके आंकड़ों को स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं इस बात को नहीं बढ़ा रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय सहायता देना पूर्णतः उचित है। (व्यवधान) कुछ अन्य राज्य भी है। उन्होंने

मुझे पत्र लिखा है। यह पश्चिम बंगाल नहीं है। ओवर ड्राफ्ट के बारे में निर्णय के बाद मुख्य मन्त्री ने मुझे यह करते हुए एक और पत्र लिखा...यह आपका राज्य नहीं है—कि "कृपया मेरा पहला पत्र रद्द कर दीजिए और अपने आंकड़ों तक ही सीमित रहिए।" यह आपका राज्य नहीं है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम राज्यों की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और राज्यों की समस्याओं पर ध्यान देने के बाद भी यदि वित्तीय अनुशासन नहीं आता है तो मुझे डर है कि व्यवस्था नहीं हो सकती है। **(व्यवधान)**

श्री नीरेन घोष (दमदम) : केन्द्र में कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री प्रणव मुखर्जी : अपने को अनुशासित कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आप भी अपने आपको अनुशासित करेंगे। यदि हम अपने आपको अनुशासित करते है तो आपके लिए लाभप्रद होगा और मेरे लिए लाभप्रद होगा।

महोदय, अन्तिम बात उस पत्र के बारे में हैं जिसके सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी उल्लेख किया है और इस पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कई सदस्यों ने इसे उठाया है। मैंने सभा में एक वक्तव्य दिया है। अत: उनमें जो कुछ लिखा गया है वह···**(व्यवधान)**। मैंने कहा कि मध्यम अवधि के ऋणों के समायोजन पर विचार करना है और हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे है जिसमें हम इनकी अदायगी कर सकें। हमने कोई अन्य शर्त स्वीकार नहीं की है। यदि आप पत्र को पढ़ें तो स्पष्ट है कि आप पत्र के उस भाग को नहीं पढ़ेंगे···**(व्यवधान)**।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम केवल वही पढेंगे जो हमें ठीक लगता है।

श्री प्रणव मुखर्जी : मुझे आपको स्मरण कराते हुए खेद होता है। **(व्यवधान)** मुझे भी वही पढ़ने दीजिए जो मुझे ठीक लगता है।

मेरे पत्र के पैराग्राफ 3 में मैंने कहा है कि 1982-83 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार कोई भी ऐसा उचित उपाय करेगी जो हमारी संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हों। अत: यदि कोई ऐसी बात हो जो इस सभा द्वारा स्वीकृत कीं नहीं की जाती है तथा जो हमें मान्य नहीं है ओद हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसे नही अपनायेंगे। अत: अनियिमितता कहां है ?

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या आप किसी नई नई शर्त को स्वीकार करने से पहले आप सभा के समक्ष आयेंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हम हर बार वक्तव्य दे रहे हैं। हम वक्तव्य कब नहीं देते हैं ? जिस

दिन हमने करार किया था तो हमने पहला काम यहीं किया और हम सभा के समक्ष आ रहे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि शर्त क्या है ? हमने कौन सी नई शर्त स्वीकार की है ? ऐसी कौन सी नई शर्त है जिसे हम स्वीकार कर रहे हैं । कृपया यह बताइए कि हमने कौन-सी नई शर्त स्वीकार की है कोई नई शर्त नहीं है प्रतिबन्ध नहीं है । कटु सत्य यह है कि यदि मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को कुछ धनराशि दूं तो मैं निश्चित रूप से यह मालूम करूंगा कि क्या श्री इन्द्रजीत गुप्त मुझे वापस करने की स्थिति में हैं अथवा वह इसे हजम कर जायेंगे । अतः ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले के न बीच यह एक शर्त है । यदि मुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सत्य निष्ठा और अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता को समर्पित करना होगा तो मैं वह ऋण नहीं लूंगा ।

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : तो छठी पंच वर्षीय योजना पर सभा में चर्चा क्यों नहीं हो रही है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं । मुझे डा० स्वामी से यह कहते हुए खेद होता है कि यदि उनकी क्यू आयल सोदे पर चर्चा में रुचि है अथवा इस बात में रुचि है कि राज्यों में क्या हो रहा है तो उन्हें इस पर चर्चा करने से कौन रोक सकता है ? यह कहना सही नहीं है कि चर्चा को गुंजाइश नहीं है म से कम कुछ चर्चाओं में मैं उपस्थिति था । हम तो विपक्ष के नेताओं से छुट्टियों के विवाद पर भी चर्चा कर रहे हैं यद्यपि यह बहुत ही साधारण सा मामला है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चूंकि हम आयात को उदार बनाने की नीति अपना रहे हैं जिसे आपने स्वीकार किया है और इन्कार नहीं किया है अतः मैं आशा करता हूं कि उन विकसित देशों के निर्यात बाजारों में तदनुरूप पहुंच के बिना, क्या इससे घाटा होने के बजाय व्यापार में अधिक घाटा नहीं होगा ?

श्री प्रणव मुखर्जी : मैंने पहले हीं इसका उत्तर दे दिया है । मैं समझता हूं आप उसे सुन न सके । विकास संबंधी नीति के अन्तर्गत हमारे प्रयत्न क्या हैं ? हमारी विकास नीति योजना अवधि के दौरान वस्तुत. 5.2 प्रतिशत विकास वृद्धि करना है । हमारा एक उद्देश्य यह है कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने आप वित्तपोषित करने की स्थिति में जायें तथा उन्हें आत्म-निर्भर बनायें ताकि बजट में व्यवस्था कम की जा सके ओर जहां तक निर्यात के क्षेत्र का संबंध है, हमारा लक्ष्य 9 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि करना है । 1981-82 वर्ष में भी निर्यात वृद्धि 15 प्रतिशत नहीं थी किन्तु यह लगभग 13 प्रतिशत थी । अतः विकसित देशों में भी हमारा काफी बड़ा हिस्सा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु यूनिट का मूल्य घट गया है ।

श्री प्रणव मुखर्जी : हम आयात को कहां उदार बना रहे हैं ? हम उपभोक्ता वस्तुओं को उदार नहीं बना रहे हैं । हम निर्यात के लिए उत्पादन के आधार को व्यापक बनाने के लिए

आयात-उदार बना रहे हैं और हम उन नाजुक क्षेत्रों में उत्पादन आधार का विस्तार कर रहे हैं जिनमें हमें कच्चे माल अथवा उपकरणों या प्रोद्योगिकी की कमी है। अतः जैसा कि कहा गया है ऐसा नहीं है। (व्यवधान) आयात नीति पर विस्तार में चर्चा करने का हमें अवसर मिला था। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम चर्चा कर सकते हैं और तब आपको मालूम होगा कि इसमें शायद ही कोई परिवर्तन किया गया है। जब मैंने यह कहा कि खुले सामान्य लाइससों से बहुत सी मदें निकाल दी गई हैं तो आप इससे क्या समझे ? इसका अर्थ यह है कि कुछ हद तक हमारी प्रतिवन्धात्मक नीति है अन्यथा यह खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होती। हम उन क्षेत्रों में उन मदों का आयात करना नहीं चाहते हैं। आखिर जब आप आयात नीति की बात करते हैं तो आपको आयात नीति की शब्दावली से अवगत होना चाहिए।

जहाँ तक मुद्रास्फीति का सम्बन्ध है, यह सत्य है कि जुलाई के अन्तिम सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है किन्तु 24 जुलाई इनमें को 2·2 प्रतिशत की कमी आयी है अर्थात् इनमें घटने की प्रवृत्ति है जब मैंने कहा है कि यह मौसमी है तो दरसल तथ्य यह है कि इस अवधि के दौरान इसमें परिवर्तन होता है। वे कौन सी मदें हैं जिनके मूल्यों में वृद्धि हुई है.? वनस्पति तेल, मछली, अडे, गुड़, खांडसारी चीनी और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ये मौसमी मदें हैं जिनके मूल्यों में मौसमी उतार-चढ़ाव आता है। यह कोई नहीं कहता कि हम मुद्रा स्फीति को शून्य पर ले आये हैं। हमने यह भी कमी नहीं कहा है। यह न मैंने कहा है ओर न श्री वेंकटरामन ने कहा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चुनाव के दौरान आपने कहा है कि यह शून्य है।

श्री प्रणव मुखर्जी : हमने यह कहा है कि बिन्दू से बिन्दू के आधार पर 10 अप्रैल को मुद्रस्फीति दर शून्य थी और मई के पहले सप्ताह में यह ऋणात्मक थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को अपने पत्र में लिखा है कि मुद्रास्फीति की दर 8 प्रतिशत है।

श्री प्रणव मुखर्जी : सम्पूर्ण वर्ष को हिसाब में लेते हुए इस वर्ष अब तक यह 1·2 प्रतिशत है। कुछ घट बढ़ हो सकती है ··(व्यवधान) मैं नहीं समझता कि हम पूरी तरह से खतरे से बाहर हो गये हैं किन्तु साथ ही मैं आपको यह बता सकता हूं यह पूरी तरह से नियंत्रण में हैं।

श्री सी०टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूतपूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के भूतपूर्व महासचिव द्वारा रखे गये अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि मेरे से पहले के कुछ वक्ताओ ने भी कहा है, इस अधिवेशन के अंतिम दिन रखा गया यह अविश्वास का प्रस्ताव, विरोधी दलों का एक निष्फल प्रयास है। मैं भी कार्यमंत्रणा समिति का सदस्य हूं और जानता हूं कि आपने सभी महप्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की अनुमति दी थी। इस अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अब सदस्यों को तीन दिन और यहां रुकना पड़ा है।

अधिवेशन में बिहार प्रेस विधेयक पर भी चर्चा की गई है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसको एक कठोर विधेयक कहकर इस विधेयक की आलोचना की है। इस विषय पर मैं भी

उनसे सहमत हूं । पर मैं उनसे इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं । जब बिहार विधान सभा में इस विधेयक को पेश किया गया तो राज्य सरकार ने भी सभी समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया था कि यह विधेयक तमिलनाडु विधेयक के ढ़ाचे के अनुसार तैयार किया गया है । मैं चाहूंगा कि श्री समर मुखर्जी हमें बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि उनके दल ने तमिल नाडु विधान सभा में ऐसे ही विधेयक का विरोध नहीं किया, हालांकि वह बिहार विधेयक से ज्यादा कठोर था, क्योंकि इसमें प्रावधान हैं कि एक हैड कांस्टेबल भी एक रिपोर्टर या सम्पादक को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और उसे कितने ही दिनों तक जेल में बन्द रख सकता है, क्योंकि यह गैर जमानती धारा है । राज्य विधान सभा में इस विधेयक पर हुए मतदान के समय डी० एम० के० ने सदन त्याग दिया था । लेकिन सी पी आई और और सी पी एम ने उनका साथ ही नहीं दिया । जनता पार्टी ने भी हमारा समर्थन नहीं किया था । भारतीय जनता पार्टी ने इसके विपरीत इस विधेयक का समर्थन किया था··· (व्यवधान) मैं जानता हूं कि तमिलनाडु विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है । और वह तमिलनाडु विधान सभा के लिए चुनाव जीत भी नहीं सकते । उसने बाहर से इसका समर्थन किया था ।

विरोधी दलों ने भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा की है । मेरे राज्य में सान्मवत ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ता के लिए केन्द्र द्वारा दिया गया धन सत्तारूढ़ दल ने हड़प लिया है परन्तु इसका वहां किसी भी विपक्षी दल ने विरोध नहीं किया । इसी प्रकार ततिलनाडु में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा दिया गया धन अन्य प्रयोजनों पर खर्च कर दिया गया । इसका भीं किसी ने विरोध नहीं किया ।

इसके अलावा समुद्री जहाजों की खरीद संबन्धी घोटाला भी हुआ शुरू में तमिलनाडु सरकार पश्चिमी जर्मनी से 30 करोड रुपए प्रति जहाज की दर से तीन जहाज खरीदना चाहती थी । यह राशि करीब 100 करोड़ रुपये बैठती है । हमने हस्तक्षेप करके मामले के बारे में केन्द्र को अभ्यावेदन किया, जिन्होंने इस खरीद को रुकवा दिया । अब प्रति जहाज कीमत कम होकर 20 करोड़ रुपए हो गयी है, यानि तीन जहाजों की कीमत 60 करोड़ रु० रह गयी । इस तरह हमने 40 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बचाने और भ्रष्टाचार रोकने में सफल हो सके । असल में यह कीमत और भी कम हो सकती थी ।

आज तमिलनाडु में इस प्रकार की बातें हो रही हैं । जिनका राज्य स्तर पर किसी भी राजनैतिक दल ने विरोध नहीं किया है । इसके विपरीत वे स्थानीय सरकार का समर्थन कर रहे हैं ।

जहाँ तक सरकार की सफलताओं का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 1979-80 में दो दलों जनता व लोकदल की सरकारें थीं । श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1979-80 में वास्तविक आय (समुच्चियत)—5.0 प्रतिशत थी, जबकि 1980-81 में यह 7 प्रतिशत रही । वर्ष 1979-80 में वास्तविक आय (प्रत्यक्ष)—6·8 प्रतिशत थी, जबकि 1980-81 में यह 5·0 प्रतिशत रही । 1979-80 में कृषि उत्पादन (—) 15·5 प्रतिशत रहा, जबकि 1980-81 में यह 14·5

प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन (--) 1·4 प्रतिशत रही, जबकि 1980-81 में इसमें 4·1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह अन्य आँकड़े भी है। इसके अलावा, अन्य कई एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने सरकार की सफलताओं की सराहना की है। इस संबन्ध में मैं 16 अगस्त 1982 के इकनामिक टाइम्स छठी विश्व बैंक रिपोर्ट में एक अंश का हवाला देना चाहता हूं, जो कि इस प्रकार है :—

"कम आय वाले देशों में चीन की उत्पादन दर औसत से अधिक रही है और हाल ही में भारत की बचतों में वृद्धि होने और उन्नत कृषि उत्पादन की वजह से 1980 के दशक में इसकी प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि होते रहने की आशा है।"

विश्व बैंक रिपोर्ट में यह कहा गया है। आगे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मास्को की एक खबर, आज के टाइम्स आफ इण्डिया में छपी है, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं :—

"एक सरकारी सोवियत टिप्पणी में भारत को एक अन्तरिक्ष शक्ति और एक ऐसे बड़े कृषि और औद्योगिक राष्ट्र के रूप में माना गया है जो प्रमुख आर्थिक सूचकांकों के अनुसार है विश्व के प्रथम दस देशों में आता है।

'तास' द्वारा भारत के स्वतंत्रता दिवस पर की गई टिप्पणी में कहा गया है कि आजादी के समय तक भारत एक कृषि प्रधान और ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चा माल देने वाला पूरव देश था, जिन्होंने इसे आखिरी सीमा तक लूटा।

"प्रवक्ता ने आगे टिप्पणी ईर्द-गिर्द और उसकी आन्तरिक की है आज भी भारत की परिस्थितियां उसके शान्तिपूर्ण सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक नहीं हो रही हैं।"

उन्होंने कहा है कि आज भी यह हालत है। उन्होंने हमारे प्रयत्नों की सराहना की है। इसमें आगे कहा गया है कि :—

"तथापि भारत ने हमेशा समय पर काम आए अपने परम दोस्तों का साथ दिया है..."

एक माननीय सदस्य : क्या यह स्वतंत्रता दिवस का संदेश है ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : एक साम्यवादी देश ने यह कहा है। उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल भी किया है। कि क्या हमारा देश, विदेशी निवेशों का स्वागत करेगा या हम एकाधिकारियों यह इसी तरह के अन्य तंत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ तक भारत का संबन्ध है अगर मैं ठीक हूं तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया है। हमें ही नहीं, बल्कि किसी भी विकासशील देश को इसे अपनाना चाहिए, तभी वह ज्यादा पैदा कर सकते हैं और अपने लोगों को खिला सकते हैं। यहाँ तक कि चीन ने भी हाल ही में अपनी नीतियाँ बदली हैं। यहाँ मैं "चीन के अर्थशास्त्री पूँजीवादी तरीकों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, शीर्षक के अन्तर्गत छपा खबर का जिक्र करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"चीनी साम्यवादी पार्टी के सरकारी पत्र 'पीपल्स डेली' के एक लेख में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र जी ने इस बात की हिमायत की है कि चीन की आर्थिक प्रबन्ध प्रणाली में—जिसमें लवें समय

'से त्यागी हुई पूँजीवादी प्रणाली' और व्यापार एजेंसियों और विनिमय को बेहाल करना भी शामिल है—मूलभूत संशोधन की आवश्यकता है।

"लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अन्दर ही कुछ प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि नौकरशाही किस्म के सरकारी उद्योग और व्यापार से छुटकारा पाया जा सके।"

इसमें आगे कहा गया है कि "संक्षेप में, देश की समाजवादी अर्थव्यवस्था के लाभ और विकास के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न पूंजीवादी व्यापारिक व्यवहारों को ऐसे पुनरुज्जीवित किया जाय जिस के अन्तर्गत पूंजी निवेश में सुविधा हो और बाजार के नियामक कार्यों के लिए गुंजाइश हो।"

अत: चीनी अर्थशास्त्रियों के अनुसार समाजवादी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी, आजकल विदेशी पूंजी निवेश अनिवार्य है।

इसलिए, सरकार पर आरोप लगाना कि वह एकाधिकारियों और अन्य के हाथों का खिलौना बन गई है, निराधार है और राजनीतिक विद्वेष की भावना से प्रेरित है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं : यह अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं बल्कि एक अकेले प्रधान मन्त्री के विरुद्ध पेश किया गया है। उदाहरण के तौर पर अन्तुले कांड को लें। इस बारे में हमने कई बातें सुनीं हैं। अन्तुले कांड में महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में से 1 करोड़ रुपया दिया था। शुरू में इसमें प्रधान मन्त्री का नाम नहीं था। यहाँ बैठे हुए सभी राजनैतिक दल, जोकि महाराष्ट्र विधान में भी प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने इस ट्रस्ट के बनाये जाने का समर्थन किया था। जैसे ही प्रधान मन्त्री का नाम इसमें जोड़ा गया—चाहे सही या गलत, जाने या अनजाने में, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरू में विधान सभा में इसका सभी राजनैतिक दलों ने समर्थन किया था। (**व्यवधान**)

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : विधान सभा में मेरे दल का कोई सदस्य नहीं है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आप कहते हैं कि विधान सभा में आपके दल का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें मेरा कसूर नहीं है, जनता ने आप लोगों को नहीं चुना। यह मेरा कसूर नहीं है।

हमारे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने 'कुओं' तेल मामले का जिक्र किया है। यह मामला यह कह कर उठाया गया कि प्रधान मन्त्री सचिवालय में इसकी फाइल गायब है, यह कुछ एक लोगों की शैतानी है जो हमेशा ही प्रधान मंत्री को बदनाम करना चाहते हैं और उनके विरुद्ध कोई न कोई आरोप लगाते रहते हैं।

श्री बहुगुणा ने 'हिन्दी का सवाल भी उठाया है। एक विभाग ने जल्दबाजी में कुछ निर्णय लिया। 'आल इण्डिया रेडियो' शब्द को आकाशवाणी में बदल दिया गया। जब हम मामले को प्रधान मन्त्री के नोटिस में लाये तो उन्होंने पुन: पहले वाली स्थिति बहाल करने के आदेश जारी

कर दिये । तमिलनाडु के जनता खुश है मैं प्रधान मन्त्री से अपील करना चाहता हूं कि वही विभाग पुन: तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है । दुबारा से टी० वी० कार्यक्रम में कुछ हिन्दी समाचार दिये जाते हैं । और रोजाना एक घन्टे का नाटक और प्रादेशिक भाषाओं को थोपा जा रहा है । हिन्दी को कुछ महत्व दिया जा रहा है । आप कह सकते हैं कि इसे 'इन्साट' से प्रसारित किया जाता है । सारा उत्तरी भारत हिन्दी जानता है । हम राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं । तो हम दक्षिण की किसी भाषा का प्रसारण क्यों नहीं करते, जिससे उत्तर के लोग भी इसे सीख और समझ सके जिसे हमारे संविधान की अनुसूची VIII में भी स्वीकार किया गया है । मैं सरकार और प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी लें ।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं, जिसका कि जिक्र हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री वाजपेयी ने भी किया है । यह है विदेश मामलों में गुट-निरपेक्षता की नीति । मैं कहना चाहता हूं कि हम सबने प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा के संबंध में पढ़ा है । मैंने विदेशी संवाददाता द्वारा लिखी गई एक खबर को पढ़ा है । उसने कहा है, "श्रीमती गांधी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की असली नेता है ।

भारत ही वह असली देश है, जो गुट निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व करता है, यहां मैं उसका हवाला देना चाहता हूं :—

"श्रीमती गांधी, निर्विवाद रूप से बहुत ही प्रमाणिक और तीसरे विश्व की बहुत ही शक्तिशाली और माननीय नेता हैं । एक दफा फिर भारत ने अपनी स्थिति को संस्थापित कर दिया है···।" इसका मतलब है हम जनता शासनकाल में कुछ समय के लिए अपनी स्थिति से हट गये थे । इस तथ्य को हमें स्वीकारना ही होगा ।

> "भारत ने एक दफा पुन: यह प्रतिस्थापित कर दिया है कि वह दलित आधी मानवीयता की अन्तरात्मा है ।"
>
> "प्रत्येक अवसर पर प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हालांकि उनका उद्देश्य समझौते के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विदेश नीति में या भारतीय अर्थ व्यवस्था के ढांचे में कोई परिवर्तन आये । अगर भारत द्वारा यह दृढ़ता नहीं दिखाई जाती तो अमेरिका की नीतियों में परिवर्तन न दिखाई देता । इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वे अमेरिका में मित्रों की तलाश में गई थी न कि स्वामियों की तलाश में ।"

प्रेस में इस प्रकार की खबरें छपी हैं ।

आखिर में मैं एक विषय पर बोलना चाहूंगा । उन्होंने हरिजनों पर अत्याचार और साम्प्रदायिक दंगों के बारे में काफी कुछ कहा है । मैं इस तरफ बैठे हुए सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या इनमें से कोई भी खड़ा होकर कह सकता है कि मैं कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूं या मैं कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करता रहा हूं । नहीं । कोई भी नहीं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : इसमें आप भी शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे यह क्यों कहलवाना चाहते हैं ? यह इस पर बोलेंगे।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्री पासवान जी, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। एक नेता साम्प्रदायिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। एक नेता की पहचान किसी खास जाति के नेता के रूप में की जाती है। एक नेता की पहचान धार्मिक नेता के रूप में की जाती है। एक नेता की पहचान धार्मिक नेता के रूप में की जाती है, क्योंकि उसकी धार्मिक गतिविधियों में पहुंच है। उनकी पहचान कमजोर वर्ग के नेता के रूप में नहीं की जाती। लेकिन जब कभी किसी हरिजन को पीटा जाता है, या हरिजन महिला या बहन को तंग किया जाता है, वह किसको याद करती है ? वह सिर्फ इन्दिरा गांधी को ही याद करती है। इसमें शक नहीं। वारदातें हुई हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में भी घटनायें हुई हैं। राज्य सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। हमने कई दफा इनका जिक्र श्रीमती गांधी से किया। हमने इकट्ठें बैठकर इस मसले पर बातचीत की। हम जानते हैं कि एक गण सुन्दरी की हत्या की गयी थी। हमने प्रधान मन्त्री से इस मामले को व्यक्तिगत रूप से उठाया। उन्होंने हमदर्दी वश मृतक की माँ को 5000 रु० की अनुदान राशि दी। 5000 रु० कोई बड़ी राशि नहीं है। लेकिन आपको उनके दिल की भावना को और उनकी हरिजनों और अन्य कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति को समझना चाहिए।

इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं कहना चाहूंगा कि यह आखिरी मेहनत है, जैसा कि मैंने पहले कहा यह एक व्यर्थ की मेहनत है। यह इस नेतृत्व के प्रति एक राजनीतिक विद्वेष की भावना है, राजनीतिक कुलवैर है। यह एक दिलेर नेता के विरुद्ध व्यर्थ की कोशिश है। हमने कई अवसरों पर तमिलनाडु में यह कहा है। आज भी मैं यह कहता हूं कि वह एकमात्र नेता हैं। केवल श्रीमती गाँधी ही देश को लोकतंत्रात्मक और स्थायी सरकार प्रदान कर सकती है। इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्ताधारी दल के माननीय सदस्य 10 मिनट से अधिक नहीं लेंगे और इस ओर वाले लोग भी 7 से 10 मिनट तक ही लेंगे। श्री आर. एस. स्पैरो।

श्री आर. एस. स्पैरो (जालन्धर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज के विषय पर अच्छी तरह वाद विवाद हुआ है मैं केवल वाद विवाद के मुख्य मुद्दों पर ही बोलने का प्रयास करूंगा।

प्रथमतः मेरे विचार से इस अविश्वास प्रस्ताव विशेष का कोई महत्व नहीं हैं यह बात कुछ अन्य वक्ताओं द्वारा भी प्रभावपूर्ण ढंग से कही गयी है। ध्यान देने योग्य बात है कि इस समस्या पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर पिछले छः सप्ताहों में सभा में बहुत बारीकी से चर्चा न की गयी हो। आपको याद होगा कि कुछ महत्वपूर्ण वाद विवाद के दिनों में, उदाहरणार्थ जब मण्डल आयोग के प्रतिवेदन, तथा हरिजनों पर अत्याचारों आदि पर वाद विवाद हुआ था,

विपक्ष का कोई भी उच्च नेता उपस्थित नही था मैंने श्री बहुगुणा को भी, जिन्होंने इस विशेष प्रस्ताव को पेश किया है जिन्होंने आज उन विभिन्न विषयों पर वाद विवाद में भाग लेते हुए बहुत कम देखा है जिन पर समय-समय पर विवाद हुआ है, इसलिए मैं यह नही समझ सकता कि इस प्रस्ताव विशेष का मूल महत्व क्या है और मुझे यह समझ नही आया हूं कि किस वास्तविक आधार पर यह विशेष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

आखिर, यह बात आसानी से समझी जा सकती है कि एक मजबूत पार्टी जिसे प्रबल बहुमत प्राप्त है सत्ता में है और यह कहना या सुझाव देना—जैसा कि श्री सुब्रह्मणयम स्वामी ने कहा—कि हमें इस्तीफा दे देना चाहिए कुछ तर्क संगत होना चाहिए। आप कहते हैं हमें इस्तीफा दे देना चाहिए था। किस आधार पर? ठीक है सम्भवत: आप नाराज हैं और आप कुछ विषयों पर चर्चा करके सत्तारूढ़ दल को बदनाम कर सकते हैं तो अधिक से अधिक आप यही आशा कर सकते है कि शायद किन्ही परिस्थितियों में पुन: चुनाव कराये जाये। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता सकता हूं कि हमारा दल पहरे पर इस देश की जनता के निर्णय से नियुक्त हुआ है और हम झुझलाहट या भ्रान्ति में भोगेंगे नहीं जैसा कि जतना पार्टी ने 2 1/2 वर्ष के शासन के बाद किया था ऐसा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम यहीं पर रहेंगे और देश की जटिल समस्याओं को सुलझायेंगे। कुछ जटिल समस्यायें तथा कुछ गड़बड़ियां है। उनका सामना किया जाता है क्या आपका कहने का तात्पर्य यह है कि हमें एक डरपोक की भांति दुम दबाकर भाग जाना चाहिए? कम से कम हमारे स्तर की जैसी पार्टी से आपको ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए।

मैं अपने ऊंची उड़ान भरने वाले विपक्षी सदस्यों की सूचना के लिए पुनः कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारी प्रगति का सम्बन्ध है भारतवर्ष ने बहुत अच्छी प्रगति की है भारत सबसे बड़ा प्रजातान्त्रिक देश है जिसमे 70 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की जानी है। आज भारत का स्थान उसकी क्षमता की दृष्टि से और वास्तविक रूप मे विश्व के प्रथम पांच शक्ति शाली देशों में है। कोई भी इस वास्तविकता को नकार नहीं सकता। आप विदेशों में जाकर किसी बुद्धिजीवी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो की क्षमता वास्तविकताओं को समझता हो बात करें जहाँ तक आजविक विस्फोट आजविक विखण्डन तथा अन्य प्रौद्योगिकी प्रगति का सम्बन्ध हैं, भारत का स्थान आज प्रथम छ: राष्ट्रों में है। औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी भारत आज विश्व के प्रथम सात देशों में है। आज हमारी यह स्थिति हैं। माननीय सदस्य श्री चरणसिंह द्वारा कुछ चर्चा की गयी है उन्होंने कृषि तथा कृषि उत्पादन आदि के बारे में चर्चा की है। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि हम जहाँ तक खाद्यान आदि का सम्बन्ध है अच्छी प्रगति नहीं कर रहे है। एक समय था—उन्होंने गाँधी जी और श्रीमती कस्तूरबा के समय का 40 वर्ष पहले का उदाहरण दिया—जब लोग बहुत गरीब थे। मैं इसका सीधा निराकरण करता हूं। यह बात नहीं है। मुझे याद है कि जनता शासन काल में वितरण की अच्छी व्यवस्था न होने और अपने कार्य में निष्क्रय होने की वजह से हमने अपने खाद्य उत्पादन में बड़ी हानि उठायी। इससे कोई संदेह नही है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 26 लाख टन आलू खेतों में सड़ गया। इसके अतिरिक्त गन्ना किसानों के खेतों में जलाया गया, श्री चरणसिंह जी के गाँव में भी। चीनी की कमी इतनी

गम्भीर थी कि उसकी पूर्ति करना बहुत कठिन था। यही नहीं गेहूं धान व अन्य खाद्यान्न गोदामों व खनियों में लम्बे समय तक पड़े रहने से सड़ गए तथा काले पड़ गये उसे उठाया नही गया और उसका कोई उचित वितरण नहीं हुआ और उस समय हमारी अर्थव्यवस्था वस्तुतः नष्ट हो गयी थी। और मुझे याद है कि भारत की स्वर्ण निधि को जो कि आप सभी सहमत तथा आर्थिक स्थिरता को लाभ होंगे कि किसी भी देश का लेन-देन आर्थिक आधार होता है कि अल्प-काल में ही समाप्त किया गया है यदि मैं इन सभी बातों को दोहराऊं कि यह सब किस प्रकार हुआ है तो हर एक को इससे बहुत दुख होगा।

जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब हम बहुत अधिक प्रगति के पथ पर हैं। किसी ने हथियारों के विषय पर कहा हैं। भारत की सशस्त्र सेनाएं, सैनिक प्रशिक्षण व युद्ध-योग्यता में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

हमारी माननीया प्रधान मन्त्री व रक्षा मन्त्रालय के संरक्षण में सभी नीतियाँ बड़े ही संतुलित ढंग से बनायी गयी है।

हम, किसी भी प्रकार से किसी एक वस्तु के पीछे नहीं दौड़ रहे है हम वही वस्तुएं खरीदते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। रणनीति तथा तकनीकी के सिद्धान्तों के अनुसार हथियारों का विविधिकरण सुव्यवस्थित तथा नियंत्रित ढंग से किया गया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि भारत की रणनीति, इसकी संस्कृति, इसकी सभ्यता का हाल ही में जो प्रदर्शन किया गया है पूरे विश्व में सम्पन्न किया गया है। ये सभी बातें जिस एक रुपता से प्रकट हो रही हैं उससे जान पड़ता है कि भारत की स्थिति क्या है, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई कह रहा था कि हमने 35 वर्षों में कुछ नहीं किया। यह भारत है जो दक्षिण एशिया तथा विश्व में एक शक्ति के रूप में उभरा है।

आज भारत के नेतृत्व की समता विश्व में उत्कृष्ट कोटि के नेतृत्व से की जाती है और इसमें कोई संदेह नही होना चाहिए।

यह हमारी प्रधान मन्त्री हैं, आप कहीं भी जाइये, हरेक कोई विश्वास पूर्वक यही कहेंगे संसार की एक प्रगतिशील नेता हैं यह चाहें ब्रझनेव हों या थैरचर या कोई अन्य सभी यह कहते हैं जब हम इस विशेष व्यक्तित्व के बारे में सुनते हैं और सुनते हैं कि किस प्रकार से वह देश का संचालन कर रही हैं हमें बड़ा गर्व होता है।

यही नहीं किन्तु भारत की गुटनिरपेक्षता आत्मनिर्भरता, समाजवाद, तथा मानवीयता आदि की उच्चस्तरीय नीतियों की सभी राष्ट्रों द्वारा प्रशंसा की जाती है।

यह है भारत की स्थिति और इस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा।

यदि आप पसन्द करें तो क्या मैं एक बात कह सकता है जिसको किसी ने पहले भी कहा है कि विपक्ष ने क्या किया जो विपक्ष के बड़े-2 नेता यहाँ बैठे हुए हैं और जो जनता शासन के भागीदार थे उन्होंने क्या किया जनता सरकार के कार्य निष्पादन के बारे में बहुत से लोगों द्वारा

बताया जा चुका है।

विपक्ष के नेताओं ने कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसके बारे में मैं आपको एक ही बात की याद दिलाऊंगा। कानुन और व्यवस्था की समस्यायें हैं। यह बहुत विस्तृत और जटिल प्रकार का देश है। इस देश में हमेशा कानून और व्यवस्था की समस्या रहती है। परन्तु सबसे अधिक समस्या जनता शासन काल में रही। पन्त नगर या आगरा या अलीगढ़ या औरंगाबाद या अमृतसर, कानपुर, बेलची, बिहार के अत्याचार आदि इसके उदाहरण हैं। इनका कोई अन्त नहीं था और इसकी पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता है।

मैं आपके सामने एक और विश्लेण रखना चाहता हूं। विपक्षी इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत क्यों कर रहे हैं? मैं इसका उत्तर केवल एक शब्द में ही दे दूंगा। बहुत बड़ी निराशा का द्योतक है। छोटे-छोटे दल तथा उपदल हैं; वे एक दूसरे का विश्वास नहीं करते और न ही किसी विचार धारा में विश्वास करते। वे बस आपस में लड़ रहे हैं और किसी तरह पुराने तिनके का सहारा लेते हैं वे इससे कुछ हासिल करना चाहते हैं और कभी वे एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं और कहते है "अब हम कुछ करें जिससे हम अपना अस्तित्व दिखा सकें। यही बस वास्तविकता है जिसके लिए विपक्षी दल कार्य कर रहे हैं। किस लिए और क्यों ऐसा किया जाता है इसकी अच्छी समझ उनके उच्च कमान और उच्च नेताओं को है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कर सकते हैं।

श्री आर० एस० स्प्रेरो : मैं समझता हूं कि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है।

भारत के एक स्वतंत्र नागरिक वक्ता के रूप में मैं आपको एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं। चाहे कुछ भी हो हमारी माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी के गतिशील नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए हमारी राष्ट्रीय प्रगति के काफिले मे भरी हुई प्रेरणा को टाला नहीं जा सकता। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव हो या न हो हमारी पार्टी नयी शक्ति से आगे बढ़ना जारी रखेगी।

भारत की प्रगति का मार्ग निर्धारित किया जा चुका है और कोई भी शक्ति चाहे आन्तरिक हो या बाहरी, हमें मातृभूमि की सेवा करते हुए समर्पित, देशभक्ति पूर्ण और प्रगति के मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। यह हमारी प्रतिज्ञा है और हम इसको पूरा करेंगे।

भारत किसी साम्प्रदायिक वर्ग, जाति फासिस्ट या एकदलीय शासन को सहन नहीं करेगा इस प्रकार की धारणाओं का, यदि कही हैं, तो कड़ा विरोध किय जायेगा। और उचित कार्यवाही की जायेगी। भारत माता के टुकड़े कर भारत किसी खालिस्तान, इस्लामिस्तान, हिन्दु राष्ट्र या ऐसे किसी शासन को नहीं आने देगा। यह हमें याद रखना चाहिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा जिसने एक मुक्त प्रजातंत्र को अपनाया है जो हवा की तरह स्वतंत्र है और यह विश्व देखेगा कि भारत महान उदाहरण बनने जा रहा है जिसमें भारत अपनी पूरी शक्ति के साथ विश्व का सबसे अच्छा तथा सबसे बड़ा प्रजातन्त्र होगा। हम उन

उच्च प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों तथा परम्पराओं को बनाये रखेंगे जो कि जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, वल्लभभाई पटेल, अम्बेडकर जैसे तेजस्वी व्यक्तियों तथा प्राचीन काल के अन्य महान व्यक्तियों के हाथों पोषित किये गये थे तथा कार्यान्वित किये गये थे। और अब हमारी माननीया प्रधानमन्त्री के गतिशील नेतृत्व में हम वर्तमान प्रगति के युग में भारत को महान बनाने के लक्ष्यों को पूरी शक्ति के साथ प्राप्त करेंगें। हम किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं यह उसका आधुनिक रूप है।

आखिर में मुझे विपक्ष के सदस्यों से एक नम्र निवेदन करना है। नम्र निवेदन यह है: आप जो कहना चाहते हैं कहिए परन्तु आखिर में सम्मानसहित प्रस्ताव को वापिस ले लें। मैं यही कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नी कृष्णन्। प्रत्येक सदस्य चाहे श्री उन्नी कृष्णन् हों या अन्य सदस्य 10 मिनट से अधिक नहीं लेगा तभी मैं उन सभी सदस्यों को मौका दे सकता हूं जो बोलना चाहते है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों की बहुत ध्यान से सुना हैं, जिसमें कुछ वक्ता 'स्वर्ण युग' की, जो जनवरी 1980 से आरंभ हुआ, कुछ उपलब्धियों का गुनगान कर रहे थे और कुछ लोगों ने महत्त्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया। तथापि इस चर्चा में नवीन परिवर्तन हुआ है। यद्यपि न तो प्रधानमंत्री यहाँ बैठी हैं और न ही सदन के नेता, वह यहाँ केवल यह देखने के लिए बैठी थीं कि वक्तव्यों में क्या कहा जा रहा हैं। मेरे भूतपूर्व नेता, श्री यशवन्त राव चव्हाण ने, जो दुर्भाग्य से यहाँ नहीं है, प्रश्न किया। और कहा कि "यह प्रयत्न निराशा का ही द्योतक है।" ठीक है, मैं अभी भी उनका आदर करता हूं। जब 1979 में उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो उन्होंने राष्ट्रीय कर्त्तव्य का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था मैं नहीं जानता कि प्रस्ताव का अंत क्या होगा, यह अस्वीकृत भी हो सकता है।' मैं जानता हूं और आपको बता सकता हूं कि दल की कार्यकारिणी में उन्होंने और मैंने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विरुद्ध मत दिया था लेकिन हम अल्पमत थे। अत: इसे प्रस्तुत किया गया। लेकिन यह वास्तव में राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पुकार थी। "मैं यह सोचना था कि दल बदलने के बाद भी वह यह मान जाते कि इस पक्ष में बैठे हम कुछ लोगों में अब भी रास्ट्रीय कर्तव्य की भावना है।

प्रश्न है कि 30 महीने पहले श्रीमती इंदिरा गांधी को जनता ने उनके दल की बजाय निजी हैसियत से समर्थन दिया था। उस समय श्रीमती गांधी ने वचन दिया था कि वह देश को दिशा देंगी और राष्ट्रीय उद्देश्यों को पुन- प्राप्त करेंगी और कहा था कि राष्ट्र कमजोर हो गया है, 'अत: हमें एसी सरकार की आवश्यकता है जो काम करे' और उन्हें ऐसी सरकार का नेता चुना गया जो कार्य करके दिखाएगी। मुझे विश्वास है कि श्री चह्वाण साहब मेरी इस बात से असहमत नहीं होंगे कि लोकतंत्रीय संसद प्रणाली में उत्तरदायित्व बहुत महत्वपूर्ण है और अविश्वास प्रस्ताव भी मूलत: इस उत्तरदायित्व का पता लगाने के लिए एक संसदीय उपाय है। यदि एसा है

तो अब समय आ गया है कि भारत की संसद अर्थात् लोकसभा इस बात की समीक्षा करे कि कांग्रेस (आई) ने पिछले 30 महीनों के शासन या कुशासन में अपने वचनों को कहां तक पूरा किया है। यही कारण है कि मैं महसूस करता हूं कि चव्हाण साहब और मेरे मित्र श्री विद्याचरण शुक्ल ने प्रस्ताव के प्रयोजन पर बिलकुल भी ध्यान नहीं दिया है।

श्री फ्रैंक एंथनी के बारे में वह यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं कुछ भी कहना नहीं चाहता। वह शक्ति के पुजारी हैं, चाहे वह ब्रिटिश का साम्राज्यवाद हो अथवा जो भी उसके बाद शक्ति में आया और जब कभी किसी के हाथ में सत्ता आई······

एक माननीय सदस्य : और जनता के नहीं······(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वैसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से परिवर्तन हुए हैं। सुरक्षा सम्बन्धी वातावरण में परिवर्तन हुए। इस सरकार को अथवा किसी अन्य सत्तारूढ़ सरकार को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रश्न वह है : कि उन्होंने अपने वचन कहां तक पूरे किए ? हम जो दिशाहीन हो गये थे तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल हो गये थे उसमें क्या हो रहा है। शासन, अर्थव्यवस्था आदि में क्या हो रहा हैं ? मूल्य वृद्धि के बारे में क्या हो रहा है ? अर्थ-व्यवस्था का प्रबंध किस तरह किया गया है ? इन प्रश्नों पर ऐसे समय में चर्चा की जानी चाहिए। साथ ही आंतरिक सामाजिक एकता और राष्ट्रीय के एकता के बारे में क्या हो रहा है तथा साथ ही हमें उस 'विश्वव्यापी घटना' का भी उल्लेख करना होगा और देखना होगा कि इस विश्वव्यापी घटना, का सामना करने के लिए हमने किस हद तक नए मार्ग-दर्शी सिद्धांत अपनाए हैं तथा हमारे संविधान में विहित मान्यताओं और लोकतन्त्र के संस्थागत ढांचे को क्या हो रहा है। ये सब प्रश्न मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत रखना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे सहयोगी, श्री बसन्त साठे यहाँ उपस्थिति हैं। ये ऐसे प्रश्न है जो सामान्यतः किसी भी ऐसे व्यक्ति को उत्तेजित करते है जो गंभीरता से सोचता हैं और जो भावुक है और श्री साठे उस दल के ऐसे ही व्यक्ति है, जिन्हें हम समझते हैं कि वह गंभीरता से सोचते हैं मैं जो कुछ कहूंगा वह यह कि इस तरह के लोगों की उस पक्ष में भी संख्या बढ़े—इंशा अल्लाह। लेकिन श्री विठ्ठल गाडगिल जैसे व्यक्ति भी उनमें हैं। उनकी शांति भंग नहीं हुई है। इन्होंने देखा कि स्थिति हलचलपूर्ण और जिज्ञासा पैदा करने वाली है।

वह मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे उलझना नही चाहता हूं किन्तु मैं यही कह सकता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इन विशेषणों का प्रयोग किया है।

अब पुनः विषय पर आते हुए मैं कहूंगा कि कल प्रधानमन्त्री ने लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए ठीक ही कहा कि हमें गरीबी से लड़ना है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के 35 वर्ष बाद भी क़रीब 350 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे निर्वाह कर रही है। इस महान राष्ट्र की प्रधान-मन्त्री का वार्षिक रस्म के रूप में लालकिले की प्राचीर भाषण देते समय इस पर कुछ विचार करना ठीक ही था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए अंतिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रति-शत वार स्वाधीनता के समय निराश्रितों की जो संख्या थी वह आज बढ़ गई है।

कृषि मजदूर जाँच समिति का कहना है कि पिछले पाँच वर्षों में कृषक परिवार में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है और 350 करोड़ लोगों के पास आज पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यह बहुत शर्मनाक बात है लेकिन इस बात को हमें याद रखना हैं ताकि हम कुछ कार्यवाही कर सकें। यहीं कारण हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महा निदेशक, श्री मेहलर का कहना है कि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसका सामना भारत को करना है। मुझे केवल इतना ही नहीं कहना है। महोदय, ये सब बातें गरीबी को प्रकट करती हैं। दूसरी तरफ, टाटा की परिस्थितियाँ, जैसा कि किसी ने बताया, बढ़कर 1,538 करोड़ रुपए हो गयी है ओर विड़ला की 1431 करोड़ रुपए हो गयी है, अन्य एकाधिकारी गृहों ओर बड़े व्यापार उद्योगों में आगुन्तकों के बारे में तो कहना ही क्या है। श्री वेंकटरमन, जो यहां उपस्थिति हैं, उन्होंने एकदम ही संभवत: लगभग 20 लाख आयकरदाताओं को कर मुक्त किया हैं।

अत: गरीबी को हटाने, विषमता और आर्थिक संकेन्ट्रल को दूर करने के लिए क्या किया गया है? जो विनियामक ढाँचा तैयार किया गया था, सरकार की नीति उस ढाँचे को निरंतर खंडित कर रही है और बिगाड़ रहीं हैं और इसे छुपाया नहीं जा सकता। औधोगिक श्रमजीवी वर्गों के प्रति सरकार का क्या रवैया है? सभी को प्रभावित करने वाले आवश्यक सेवा से संतुष्ट न होकर अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमों मजदूर संघ के मूल अधिकारों का हनन करने के लिए और नए कानून बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने प्रयास जीवन बीमा निगम विधेयक रद्द करने के आरम्भ किए। उसके बाद बंगलौर के सरकारी उपक्रमों की हड़ताल को दबाया गया, और श्रमिक वर्ग के नेताओं के घरों में पुलिस भेजकर यह कार्य किया गया। लेकिन, बम्बई में कपड़ा मिल की पिछले 7 महीने की हड़ताल में क्या हो रहा है? इससे भी यही प्रमाद हो रहा है। माननीय श्रम मंत्री ने उस दिन 9 जुलाई को वक्तव्य देते हुए कहा था कि वह तदर्थ भुगतान के रूप प्रति माह 30 रुपए की पेशकश करना चाहते हैं। यह कपड़े मिल के श्रमिक वर्ग की न्यूनतम आय 715 रुपए का औसतन 4 प्रतिशत है। बातचीत से संतुष्ट न होने पर, पूना स्थित महाराष्ट्र की सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने यह परिपत्र भेजा। मैं इसे उद्धृत करता हूं—

> "इस कार्यालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि कुछ शहरी सहकारी बैंक बम्बई में कपड़ा मिल के हड़ताली श्रमिकों ऋण देने पर विचार कर रहे हैं। यह सरकार की नीति के विरुद्ध हैं—बैंकों द्वारा हड़ताली मजदूरों को ऋण देने के कार्य को गंभीरता से लिया जायेगा और उस पर तदानुसार कार्यवाही की जायेगी और यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए।"

इस तरह से दमन चल रहा है। मिल के श्रमिकों को धन या सहायता नहीं दी जा रही। महोदय, जहां सुकुर नारायण वखिया के साथ गोआ जेल में अन्य तरीके से व्यवहार किया जाता है ओर गालाधारी की भव्य स्वागत किया जाता हैं वहां बम्बई के कपड़ा मिल के श्रमिकों के साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं समाप्त कर दूंगा । कृपया सुनिए । मैं बहुत सी बातों पर विस्तार से नहीं जाना चाहता । आप मुझे अपने तर्क देने की अनुमति दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति पहले ही दी है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : भूमि सुधार के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 30 महीनों में उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ? उन में जहां कांग्रेस (आई) का बहुमत है, श्री भजनलाल और श्री जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य लोग भूमि सुधार के कार्य को किस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं ? इसके विपरीत जब पश्चिम बंगाल भूमि सुधार संशोधन विधेयक यहाँ भेजा गया, वह 14 महीनों तक नार्थ ब्लाक की शैल्फों में पड़ा रहा और बाद में उसे वापिस भेज दिया गया । गरीबी हटाने की आपकी यह वचनबद्धता है । आप वायदे की बात कर रहे थे और श्री चव्हाण ने भी उस ओर संकेत किया । क्या श्रमिक वर्ग, भूमि हीनों और लघु कृषकों के प्रति यही रवैया अपनाया जा रहा है ? जबकि मूल प्रश्नों का आपके पास कोई समाधान नहीं है । सूखे जैसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए प्रशासन में क्या कार्य किया हैं । मई के बाद से, उपग्रह यंत्रों और मौसम विभाग की पूर्व घोषणा से यह पता चला था कि हम सूखे का सामना कर पाएंगे लेकिन [illegible] कृषि मंत्री अभी भी सब बातें ईश्वर पर छोड़ देना चाहते हैं । क्या मैं 1979 के सूखे की फिर याद कराऊं ? 1979 के सूखे और आज के सूखे में अन्तर है । 1979 में जहां हमारे पास 2.1 करोड़ टन खाद्यान्न आरक्षित पड़ा था, जून 1982 में हमारे पास केवल 15·4 करोड़ टन का स्टाक था । जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं में कम से कम 2 करोड़ टन की वृद्धि हुई है ।

हमारी विदेशी मुद्रा में भी काफी कमी आई है । जहां जून 1979 में यह 5555 करोड़ रुपए थी, जून 1982 में यह 2500 करोड़ रुपए तक कम हो गई (**व्यवधान**) यह सब नीतियों में कमी और नीति ठीक से न बनने के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह नीतियाँ हमारी आत्मनिर्भर बनने के एकदम विरुद्ध हैं । अब मैं केवल अपने अन्तिम प्रश्न का उल्लेख करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा ।

तारापुर के ईंधन की पूर्ति के लिए एक समझौता हुआ था जिसे मैं श्री रीगन और श्रीमती गांधी के बीच समझौता नहीं मानता बल्कि इसे सिकन्दर-बार्नस का समझौता कहा जाना चाहिए । पिछले दिन 11 अगस्त 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन में बोलते हुए कहा जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "लेकिन संधि की शर्तें यह नहीं थी कि अमेरिका ईंधन की पूर्ति करेगा अपितु शर्तें यह थी कि वह पूर्ति कराने की व्यवस्था करेगा ।'

उन्होंने यह कहा । लेकिन मैं सदन का ध्यान 1963 के समझौते के खण्ड II-क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है—

"इस समझौते की अवधि में, अमेरिका का आयोग भारत को ईंधन बेचेगा और भारत

सरकार अपनी आवश्यकतानुसार इस आयोग से ईंधन खरीदेगी...।"

मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो श्रीमती गांधी का, विशेषकर आत्मनिर्भरता की उनकी विचारधारा का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अत्याधिक आदर करते हैं, जिसे उन्होंने एक बार देश में अपनाने का प्रयत्न किया था। लेकिन हमारी परमाणु नीति का मुख्य उद्देश्य, चाहे यह हमारा पक्षपातपूर्ण प्रसार विरोधी संधि थी अथवा शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट या सुरक्षा के प्रति अपनाया गया रुख हो, आणविक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, जिसे अलेक्जेंडर-बार्नेस द्वारा किए गए समझौते में नष्ट किया गया है। प्रधान मंत्री ने मोक्स मार्ग भंग करने का उल्लेख किया है और यह दावा किया गया है कि अनुसंधान कभी व्यर्थ नहीं जाता। शैक्षणिक रूप से यह सच हो सकता है, लेकिन क्या वह हमें बता सकती हैं कि रोक्स मार्गों का भारत में कौन अन्य रिएक्टरों का प्रयोग कर सकते हैं जिस पर हमने 40 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किया है? विश्व जानता है कि केवल तारापुर में ही कम परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग होता है। यदि ऐसा है तो इसका वास्तविक क्या अर्थ है जब वह कहती हैं कि मोक्स मार्ग पर किए गए अनुसंधान का परिणाम व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही यह 1981 में किया जा सकता था जब मालोन यहां [illegible] राज्य अमेरिका को बिना कार्यवाही के छोड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका [illegible] पूर्ति न करने पर, न केवल 1967 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को भंग करने का दोषी है बल्कि समझौते संबंधी आन्तर्राष्ट्रीय कानून के 1969 में वियाना में हुए समझौते का उलंघन करने का भी दोषी है। अनुच्छेद 27 में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी दल अपने आंतरिक कानून, जैसे संधि को पूरा न कर पाना, के उपबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपके दल को 5 मिनट दिए गए थे। आप पहले ही 17 मिनट ले चुके हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : श्रीमती गांधी ने द्विपक्षीय करार के उल्लंघन के लिए अमरीका पर आरोप लगाने की बजाए उनसे समझौता किया है। यही मेरा आरोप है।

महोदय, मैं आपका अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं केवल यही कहूंगा कि यह सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनाए गए रास्ते को पूर्णतः छोड़ देने का ही परिणाम है और मैं श्री बहुगुणा द्वारा प्रस्तुत किए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

रक्षा तथा गृह मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कम बोलना है क्योंकि गृह मंत्रालय के विरुद्ध बहुत कम बातें कही गई हैं। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूंगा। शुरू में मैं अपने माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन को याद दिलाना चाहूंगा जिन्होंने श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किए गये अविश्वास प्रस्ताव का, जिसके द्वारा सरकार को गिराया गया था। समर्थन किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो दल बदल के कारण हुआ था।

श्री आर० वेंकटरामन : कुछ भी हो इससे सरकार गिर गई थी। बहुत से वक्ताओं ने

निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख किया है—

(1) अल्पसंख्यकों पर अत्याचार (2) पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति (3) महिलाओं पर अत्याचार (4) प्रेस विधेयक (5) पंजाब की स्थिति। ये पांच मुद्दे उठाए गए हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मीनाक्षीपुरम के लिए में अरब के धन के बारे में क्या स्थिति है?

श्री आर० वेंकटरामन : इसका यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है। जिसका सुब्रह्मण्यम स्वामी जिक्र करते हैं उसकी मैं हमेशा उपेक्षा कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वे बहुत अधिक संगत नहीं है। ठीक है न?

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों का संबन्ध है इस पर काफी विस्तार से 29 जुलाई को वाद-विवाद किया गया था। वास्तव में, महोदय, आपको याद होगा कि मैंने सभा को को कहा था कि मैं जब तक माननीय सदस्य चाहेंगे बैठूंगा और वाद-विवाद का उत्तर देता रहूंगा। वाद विवाद रात को नौ बजे तक चलता रहा और जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव में भाग ले रहे हैं, उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया। महोदय, यदि वे यह महसूस करते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है तो उनको आना चाहिए था और इसमें भाग लेना चाहिए था और अपने मूल्यवान सुझाव पेश करने चाहिए थे जिन पर मैं हमेशा विचार करने के लिए तैयार हूं। परन्तु दुर्भाग्य से कोई आगे नहीं आया और जब हमने वाद-विवाद को बन्द किया तो सदस्यों की अन्तिम उपस्थिति कहीं एक इकाई में थी।

मैंने स्थिति के बारे में आंकड़े दिये और विशेष रूप से उल्लेख किया कि सरकार अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में निष्क्रिय नहीं है। हमें इस बात पर वास्तव में खेद है कि देश के बहुत से भागों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किये जा रहे हैं और यह एक सामाजिक बुराई है जिसको समाज के सभी वर्गों के सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए।

महोदय; यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया था कि इस प्रकार के अत्याचारों का मुख्य कारण क्या है—यह उतना अधिक वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष नहीं है जितना कि यह एक आर्थिक संघर्ष है। उदाहरण के लिए जब हरिजन न्यूनतम मजदूरी लेना चाहता है तो दूसरी जाति का जमींदार उनके विरूद्ध कार्रवाही करता है फिर यह जातियों के बीच संघर्ष बन जाता है। जब एक बटाईदार एक काश्तकार अपने अधिकार चाहता है और वह उनके लिए दावा करता तो यह जमींदार और काश्तकार के बीच संघर्ष बन जाता है और फिर यह संघर्ष एक साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेता है, यद्यपि वास्तव में यह एक आर्थिक विवाद है। उसी प्रकार कभी कुछ क्षेत्रों में फालतू पड़ी जमीन सरकार द्वारा हरिजनों व समाज के गरीब वर्गों को दे दी जाती हैं तो उच्च वर्ग के लोग नाराज हो जाते हैं और कुछ झगड़े हो जाते हैं। इसलिए इनको हमेशा एक साम्प्रदायिक रंग देना और यह कहना कि ये घटनाएं साम्प्रदायिक अत्याचारों की वजह से होती हैं स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं है।

इसलिए मैंने उस समय भी बतलाया था कि सरकार कमजोर वर्ग के उचित अधिकारों की रक्षा

करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकारों को उचित अधिकारों वैध अधिकारों तथा न्यूनतम मजदूरी आदि का संरक्षण करने के लिए आदेश जारी किये जायें, ताकि हम गरीब वर्गों को संरक्षण दे सकें और उसके द्वारा बेहतर सम्बन्ध बना सकें तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोक सकें।

इस मामले में मैं अधिक विस्तृत जानकरी नहीं देना चाहता क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि इस मामले में सरकार की नीति यह है कि यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि पिछले वर्ष पांच व्यक्ति अधिक थे या अगले वर्ष एक व्यक्ति कम और इस मामले से निपटने का यह सही तरीका नहीं है। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि यह किस प्रकार से किया जा सकता है।

अगला मुद्दा जिसका उल्लेख किया गया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में है। श्री बहुगुणा ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जल रहा है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब जल नहीं रहा है। और अब उस पर नियंत्रण कर लिया गया है। वास्तव में अन्तिम बन्द—जनता बन्द—जो 15 अगस्त को किया गया था, केवल एक सांकेतिक था। इसमें बहुत कम लोगों ने भाग लिया था। सरकार की इस घोषणा का कि हम 25 अगस्त को बातचीत का एक दौर रखेंगे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और हम सरकार, विपक्षी दलों, आसाम में सम्बन्धित पार्टियों की बातचीत पर आशा लगाए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आसाम की स्थिति के बारे में अब समझौते की आशा बढ़ रही है और यह कहना गलत होगा कि यह जल रहा है।

यदि आप मिजोरम को लें—एक निश्चित नीति का वक्यकर दिया जा चुका है कि अब हमें लाल डेंगा से कुछ नहीं करना है और वहाँ पर हम लोक प्रिय सरकार को मजबूत बनाने जा रहे हैं तो हम सरकार को उन अवैध और गैर कानूनी गतिविधियों को दबाने के लिए हर सम्भव सहायता दे रही है और इससे वातावरण में ऐसा परिवर्तन आ गया है कि पिछले एक महीने से वहाँ कोई घटना नहीं हुई।

यदि आप मणिपुर को लें, वहाँ पर हम पुनः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की संख्या बढ़ा रहे हैं। मणिपुर में कई विस्फोट हुए विशेष रूप से माननीय मन्त्री को एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में याद होगा जिसमें कुछ घुसपेठियों द्वारा 19 जवानों की घात लगाकर हत्या कर दी गई थी। तभी से हमने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को मजबूत कर दिया है और हम उस क्षेत्र को छान मारने तथा हर संभव भूमिगत गतिविधि को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे यह कहने में खुशी हो रही है कि तब से उस क्षेत्र में कोई ऐसी घटना नहीं हुई।

अब मैं दहेज के कारण होने वाली मौतों और अत्याचारों से सम्बन्धित अगले प्रश्न पर, जिनका कि उल्लेख किया गया है, आता हूं इस पर 15 जुलाई को विस्तार से चर्चा की गई थी जबकि मैं पुनः कहना चाहूंगा कि लम्बी चर्चा होने के बावजूद भी बहुत कम लोगों ने—विपक्ष के नेताओं ने—भाग लिया था। इस प्रकार उसको लगभग एक निरर्थक प्रयास बना दिया गया था, क्योंकि मुझे आशा थी कि इन चर्चाओं में में विपक्ष के नेता कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकेंगे।

केवल यह कहते जाने के बजाय कि एक जगह एक घटना हुई है और एक जगह अपहरण हुआ है और दूसरी जगह फिर यही हो रहा है, और ऐसा बार बार हो रहा है। हमें संसद में एक साथ बैठकर इन बातों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं इस बात पर विचार करना चाहिए - ठीक है शायद वे ऐसा कोई सुझाव देना उचित नहीं समझते और इसलिए अब इस मुद्दे को इतना बड़ा बना देना और कहना कि इस समस्या को न सुलझा पाने की वजह से सभा का इस सरकार में विश्वास नहीं है न्यूनतम शब्दों में एक···(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पाखण्ड।

श्री आर० वेंकटरमन : मैं इतनी जोरदार भाषा का प्रयोग नही करना चाहता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हास्यास्पद;

श्री आर० वेंकटरामन : मैं कहता हूं यह तर्क संगत नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटरामन हमेशा की तरह उनकी उपेक्षा कर दीजिए।

श्री आर० वेंकटरामन : वह मेरे मुंह में वे शब्द रखने का प्रयास करते हैं जिनका मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे एक ऐसे दूसरे स्कूल में शिक्षा मिली है जहाँ पर जो शब्द माला उन्होंने सीखी है उससे भिन्न शब्दमाला सिखाई गयी है।

अगला प्रश्न बिहार प्रेस विधेयक से सम्बन्धित है। उस पर हमने काफी लम्बी चर्चा की है और मैंने सभा को स्पष्ट किया है कि उस समय हमें विचार करने के लिए विधेयक नहीं मिला था और हमें यह विधेयक बिहार सरकार से अब मिला है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें विचार करने के लिए है क्या ?

श्री आर० वेंकटरामन : एक वकील के नाते आपको पता होना चाहिए कि उसमें विचार करने के लिए क्या है। संविधान के अन्तर्गत यदि राज्य का कोई उपबन्ध केन्द्र के विधान के किसी उपबन्ध के विरुद्ध है तो राज्य के विधान को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक उसको राष्ट्रपति की सहमति न मिल जाये। बिहार प्रेस विधेयक में, दण्ड प्रक्रिया संहिता के कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो केन्द्र द्वारा अपनाए गये दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध के विपरीत है। जब तक केन्द्र सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधनों के संबन्ध में बिहार सरकार के विधेयक को सहमति नहीं दे देती तब तक बिहार के उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के ऊपर लागू नहीं होंगे यहाँ पर सरकार सिफारिश करने में अपने आप निर्णय लेगी। जहां तक दूसरे पहलू अर्थात भारतीय दण्ड संहिता के संशोधन का सम्बन्ध है मैं पहले ही बतला चुका हूं कि भारत सरकार पहले ही तमिलनाडु विधेयक, उड़ीसा विधेयक को सहमति दे चुकी हैं। मैंने बतलाया था—श्री बहुगुणा उस सरकार के सदस्य थे— कि उनकी सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था और राजसभा में लाकर उसे पारित भी कराया था जिसमें धारा 292 तथा 292 (क) का संशोधन किया गया था जो लगभग बिहार विधेयक के समान हो है। इसलिए यह कहना कि मैं बहुत बड़ा

अन्याय कर रहा हूं आपको शोभा नहीं देता। लोक सभा भंग हो गई थी और इसलिए इस पर लोक सभा में विचार नहीं हो सका। इसलिए आप कितना भी स्पष्टीकरण दें परन्तु आप इस वास्तविकता को नहीं मिटा सकते कि आप धारा 292 और 292 (क) के संशोधन में भागीदार थे जो आपने प्रस्तुत किया था और राजसभा में पारित कराया था इसलिए यह आरोप, कि हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं बिल्कुल निराधार है। यह ऐसी बात है जिसको चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हीं इसके दुरुपयोग होने पर विनियमित करने की आवश्यकता महसूस करती हैं। यदि आप कहते हैं कि सरकार के पास इसको विनियमित करने की शक्ति नहीं है तो आपको उस धारा पर संविधान के उस अनुच्छेद पर ही आपत्ति उठानी चाहिए। अनुच्छेद 19(2) में यह उपबन्ध क्यों किया गया है कि इस पर कुछ जायज प्रतिबन्ध लगाये जा सकते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार की इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पर विचार किया है ? श्री साठे ने कहा है कि हमारे पास इस पर विचार करने का कोई समय नहीं है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह विधेयक भारत सरकार को कल या आज ही मिला है और भारत सरकार को इस उपयुक्तता, वैधता तथा आवश्यकता आदि पर अपना विवेकपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा।

कोई भी नहीं कह सकता कि इसे मैं कैसे लागू करूंगा या भारत सरकार इसे कैसे लागू करेगी। यह सरकार के सोचने की बात है। जिस तरह से हम इसे लागू करना उचित समझेंगे, उसी प्रकार से हम इसे लागू करेंगे। भारत सरकार ऐसी कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकें। अगर आप सही समझते तो आप बिहार सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे लेकिन आप इस सरकार के विरुद्ध इस विषय को लेकर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सके क्योंकि हमने इस पर कोई कार्यवाही ही नहीं की है, यह तो अभी हमारे पास आया ही है···(**व्यवधान**) आपने कहा है 'आप'। 'आप' से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : आप भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने बिहार विधेयक का समर्थन किया है। आज भी आपने इसका समर्थन किया है।

श्री आर० वेंकटरामन : यह बिलकुल गलत है। आप एक गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यहां उठाए गए हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया गया है। यह तो मात्र एक अपने उदगार प्रकट करने का अवसर था, और उन्होंने ऐसा ही किया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त वसु। अगर आप दस मिनट से ज्यादा समय लेंगे तो मैं, अगले वक्ता को बोलने के लिए कहूंगा। प्रधान मन्त्री सायं 7 बजे बोलेंगी।

श्री चित्त वसु (बारसाट) **:** श्रीमन, मैं श्री हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा प्रस्तुत किए गए

प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं केवल संकीर्ण विचारधारा या विरोध के लिए विरोध करने हेतु खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं मूल रूप से उन नीतियों का विरोध कर रहा हूं जो कि पिछले 31 माह से सरकार द्वारा अपनाई गई मूलतः हमारा तो मात्र उन नीतियों से मतभेद है जो कि भारत सरकार द्वारा पिछले 31 माह के दौरान अपनाई गई । हम इनका विरोध करते हैं । इसलिए राष्ट्र की माँग को देखते हुए, हमने यह प्रस्ताव पेश किया है । इसको स्पष्ट करना होगा ।

जैसा कि आपने मुझे स्पष्ट बताया है, मैं समय के बारे में भी सजग हूं । इसलिए मैं अपना भाषण संक्षिप्त रखूंगा आवश्यक बातों पर ही बोलूंगा । सरकार भ्रष्टाचार करने में असफल रही है । वह न केवल इसका उन्मूलन करने में असफल रही है अपितु उसने यह कहकर भ्रष्टाचार को मान्यता प्रदान की है कि यह तो विश्व भर में व्याप्त है । सरकार ने श्रमजीवी वर्ग विरोधी रवैया अपनाया है और उनके अधिकारों में स्वतंत्रता और हड़ताल करने के अधिकारों पर आघात किया है । सरकार साम्प्रदायिक ताकतों, विघटनकारी, ताकतों संकीर्णतावादी ताकतों का दमन करने में असफल रही है । यही ताकतें देश की एकता और अखण्डता के लिए सबसे बड़ा खतरा है । सरकार उन ताकतों द्वारा किए गए अप्रिय कार्यों से निपटने में असफल रही हैं जो हरिजनों और समाज के दलित तथा कमजोर वर्गों के सामाजिक दायित्व, प्रतिष्ठा और स्थिति को गिराना चाहती है । सरकार प्रैस की स्वतन्त्रता की रक्षा करने में भी असफल रही है । अभी कुछ देर पहले श्री वेंकटरामन ने कहा है कि हमें इस से कुछ लेना देना नहीं है यह तो बिहार सरकार है, जिसने यह कानून बनाया है । लेकिन यह भारत सरकार का कर्त्तव्य और जिम्मेवारी है कि वह प्रैस की स्वतन्त्रता को बनाये रखे । वह भारत सरकार की हैसियत से इस कार्य को करने में असफल रही है । यही नहीं उन्होंने बिहार सरकार के इस निर्णय पर अपनी मौन सम्मति दी है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह प्रैस की स्वतन्त्रता को बनाये रखने में असफल रही है ।

मैं सरकार की असफलताओं की लम्बी सूची पेश नहीं करना चाहता । सरकार देश में कृषि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने में भी असफल रही है । सरकार देश के कृषि श्रमिकों को उचित मजदूरी देने में असफल रही है । इस तरह से, सरकार की असफलताओं की लम्बी सूची हो सकती है । इसलिए उद्देश्य सरकार की निन्दा करना या किसी व्यक्ति का अपमान करना नहीं है, अपितु इसका प्रयोजन इन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है; जिससे कि या तो सरकार अपनी स्थिति को सुधारे, आर्थिक नीतियों में व्याप्त असमानताओं को खत्म करें जिन्हें वह अपनाये हुए हैं, नहीं तो देश और देशवासी आपके विरुद्ध खुद ही फैसला लेंगे । जब मैं यह कहता हूं तो इसका मतलब है हमारे देश की जनता ने सरकार की पिछले 31 माह की नीतियों का पहले ही निरनुमोदन कर दिया है । जनता को अपना फैसला देने का जल्द ही अवसर मिल गया । यहां मैं 19 मई को प्राप्त हुए चुनाव परिणामों का जिक्र करना चाहता हूं । अगर आप चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो पायेंगे कि जनता ने 19 मई के चुनाव में सरकार की नीतियों के विरुद्ध मत दिया है ।

चार राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस (आई) ने 441 निर्वाचन क्षेत्रों को अपने

उम्मीदवार खड़े किये थे और उनमें केवल 135 निर्वाचन क्षेत्रों में सफलता मिली। यह किस बात की द्योतक है ? (व्यवधान)

क्या यह स्पष्ट नही है ? क्या अब इससे इस बात का संकेत नहीं मिलता कि इन चारों राज्यों में ज्यादातर लोग इनके विरुद्ध हैं और जो नीतियां इसने अपनाई हुई हैं, उनका वे समर्थन नहीं करते।

लोक सभा के सात स्थानों के लिए उपचुनाव हुए हैं। परिणाम इस प्रकार रहा। आप तीन जगह से जीते और चार स्थानों पर हारे। मेरे पास और भी आँकड़े हैं, जिनसे पता चलता है कि लोगों ने आपके और आपकी नीतियों के विरुद्ध पहले ही अपना मत दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आपके अनुसार क्या सारे भारत में केवल 648 विधान विधान सभा सदस्य हैं ?

श्री चित्त बसु : यह एक छोटा आम चुनाव था। उनको 1980 में बहुमत मिला था। उनको इस पर गर्व है और वे समझते हैं कि इस बहुमत की वजह से वह लोगों पर, जनता-विरोधी, श्रमिक विरोधी नीतियां थोप सकते हैं और वह भी देश की स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता और आर्थिक लक्ष्यों को समर्पण और सौदा करने। (व्यवधान) वे इसका दावा करते हैं। लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं तो आप भी इससे सहमत होंगे कि मतदान में जनता ने अपना फैसला बदल दिया है। इस तरफ से यह भी एक आरोप लगाया गया है कि जिस बहुमत पर आपको बहुत घमंड था, उसे जनता ने 19 मई के चुनाव परिणामों के अनुसार बदल दिया है। आपने 441 विधान सभाई स्थानों के लिए चुनाव लड़े, लेकिन सिर्फ 135 स्थानों पर आपकी हार हुई विजयी रहे। आपने लोक सभा के सात स्थानों के लिए चुनाव लड़ा लेकिन चार स्थानों पर जबकि केवल तीन स्थानों पर आप जीते। (व्यवधान)। आप चार स्थानों पर हारे, जबकि केवल तीन स्थानों पर ही जीत सके। (व्यवधान)। हालांकि आपने सभी साम्पदायिक और प्रतिक्रियावादी ताकतों को अपने साथ कर लिया था, फिर भी पश्चिमी बंगाल में आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। केरल में भी आपने प्रतिक्रिया- वादी ताकतों की सहायता से चुनाव लड़ा और इससे फर्क क्या पड़ा ? अगर मैं सही हूं तो आप केवल एक प्रतिशत के बहुमत से जीते हैं, और वह भी तब जब आपने सभी साम्प्रदायिक और प्रतिक्रिया वादी ताकतों को अपने साथ कर लिया और फिर भी आप सिर्फ 0.99% के अन्तर से जीते। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दो या तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री चित्त बासु : जो समय आपने लिया है, उसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए तो मैं आपको अब दो, तीन मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद।

यह भी स्पष्ट है कि सत्तारूढ़ दल जनसाधारण से दूर भागता जा रहा है। आपके समर्थन में कमी आई है। प्रधान मंत्री का करिशमा कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा आप जन-

साधारण से दूर होते जायेंगे उतना ही ज्यादा आपका करिश्मा कम होता जायेगा, जितने ज्यादा आप क्रूर बनेंगे उतने ही ज्यादा आप सर्वसत्तावादी बनेंगे । 'एसमा' और 'मीसा' और अन्य कानून इसके उदाहरण हैं । हमें न केवल संदेह है बल्कि आशंका भी है कि आपके शासन के अधीन संसदीय लोकतंत्र का शीघ्र ही लोप हो जायेगा । राष्ट्रपति भवन में प्रधानमन्त्री के उम्मीदवार का बैठना, चुनाव आयुक्त की एक तरफ़ और पक्षपातपूर्ण नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका में प्रतिवद्ध न्यायधीशों से भरना इन बात का द्योतक है कि हमारी लोकतन्त्र प्रणाली का अन्त नजदीक ही है । प्रधानमन्त्री कहती हैं कि उन्हें इस बारे में वादविवाद कराने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली लाने की जरुरत है । उन्होंने इस विचार का विरोध नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि, इस में क्या दोष है ? उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली के सिद्धांत का विरोध तक नहीं किया है । उन्होंने कहा है कि, 'यह भी एक लोकतांत्रिक प्रकिया है ।" इस सबसे यही धारणा बनती है और आशंका उत्पन्न होती है कि आप संसदीय लोकतंत्र के रास्ते से हटने की प्रकिया पर कार्य कर रहे हैं ।

आर्थिक क्षेत्र में भी आपने कुछ ऐसे निर्णय लिये हैं, जिनका मतलब है झुकना, आत्मसमर्पण करना भारत के राष्ट्रीय हितों का सौदा करना ।

आखरी बात मैं तारापुर समझौते के संबंध में कहना चाहूंगा । मैं प्रधान मन्त्री को याद दिलाना चाहता हूं कि विदेश मन्त्री ने इसी सदन में यह कहा था कि :

> "अब भारत-अमरीका समझौते में यही करना रह गया है कि इसका शानदार ढंग से दफनाने की तैयारी की जाय ।" उन्होंने यही कहा था । अब वह कहते हैं कि यह अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे पुनर्जीवित करना होगा । इसलिए······

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा ।

श्री चित्त बसु : यह समझौता कुछ नहीं है, बल्कि तारापुर की वजह से भारत को अपनी स्थिति से हटना पड़ा है । यह समझौते से कम नहीं हैं और कोई भी आत्म सम्मान वाला राष्ट्र इस प्रकार के समझौते को नहीं मान सकता । इस नीति के मामले पर, आपने मुझे विस्तार से बोलने की अनुमति नहीं दी है, फिर भी मैंने मोटे तौर पर इसका जिक्र किया है हम इन्हीं नीतियों की वजह से सरकार का विरोध करते हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो आप तोड़ फोड़ की आदत को बदले उस रास्ते को बदले जो कि अनर्थकारी हों, नहीं तो लोगों को अपना फैसला देना होगा । हालांकि हम आपको सत्ता से हटा नहीं सकते ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, विवाद के कुछ प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के पहले मैं यह आवश्यक समझता हूं कि बिहार प्रेस बिल के संबंध में दो शब्द निवेदन करूं ।

यह अफसोस की बात है कि अनावश्यक विवाद इसके संबंध में बड़े जोरों से हम लोगों के बीच खड़ा हो चुका है और जो विवाद चल रहा है उसमें तर्क की गुंजाइश कम है, उत्तेज-

नाए अधिक हैं। मेरे सामने तमिलनाडु, उड़ीसा के कानून मौजूद हैं। बिहार के बिल के जो प्रावधान हैं वे हूबहू तमिलनाडु और उड़ीसा के कानून से एकरूपता रखते हैं और कोई ऐसी नई बात नहीं है जो बिहार के कानून में जोड़ी गई हो। फिर भी हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने और प्रेस के लोगों ने तमिलनाडु और उड़ीसा के कानून के बारे में कोई चर्चा उस समय उठाने की कोशिश नहीं की। आज हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि ड्रेकोनियर मेजर है, उनको अपने बगल में बैठे श्री बीजू पटनायक जी से पूछना चाहिए कि उनके शासन काल में इस तरह का कानून बनाने का औचित्य था। वे उड़ीसा में इस तरह का कानून बनाने के लिए क्यों बाध्य हुए ?

अभी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है और ये तमाम लोग आज महसूस करते हैं कि येलो जरनलिजम को रोकने के लिए और जिस पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र चरित्र हनन है, उन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए कुछ करना आवश्यक था। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण प्रेस की स्वतंत्रता में पूर्ण विश्वास रखते हैं और प्रधानमन्त्री जी ने भी अनेक मौकों पर साफ कहा है कि हम प्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनके विचारों के नजदीक आना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेस को खुद आज यह विचार करना है कि आज की पृष्ठ भूमि में वे क्या भूमिका अदा कर रहे हैं और वे अपनी जिम्मेदारी कहां तक पूरी कर पाए हैं। लेकिन इस मौके पर मैं यह भी दोहराना आवश्यक नहीं समझता हूं, जैसा कि गृह मन्त्री जी ने अभी कहा है कि इस प्रकार का कानून जनता पार्टी की सरकार के अपने समय में राज्य सभा में पारित किया और लोकसभा में इसलिए पारित नही हो सका, क्योंकि लोकसभा विघटित हो गई थी और यह कानून नहीं बन सका, लेकिन इसका अफसोस हमारे डा० स्वामी को हो सकता है कि यह कानून उन्होंने नहीं बनाया। हम तो प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं और इस सदन के माध्यम से बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बिल के सम्बन्ध में ऐसे अवसर पर वे आन्दोलन करने का विचार छोड़ दें और अपनी बात सरकार के समक्ष रखें और हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार उत्तेजना रहित होकर सभी मुद्दों पर विचार करेगी और जो उचित निर्णय इस सम्बन्ध में करना होगा प्रेस स्वतंत्रता कायम रखने के लिए और येलो जरनलिजम को रोकने के लिए, दोनों मुद्दों पर संतुलित निर्णय केन्द्र सरकार लेगी। आज जो वातावरण विरोधी दल के सदस्य बनाना चाहते हैं, वह वातावरण इस विषय पर संतुलित विचार करने के लिए बाधक है। यह बात हमें सोचनी चाहिए और प्रेस के बंधुओं को भी सोचनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विषय पर और एक मिनट के लिए चर्चा करना चाहूंगा। वाजपेयी जी ने बड़े आवेश में मुंगेर की घटना की घटना का जिक्र किया। मैं वहाँ दो बार जा चुका हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुंगेर में जो घटना हुई उससे वहां के मुसलमानों का केवल इतना ही कहना है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। वहाँ के मुसलमानों ने, मुंगेर के, जमालपुर के अल्पसंख्यकों ने साफ शब्दों में कहा कि शासन ने जो कार्रवाई की, घटनाओं को

रोकने के लिए जो प्रभावकारी कदम उठाया, उससे उनके मन में पूर्ण सन्तोष है और इसकी वे प्रशंसा करते हैं। इसके लिए वहां के लोग शासन की खुले आम प्रशंसा कर रहे हैं। मैं वाजपेयी से कहना चाहूंगा कि और मुद्दों पर आपको बोलने की इजाजत जरूर है और इस पर भी इजाजन है, लेकिन जहां तक साम्प्रदायिक मुद्दों का सम्बन्ध है कम से कम आपको कांग्रेसजनों को सबक सिखाने और सीख देने का हक नहीं है और इसकी चेष्टा आप न करें। कांग्रेस के लोगों ने साम्प्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए कुर्बानियां की है और यह हमारी तमाम कोशिश इसी बात पर केन्द्रित है कि किसी धर्म या जाति पर आधारित पार्टी को विषैली कांटे बोने न दें और इन विषैले कांटों को हिन्दुस्तान की राजनीति से हम अलग करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारे सारे प्रयास की दिशा की ओर संकेत करते हैं। इस वास्ते इस मुद्दे पर कम अज कम आप हम लोगों को क्षमा करने की कोशिश करें और कोई शिक्षा हम को देने का प्रयास न करें।

माननीय सदस्यों ने आर्थिक पहलुओं की भी चर्चा की है। वित मंत्री ने उसका विशद विश्लेषण किया है, व्याख्या की है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। आंकड़े दे कर में आपका समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह सत्य है कि आज दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके सामने बेकारी का तजुर्बा है, यह समस्या उनके सामने भीं मुंह बाए खड़ीं है।

रिसैशन उनके सामने हैं, ग्रोथ रेट उनका माइनस होता चला जा रहा है। यू एस में भी पिछले वर्ष माइनस पाँच परसेंट उनका नैगेटिव ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ऐसे समय मैं हिन्दुस्तान की सरकार दुनिया की उन चन्द सरकारों में है जिस ने मुद्रा स्फीति पर, महंगाई पर काबू पाने से सफलता प्राप्त की है और साथ ही साथ हमारा विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इन फास्ट्रक्चर की आप चर्चा कर लें, एग्रिकलचरल प्रोडक्शन की चर्चा कर लें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की चर्चा कर लें, इनवैस्टमैन क्लाइमेट की चर्चा कर ले, सैविंग्ज रेट की चर्चा कर लें तमाम इसी बात को संकेत करते हैं, इस बात को बताते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था स्वस्थ है सही दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार एक सही और वाजिब नीति का पालन कर रही है।

कई माननीय सदस्यों ने प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा की चर्चा की है। वाजपेयी जी ने बड़े जोर से कहा कि उसकी उपलब्धि क्या हुई, हिन्दुस्तान को हासिल क्या हुआ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1962 का वह दिन हम सभी लोगों को याद है जब चीनी आक्रमण के बाद हमारे देश में एक निराशा का वातावरण व्याप्त था और अमरीकी दूत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे और तब भी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ऐसे संकट के समय में भी जो सहायता दूसरे देशों से लेंगे, हम किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए खड़े नहो हैं। आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने खड़ी विषम अन्तर्राष्ट्रीय सस्यायें हैं। इंडियन ओशन को आज एक न्यूक्लिया आकडा की तरह खड़ा किया जा रहा है। बगल में पाकिस्तान में नए नए हथियार मेजे जा रहे हैं। तमाम समस्याये और कठिनाइयों हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री जी ने वहां जाने से पहले ही घोषणा कर दी थी और उस पर वह कायम रही और शास्त्रास्त्रों के लिए हाथ फैलाया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी हिफाजत के लिए

अपने पैरों पर खड़ा हो कर स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, वह किसी दूसरे देश का आशीर्वाद या उसके बल से हमारे सामने जो स्थिति है उसका मुकाबला करना नहीं चाहता है। यह सबसे बड़ी खूबी की बात है। बहुत से लोगों ने उस समय कहा था कि आज प्रधानमंत्री शायद रूप से एक दूरी खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रधान मंत्री ने चाहे लेबनान की समस्या हो, वैस्ट एशिया की समस्या हो, अफगानिस्तान का सवाल हो, या पाकिस्तान का सवाल हो, इंडियन ओशन का सवाल हो, तमाम विषयों पर वही शब्द उन्होंने वहां पर स्पष्ट कहे जो दिल्ली में और मास्को में भी एक-एक शब्द का उच्चारण वह कर सकती थीं और इसलिये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्रधान मंत्री आज वहां गयी हैं केवल हथियार मांगने के लिए नहीं हम तमाम मतभेदों के बाद भी उनसे दोस्ती और सद्भावना बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ दुनिया को आज जाहिर हो गया कि प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी केवल हिन्दुस्तान की नेता नहीं हैं, सारे-नान-ऐलाइन्ड वर्ल्ड की एकमात्र नेता हैं जिनकी आवाज में तमाम दुनिया की आधी आबादी की आवाज ध्वनित और गुंजित होती है।

अंतिम बात और कहना चाहता हूं मैं बड़े गौर से सुन रहा था सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के सदस्यों के भाषण, और हमारे वित्त मन्त्री जी ने ठीक कहा कि आज की विडम्बना यह है कि हमारे सी०पी०एम० के नेता एफ०आई०सी०सी०आई० की भाषा में बोलते पर हैं, उनको भी आज इन्वेन्टरी जमा करने के लिये लिबरल क्रैडिट चाहिये और इसकी मांग वहां करते हैं। आज आप इस बात पर विचार करें सारी नीतियों का विश्लेषण करते हैं, प्रगतिशील अपने को बतलाते हैं लेकिन आप यह बतायें आज आप बी० जे० पी० और जनता पार्टी की संगत में, जो जातिवाद और साम्प्रदायिक तत्वों पर आधारित राजनीतिक दल हैं, उनकी संगत में सी० पी० आई० और सी० पी० एम हिन्दुस्तान में कौन सी राजनीति को जन्म देना चाह रहे हैं? आप चारों तरफ घूम कर देखें वाजपेयी जी के आशीर्वाद से आप गरीबों का मसीहा ढूंढने चले हैं। कौन सी शक्तियां, सूरतें आपकी बगल में हैं जो गरीबों का मसीहा बन सकती है? याद रखें हिन्दुस्तान के इतिहास में प्रधान मन्त्री की सबसे बड़ी देन यहीं रही है कि उन्होंने देश की राजनीति में देश के आम आदमी को केन्द्रबिन्दु पर खड़ा कर दिया है और उसकी इज्जत दी है, जो उसको पहले हासिल नहीं थी। इसलिये आज जो राजनीति आप खड़ा करना चाहते हैं याद रखें सी०पी०आई० और सी०पी०एम० और खास तौर से सी०पी०आई० की विशेषता रही है कि हमेशा उनको आफ्टर थौट होता है। इमरजेंसी के जमाने में वह हमारे बड़े मददगार थे, लेकिन इमरजेंसी की समाप्ति के बाद उसके आलोचक बन गये और आज फिर वह उस जगह पर खड़े हैं जहां 2,3 सालों के बाद उनको अफसोस करना होगा और मन्जूर करना होगा जो आज आप बी० जे० पी० के सहयोग से जिस राजनीति को वह खड़ा करना चाहते हैं वह गरीबों की पीठ में छुरा भोंकने की राजनीति है जिससे हिन्दुस्तान के गरीबों को सामाजिक नहीं मिल सकता है।

माननीय चरण सिंह आँकड़े बहुत निकालते हैं और कभी कभी गलत आँकड़े भी निकालते हैं। मै आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने बतलाया कि 1971 में ऐग्रीकल्चर लेबर का परसेंटेज 17 परसेंट का 27 परसेंट हो गया। उनके आँकड़े बढ़ गये। लेकिन मैं बताना चाहता हूं इसलिये आकड़े बढ़ गये क्योंकि 1971 की सेंसस में ऐग्रीकल्चर लेबर की परिभाषा में परिवर्तन कर

दिया गया और एग्रीकल्चर लेबर की परिभाषा में एकड़ से कम जमीन जोतने वाले लोगों को भी जोड़ा गया, समझा गया कि वह बेसिकली ऐग्रीकल्चर लेबर है इसलिये उनकी संख्या 17 से 27 परसेंट बढ़ गई। उसके सम्बन्ध में चव्हाण साहब ने स्पष्ट किया है आज न तो हम कबूल कर सकते है, न वहां पर बैठे हुए आधे से अधिक लोग आज चरण सिंह के दर्शन को कबूल कर सकते हैं, और हर आदमी को अपने दर्शन को चलाने का मौका मिल चुका है, और हिन्दुस्तान के आम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं और विश्वास जगा चुके हैं कि देश के गरीबों को सामाजिक इन्साफ अगर मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में मिल सकता हैं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को भली भांति जानते हुए भी कि यदि इस अविश्वास प्रस्ताव को आज पास कर दिया जाता है, तो कोई विपक्ष का कोई भी ऐसा राजनैतिक दल अथवा ठोस विकल्प नहीं है जो इस सरकार का स्थान ले सके। इसके बावजूद भी मैं इस अविश्वास-प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, भारत में यह दुखद राजनैतिक स्थिति है, और आज हमको इस राजनैतिक यथार्थता का सामना करना है। लेकिन मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरा यह विचार है कि इस सरकार की कुछ बड़ी नीतियों तथा कार्यक्रमों और अन्य मामलों पर आलोचना किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय मतदाताओं की प्रबुद्धता प्रशंसनीय है कि संसदीय उपायों के माध्यम से वे सरकारों को शांतिपूर्ण ढंग से बदलते रहे हैं और जब वे किसी सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों से सन्तुष्ट नहीं रहे हैं तब उन्होंने अपनी नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री वर्ष 1977 में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हार गई थीं। लेकिन उसी जनता ने उनको पुनः सत्ता सौंपी, क्योंकि जनता पार्टी जो सत्ता में आई थी वह अपने दुष्कृत्यों तथा अनुचित कार्यों के कारण असफल हो गई थी।

इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है। श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने इसका उत्तर देते हुए यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है। मैं यह बात कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी, वर्तमान सरकार जो देश की गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करती है, उसने ढाई वर्षों तक इन लोगों के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। आज हमारे समाज में सबसे अधिक पीड़ित कौन व्यक्ति है? यह हमारे देश में बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 35 वर्षों के बावजूद भी हरिजनों को बड़ी संख्या में मारा जा रहा है और देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। देश में सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं के कारण अधिकांश लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो दल देश के इन वर्गों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। वह इनकी आशाओं तथा आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असफल रहा है। यह मेरा आरोप है इसलिए मैं यह महसूस करता हूं इस आधार पर सरकार की निन्दा की जानी चाहिए।

यह सरकार यह कहती रही है कि वह देश में एक नई सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति लाना

चाहती हैं। एक नये 20-सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया है। मैं उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं मैं 20-सूत्रीय कार्यक्रम के गुणावगुणों की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मेरे विचार में 20 सूत्री कार्यक्रम में बहुत सी अच्छी बातें हैं। लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि 35 वर्षों के बाद देश में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। जिसका यह तात्पर्य है कि आजादी के 35 वर्षों के बाद हमारे देश में बंधुआ मजदूर प्रथा मौजूद है।

20 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने का है। क्या हमारे लिये यह शर्म की बात नहीं है कि आजादी के 35 वर्षों के बाद भी हम नागरिकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता, यानि पीने के पानी की व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं। यह स्थिति है।

श्रीं चव्हाण ने कहा है कि यदि सरकार गलत दिशा में चल रही हैं तो एक अविश्वास-प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। और यदि यह दिशा सही है तो एक अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आजादी को प्राप्त किये 35 वर्ष हो गये हैं। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि क्या उसकी नीतियाँ तथा कार्यक्रम सही हैं क्या उनको सही दिशा में चलाया गया है, और क्या आज हम उचित रूप से प्राथमिकताएं दे रहे हैं। यदि देश में सभी कुछ ठीक है, और यदि उनकी दिशा तथा नीतियां और कार्यक्रम सही हैं, तब क्या कारण है कि देश में 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे क्यों अपना जीवन-यापन कर रहे हैं? इसके लिये आपका क्या उत्तर है? आज सारे विश्व में भारत में बेरोजगार युवा व्यक्तियों तथा महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। देश में 2 करोड़ से अधिक शिक्षित युवक तथायुवतियां बेरोजगार हैं और उनको रोजगार मिलने की कोई आशा नहीं है। क्या इसमें कोई त्रुटि है अथवा नहीं? देश में सामाजिक तनाव में वृद्धि हो रही है। यह बात ठीक है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं। उत्पादन वृद्धि के लिए आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को लाये हैं। सेवाओं के कार्य को बनाये रखने के लिये आप आवश्यक सेवायें अनुरक्षण अधिनियम को लाये हैं। उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति इसको समझता है। लेकिन हमारे उत्पादन की क्या स्थिति है? हमारी सम्पन्नता की क्या स्थिति है? भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। यह सब ठीक है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय घट रही है? बढ़ती हुई कीमतों के बारे में आपका क्या उत्तर है? देश में क्रयशक्ति में गिरावट आ रही है। आप गरीब लोगों की बात छोड़ दीजिए आप उन लाखों लोगों की बात छोड़िये जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। लेकिन देश में क्रय शक्ति के निरन्तर कम होने के कारण मध्य वर्ग के लोग भी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं—कि इसका क्या कारण है? क्या प्रधानमन्त्री जी तथा सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेंगी?

उत्पादन में वृद्धि हो रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में भारत ने निश्चय रूप से ही बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं इससे कोई भी इन्कार नहीं कर रहा है। भारतीय

होने के नाते हम गर्व के साथ यह महसूस करते हैं, कि विकासशील देशों में भारत का एक शीर्ष स्थान है। जिसने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में कुछ बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह बात भी कुरेदती है कि गरीब देशों में भारत का नीचे से तीसरा स्थान है। मैं यह समझता हूं कि हमारी प्रधानमन्त्री जी को इन तथ्यों को समझने का यह उचित समय है। यदि सरकार इससे ही संतुष्ट होकर बैठ जाती है और कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं देती है, तब देश में सामाजिक तनाव बढ़ते रहेंगे और हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था एक बहुत बड़े संकट में होगी

इस देश में करोड़ों बच्चे— 9 करोड़ बच्चे अन्धे हो जाते है। उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है इसलिए वे अन्धे हो जाते हैं। आप भारतीय समाज का निर्माण किसके लिए कर रहे हैं ? हमारे सुन्दर बच्चों के लिए। और उनमें से 9 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं इसलिए वे अन्धे हो जाते है अथवा उनको अन्धा होने का खतरा हैं। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है ?

गृह मन्त्री महोदय, ने कहा हैं कि "अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हरिजनों की सुरक्षा के लिए तथा आदिवासियों की सुरक्षा के लिए हम प्रत्येक उपाय कर रहे है।' मैं आपकी नीति पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। मैं यह जानता हूं कि साम्प्रदायिक सदभाव में विश्वास रखने की कॉंग्रेस पार्टी की एक शानदार परम्परा रही है। मैं यह जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी धर्म निरपेक्ष सिद्धान्त में विश्वास रखती हैं। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को यह देखकर दु:ख होता है कि साम्प्रदायिक दंगों को रोका नहीं जा रहा है। में सरकार पर यह आरोप लगाता हूं। और मैं यह निवेदन करता हूं कि यदि आप उत्पादन बढ़ाने, हड़तालों पर पाबन्दी लगाने तथा श्रमिकों को हड़ताल करने से रोकने की बात को गंभीरता से लेते हैं और उनकी तर्कसंगत मांगों पर ध्यान देना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए आपने कोई उपाय किये है—आप इस प्रकार का कोई विधेयक क्यों नहीं लाना चाहते हैं ? क्या आप साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में षडयंत्र करने वालों तथा साम्प्रदायिक दंगों में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों से निपटने के लिये संसद में कोई विधेयक लायेंगे और उनको मृत्यु दण्ड देने की सजा की व्यवस्था करेंगे क्योंकि वे एक बहुत बड़ा अपराध है...(**व्यवधान**)। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरे भी अपने विचार हैं। मैं यह जानता हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और प्रधान मन्त्री जी की भांति —मैं भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों तथा सिद्धान्तों का आलोचक हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सबके बावजूद भी इस देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सरकार इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देती है ? मैं यह निवेदन करता हूं कि क्या सरकार वास्तव में निष्ठावान है मुझे अभी इसकी जानकारी प्राप्त करनी है और मुझको इस ओर ध्यान देना है। इस देश में जब साम्प्रदायिक दंगे होते हैं तो सैकड़ों व्यक्ति मारे जाते है और यदि उनमें से कुछ को फांसी पर लटका दिया जायेगा तो यह एक कठोर कार्यवाही होगी। ये वही लोग हैं जो षडयंत्र करते हैं, ये वही लोग हैं जो साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेते हैं और लाखों रूपये की सम्पत्तियां जलायी जाती है। तथा निर्दोष व्यक्तियों महिलाओं तथा बच्चों को मारा जाता है और साम्प्रदायिक दंगे के लिए एक व्यक्ति को भी सजा नही दी जाती है। यह शर्म की बात हैं। अत: सरकार को

अधिनियम में इस तरह का संशोधन पेश करके आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्तिम मुद्दा यह है। आज भारत के सामने यही समस्या है। यदि हम अपने देश में बढ़ती हुई सामाजिक—आर्थिक विषमताओं की ओर ध्यान देकर एक निश्चित समय में इन विषमताओं की ओर ध्यान देकर एक निश्चित समय में इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठायेंगे तो करोड़ों लोग निराश हो जायेंगे और हमारे लिए शायद यह अन्तिम अवसर होगा। नेताओं की ओर से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह देश कर्मचारों के प्रति वचन बद्ध है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारा शत्रु इस स्थिति का लाभ उठा सकता है।

अत: यह एक चेतावनी है। 2-1/2 वर्षों के बाद भी आप इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़ पाये हैं। उदाहरण के लिए असम को ही लिजिए। आप इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ़ सके हैं। असम का आज भी यहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं है। अत: मेरा कहना यह है कि विघटन-वादी प्रवृत्तियां, साम्प्रदायिक शक्तियां पनप रही हैं और वे इनका फायदा उठायेंगी। मुझे आशा है कि सरकार इन्हें रोकने के लिए कतिपय प्रभावकारी उपाय करेगी। अन्यथा समूचा ढाँचा खतरे में पड़ जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि पश्चिम बंगाल के दो माननीय सदस्यों ने मंत्रालय से संबन्धित 'कुओं तेल सौदों' का उल्लेख किया है। विशेष रूप से बरसीहाट से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विशेष कम्पनी के बारे में एक प्रश्न पूछा है। मैं उसके बारे में ही कहना चाहूंगा। सरकारी तौर पर मैं इसके अप्रिय पहलू के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिस बसीरहाट से आने वाले माननीय सदस्य ने ही उठाया है। मैंने, 'कुओं तेल सौदे जिन परिस्थितों में सम्पन्न हुए उनके बारे में इस सभा में हुए वाद त्रिवाद में स्थिति स्पष्ट कर दी थी। आँकड़ों और कारणों द्वारा समर्थित मैंने यह दलील दी थी कि उस समय की स्थिति को देखते हुए कुओं तेल सौदा करने के लिए जो निर्णय लिया गया था वह सर्वथा उचित था। निर्णय जैसा भी हुआ है उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं। इस पर विस्तार से बताया जा चुका है। दो माननीय सदस्यों ने केवल दो पहलुओं का उल्लेख किया है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। परन्तु बहुत संक्षेप में यह बताना भी मेरा कर्तव्य है कि उस समय स्थिति बहुत खराब थी। आसाम के आंदोलन से हमारे तेल उत्पादन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ा। 1979 के आरंभ से तेल बाजार बेचवाल बाजार हो रहा। सरकार को हाईस्पीड डीजल डी का आयात करने की अत्यन्त आवश्यकता थी। कठिनाइयों को देखते हुए पिछली सरकार पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि 14·3 लाख मीटरी टन एच एस डी का आयात करना होगा।

हमारे सत्ता में आने के बाद तुरन्त ही तथा स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद अत्यन्त आवश्यक समझा गया कि हमें 14·5 लाख मीट्रक टन एच एस डी का और आयात शीघ्र ही करना होगा। जहां तक विश्व बाजार की स्थिति का सम्बन्ध है जनवरी, 1980 में एच एम डी के मूल्य 60 डालर प्रति मीटरी टन गिर गये थे और 1 फरवरी 1980 को इसकी कीमत 299

डालर प्रति मीट्रिक टन भूमध्यसागर तट तक निशुल्क रही उक्त निर्णय लेते समय यह कीमत 14 डालर प्रति मीट्रिक टन बढ़ गई। साऊदी अरब ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी करने की घोषणा कर दी। दिसम्बर 1979 में कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल 6 डालर की वृद्धि हुई। जनवरी, 1980 को इसमें 2 डालर की और वृद्धि हुई और इसके बाद प्रति बैरल 4 डालर की और वृद्धि हुई। जनवरी में ही पूर्वानुमान लगाया गया था कि कच्चे तेल के मूल्य प्रति बैरल और वृद्धि होनी है। मैंने पहले ही प्लैट्स आइलग्राम को उद्धृत किया है और इस समय मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा परन्तु मैं माननीय सदस्यों को तेल के एक बड़े विशेषज्ञ, अर्थात् पेट्रोलियम इकानामिक्स लिमिटेड द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की याद दिलाता हूं, जबकि उसने कहा था कि फरवरी के मध्य में तेल की कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति रुक गई है और इसके बाद मूल्य बढ़ने ही हैं।

इस पृष्ठभूमि में सरकार को मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ा। मेरे माननीय साथी ने विविध प्रश्नों पर विचार किया। वह आंकड़ों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कीमतें निम्नतम स्तर पर पहुंच गयीं हैं और इसलिए उनका बढ़ना अनिवार्य है। वास्तव में मैंने उस दिन भी कहा था कि सरकार का भी यही विचार था कि यह बेचवाल बाजार है। मेरे माननीय साथी ने जिन दो बातों का प्रस्ताव किया था वे थे दीर्घविधि निश्चित मूल्य करार और कार्य निष्पादन गारंटी। जो कि अधिकारियों की दलील थी कि ये दोनों ही असंभव हैं। उन्होंने स्वयं यह बताया कि स्थिति बेचवाल बाजार के पक्ष में होने के कारण दीर्घविधि मूल्य करार के लिए कोई भी आगे नहीं आयेगा और यदि इस समय निविदायें आमन्त्रित भी की जाती हैं तो हमारी राय में पार्टियाँ बहुत ऊंचे भाव रखेंगी वस्तुत: इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मेरे साथी ने सोचा कि मूल्य में उतार-चढ़ाव की शर्तों वाली जो निविदायें पहले प्राप्त हो चुकी हैं उनका आधार मूल्य ही निश्चित मूल्य माना जाना चाहिए और इसलिए उन्हें दूसरे भाव माँगने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया। और दूसरे प्रश्न के बारे में जब यह कहा गया कि यह बेचवाल बाजार का और पार्टियों की ओर से निष्पादन गाँरंटी नहीं आएगी, मेरे माननीय साथी ने यह दृढ़ रुख अपनाया कि निष्पादन गारंटी की मांग अवश्य की जानी चाहिए। इसके बाद मैं पहले ही कह चुका हूं कि परिणाम यह हुआ कि यह सौदा करने के बाद हमें खुले बाजार में 5·20 लाख मीट्रिक टन एच एम डी खरीदना पड़ा और मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब यह खरीदा गया तब कुओं आयल के आयल के साथ जो करार हुआ था उससे हमें अधिक मूल्य देना पड़ा।

मैं इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैंने कहा है कि पूर्व स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि यह राष्ट्रीय क्षति का मामला बनता है। सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के प्रतिवेदन के पैरा 93 को उद्धृत करता हूं और सभा को याद दिलाता हूं कि सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति ने साऊदी अरब की 'परतामिना' को 1979 में भूतलक्षी प्रभाव से धनराशि का भुगतान करने के लिए उस समय की सरकार को दोषी पाया है।

एक माननीय सदस्य : यह इन्डोनेशिया की है ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कह रहा हूं कि यह साऊदी अरब की कंपनी है जिसे भूतलक्षी प्रभाव से धनराशि दी गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 158 लाख डालर की क्षति हुई थी इस बात का उल्लेख सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के प्रतिवेदन के पैरा 93 में है जिसमें कहा गया है कि यह बड़ी विचित्र बात है कि कोई कानूनी राय नहीं ली गई, शक्ति प्राप्त समिति का अतलंघन किया गया, सभी प्रक्रियायें ताक पर उठाकर रख दी गयी और भूतलक्षी प्रभाव से धनराशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया जिसके परिणामस्वरूप स्पष्टत: 158 लाख डालर की हानि हुई हैं ।

एक माननीय सदस्य : उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है ।

श्री पी० शिवशंकर : अच्छा, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा कि किन मजबूरियों के कारण तत्कालीन सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा था । जब तक हम इन पहलुओं पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमें किसी पर दोष लगाना चाहिए अत: जहां तक ल्य के आधार पर दीर्घविधि करार होते हैं, वहाँ इस प्रकार सौदों में संगत बात यह है कि उस समय विद्यमान परिस्थिति पर भी ध्यान देना होता है । यदि निष्कर्ष पर पहुंच का कोई उपयुक्त आधार है कि करार न्यायोचित होगा, तो बाद में पूर्व स्थिति के अनुसार कुछ स्पष्ट दृष्टिकोण के आधार पर कोई इस पर आपत्ति नहीं कर सकता है और किसी वैचारिक निष्कर्ष पर पहुंचकर यह कह सकता है कि क्षति हुई है ।

अब मैं इस पहलू पर विचार नहीं करना चाहता हूं । मैं पहले कहे गये दो पहलुओं पर आता हूं । मैंने फाइल के बारे में भी विस्तार से बता दिया है और ,मैंने कहा है कि यह वास्तव में फाइल गुम हो जाने का मामला है, फिर भी एक माननीय सदस्य का यह कहना बहुत ही अनुचित है कि...

श्री इन्द्रजीत गुप्त : याददाश्त भी खो गई है ।

श्री पी० शिववंकर : माननीय सदस्य की याददाश्त खो गई हैं ।

इन्द्रजीत गुप्त : नहीं उन मन्त्री महोदय की, जिन्होंने इसे वहाँ भेजा था ।

श्री पी० शिवशंकर : मन्त्री ने नहीं । मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आगे कहिए ।

श्री पी शिवशंकर : महोदय, उन्होंने फाइल के रहस्यमय ढ़ंग से गुम होने की बात कही है आगे उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले में मौन हैं । मैंने यह कहा है, और मैं फिर कहता हूं, कि इस मामले में तिल का ताड़ बनाया गया है । उद्देश्य क्या हो सकता था ? मैं पहले कह चुका हूं और जो सदस्य उस दिन अनुपस्थित थे: उनकी सुविधा के लिए मुझे पुनः इसे कहने दीजिए । यदि मेरा यह स्पष्टीकरण कि यह वास्तव में फाइल गुम होने का मामलो है, मान्य नहीं है है और यदि यह जताने का प्रयास है कि फाइल को जानबूझकर गुम किया गया है । तो इसके

केवल दो प्रयोजन हो सकते हैं—एक तो यह है कि लेखापरीक्षकों को, जो लेखापरीक्षा करना चाहते थे, इसे उपलब्ध न कराना है और दूसरे इसे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को न दिखाने के उद्देश्य से गुम करना। यही कारण हो सकते थे। मुझे विश्वास है कि इसके अलावा आज भी किसी को कोई कारण नहीं मिल सकता है यदि वह ढूंढना भी चाहे। महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 अप्रैल को मेरे सचिव ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सूचित किया था कि फाइल उपलब्ध है। मैंने यह कहा था और मैं पुनः यह कहता हूं कि 5 अप्रैल से पहले या बाद में किसी भी समय सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने फाइल नहीं मांगी।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) महोदय, यह गलत बयान है। हमने यह मांगी थी। मैं इसका सदस्य था। हमने यह फाइल मांगी थी।

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य बहुत जल्दी कर रहे है।

श्री हरिकेश बहादुर : शब्दशः रिकार्ड में भी हेरफेर की गई।

(व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : मैं फिर कहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने न तो यह फाइल 5 अप्रैल से पहले मांगी और न ही इसके बाद किसी भी समय।

श्री हरिकेश बहादुर : हमने फाइल माँगी थी।

श्री पी० शिवशंवर : क्या आप कृपया प्रतीक्षा करेंगे ? (व्यवधान) क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? यदि मैं कोई गलत बात कहूं तो आप विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं फिर कह कह रहा हूं और मुझे समर्थन···मिला है (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : उसमें इसका जिक्र नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : जब मैंने दूसरे सदन में कहा था—मेरे उस वक्तव्य को देखा जा सकता—श्री मोरारका ने कहा है, 'यद्यपि तुमने इसे किसी भी समय नहीं मांगा है, आपके सचिव ने 24 मार्च को कहा था कि फाइल उपलब्ध नहीं है और इसके लिए समय मांगा था।' यह तो बिल्कुल भिन्न कहानी है। मैं श्री मोरारका को उद्धृत कर रहा हूं जिन्होंने इस सारे मामले में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : हमने यह उसी समय मांगी थी। (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : प्रोफेसर महोदय—(व्यवधान) 7 अप्रैल को (व्यवधान) मैं इसे··· नही चाहूंगा··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात सुनते क्यों नहीं ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह पुन: नहीं कहना चाहता हूं परन्तु मैं अपने वक्तव्य पर दृढ़ हूं और यदि वे चाहें, यदि वे बहुत ईमानदार हैं तो मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लायें। मैं यह उन पर छोड़ता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : हम बहुत ईमानदार हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हरेक सदस्य बात पर व्यवधान डालेगा तो हम सभा की कार्यवाही कैसे चला सकेंगें ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते। यदि कोई बात गलत है तो आप कभी भी कार्यवाही कर सकते हैं ? यह तरीका नहीं है। सभी व्यवधान डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर बात पर आपको तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ? यह अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो हम सभा की कार्यवही ठीक ढंग से नहीं चला सकेंगे आप उनकी बात सुनिए। यदि आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो आप कभी भी कार्यवाही कर सकते हैं। यह ठीक है.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह जितने आप कहें उतने विशेषाधिकार प्रस्तावों का समना करने को तैयार हैं।

श्री पी० शिवशंकर : 7 अप्रैल को··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : आपकी सूचनार्थ कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव देने का प्रश्न ही नहीं है। यह पहले से ही लंबित है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप जितने भी चाहें विशेषाधिकार प्रस्तावों की सूचना दे सकते हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करते ?

श्री पी० शिवशंकर : 7 अप्रैल 1982 को मेरे सचिव ने फाइल के आधार पर सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति के बारे में विस्तृत पहलू पेश किए। इसलिए इसके बाद की सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति यदि चाहती तो फाइल में अच्छी तरह छानबीन कर सकती थी और फाइल अप्रैल, 1982 को उपलब्ध थी। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के संदर्भ में स्थिति यह है।

जहां तक लेखापरीक्षकों का सम्बन्ध है, यदि कुछ कहा जा सकता है तो हमारे विरुद्ध कहा जा सकता है कि हमने उनको उस समय तक फाइल उपलब्ध नहीं कराई जब उन्होंने यह मांगी थी। परन्तु फिर भी उनकी छानबीन के लिए फाइल उपलब्ध थी। अत: इस फाइल के बारे में मैं जो स्थिति बताने का प्रयास कर रहा हूं वह यह है कि दो कारणों से हमारे विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि हम जानबूझकर इसे टालते रहने की कोशिश करते रहे हैं, तो दोनों कारण निष्प्रभावी हैं। मेरा यही निवेदन है। **(व्यवधान)** कठिनाई यह है कि···**(व्यवधान)** कठिनाई यह है कि उन्होने न समझने की ठान रखी है। अत: मैं उनके संदेह को दूर नहीं कर सकता।

एक पहलू जिसे मैं कहना चाहता हूं वह है : मैं स्पष्ट करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आपके अनेक मुद्दे उठाए हैं और मन्त्री ने स्वयं उत्तर दिए हैं। आपने मन्त्री से उत्तर देने के लिए नहीं कहा है। उत्तर तो प्रधानमन्त्री को देना है। परन्तु वह स्थिति स्पष्ट करने के लिए आगे आए हैं आप उनको अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यवधान कोकार्यवाही में सम्मिलित न करें। केवल उनका उत्तर ही इसमें सम्मिलित करें।

(व्यवधान)*

श्री पी० शिवशंकर : मैंने 22 अप्रैल, 1980 को कहा था…

(व्यवधान)*

श्री पी० शिवशंकर : 22 अप्रैल, 1980 को मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने फाइल प्रधान मन्त्री को भेजी थी, क्योंकि उस समय वित्तमन्त्री देश में नहीं थे। उनके आते ही मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने उनसे बात की थी। उन्हें यह सलाह दीगई कि मूल्य में घटबढ़ को ध्यान में रखते हुए उन्हें दीघ-विधि करार करना चाहिए। अत: उन्होंने उसी नीति का अनुसरण किया। उन्होंने फाइल के बारे में चिन्ता नहीं की। मैंने यही कहा था। इन परिस्थितियों से ही यह सिद्धहो जाता है कि यह वास्तव में फाइल गुम हो जाने का ही मामला है। बसीरहाट से आने वाले मेरे मित्र ने कुओ आयल कम्पनी की चुकता पूंजी के बारे में पूछा है। 1978-79 में भारतीय तेल निगम के अधिकारी सिंगापुर और अन्य स्थानों में कम्पनियों का चयन करने के प्रयोजन से गए थे जिससे कि टेंडर ने के लिए केवल उन्हीं कम्पनियों को आमन्त्रित किया जाए। 1978-79 में तेल निगमदेके अधिकारी गए थे और वे ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यही एक कंपनी थी जिससे अपना टेंडर पेश करने के लिए निवेदन किया जा सकता था। कुओ आयल कम्पनी को 1978-79 में चुना गया। दूसरे, इसी मामले में मेरे पूर्ववर्ती मन्त्री ने निदेश दिया कि उसे कार्य निष्पादन गारन्टी देनी चाहिए। उसने करार को पूरा करने के उद्देश्य से 53 लाख डालर की निष्पादन गारंटी दी है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं मानेंगे। वह जो कुछ कहते हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : तुम्हें विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए उदकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर यद्यपि तथ्य यह है कि इस बात को पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या इसकी चुकता पूंजीं 150 डालर है, मैंने कंपनी की अंतनियमावली का अध्ययन नहीं किया है, इन दो उल्लिखित परिस्थितियो से ज्ञात होता है कि यह ऐसी कंपनी नहीं लगती है जिसकी चुकता पूंजी केवल 150 डालर हो जैसा कि दूसरे पक्ष द्वारा कहा जा रहा है।

दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह ठीक नहीं कहा है—मैं मामले में गुणावगुण पर विचार नहीं कर रहा हूं कि इस मामले में न्यायाधीश का आचरण सन्देहास्पद प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि यदि इस तरह की बात हमारे किसी माननीय सदस्य ने कही होती तो उन्होंने बड़ा होहल्ला मचाया होता। परन्तु उनमें से किसी ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। यह दुर्भाग्य की बात है। परन्तु मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मुझे उच्चतम न्यायालय में भी ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें 1 वर्ष या 2-1/2 वर्ष की अवधि के बाद निर्णय दिए गए हैं। इसलिए लगभग 1 वर्ष या 1-1/2 वर्ष में निर्णय देने से ही आप न्यायाधीश के आचरण पर संदेह नहीं कर सकते। ये लोग व्यर्थ ही शोर मचाते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है परन्तु उनमें से एक सदस्य ने दुर्भाग्यपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया है। मामले के गुणावगुण पर विचार किए बिना मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के वाक्यों की सभी को निन्दा करनी चाहिए।

एक अंतिम पहलू के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज सुबह जब श्री वाजपेयी बोल रहे थे तब थोड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ था। मैंने यह कहा था और मैं पुनः यह कहता हूं कि श्रीमती गांधी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। मैं इस बात पर दृढ़ हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है और अभी इस में जितने भी वक्ताओं ने भाग लिया, उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन जिन को निकाला गया था, जिन जिन को प्रधान मंत्री के द्वारा सेक किया गया था वे ही अपने भाषण में ज्यादा लोयल्टी की बात कर रहे थे, वे ही प्रधान मन्त्री और उनकी सरकार कीं ज्यादा गुणगान कर रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, क्या इनको मालूम नहीं है कि इसके बाद इनकी

नेता को भी बोलने का मौका मिलेगा ? क्या आप उन्हें इसी तरह
(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, यह सदन जानता है कि कुछ दिन पहले चार राज्यों में
आप हिन्दुस्तान का नक्शा देखें तो ये राज्य हिन्दुस्तान के पूर्व, पश्चिम, उत्त
जहाँ पूर्व में पश्चिम बंगाल है, वहाँ पश्चिम में हरियाणा है, जहाँ दक्षिण में
में हिमाचल प्रदेश है। इन चारों जगहों पर आप चारों खाने चित हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

श्री रामविलास पासवान : आप पश्चिम बंगाल में हारे, आपने हरि
साल के लिए निकाला था और बहुत गर्व के साथ निकाला था, उनके सामने
जोड़ कर, उनको आपको मंत्रिमंडल में लेना पड़ा और उस के आधार पर भ
वहाँ मंत्रिमंडल बनाये। वहां 20-20 लाख रुपया दे कर खरीद और बिक्री हु
बनाये। (व्यवधान) आप लोग जो पुराने कांग्रेसी हैं, आपमें थोड़ी सी (व्यव

अध्यक्ष महोदय : आप उनको थोड़ा सा कह लेने दीजिए। क्या हो

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, थोड़ी-सी भी अगर इन
चीज रहती तो जिसको आपने 6 साल के लिए निकाला, उसको आप मंत्रिमं
करते। वहाँ पर 24 तारीख की डेट दी जाती है मत्रिमंडल बनाने के लिए
23 तारीख को चोर दरवाजे से गवर्नर साहब दूसरों को शपथ ग्रहण करवा दे

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंक
एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं है, उसके विरु
जा सकते।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था
मोशन सरकार में खुद उस दिन आ गया था जब कि यह पार्टी हिन्दुस्तान
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जब चुनाव हुए थे तो चारों खाने चित हुई थी।
में है। इसीलिए आप सब जगह पर अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन
कहता हूं कि यह भविष्य के लिए आपको आभास है सत्ता में आने का।

अभी हमारे साथी श्री वी० सी० शुक्ल जी और चन्द्र शेखर सिंह
काँग्रेस आई पार्टी किस के लिए है, यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरका
बोलते बोलते उन्होंने जातिवाद की बात बोल दी। जातिवाद की बात आ
जिसकी कैबिनेट में एक ही जाति के पास सकी पचास परसेंट लोग हों वह
सबक सिखाये। जिसकी मंत्रिमंडल में 18 में से 9 एक ही जाति के
जातिवाद का सबक सिखाये।

श्री रामविलास पासवान : असत्य बात क्या है ? करप्शन का केस चला अंतुले के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के ऊपर, रिजर्वेशन के खिलाफ आन्दोलन शुरू हुआ सोलंकी के ऊपर, हीराभाई परमार यहाँ बैठे हैं, हटाया गया हरिजन मुख्य-मंत्री जगन्नाथ पहाड़िया को। (**व्यवधान**) यह किसको मालूम नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे देश में नेता की कमी नही है और न नीति की कमी है, लेकिन जब तक नीयत साफ नही होगी, तब तक देश का भला नहीं होगा—आपकी नीयत साफ नहीं है। भले ही हिन्दुस्तान का हरिजन-आदिवासी, हिन्दुस्तान का मुसलमान आपको वोट देने का काम करता हो, लेकिन आपने उसके साथ वफादारी नहीं की है, गद्दारी की है। सवेरे शाम तक हरिजन की जय, आदिवासी की जय और रेडियो जब बंद हो गया तो हरिजन का छय मुसलमान का छय आदिवासी का छय, इस तरह से आप राज चलाना चाहते हैं ?

एक प्रश्न मैंने पार्लियामेंट में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : श्री पासवान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कि आपको दिया समय खत्म होने वाला है ? आपको अपना भाषण अब खत्म करना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : आप इंटरप्शेष रुकवा दीजिए तो मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

मैंने पार्लिमेंट में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रश्न पूछा था जिस के जवाब में मुझे बताया गया कि जनवरी 1980 से जुलाई 1981 तक 449 जगहों पर कम्युनल रायट्स हुए जिन में 523 जानें गई और – 4293 व्यक्ति घायल हुए। अप्रैल 1981 से मई 1982 तक 418 साम्प्रदायिक दंगे हुए और 228 जानें गई और 3096 उन में घायल हुए। स्टेट वाइज चाहे तो वे फिगर्ज भी मैं आपको बता सकता हूं। इसी से आप सन्तुष्ट हैं, आपको पार्टी सन्तुष्ट है कि हरिजनों का गला काटा जाए, मुसलमानों को रोज मारा जाता रहे, अल्प संख्यकों के ऊपर प्रहार होते रहे, ओर आप खाली यहाँ शाउटिंग करने के लिए बैठे रहे तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आपकी पार्टी की सरकार है। भले ही आप नो-कान्फिडेंस के खिलाफ वोट दे दें लेकिन लगाम लगाने की जबावदेही तो आपके ऊपर ही आती है। पार्लिमेंटरी डैमोक्रेसी क्या होती है। पार्टी का राज क्या होता हैं ? पार्टी चुन कर आतीं है, एम एल ए और एम पी बन जाते हैं, यह अपना नेता चुनती है, कैबिनेट बनती है जिस की नेता प्रधान मंत्री होती हैं और प्रधान मंत्री जो चाहे होता है।

एक प्रश्न मैंने किया था सीलिंग से जो सरपलस लैंड निकली है उसके बारे में। आप भूमि सुधारों की बहुत चर्चा करते हैं, लैंड रिफार्म्ज की बहुत चर्चा करते है। आज एम पीज और एम एल एज का सुधार हो रहा है, भूमि का सुधार नहीं हो रहा है।

संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत घोषित की गई फालतू भूमि 40,05,169

संशोधित अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत ली गई फालतू भूमि·········26,09,656

संशोधित अधिकतम सीमा अधिनियत के अन्तर्गत वितरित की गई भूमि

·········18,07,919

डिक्लेयर होती है चालीस लाख लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होती है 18 लाख एकड़ 3

लाभान्वित परिवारों की संख्या······13,54000

अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या······5,46,000

लाभान्वित जनजाति के लोगों की संख्या······1,70,000

आप देख लें शैड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज की हालत जिन के बारे में बड़ा हल्ला होता है।

प्रधान मन्त्री ने कल लाल किले से एक बहुत अच्छी बात कही और कहा कि पहले भारत को भीख मांगनी पड़ती थी—लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब हम स्वावलम्बी हो गए हैं। मेरा एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था नम्बर 4310 जो 19 मार्च 1982 को पूछा गया था और यह विदेशी कर्जे के बारे में था।

श्री प्रणव मुखर्जी साहब ने इसका यह जवाब दिया था :

भारत सरकार द्वारा विभिन्न देशों, विश्व बैंक और अन्य वित्तिय संस्थाओं से लिए गए कुल ऋणों में से 31 दिसम्बर, 1981 को 14960 करोड़ रुपए वापस करना शेष था।

जो इनकी आर्थिक समीक्षा निकलती है या जो व्याख्यात्मक ज्ञापन होता है जो वजट के साथ दिया जाता है वह बताता है कि अंग्रेज जब यहाँ से गया था तब हमारे ऊपर कर्जा था 332 करोड़ लेकिन आज आजादी के 35 साल के बाद आपके माथे पर यह कर्जा हो गया है 14960 करोड़। इसके अलावा आई एम एफ का लोन अलग है। फिर भी भारत की प्रधान मन्त्री कहती हैं कि हम स्वावलम्बी हो गए हैं। किस गणित से किस हिसाब में वह कहती है यह मेरी समझ में नहीं आया है। यह जो जवाब है यह आपकी सरकार का दिया हुआ है, मेरा नहीं है।

टाइम्ज आफ इन्डिया जो 12 अगस्त का है इस में यह निकला है आपकी सरकार जब सत्ता में आई तो कहती थी कि मूल्य वृद्धि पर रोक लगाएंगे। मैंने उसी समय कहा था इसी पार्लिमैंट में कि जो लोग नारा लगाते थे कि जात पर न पांत पर, इन्दिरा जी की बात पर मोहर मारो हाथ पर (इंटरप्शंज)

तो मैंने कहा था उसमें दो, चार लाइन और जोड़ दो, उसके बाद जोड़ लें 'चीनी मिलें 7 पर पैट्रोल मिले 8 पर, खाली कनस्टर मिले 8 पर, कुछ दिन के बाद मुर्दा जायगा घाट पर।' 'यह हो रहा है 'टाइम्स आफ इन्डिया' ने लिखा है टमाटर 10 रु० किलो, डबल रोटी 10-8-82 से 2 रु० 30 पैसे की जगह 2 रु० 70 पैसे कर दी गई, जिस पर दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन का कन्ट्रोल होता है। इसी तरह से मैदा का दाम 41 पैसे किलो बढ़ा दिया गया। चीनी का दाम

10/- किलो, वह भी नहीं मिल रही है। गरीब आदमी ने चीनी खाना ही छोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हू भारत की प्रधान मन्त्री के लिए हिन्दुस्तान के गरीब गुरबा सब इनके लिये, यदि यह होता है तो, सब इनके लड़के के समान हैं। इसलिए इनको चाहिए, इनके सामने सिर्फ एक आदमी का चेहरा नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश का चेहरा रहना चाहिये। 52 प्रतिशत देश की जनता मांग करती रही है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है, काका कालेलकर कमीशन तो खत्म हुआ, वह तो गर्त में चला गया, लेकिन मंडल कमीशश की रिपोर्ट जो आयी है उसको लागू करें। लेकिन गृह मंत्री जी ने जबाव क्या दिया कि ओपीनियन के लिए भेज रहे हैं पूरे देश की ओपीनियन जानने के लिये। मंडल जी मर गये, उन्होंने सारें राजनीतिक नेताओं से, इंटलेक्चुअल्स और प्रैस वालों की राय ली उसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। फिर अब-क्या नई ओपीनियन आप ले रहे हैं? क्या भारत की प्रधान मंत्री कह सकती है कि हिन्दुस्तान के बहुसंख्यकों का आदर करते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करेंगी? और जैसा मैंने कहा, आपको चाहिए मां का रोल अदा करना। और शाह कमीशन के सामने जो कहा गया था आपके सामने यह फिकर नहीं रहनी चाहिए।

**मैं कहना चाहता हूं, भारत की प्रधान मंत्री ······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत बातें हैं।कृपया और न कहें। कृपया अपना भाषड समाप्त करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ी कुसुम कृष्ण मूर्ति, अब श्री कृष्ण मूर्ति बोलेगा।

श्री रामविलास पासवान : यह लोग गड़बड़ कर रहे हैं।···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। अब मैंने श्री कृष्ण मूर्ति को बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

कुछ माननीय सदस्य : इस कार्रवाही वंति सेन वृतकाल दिया जाय। इसे कार्रवंत में शामिल न किया जाए।

श्री रामविलास पासबान : आप इनको नहीं रोकते हैं? मैं अकेला हूं और यह सब मिल कर बोल रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह कर दिया से।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है?

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृताँत से निकाल दिया गया।

कृपया व्यवस्था बनाये रखें। कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। काफी हो चुका। काफी हो चुका है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका विनिर्णय क्या है? क्या आपने उन बातों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है?

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर कोई अन-पार्लियामेंटरी…

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : इतना नीचे उतर सकते हो?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : क्या आपने उन टिप्पणियों को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय,

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ तो मानदंड रखिए; मैं आपसे इस तरह के व्यवहार की नहीं बल्कि कुछ अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करता था मैं चांहता हूं कि यह बहस कुछ मानदंड के अन्दर की जाय। इसे दूषित न करें।

श्री रामविलास पासवान—जिस बात को मैंने कहा है, मैं वापिस लेता है हूं, लेकिन इसके

अध्यक्ष महोदय : कोई ढंग की बात करें। मैं आपसे इस तरह की बातों की अपेक्षा नहीं करता था। सोचता था कि आप कुछ अच्छा बोलेगा। इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)

पहले यह दोनों सदनों में कहा जा चुका है, यह लोग उस समय कहाँ बैठे थे। यह बात रिकार्ड पर है, आज आप इसका विरोध करते हैं। मैंने रिकार्ड से...

अध्यक्ष महोदय : आप मतलब की बात हो तो कहें; नहीं तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा।

श्री रामविलास पासवान : इस देश में गरीब आज ज्यादा हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज का जो नो-कॉन्फीडेंस मोशन है, उसके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और प्रधान मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आपने रिजल्ट देख लिया है और यदि आपने भविष्य में नहीं चेता तो भले ही यहाँ वोट से आप जीत जाये, लेकिन आगे आने वाले समय में 1985 में समय आपको माफ नहीं करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमलापेरम्) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामविलास पासवान द्वारा उठाये गये कुछ मूल प्रश्नों पर ही बोलूंगा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि हरिजनों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, अल्प संख्यकों तथा कमज़ोर वर्गों के हितों की उपेक्षा की जा रही है, आदि आदि। मैं अपने माननीय मित्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा : किस शासन काल में हरिजनों पर सबसे अधिक हुए। हरिजनों पर सबसे अधिक अत्याचार जनता शासनकाल में ही किये गये। 1978-79 में जब वे सत्ता में थे तब अत्याचार के 10,000 से भी ज्यादा मामले हुए थे। अतः जब से श्रीमती गांधी के नेतृत्व में यह सरकार सता में आयी है तब उन्हे धीरे धीरे से कम किया जा रहा है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा वह यह है कि जब भी कहीं इस प्रकार के अत्याचार हुए उन स्थानों का दौरा किसने किया ? श्रीमती गाँधी ने ही उन स्थानों का दौरा किया, उनको राहत दी उनकी शिकायतों को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया।

एक और बात है जब वे सरकारी पक्ष में थे और मैं विपक्ष में बैठा था उस समय सभा के सामने एक महत्वपूर्ण विषय आया था। आरक्षण विधेयक का समाप्त होने जा रहा था। उस समय मैंनेउन माननीय मित्रों से कहा था कि वे अपनी सरकार पर आरक्षण कानून की अवधि बढ़ाने के लिए दबाव डालें। वे सफल नहीं हो सके। वे अपनी सरकार को जो उस समय सत्ता-रूढ़ थी प्रभावित नही कर सके।

श्रीमती गांधी के सत्ता में आने के बाद सरकार के द्वारा पहला विधेयक जो लाया गया वह आरक्षण विधेयक था जिसे जनवरी 1981 में पास किया गया।

इसके अतिरिक्त, देश के इतिहास में पहली बार एक विशेष पूरक योजना बनायी गयी थी जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति की जीवनदशा सुधारने के लिए बनाया गया था, जिसमें इन लोगों के कल्याण के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की राशि का विशिष्ट आवंटन किया गया। इसको अधिनियमित किया गया तथा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह इस सरकार के

प्रशासन में किया गया।

वे सब इन दावों पर हंस सकते हैं परन्तु जब व्यवहार का प्रश्न आता है तो वे पूर्ण रूप से असफल रहते हैं।

वर्तमान राजनैतिक विघटन की स्थिति में हम एक नये प्रकार की राजनैतिक स्थिति देख रहे हैं जिसमें बिना अनुनायियों के नेता और बिना नेता के अनुयायी देखे जा रहे हैं।

यह स्थिति है और ऐसी भी पार्टियां है जिनके एक या दो संसद सदस्य हैं।

इन सब बातों के अलावा जिस माननीय सदस्य ने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है मेरे विचार में उन्हें स्वयं पर कोई विश्वास नहीं है। अन्यथा उन्हें उन माननीय संसद सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए कहना चाहिए था जो अभी भी सदस्य हैं और श्रीमती गांधी के नाम पर चुने गए थे यदि वे नेता होने का दावा करते हैं और यदि उन्हें अपने ऊपर कुछ विश्वास है तो उन्हें अपने साथ ही उन लोगों से भी त्याग पत्र देने के लिए कहना चाहिए था। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके अतिरिक्त······

(व्यवधान)

विपक्ष यह अविश्वास प्रस्ताव लाकर लोगों को, देश को यह जतलाना चाहता है कि वे संगठित हो गये हैं और जनता की आकांक्षाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वचनबद्ध हैं।

(व्यवधान)

और वे संसार के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि "हम संगठित हो गये हैं और जनता की आकांक्षाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वचन बद्ध हैं।"

इस सभा के बाहर जनता को अच्छी तरह मालूम है कि अजनबियों के बीच एक नया राजनैतिक गुट बन रहा है। भले ही वे इस बात को भूल जाएं कि उन्होंने एक दूसरे के विरुद्ध क्या किया और क्या कहा, लेकिन लोग इसे नहीं भूले हैं। इन नेताओं द्वारा एक साथ मिलकर नया राजनैतिक गुट बनाने की बात का लोगों को सच पता है और वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह राजनैतिक गुट कितने समय तक बना रहेगा। विपक्ष विश्व से अथवा देश से यह कहना चाहता है कि वे संगठित हैं और लोगों की आकाँक्षाओं की आवाज उठाने के लिए वचनबद्ध है लेकिन लोग जानते हैं कि वे संगठित नहीं है और वे किसी भी स्थिति में किसी एक विचारधारा के प्रति वचनबद्ध नहीं हो सकते हैं।

गरीबी के बारे में बहुत से प्रश्न उठाए गए, जिनका हमारे पक्ष के वक्ताओं द्वारा स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है मुद्रा स्फीति नियंत्रण पाना। अन्य देशों से तुलना करने पर पता चलता है कि हमारी उपलब्धि बहुत ही सराहनीय रही है। 1979 80 में 21.4 प्रतिशत मुद्रा स्फीति थी जो 1982 में केवल 2.1 प्रतिशत रह गइ है यह एक सराहनीय उपलब्धि

थी। इस संबंध में इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि मेरे माननीय सहयोगी इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को समझें कि हमारे जैसे विशाल देश के लिए जहाँ विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और सम्प्रदायों के 71·10 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं, क्या यह सौभाग्य की बात नहीं कि इस देश में श्रीमती गांधी के व्यक्तित्व में एकीकरण करने की शक्ति है और जिन्हें दक्षिणी भारत और साथ ही उत्तर भारत के लोगों का एक समान आदर और विश्वास प्राप्त है। क्या इनमें से कोई भी नेता दक्षिणी भारत की विशेष समस्याओं को समझ सकता है अथवा दक्षिण भारत की भाषाओं के बीच भिन्नता को मानते हैं? अत: ये नेता मात्र प्रदेश के ही नेता हैं और राष्ट्रीय नेता होने का दावा नहीं कर सकते।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जापान के प्रधान मन्त्री जैसे व्यक्ति ने भी—वह कांग्रेस आई के सदस्य नहीं है—श्रीमती गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा यह कह कह की है वह केवल भारत और ऐशिया की ही नहीं बल्कि विम्व की भी नेता है। क्या यह हमारे देश तथा श्रीमती गाँधी के दल और उनकी सरकार के लिए गर्व की बात नहीं है?

इन शब्दों के साथ, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं जिसे निराश होकर प्रस्तुत किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के कई सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाना अब एक आम बात हो गई है। पर वे यह कहना भूल गए कि हर बार हम ही उन पर हावी होते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी संख्या अधिक है, बल्कि इसलिए कि विरोधी पक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का हर बार हमने करारा जवाब दिया है। आज की बहस में कोई ऐसा नया मुद्दा नहीं उठाया गया है जिस पर इस सत्र में चर्चा हो चुकी हो, जिसका प्रश्न काल के दौरान या दूसरे मौकों पर उत्तर न दे दिया गया हो। अत: इन सब बातों को फिर से क्यों उठाया गया, इसका उत्तर अन्तिम वक्ता ने दे दिया है। यह व्यक्तिक वैमनष्यता है। उन्होंने इस बहस को व्यक्तिगत मन मुटाव का पुट दिया, मेरे परिवार को इसमें घसीटने की कोशिश की, मेरे छोटे छोटे पोतों पोती को भी नहीं बख्शा। क्या यही संसदीय लोकतन्त्र है? **(व्यवधान)** क्या यही प्रजातन्त्र है? यही उनका प्रमुख मुद्दा था, इस पर ही उन्होंने जोर दिया। इससे उनकी रूचि का पता चलता है। जैसे मेरे सहयोगी श्री वेंकटरामन नें कहा, जब इस सदन में कोई महत्वपूर्ण और गंभीर रूप की चर्चा होती है तो विपक्ष के नेता, विपक्ष के सदस्य सभा में उपस्थित रहना अपनी तौहीन समझते हैं। आज सरकार की निन्दा करने के लिए वे अचानक ही इतनी अधिक संख्या में मौजूद हैं। सरकार की भर्त्सना करना ही उनके लिए गम्भीर मुद्दा है। पर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमने मुकाबला किया है, हमने कई अहम मामलों पर विश्व के दबाव का प्रतिकार किया है। जैसा कि मैने अमरीका में कहा, जहां भी मैं गई वहाँ कहा और आगे भी कहती रहूंगी कि हम अपने विरोधियों या विपक्ष के सदस्य जो कहते हैं उसके बावजूद अपने निश्चित सिद्धान्तों से डिगे नहीं हैं, हम झुके नहीं हैं। अच्छा तो यह होता कि विहक्ष अपने में अविश्वास-प्रस्ताव पेश करता। **(व्यवधान)** कम से कम एक बार तो वह वस्तुस्थिति को स्वीकारने का श्रेय ले सकता था।

तकनीकी प्राप्त होगी जिसकी हमें जरूरत है।

तारापुर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसका प्रर्याप्त उत्तर भी दिया जा चुका है। तथापि मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भारत में अमरीकी शिष्टमण्डल के साथ तथा अमरीका में हमारे अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने इन विषयों पर अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, (क) बिना आगे परामर्श किए पुर्नसंसाधन का अधिकार और (ख) 1993 में इस करार की अवधि की समाप्ति पर उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और दायित्व। दोनों पक्षों में यह सहमति थी कि इन दो विषयों पर मतभेद के बावजूद, 1963 के करार के उपबन्धों के अन्तर्गत परिष्कृत यूरेनियम की भारत को सप्लाई जारी रखी जा सकती है। इसलिए फ्रांस के माध्यम से यूरेनियम की सप्लाई की बात स्वीकार की गई। अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई में अनिश्चितता आने के कारण हमें कुछ विकल्प खोजने के बारे में सोचना पड़ा। इस विषय में अनुसंधान कार्य किया गया और 'एम ओ एक्स' का वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग व्यवहारिक पाया गया। इस तकनीकी उपलब्धि का कार्य जारी रहेगा। मैं यह बात पहले भी इस सभा में कह चुकी हूं। मैं इस बारे में और बहुत बातें बता सकती हूं पर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहती। पर फिर भी मैं यह दोहराना चाहती हूं कि तारापुर परमाणु बिजलीघर में 'एम ओ एक्स' का इस्तेमाल भविष्य में निषिद्ध नही होगा।

महोदय, बिहार प्रेस विधेयक के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल यह दोहराना चाहती हूं कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध हैं। पर जैसा कि प्रेस परिषद ने कहा है, प्रेस को न केवल स्वतंत्र होना है अपितु जिम्मेदार भी होना है। जिम्मेदार सरकार के प्रति नही बल्कि जो कुछ वे लिखते और छापते हैं उसके प्रति। किसी ने मेरे पास एक उद्धरण भेजा है, भाषण और अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नही है।" (**व्यवधान**)। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वरिष्ठ पत्रकार अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार वर्ग के प्रेस में जो कभी-कभी झूठी अशलील बातें छपती हैं उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। इससे किस प्रकार निपटा जाए यह बात विचारणीय हैं और इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन यह कोई नया विचार नहीं है। पहले भी दो राज्यों ने लगभग इसी प्रकार का अधिनियम पास किया था। जहाँ तक मुझे याद है उनके बारे में कोई हो-हल्ला नहीं हुआ था।

महोदय, कई सदस्यों ने चुनावों के बारें में भी बहुत कुछ कहा है। मेरे पास पिछले चुनाव के सारें आंकड़े नहीं है। पर हरियाणा में 1977 में हमें 17.15 प्रतिशत वोट मिले। 198(के लोक सभा चुनाव में हमें 35% मत हमें मिले। 1982 के विधान सभा चुनावों में 38% मत हमें मिले।

यदि कमजोर वर्ग ने, जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमें समर्थन नहीं दिया है तो ह बहुमत कैसे मिला। क्या हमें बड़े उद्योग घरानों के समर्थन से यहां दो तिहाई बहुमत मिला है (**व्यवधान**)। ऐसी टिप्पणी मेरा या हमारा नहीं, बल्कि भारत के मतदाताओं और उन करो लोगों का अपना है जिन्होंने वोट दिए।

चौधरी चरणसिंह जी...

प्रो० मधु दण्डवते : यह राजनीति कीं मांग है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्होंने आपको क्यों नहीं कहा । अन्य लोगों को क्यों नहीं कहा जनता या लोकदल सरकारों के समय में निर्गुट आन्दोलन में जो कुछ कहा गया आप उसे केवल सुनते रहें...

प्रो० मधु दण्डवते : हमें भी उन्होंने यही कहा था ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : अब आप यह कहने और आरोप लगाने की धृष्टता कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता का सौदा करने जा रहें हैं । आप इन्दिरा गांधी को यह कहने का दुस्साहस कर रहे हैं । जबकि देश के सम्मान की रक्षार्थ मैं किसी के दबाव में नहीं आई—(**व्यवधान**)—'वाह' कहने का क्या फायदा ?...हाँ, मैं हूं (**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : आप नष्ट कर रही हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नष्ट कर रही हूं...(**व्यवधान**) दुनियां जानती है, भारत मजबूत बना । दुनियां जानती है, कब भारत के सम्मान की रक्षा की गई । यह इस सभा में चिल्लाने का प्रश्न नही है –चाहे हमारी और से हो या विपक्ष की ओर से । दुनियां जानती है और दुनियां ने माना है । तथ्य यह कि दुनियां इसे स्वीकार करती है ।

कुछ सदस्य जो मुझ पर आरोप लगाते है वे लोग है जिन्होंने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू की अपनी आर्थिक ताकत खड़ी करने, आर्थिक आयोजन करने तथा अपने उद्योग और कृषि का विकास करने की नीतियों का घोर विरोध किया है ।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा यह प्रचार करते रहें हैं कि हमारे लिए किसी न किसी गुट में शामिल होना बेहतर होगा । लगता है आज वे बदल गए हैं । लेकिन इतनी देर तक गुट-वादी विचारधारा रखने के बाद आज मुझे विश्वास नहीं होता वे बदल चुके हैं । अब उनकी वह विचारधारा नहीं रही ।

स्वालम्बन हमेशा हमारा बुनियादी उद्देश्य रहा है, और रहेगा । विशेषकर इस अगस्त मास में 'भारत छोड़ों आन्दोलन' की याद ताजा हो आती है । तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो देश को आजाद नहीं देखना चाहते थे । वे उपनिवेशवादी अपने शासको की स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे । तब कुछ लोग ऐसे भी थे, जो आज विपक्ष में बैठे हैं, जिन्होंने आजादी के बाद भी हमें अंग्रेजों के चमचों की संज्ञा दी थी । भगवान के लिए मुझे इन सब बातों को दोहराने के लिए न कहें । यह सब लिखित रूप में उपलब्ध है ।

आज हमारी तकनालाजी काफी सशक्त है । इसे और मजबूत बनाने के लिए हमें कुछ क्षेत्रों में और अधिक आधुनिक तकनालाजी का आयात करना होगा । अन्यथा आज के तेजी से बदलते विश्व में हम घिसीपिटी कार्यविधि पर अटके रह जाएगे । हम अपनी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को विदेशी पूंजीनिवेश के लिए नहीं खोल रहे हैं । हम केवल उन्ही क्षेत्रों में विदेशी पूंजीनिवेश की अनुमति देंगे जिसके फलस्वरूप हमारी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ेगी और हमें वह आधुनिक

तकनीकी प्राप्त होगी जिसकी हमें जरूरत है।

तारापुर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसका प्रर्याप्त उत्तर भी दिया जा चुका है। तथापि मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि भारत में अमरीकी शिष्टमण्डल के साथ तथा अमरीका में हमारे अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान हमने इन विषयों पर अपना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, (क) बिना आगे परामर्श किए पुर्नसंसाधन का अधिकार और (ख) 1993 में इस करार की अवधि की समाप्ति पर उससे उत्पन्न होने वाले सभी अधिकार और दायित्व। दोनों पक्षों में यह सहमति थी कि इन दो विषयों पर मतभेद के बावजूद, 1963 के करार के उपबन्धों के अन्तर्गत परिष्कृत यूरेनियम की भारत को सप्लाई जारी रखी जा सकती है। इसलिए फ्रांस के माध्यम से यूरेनियम की सप्लाई की बात स्वीकार की गई। अमरीका से यूरेनियम की सप्लाई में अनिश्चितता आने के कारण हमें कुछ विकल्प खोजने के बारे में सोचना पड़ा। इस विषय में अनुसंधान कार्य किया गया और 'एम ओ एक्स' का वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग व्यवहारिक पाया गया। इस तकनीकी उपलब्धि का कार्य जारी रहेगा। मैं यह बात पहले भी इस सभा में कह चुकी हूं। मैं इस बारे में और बहुत बातें बता सकती हूं पर मैं सभा का समय नहीं लेना चाहती। पर फिर भी मैं यह दोहराना चाहती हूं कि तारापुर परमाणु बिजलीघर में 'एम ओ एक्स' का इस्तेमाल भविष्य में निषिद्ध नही होगा।

महोदय, बिहार प्रेस विधेयक के बारें में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं इसके विस्तार में न जाकर केवल यह दोहराना चाहती हूं कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति वचनबद्ध हैं। पर जैसा कि प्रेस परिषद ने कहा है, प्रेस को न केवल स्वतंत्र होना है अपितु जिम्मेदार भी होना है। जिम्मेदार सरकार के प्रति नही बल्कि जो कुछ वे लिखते और छापते हैं उसके प्रति। किसी ने मेरे पास एक उद्धरण भेजा है, भाषण और अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता को दूसरों की प्रतिष्ठा बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है।" **(व्यवधान)**। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वरिष्ठ पत्रकार अपेक्षाकृत कम जिम्मेदार वर्ग के प्रेस में जो कभी-कभी झूठी अशलील बातें छपती हैं उसका अनुमोदन नहीं करेंगे। इससे किस प्रकार निपटा जाए यह बात विचारणीय हैं और इसकी जांच की जा सकती है। लेकिन यह कोई नया विचार नहीं है। पहले भी दो राज्यों ने लगभग इसी प्रकार का अधिनियम पास किया था। जहाँ तक मुझे याद है उनके बारे में कोई हो-हल्ला नहीं हुआ था।

महोदय, कई सदस्यों ने चुनावों के बारें में भी बहुत कुछ कहा है। मेरें पास पिछले चुनाव के सारें आंकड़े नहीं है। पर हरियाणा में 1977 में हमें 17.15 प्रतिशत वोट मिले। 1980 के लोक सभा चुनाव में हमें 35% मत हमें मिले। 1982 के विधान सभा चुनावों में 38% मत हमें मिले।

यदि कमजोर वर्ग ने, जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमें समर्थन नहीं दिया है तो हमें बहुमत कैसे मिला। क्या हमें बड़े उद्योग घरानों के समर्थन से यहां दो तिहाई बहुमत मिला है? **(व्यवधान)**। ऐसी टिप्पणी मेरा या हमारा नहीं, बल्कि भारत के मतदाताओं और उन करोड़ लोगों का अपना है जिन्होंने वोट दिए।

चौधरी चरणसिंह जी···

एक माननीय सदस्य : वे चले गए ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे चले भी गए हों, लेकिन उन्होंने 'पावर्टी' की बात की थी ।

हमारे उनके साथ मतभेद बहुत पुराने हैं । मैं उन्हें खोलना नहीं चाहती । पहले जब मैं प्रधानमन्त्री थी और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे तो वे मुझ से आग्रह करते रहे थे कि हमें मिलों, विशेषकर कपड़ा मिलों को बन्द कर देना चाहिए । अब सभा ही इस पर विचार करे कि आधुनिक भारत के लिए यह नीति कहाँ तक अच्छी हो सकती है । जब मैंने उनसे पूछा "उन औद्यो मजदूरों का क्या बनेगा जो इससे बेकार हो जाएंगे" तो, उन्होंने उत्तर दिया, "आप उन्हें हथकर्घा सामान बनाने काम पर लगा सकती हैं ।" माननीय सदस्य सोच सकते हैं कि क्या यह सम्भव है । क्या इससे भारत की इतनी विशाल जनसंख्या को समय पर और उचित कीमत पर पर्याप्त कपड़ा मिल सकेगा ? चौधरी साहब का जो विभिन्न विषयों के प्रति दृष्टिकोण है उसका मैंने केवल एक उदाहरण दिया है ।

उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिये । अपनी विचारधारा का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने इन आँकड़ों का जो इस्तेमाल किया उसके लिए मैं उन्हें दोष नहीं देती । उन्होंने अनाज, चीनी और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में हुई वृद्धि का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया । मैं अनाज का जो कतिमान उत्पादन हुआ उसके आँकड़े दे सकती हूं । 1981-82 में 13.20 करोड़ टन अनाज पैदा हुआ, 1.15 करोड़ टन तिलहन की पैदावार हुई, 18 करोड़ टन गन्ना पैदा हुआ और 1951 में एक करोड़ 70 लाख टन दुग्ध उत्पादों के मुकाबले 3 करोड़ 30 रु० लाख टन दुग्ध उत्पादन हुआ । मैं और भी आँकड़े दे सकती थी पर मैं विस्तार मे नहीं जाना चाहती । अन्डे, मछली आदि जैसी और भी मदें हैं जो आम आदमी के उपभोग की चीजें हैं । इन सभी के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । स्पष्ट है कि इसका लाभ निजी क्षेत्र को मिलेगा, छोटे-छोटे किसानों और भूमिहीन लोगों को मिलेगा क्योंकि ये उद्यम सरकारी क्षेत्र में नहीं हैं ।

गरीबी की रेखा की बात भी उठाई गई है । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैंने कभी यह नहीं कहा कि हमने गरीबी पर विजय पाली है या गरीबी समाप्त कर दी है । इसके विपरीत मैंने कहा है कि गरीबी बनी हुई है और अपनी पीढ़ी तक हम इसे मिटा नही सकेंगे । जब 1966 में मैं सत्ता में आई थी मैंने तभी यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी । यह एक बहुत बड़ी समस्या है । मैंने कहा था कि गरीबी की आकृति बदल रही है । लाखों लोगों को गरीबी की रेखा कही जाने वाली रेखा से ऊपर उठाया गया है । यह रेखा बदलती रहती है । पहले जिसे ऐश्वर्य का समान माना जाता था आज वही आवश्यकता बन गई है । हम उन्हें दोष नहीं देते । हम उनसे सहमत हैं ।

जनसंख्या में वृद्धि को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए । औसत आयु बढ़ गई है । मुझे खेद है कि के श्री चव्हाण में सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं हालांकि कांग्रेस ने स्वयं इस शब्दावलि का इस्तेमाल किया है । मैं यह मानती हूं कि अमीर और अमीर हुआ है, पर गरीब और

गरीब नहीं हुआ है। तुलना की दृष्टि से वे और गरीब हुए हैं क्योंकि आज वे गरीबी के प्रति अधिक जागरूक हैं, लेकिन आजादी के समय जो गरीबी थी और 1966 में जब मैंने सत्ता सभाली तब जो गरीबी थी उसकी तुलना में वे आज अधिक गरीब नहीं है। मैं गांव में नहीं रहती। चौधरी चरणसिंह भी शायद गांव में नही रहते। पर जब में बच्ची थी तभी से गांव वाले सैंकड़ों की संख्या में नहीं हजारों, लाखों की संख्या में हमारे घर आते रहे हैं। चाहे इलाहाबाद में आनन्दभवन हो या दिल्ली में तीन मूर्ति भवन, । सफदरगंज रोड़, 12, विलिंङग क्रसेंट, इन सबके आहते, आंगन गांवों से आए लोगों से खचा,खच भरे रहते हैं। ये लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही नहीं आते है। देश के सभी भागों से आते हैं। मैं सदस्यों को यह भी बताई कि जब चौधरी चरण-सिंह ने दिल्ली में किसान रैली आयोजित की थी तब भी भारी संख्या में किसान मेरे घर आए थे। उनमें से कुछ को यह प्रलोभन दे कर लाया गय था कि "जब तुम दिल्ली जावोंगे तो इन्दिरा गांधी के दर्शन करोगे। (व्यवधान)

अब जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और श्रीमती और श्री दण्डवते दोनों यहां उपस्थित हैं। तो मैं कुछ ही दिन पहले हुई घटना का जिक्र करूंगी प्रो॰ मधु दण्डवते जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे। पर उस समय उन्हे बेलगांव के लोगों या सीमा विवाद की कोई चिन्ता नहीं थी। अब श्रीमती और श्री दण्डवते ने बेलग्राम के बताए जाने वाले लोगों की इतनी भींड़ इकट्ठी क्यों की ? जब आप 2-1/2 वर्ष तक मंत्री थे तब क्या करते रहे ? इन लोगों ने श्री दण्डवते के पीछे नहीं बल्कि उनके सामने कहा "हमको तो आप में ही श्रद्धा है, आप ही इस प्रश्न को सुल-झायेंगी। प्रो॰ दण्डवते ने भी ऐसे ही शब्द कहे।

प्रो० मधु दण्वतें : महोदय, मैंने इन्हे कहा था कि जब हम सत्ता में थे तो हमने एक बैठक आयोजित की थी। पर दुर्भाग्य से संसद भंग कर दी गई। यही मैंने इनसे कहा और मैं यहां भी कह रहा हुं।

श्री मती इंदिरा गाधी : जहा तक गरीबी की रेखा का सम्बन्ध है, निश्चित ही इस रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका कारण है जनसंख्या में 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी। पर प्रतिशत के हिसाब से इस संख्या में कमी आई है। 1972-73 में यह संख्या 51·49% थी 1977 में घटकर 48.13% रह गई और लगातार कमी हो रही है। मुझे बताया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के पूरे हो जाने पर हम काफी संख्या में, शायद 10 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकेंगे।

जहाँ तक पेयजल का मसला है, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1985 तक सभी समस्यामूलक गांवों में पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य है। वर्ष 1982 की प्रथम तिमाही में 6,266 समस्यामूलक गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। यह वार्षिक लक्ष्य का 20.2 प्रतिशत बैठता है। हमें आशा है कि हम 1985 तक लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

किसी माननीय सदस्य ने इस मसले को गम्भीरता से न लेने का हम पर आरोप लगाया यह दुर्भाग्य की बात है। पर कई गाँवों, वस्तुत: अधिकांश गाँवों में लोग पीने के पानी और प्राथ-मिक स्कूल की अपेक्षा बड़ी इकाइयाँ या परियोजनाए स्थापित करना अधिक पसन्द करते हैं। कई बार मैंने स्वयं ग्रामीण लोगों से बातचीत की है और उन्हें अविलम्बनीय प्राथमिकता वाले काम

करने के लिए मानने की कोशिश की है। पर मुझे अच्छा लगा कि वे बड़ी परियोजना लगना ज्यादा अच्छा समझते हैं। अत: हमें इन सब बातों से जूझना होता है।

फिर भूमि सुधार की बात है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती। जैसा आप जानते है पश्चिम बंगाल की तरह अन्य राज्यों में भी अदालतों से सैंकड़ों रीका देश लोगों ने ले रखे हैं। मामलैंड अदालतों में अटके पड़े हैं। यह बात केवल भूमि सुधार के मामले में ही नहीं है बल्कि गरीब और कमजोर तब के लोगों से सब अन्य कार्यक्रमों की भी यही हालत है। यहाँ हम असहाय हो जाते हैं। जब तक हम सभी मिल बैठकर बातचीत नहीं करते और कोई रास्ता नहीं निकालते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : आप इसे नौवीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करते ?

एक माननीय सदस्य : ये विषय नौवीं अनुसूची में ही हैं, आप नहीं जानते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचार के दोषी लोगों को दी गई सजा के बारे में मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, मैं बुद्धि के अध्यधीन बोल रही हूं। विहार में बेल्ची, पिपरा, भीसेनपुर आदि छः स्थानों पर हुए अत्याचारों के मामलों में दो को मौत की सजा और 135 को आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया है दूसरे राज्यों में भी एसी सजाएं दी गई हैं। मेरे पास सारे आंकड़े नही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मीनाक्षीपुरम और अरब से आने वाले धन के बारे में आपको क्या कहना है ?

एक माननीय सदस्य : इसके प्रभारी आप है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : रोजगार के विषय में मैं पहले भी बोल चुकी हूं। हमारे रजिस्टरों में जो आंकड़े होते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कई बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज नहीं कराते। जो रोजगार पर हैं वे भी अन्यत्र अच्छा रोजगार पाने के लिए आपका नाम नहीं लिखवाते। मैंने कुछ आंकड़े स्वयं देखें हैं। इस सब के वावजूद, वृद्धि दर घटी है। 1978 में 16 प्रतिशत के मुकाबले 1979 और 1980 में यह 13 प्रतिशत रह गई थी। 1981 में और घट कर 10 प्रतिशत रह गई। लगभग 50 प्रतिशत शिक्षित लोग होते हैं, जो रोजगार की तलाश में अपना नाम दर्ज कराते हैं। इनके मामले में भी बेरोजगारी की वृद्धि दर कमी आई हैं। फिर भी मैं कहना चाहूंगी, जैसाकि मैंने पहले भी कहा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास की दर और स्तर में निहित है, इसीलिए हम उत्पादन बढ़ाने और विकास कार्यक्रमों पर इतना अधिक जोर दे रहे हैं। दीर्घकालीन समाधान ढूंढने का यही एक रास्ता है। हमने कुछ अल्पकालिक योजनाएं चलाई हैं। उनमें से कुछ तो सफल हो रही र, पर कुछ सफल नहीं हो पा रही हैं। वस्तुतः आर्थिक विकास की इसका एकमात्र समाधान है। विरोधी पक्ष को हमारे इस महत्वपूर्ण कार्य में बाधाएं पैदा नही करनी चाहिए :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम महत्वहीन हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : एक और बात कही गई है कि हमारे प्रयासों का सही सूचकाँक

स्थिर मूल्यों के आधार पर कुल राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि है। पिछले तीस वर्षों में जब से हमने आर्थिक आयोजना आरम्भ की स्थिर मूल्यों के आधार पर हमने सकल राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। वर्ष 1970 से 1978 के दौरान हमारे घरेलू उत्पादन में औसत 3·7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई। यह उपलब्धि अधिकांश विकसित देशों से भी अच्छी है।

महोदय, हमें लोकतंत्रात्मक प्रणाली में पूर्ण विश्वास है और हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। तथापि, संसद को वर्तमान कार्यप्रणाली के बारे में मेरे कुछ अपने विचार हैं। चौधरी चरणसिंह ने स्वयं 'शून्य काल' के विस्तार की बात कही है। इससे पहले मैं अपने सहयोगियों को उद्धत कर चुकी है कि गम्भीर किस्म के मामलों में कितनी कम दिलचस्पी ली जाती है और अन्य गौण विषयों पर उन्हें बार बार-बार दोहरा कर कितना समय नष्ट किया जाता है। हो सकता है कि कि कुछ विषय महत्वपूर्ण हों। पर जब उनका एक बार उत्तर दिया जा चुका होता है तो उन्हें फिर से उठाने से आप किसी समाधान पर नहीं पहुंचते। (व्यवधान)

भागलपुर में लोगों को अन्धा किए जाने का जिक्र भी किया गया है। यह बहुत ही अमानुषिक और बर्बरतापूर्ण घटना है। इस विभीषिका का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यह जनता पार्टी के शासनकाल से शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी शासन के दौरान भी ऐसी घटनाएं हुई। शुरू में तो उन्होंने इससे इनकार किया। लेकिन बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे माना।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से अन्धा न कर देना।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसी घटनाओं का आज यहां उल्लेख किया गया। इसलिए मुझे बोलना पड़ा। अन्यथा मैं इस विषय की बात नहीं करती।

हम इस सभा में शोर मचाने और प्रतिकार करने की बात कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हमने कुछ आंकड़े, आर्थिक आंकड़े पेश किए थे। इनका मार्क्सवादी दल ने बड़े जोरों से विरोध किया था और उन्हें नहीं माना था। पर चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद लोगों ने स्वीकार किया कि उन्हें गुमराह किया गया और जो आंकड़े हमने दिये थे वे सही थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कौन से आंकड़े ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : आर्थिक आंकड़े। (व्यवधान)

यह दिलचस्प किन्तु, वस्तुतः अविश्वसनीय बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, रा० स्व० सेवक संघ, आप इन्हें जो भी नाम दें, मैं इन्हें एक ही मानती हूं, ने भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करना अच्छा समझा। यह सारी उनकी चाल है। मैं यही मानती हूं। भा० ज० पा० और आर० एस० एस० में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है। अचानक ही ये लोग स्वावलंबन आर्थिक आयोजन या निरगुटता के सिद्धांतों में अपनी आस्था बताने लगे हैं। यह बात मुझे नहीं पचती। इन्होंने क्या किया। जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने आत्मनिर्भरता, समाजवाद की दिशा में कौन से कदम उठाए ? मुझे यह कहते दुख होता है कि विपक्ष में बैठे अधिकांश सदस्यों

ने अपनी स्वार्थ सिद्धी के लिए विनाशकारी रवैया अपनाया। उस समय उनका रवैया यह बिनाशक दृष्टिकोण हमारे प्रति नही था। वे आपस में ही एक दूसरे को मिटाने में लगे रहे। कुछ भी हो, उनका रवैया रहा विनाशकारी।

दिल्ली में मूल्य-वृद्धि की बात कही गई है। मैं मूल्य वृद्धि के समग्र प्रश्न पर नहीं जाना चाहती। पर इस मौके पर मैं यह बताना चाहती हूं कि सरकार दिल्ली में कि में विशेषकर एशियाई खेलों के दौरान, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है जिससे कि कीमतों को बढ़ने से रोका जा सके।

अब मैं कुछ शब्द अपने मित्र श्री साठे के बारे में कहना चाहूंगी क्योंकि कई लोगों ने उनके भाषण का जिक्र किया है। आजकल उनके अपने विचार आमतौर पर रंगीन टेलीविजन के प्रश्न तक सीमित रहते हैं। यह सच है कि वह महसूस करते हैं कि इस विषय को जितना महत्व दिया जाना चाहिए उतना हम नही दे रहे हैं। उनके लम्बे भाषण का यही सार है। मैं स्वीकार करती हूं कि मैं रंगीन टी० वी० के खिलाफ नहीं हूं। प्रश्न प्राथमिकता का है। मेरी प्राथमिकता के अनुसार अधिक से अधिक गांवों में रेडियों और टेलीविजन सुविधा पहुंचानी चाहिए। हम महसूस करते हैं कि हम यह काम रंगीन टी० वी० से नहीं कर सकते। हम रंगीन प्रसारण बन्द नहीं करना चाहते। हमने यह शूरू कर दिया है। पर हम महसूस करते है कि देश में 'ब्लैक एण्ड व्हाइट' टी वी का प्रसार करना आसान और सस्ता होगा। यदि हम सस्ते रंगीन टी वी बनाकर यह काम कर सकेंगे तो अवश्य करेंगे। हम दूसरे देशों विशेषकर अपने पड़ोसियों से पीछे नहीं रहना चाहते। इस समय इससे एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले हमारे लोग दूसरे देशों से प्रसारित रंगीन कार्यक्रम को देखना पसन्द करते हैं। हमारे ब्लैक एण्ड व्हाइट' कार्यक्रम की उपेक्षा करते हैं। यह वास्तविक समस्या है जिसकी हम उपेक्षा करते हैं। यह वास्तविक समस्या है जिसका हम सबको मुकाबला करना है।

कुछ लोगों ने कहा है कि 20-सूत्री कार्यक्रम की संज्ञा दी है। इसमें संशोधन इसलिए किया किया कि हमने कुछ सूत्रों पर कार्य पूरा कर लिया था और जो खाइयाँ और अविलम्बनीय समस्या शेष रह गई थी हम उनकी तरफ ध्यान लेना चाहते थे, दिमाग लगाना चाहते थे।

जब कभी कोई सोवियत का नाम लेता है तो कुछ सदस्य समझते हैं कि उसके बचाव के लिए आगे आना उनका कर्तव्य है। मैं समझती हूं सोवियत रूस स्वयं अपना बचाव करने में काफी सक्षम है। उसे इस तरफ के लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) मेरे विचार से श्री गाडगिल का अभिप्राय किसी भी प्रकार से सोवित संघ के महत्व को कम करना नहीं था। वे कई देशों के अखबारों में छपी इस खबर का जिक्र कर रहे थे कि रूस में पशुओं के लिए चारे की ही कमी नहीं है अपितु अपनी जनता को खिलाने के लिए उसके पास गेहूं की भी कमी है। दोष मढ़ने का कोई कारण नहीं है क्योंकि वर्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। श्री गाडगिल ने जो तथ्य पढ़ा केवल उसका उल्लेखमात्र किया। इसका यह अर्थ लगाना कि उन्होंने एक भिन्न देश पर आक्षेप किया है न केवल गलत है अपितु उस देश के प्रति अभिन्नता पूर्ण व्यवहार भी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपकी पार्टी वालों की यही आदत है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपकी भी यही आदत है। आप इस बारे में इतने भावुक क्यों हो जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप ज्यादा भावुक हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं भावुक नहीं हूं। मैं जानती हूं वे अपना बचाव स्वयं कर सकते हैं **(व्यवधान)** आप बैठ जाइए।

कुछ अन्य सदस्यों ने कई प्रकार के आक्षेप किए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेती। पर यह कहना सरासर गलत है कि हर विधेयक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हिदायतें जाती हैं, हर कार्यवाही मेरी अनुमति से या जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं हैं उसकी अनुमति से होती है, सारे मामले हमको भेजे जाते हैं।

मेरे मणिपुर मामले में कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। आप कहें भी तो भी मैं इसे मानने को तैयार नहीं हु क्योंकि मैं नये विवाद में नहीं पड़ना चाहती। अगर मुझे वहाँ एक गवाह के रूप में भी बुलाया गया था तो भी दो चूजों और छः अण्डों की चोरी करवाने के आरोप में किसी भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को बुलाना हास्यास्पद बात नहीं है ? मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूं··· ((**व्यवधान**)।

महोदय, चित भी और पट भी विपक्ष की नहीं हो सकतीं। एक तरफ ये कहते हैं कि मैं तानाशाह हूं, मैं किसी को काम नहीं करने देती, किसी को बोलने नहीं देती, दूसरी ओर वे कहते हैं कि लोग मेरी अनुमति के बिना काम कर रहे हैं, बिहार में, दिल्ली में बहुत सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनका मुझे पता नहीं है। आप दोगली बात नहीं कर सकते। आप एक बात पर दृढ़ रहें। **(व्यवधान)**

मैं पूछना चाहती हूं कि किस कम्यूनिष्ट देश में, किस फासिस्ट देश में प्रजातन्त्र है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें··· **(व्यवधान)**। पता नहीं श्री वाजपेयी मुझसे सहमत होंगे या नहीं।

मैं विपक्ष पर यह आरोप लगाती हु··· **(व्यवधान)** मैं समाप्त कर रहीं हूं। मैं कहती हूं यह विपक्ष गैरजिम्मेदार है; यह विपक्ष प्रजातंत्र के मानदण्डों की घोर उपेक्षा कर रहा है; वह इस सम्मानित सदन का समय नष्ट कर रहा है; सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा है; मैं उस पर आरोप लगाती हूं कि उसे महत्वपूर्ण विधान से कोई सरोकार नहीं है। चाहे। शून्य काल' हो या अन्य अवसर, आपने शोर शराबा करने में जो समय बर्बाद किया है उसकी तुलना जरा उस समय से कीजिए जो आपने वास्तविक विधान कार्य और हमारे तथा दुनिया के सातने जो अहम मसले हैं उन पर विचार-विमर्श, चर्चा करने में लगाया है··· **(व्यवधान)**

शुरू में हमारी ओर से किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर जब हमने देखा कि खामोश रहकर विपक्ष हमें काम नहीं करने देगा तभी हमारे दल के लोगों ने प्रत्युत्तर देना आरम्भ किया।

यदि विपक्ष शोर न करने की गारन्टी देता है तो मैं भी गारन्टी देती हूं कि हमारी ओर से एक भी आवाज नही आयेगी । क्या आप इसे मानने को तैयार हैं ? क्या आप अपने इस भानुमती के पिटारे पर नियन्त्रण रखेंगे ? मैं कहती हूं कि देश के तथाकथित वामपंथी दलों ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों को पूर्णतः तिलांजली दे देती है और अपने को दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्तों के हाथ बेचा दिया है । (व्यवधान)

कुछ भाषण··· (व्यवधान) मैं हार मानने वाली नहीं, मैं हार नहीं मान रही ।

श्री रामावतार शास्त्री : हम भी हार नहीं मान रहे ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ भाषणों और प्रदर्शनों से कोई अन्तर नहीं पड़ता न ही उससे नीति बनती है। प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण करने वाले विश्व के सभी लोग भारतीय बामपंथ द्वारा दिए गए धोखे से अवगत हैं । (व्यवधान)

मैं सभा को जर्मनी में हिटलर के आरम्भिक दिनों की याद दिलाना चाहती हूं जब पश्चिमी देश उसे समर्थन देने में खुशी महसूस करते थे क्योंकि वे उससे साम्यवाद के दमन की आशा रखते थे । इसी प्रक्रिया में जर्मनी में, आस्ट्रेलिया में, चैकोस्लावाकिया, पोलैंड तथा अन्य देशों में करोड़ों लोगों पर अत्याधिक वर्बरतापूर्ण अत्याचार ढाए गए, लाखों को मौत के घाट उतारा गया तथा सारा विश्व द्वितीय युद्ध की आग में झुलसने लगा । आज भारत का तथाकथित बामपथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का समर्थन कर रहा है, और उसे मजबूत बनाने में लगा हुआ है, उसका सम्मान कर रहा है, इस आशा में कि··· (व्यवधान) जब तक आप बैठ नहीं जाते मैं ये शब्द दोहराती रहूंगी ।

एक माननीय सदस्य : हम झुकने वाले नहीं हैं ।

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : आप अपनी बात कह चुके हैं । बामपंथ प्रक्रियावादी ताकतों को समर्थन दे रहा है, उन्हें मजबूत बना रहा है । उसे आशा है कि इससे वह काँग्रेस पार्टी कमजोर पड़ेगी, वह कांग्रेस पार्टी समाप्त हो जायेगी जिसने आजादी दिलाई, जो समान और प्रगति की प्रतीक है, जो भारी कठिनाइयों का मुकाबला करके··· (व्यवधान) जो पार्टी अपनीं संस्कृति को अक्षुण बनाए रखने के लिए भारी दवाब का सामना कर रही है और साथ ही देश को आधुनिक रूप देने, देश के करोड़ों लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गो और कम सुविधा प्राप्त वर्गों की जीवन दशा सुधारने के प्रयासों में जुटी हुई है ।

महोदय, मैं पूछती है उस समय कितने विपक्षी सदस्यों ने आवाज उठाई जब उसके सदस्य ने खुले रूप में और बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने को सी आई ए का ऐजेंट घोषित किया था । तब विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही जब उसके एक सदस्य ने एक विदेशी दूतावास को जानकारी दी थी ? क्या इन बातों से देश का गोरव बढ़ता है ? देश का सिर ऊंचा होता है ? काँग्रेस में चाहे जो भी कमिया हों, काँग्रेस में भी कुछ कमियाँ हो सकती हैं क्योंकि हम भी मानव हैं, हम अति मानव नहीं हैं-- उसने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और आगे भी करेगी।

विपक्षी दलों के सदस्य अपने अन्तिम हथियार के रूप में इस प्रस्ताव को यहां लाए हैं। वे सही निशानेबाज नहीं निकले। उनका बारूद पुराना और सीला हुआ था। सदन का मूल्यवान समय बर्बाद करने के अतिरिक्त इससे और कुछ नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम इन विषयों पर पहले ही कई बार बहस कर चुके हैं।

मैं माननीय सदस्य से इस प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह करती हूं और यदि वह वापस नहीं लेते तो मैं आप सब से इसे दृढ़ता से, पूरे जोर से अस्वीकार करने का अनुरोध करती हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा।

(व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु (तिरुगलपट्टु) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए श्री बहुगुणा ने कहा था***

श्री रामावतार शास्त्री : किस नियम के अधीन ? (व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। कृपया बैठ जाइए। मैंने स्वीकृति नहीं दी हैं। श्री बहुगुणा।

(व्यवधान)

श्री ईश अनबारासु : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। कृपया बैठ जाइए। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह जो कुछ कह रहे हैं, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बागड़ी जी, आप कहना क्या चाहते हैं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : सदन को यह मालूम होना चाहिए कि सदस्य क्या रखने आये थे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी को भी स्वीकृति नहीं दी है। आप यह कैसे कर सकते हैं ?

(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री बहुगुणा को अनुमति दी है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आज सुबह मैंने जो वाद विवाद शुरू किया था वह प्रधान मन्त्री द्वारा कही गई बहुत ही सामान्य बातों के साथ समाप्त हो गया है। उनके भाषण में अच्छी भाषा और अच्छी शब्दावली का प्रयोग हुआ है परन्तु कोई ठोस बात नहीं कही गई है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अच्छा, आप चुप रहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे इस बात से थोड़ा आश्चर्य हुआ है कि वह उस वाद-विवाद से उत्तेजित हो गईं। वह गुस्से में अधिक बोली हैं और उनका भाषण तर्क संगत कम था। इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है क्योंकि प्रधानमन्त्री ने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। (व्यवधान)। तारापुर के बारे में बताते हुए प्रधान मन्त्री ने मेरे दो विशेष प्रश्नों का भीउत्तर नहीं दिया है :

1. जब भी आवश्यक होगा तब क्या कलपुर्जे (स्पेयर्स) उपलब्ध होंगे और इसके लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार; और

(व्यवधान)

हां, यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं है।

2. प्रयुक्त ईंधन की भण्डार क्षमता पहले से ही पूरी है। जब तक हम इस ईंधन को दुबारा परिष्कृत करना आरम्भ नहीं करेंगे तब तक इसका क्या होगा? उन्होंने पुन: एक सामान्य वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि हम "परिष्कृत" करेंगे कब करेंगे? वह सही सही नहीं बता सकी हैं और न इसके बारे में अप्रत्यक्ष रूप से कोई संकेत दिया है।

उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है और उन्होंने कहा है और जहाँ तक में समझता हू वह हमें याद दिलाती है कि मानो वह स्वयं ही इसकी एक गारन्टीं है। महोदय, उनसे क्षमा-प्रार्थना के साथ मैं यह कहता हूं कि जब वह बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानों नरसी अपने बारे में ही बोल रहा हो। शायद वह अपने पार्टी या भारत के बारे में बोलने की अपेक्षा अपने बारे में बोल रही थीं। उन्होंने सभा को बताया जब तक इन्दिरा गांधी हैं तब तक राष्ट्र का हित हर प्रकार से सुरक्षित है। अब हमें मालूम हुआ है कि जब तक इन्दिरा गांधी हैं तब तक दावा अधिक किया जाएगा परन्तु परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने दूध के बारे में बात की। अब से दो सप्ताह पहले, एक महीने पहले, कुछ महीने पहले, यहां तक कि गत वर्ष और इस वित्तीय्र वर्ष में वे चार महानगरों के लिए दूध और मक्खन खरीदने के लिए गए। वे अभी भी मक्खन और दूध की खरीद के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों में है। मैं समूचे मामले के आँकड़ों में नहीं जाना चाहता। परन्तु बात बहुत ही सीधी है। क्या सचमुच यही तरीका है। किसी को विशेषकर प्रधानमन्त्री को इस प्रकार के वाद विवाद में भाग लेना चाहिए। माननीय मित्रो, प्रधानमन्त्री ने विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है परन्तु उन्होंने यह आरोप लगाया है कि विपक्ष मैं हम तार

तरह की बातें कहते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि हम पंचमेली हैं।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया हैं कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों के हैं। निस्सन्देह हम सभी भिन्न भिन्न विचारधाराओं के हैं। परन्तु एक बात पर हम सभी एक हैं। जैसा कि कल उन्होंने लालकिला की प्राचीर से कहा था कि देश की रक्षा के मामले में, समूचा देश एक हो जाता है। क्या वह उस समय कहतीं हैं—श्री वाजपेयी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बन्ध रखते हैं। अब हमारी भी वही स्थिति है। लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, संसदीय लोकतंत्र के समाप्त होने का खतरा है। **(व्यवधान)** प्रश्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पक्ष लेने का नहीं है। हमारे अनेक मामलों में अनेक प्रश्नों पर सर्वथा भिन्न विचार होते हैं। परन्तु यदि आत्मनिर्भरता के प्रश्न पर सभी एक हैं या हम कहें कि तारापुर सौदे पर तो इसमें गलत बात क्या है? प्रधानमन्त्री अमरीका के दौरे पर डा० सेथना को अपने साथ क्यों नहीं ले गयीं? वह अपने साथ किसी भी विचारशील व्यक्ति को यहां तक कि माननीय संसद सदस्य श्री राजीव गांधी को ले जा सकती थीं। वह डा० सेथना, जिनके हाथ में परमाणु ऊर्जा का कार्यभार है, के बारे में क्यों नहीं सोच सकी? यदि उनका ईनमे विश्वास नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नही है वह उनको हटा दें। परन्तु जब तक वह अध्यक्ष हैं...

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन : अब वह नाम नहीं दे सकते। पहले उन्हें पर्याप्त अवसरे मिल चुका है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्योंकि यह पहले किया गया था। मेरे जाने से पहले मामले पर निर्णय किया गया था जिसमें डा० सेठना से सलाह ली गयी थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्व के मामले में राष्ट्रीय रक्षा और विद्युत क्षेत्र तथा राष्ट्र का भावी कार्यक्रम इस पर निर्भर है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं कहा है कि यदि हमारे पास परमाणु साधन क्षमता हो तो पहाड़ थोड़े ससय में ही हटाया जा सकता है, समूचीं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हम थोड़े समय में ही जलाशय बना सकते हैं और हम ऐसे ही अनेक कार्य कर सकते हैं। उस विभाग का कार्यभार जिसके हाथ में है वह उस दौरे में शामिल नहीं है। उनके साथ दौरे पर जाने वालें दल में ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का कार्यभार संभालने वाले डा० सेथना शामिल नहीं किए जाते हैं। फिर भी वह यह भी नहीं कहती है कि फ्रांस किस तरह से वह ईधन सप्लाई कर रहा है, जिसकी हमें जरूरत है। जैसा कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि फ्रांस लंदन क्लब का सदस्य है। लंदन क्लब की पोरबरन "विस्फोट" अथवा आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, के बाद शीघ्र ही बैठक हुई थी। उस विशेष बैठक में प्रत्येक देश और सभी परमाणु शक्तियां "लंदन क्लब" में थीं। लंदन क्लब की कुछ शर्तें, जिनसे फ्रांस बंधा हुआ है काफी कड़ी हैं। किस तरह से 1963 की संधि की योजनाए भारत सरकार के केवल एक ही कार्य से — संधि को समाप्त करने से सहमत होकर रद्द कर दी गई है क्योंकि महोदय, मैं जानता हूं कि सत्तारूढ़ दल जैसा कि मैंने बताया है सारे विश्व में भीख मांग रहा है। आज वे दावा कुछ भी कर रहे हों, वे इस देश का शासन ऋण और अनुपातों के बिना नहीं चला सकते हैं। उन्होंने पूंजीवादी मार्ग चुना है औ

पूंजीवादी मार्ग ऐसा है कि राजस्थान नहर की कहानी हमारे लिए एक बड़ी शर्म की बात है। उसकी स्थिति कैसी है ? मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। चीन में राजस्थान नहर के प्रथम चरण के बराबर एक नहर का निर्माण 80 दिनों में किया गया। हमारे देश ने इतना अधिक समय लगा दिया है। उस देश में तानाशाही है। आपके यहाँ लोकतंत्र है। आप 800 दिनों में या 80—100 या 8000 दिनों में या 10 साल में तो बना सकते थे। वह 11 वर्ष प्रधानमन्त्री रहीं। वह राजस्थान नहर का काम भी पूरा नहीं करा सकीं।

मेरा मुद्दा यह है कि जहां आत्म निर्भरता की बात की जा रही है, वहाँ विद्युत क्षेत्र में और उन उपभोक्ता कर्जों के सम्बन्ध में हमने अपने को बंधक रख दिया है जिनके मामलों में हम उन पर निर्भर हैं। श्री प्रणव मुखर्जी एवं अपने अन्य दोस्तों के विषय में केवल यही कहूंगा कि वे मेरे भाषण को एक बार फिर पढ़ें, । मैंने 30 प्रतिशत रिजर्व बैंक प्रतिभूति देनदारी को हिसाब में लिया है। इनके शीर्षक, शब्दावली तथा नाम वही है जिनका प्रयोग रिजर्व बैंक ने स्वयं किया है। धनराशि का बहिर्गमन शब्दों का प्रयोग रिजर्व बैंक ने किया है। यदि वे यह समझते हैं कि इसमें शुद्धि आवश्यक है तो उन्हें बैंक से शुद्धि करानी चाहिए। मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मैं उन्हें बता सकता हूं कि जिला-दर-जिला पिछड़े क्षेत्रों और गरीब लोगों के अहित में क्या क्या किया जा रहा है।

सम्पूर्ण देश में ऋण प्रतिबन्ध समान रूप से लागू किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के अकिंचन लोगों या कोंकण अथवा बस्तर के पिछड़े क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। अन्तंराष्ट्रीय मुद्राकोष से कर्ज लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति चेसिस खरीदना चाहता है तो बैंक उसे अग्रिम राशि नहीं देगा जैसा कि पहले हुआ करता था। ऋण प्रतिबन्ध उद्योग-बार लागू नहीं किए गए। इसे क्षेत्र वार लागू नहीं किया गया। इसे आंख मींचकर लागू किया गया है। आप कहते हैं कि हम इस सीमा से अधिक कर्ज नहीं देंगे। इसकी अमुक शर्तें होंगी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने हम पर केवल यही प्रतिकूल शर्त नही लादी और भी शर्तें हैं। आप देश में या देश से बाहर से इस अमुक सीमा से अधिक भाग नहीं लेंगे। यदि आप अब भी स्वाबलंबन की बात करते हैं, यदि आप अब भी अपने पैरों पर खड़े होने की बात करते हैं तो ठीक है आप को अपनी बनाई दुनिया में रहने की इजाजत है। श्री मुखर्जी ने हमें बताया कि वह किस तरह ऋण के ब्याज की अदायगी करेंगे। उनका उपचार बड़ा साधारण है। उन्होंने कहा कि हम निर्यात बढ़ायेंगे और इससे जो अधिक आमदनी होगी उससे ब्याज की राशि चुकायेंगे। पर ऐसी आशा है कहाँ। अब मैं उन्हें थोड़ी सी जानकारी देना चाहुंगा। अभी हाल में भारतीय जहाजरानी निगम के नेतृत्व में एक जहाजरानी शिष्टमन्डल जापान गया जिसने हमारे देश के लिए मालवाहक जहाजों की खरीद के बारे में विचार विमर्श किया। किन्तु हमारे शिष्टमंडल को कुछ भी हाथ नहीं लगा। कई देशों ने ऐसी शर्तें रखीं यहां तक कि फिलिपीन, इण्डोनेशिया, अर्जेन्टीना और अमरीका जैसे देशों ने यह शर्त रखी कि वहाँ से होने वाले या उनको किए जाने वाले माल के आयात या निर्यात का 50— उनके अपने जहाज ढोयेंगे। इस मद में 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

यदि हम यह फैसला कर लेते, जैसाकि छठी योजना में व्यवस्था है कि हम अपने जहाज-

रानी निगम की क्षमता बढ़ायेंगे और इसे एक उचित स्तर तक पहुंचायेंगे तो भारत अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते और जचा सकता था। छठी पंचवर्षीय योजना की आधी अवधि समाप्त हो चुकी है। सरकार 'अपिजय' की सहायता एवं "सुरेन्द्र" के आगे आत्मसमर्पण के अलावा कुछ नहीं कर पायी। उस प्रसिद्ध "पाल" कम्पनी को, जो ग्रेटब्रिटेन में कांग्रेस (आई) के नेता के लिए पार्टियों और बैठकें आयोजित करती है, शीर्ष से उस धनराशि का लगभग 40% धन दिया गया है जो जहाजरानी उद्योग को रियायती दरों पर ऋण देने के लिए सुरक्षित है।

महोदय, जब मैंने वाद-विवाद आरम्भ किया था तब मैंने सोचा था कि हम वाद-विवाद का स्तर उस सीमा तक बनाए रख पायेंगे जिसमें हम कुछ निश्चित योगदान कर सकेंगे किन्तु मुझे निराशा हुई है क्योंकि सत्तारूढ़ दल ने कोइ योगदान नहीं किया। आम चुनाव हुए 2-1/2 वर्ष बीत चुके हैं और हम आज कि लघु आम चुनाव के बाद इकट्ठे हुए हैं। सरकार अपनी सत्ता के 31 महीने पूरे करने जा रही है। 1975 के बाद जब आपने लोगों की बात सुननी बन्द कर दी, आपने अपनी आंख और कान बन्द कर लिए, आपने अखबारों का मुंह बन्द कर दिया, आपने राजनीतिक पार्टियों का मुंह बन्द कर दिया। जब समूचा राष्ट्र गूंगा बना दिया गया तो मुक्ति का एक दिन आया और आप भी ढेर हो गए। 1977 में आपकी करारी पराजय हुई। आप उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। आपका दल एक बार पुन: उसी रास्ते पर अग्रसर हो रहा है... (व्यवधान) मैं तो आपको केवल सावधान ही कर सकता हूं, आपको चेतावनी दे सकता हूं कि मैंने पहले भी आपको संचेत किया था। आपको सतर्क किया था। मैं तो केवल अपनी उंगली उठा सकता हूं। मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूं, पर मैंने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा की थी। यह कहना किसी का एकाधिकार नहीं है कि मैंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जिसे व्यक्ति ने मेरी अपेक्षा केवल एक चौथाई समय तक ही कारावास भोगा हो वह कैसे दावा कर सकता है कि उसकी मेरी अपेक्षा प्रजातंत्र के सिद्धान्तों में ज्यादा आस्था है, वह इसका मुझसे अधिक समर्थक है।

यहां लोग दूर-दराज के गांवों के लोगों से मिलने का श्रेय ले रहे हैं। ठीक है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं भी गांव वालों के साथ रहता हूं, मैं भी गांव में रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति......

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किस गांव में ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरे द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पेश किए जाने के पश्चात् श्री विद्याचरण शुक्ल ने इसे बिलकुल व्यक्तिगत रंग दे दिया। उन्होंने सब कुछ मेरे बारे में ही कहा खुशी की बात है कि उनके पास देश भी उसे वर्तमान हालत के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जिसकी मैंने विस्तार से चर्चा की। जब श्री चरणसिंह ने मेरे बारे में कुछ कहा तो शुक्ल जी ने श्री शिब्बनलाल सक्सेना पर लगाए गए आरोपों की जांच की गई उन्हें पूरी तरह बे बुनियाद पाया गया। इस विषय पर में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने मुझे एक पत्र भेजा था। इसकी जारकारी प्रेस समेत सभी को दी गई। मैं अपने माननीय दोस्त श्री विद्याचरण शुक्ल को आगाह करना चाहूंगा कि शीशे के महलों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नही फैंकने चाहिए।

सौभाग्य से मैं विद्याचरण शुक्ल और उनके परिवार से काफी समय से भलीभाँति परिचित हूं। क्या उन्होंने राजनीतिक जीवन की अपनी दो पीढ़ियों के दौरान पैसा इकट्ठा करने के आरोप के सम्बन्ध में कभी किसी के खिलाफ मानहानि का दावा किया ? क्या किसी समाचार पत्र ने इनके बारे में जो कहा गया उसके प्रति कभी खेद प्रकट किया ? मैं···नहीं हू।

श्री विद्याचरण शुक्ल : आपने यह प्रश्न उठाया हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बिलट्ज के खिलाफ मुकदमा दायर किया। झूठे आरोप गढ़ने के लिए ऊसने हमारे परिवार से विना शर्त माफी माँगी। उसे प्रकाशित भी किया गया। आप 26 जनवरी, 1962 का अंक पढ़ें। उसमें यह छपा है। उसने मेरे विरुद्ध किए गए सभी आक्षेप वापस ले लिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : 1962 की बात मान ली। पर क्या ये ही आरोप थे ? **(व्यवधान)**। एक बार उन्हें अदालत की शरण भी लेनी पड़ी। श्री शिब्बन लाल सक्सेना की बात बिलट्ज में छपी तो हमने केवल नोटिस भेजा। विलट्ज ने न केवल माफी मांगी बल्कि मांगते हुए यह भी छापा···कि हमने जो किता वह गलत था।" उसने यह सुझाव भी दिया···कि श्री शिब्बन लाल सक्सेना को भी श्री बहुगुणा से माफीं माँगनी चाहिए।" यह सब ब्लिट्ज में छप चुका है, श्री शुक्ल को हाल ही में माननीया प्रधान मंत्री ने मन्त्रिमण्डल से निकाल फेंका। ठीक है,यह उनका विशेषाधिकार है पर एक बात याद रखिए। क्या प्रेस में श्री शुक्ल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की बातें नही छपी ? एक माननीय सदस्य लोगों के उस वर्ग विशेष पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध थे जो वर्तमान प्रधान मन्त्री को सत्ता तक लाए। पर क्या इस सम्बन्ध में उनकी चाल से देसवासी अनभिज्ञ हैं।

श्रीमती गांधी उनका साथ नही देती जो इनका साथ देते हैं। वह उनकी मदद नहीं करती जो उन्हें सत्ता में लाने में उनकी मदद करते हैं। वस्तुतः जब वह सत्ता में आजाती है तो वह उन्हें समाप्त कर देती हैं। क्योंकि बह हिटलर के इस सिद्धान्त में विश्वास करती हैं—"आप उस सीढ़ी को ही तोड़ दो जिससे आप ऊपर खड़े है, कही ऐसा न हो कि कोई और भी इसका इस्तेमाल करलें।" अतः यह 'सिन्डीकेट' से लेकर आज तक की लम्बी कहानी है। मेरे दोस्त शुक्ल जी, मेरे प्रति व्यक्तिक प्रतिकार की भावना से जो आपने इतना बढ़िया भाषण किया हैं उससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर श्रीचरणसिंह ने कुछ अपमानजनक बातें लिखी तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने इसका विरोध किया। यह रिकार्ड में है। श्री चरणसिंह ने खेद व्यक्त किया और मुझसे लिखित रूप में माफी मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को इसका पता है क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से अखबारों मैं छपा। श्री मोरारजी के वारे में यह सभी जानते हैं कि कुछ भी हो वे झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होने भी श्री चरणसिंह के आरोप को विल्कुल गलत वताया। अब मैं एक बयान दे रहा हूं एक पेशकश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद प्रसाद शर्मा) उन्होंने इससे इनकार

किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने उनकी बात सुनी ही नहीं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : उन्होंने श्री मोरारजी के आरोपों का खण्डन किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने उनकी बात सुनी।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : इस तथ्य को देखते हुए कि जब श्री मोरारजी आरोपों को लेकर आए।

श्रीमती हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने उनको सुना नहीं। उन्होंने कहा था मैंने अपने मन से यह आरोप नही लगाया। श्री मोरारजी देसाई ने मुझे इसका सुझाव दिया।"

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके बारे में पूरा सदन जानता है ··

(व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मेरी एक बहुत ही साधारण पेशकश है। प्रधान मन्त्री के पास कई लोगों की फाइलें होती है। मुझें विश्वास है उन्होंने···देखी होगी।

श्रीमती इन्दिरा गाधी : मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूं। मेरे पास कभी कोई फाइल नहीं रही। आज भी कोई फाइल नही हैं।

श्री विक्रम महाजन : आप क्षमा माँगे और अपने शब्द वापस लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महाजन जी, मैं उन्हें आपसे पहले से जानता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं। श्री विद्याचरण शुक्ल जैसे व्यक्ति ने इस सदन में बड़ी बेशर्मी से मेरे विरुद्ध जो विशिष्ट आरोप लगाया हैं उसके विषय में भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मेरे खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करें।

संचार मंत्री (श्री सी. एम. स्टीफन) : क्या उन्होंने आपके विरुद्ध *अविश्वास प्रस्ताव* रखा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जी हां। सभी कह रहे थे; 'बहुगुणाजी आप सोच क्यों रहे हैं···**(व्यवधान)** आप ठीक नहीं कह रहे। उनके टेलीफोन नम्बर कभी ठीक नही रहते। उनके टेलीफोन कभी काम नहीं करते। श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में आपने जो कुछ कहा अगर मैं उसे उद्धृत करूं तो मैंने किसी को उद्धृत नही किया। श्री स्टीफन ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी के बारे में 1977 की करारी हार के बाद जो कहा, यदि में उसका जिक्र करूं तो स्टीफन के लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी। मैंने यह नहीं किया। इतना गिरा हुआ नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन : आप और नीचें गिर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : ये वही आदमी हैं जिन्होंने कहा था कि उसे उनकी औकाद समझाई जाए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मुझे माननीय सदस्य श्री गाडगिल के घर ठहरने का मौका मिला था···(व्यवधान) पुणे महानगरी में। मैं समझता था कि वह···व्यक्ति है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने मुझे पहले 40 मिनट से अधिक नहीं दिये। इस समय मुझे अपना काम करने दीजिए।

माननीय सदस्य, श्री गाडगिल ने कहना आरम्भ किया "बहु गुणा ने दल बदले हैं।" क्या आपने पार्टियाँ नहीं बदली है? आपने इन्दिरा गांधी की हार के वक्त क्या कहा था? मैं मेरी दूसरी ओर बैठें युवा सदस्यों कीं जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को पुन: सत्ता में लाने के लिए जी-तोड़ परिश्रम किया, भावनाएं समझता हूं कि जबभी इंदिरा गाँधी के बारे में कोई कुछ कहता है तो आपके दिलों को चोट पहुंचती है। किन्तु मुझे आश्चर्य है तो उन लोगों के बारे में, जिन्होंने श्रीमती गाँधी का साथ उस समय छोड़ा जब वह सत्ता में नहीं थीं और आज अपने को उनके खैर-ख्वाह बताते हैं। मैंने उन्हें जब नहीं छोड़ा जब वह सत्ता में नहीं थीं। मैंने उनका साथ उस समय छोड़ा जब वह अपनी सत्ता के शिखर पर पहूंचीं। 1977 में मैंने उनका साथ छोड़ा। क्यों छोड़ा, मैं आपको बताता हूं···

श्रीमती इन्दिरा गाधी : 1977 में नहीं। मैं 1980 की बात कर रही हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं उस पर भी आऊंगा। मैं 1977 की बात भी करूंगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : में 1977 की बात नहीं कर रही।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप उस मुद्दे पर कभी बात नहीं करेंगी, जिससे आप पर आंच आये। पर मैं बात यहीं छोड़ने वाला नहीं। कहानी 1974 से आरम्भ होती है और 1974 में ही बिड़ला को उत्तर प्रदेश से राज्य भसा में लाने का प्रयास किया गया। यह कोई आसान बात नहीं थी। यह एक दिन का इतिहास नहीं। यह बात जयप्रकाश नारायण से आरम्भ होती है। मैंने उनके स्वागत के लिए लाल गलीचे बिछाये। मैंने ही यू० पी० के राजपत्र में अधिसूचना जारी की कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का अतिथि माना जाये। हमारा झगड़ा तब आरम्भ हुआ जब मैंने आपके पुत्र को सत्ता में लाने के आपके प्रयास में आपको मदद करने से इन्कार किया। मैं पुत्र-पूजा नहीं कर सकता, मैं करूंगा भी नहीं (व्यवधान) झगड़ा आरम्भ हुआ। (व्यवधान) झगड़ा फिर आरम्भ हुआ 1980 में, और इस सारी गाथा को अखबारों ने छापा, विशेषकर फरवरी 1980 में इल्युस्ट्रेटिड कोर्ला में मेरे विचार प्रकाशित होने के बाद···(व्यवधान) यह बात रिकार्ड में है, जिसका अभी तक खंडन नहीं किया गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी आमतौर पर एक साधारण सा तर्क दे देतीं हैं कि मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ती। वह तो अखबारों में अपने उन विचारों को छपवाना चाहतीं मैं जिन्हें वह लोगों से पढ़ने की अपेक्षा रखती हैं किन्तु वे स्वयं

नहीं पढ़तीं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने यह कभी नहीं कहा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं आपको याद दिलाता हूं । 7 सितम्बर को…सर्व प्रथम आप मेरे दोस्त श्री एच० के० एल० भगत से कहें कि वह अपने बयान को शुद्ध करें । श्री भगत का कहना है कि मैं बहुत सारे लोगों को इमरजेन्सी के समर्थन में दिल्ली लाया । शायद उनकी याददास्त दुरुस्त नहीं है । 12 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना प्रसिद्ध फैसला सुनाया और 20 जून को यहां कांग्रेस की एक रैली हुई । सभी जगह से लोगों को यहां लाया गया, केवल यह कहने के लिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी को त्यागपत्र नहीं देना चाहिए क्योंकि इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए एक बड़ा न्यायालय भी है । (**व्यवधान**) मैं उसका भी जिक्र करूंगा मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं । यदि मैं दिल्ली परिवहन निगम की बसों को किराये पर लाने का दोषी होता तो श्री भगत मुझे आसानी से केस में फंसा सकते हैं और कम से कम एक गवाह के रूप में मुझे बुलाया जा सकता था…(**व्यवधान**) मुझे गवाह के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया गया और न ही मैं जानता हूं कैसे—(**व्यवधान**) मैं हार मानने वाला नहीं हूं, भगत जी । ऐसी बातें कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता । क्या यह सच नहीं है—

श्री एच० के० एल० भगत : आप इस बात से इन्कार करें । यह डी०टी०सी० के रिकार्ड में है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इसका खंडन करता हूं । (**व्यवधान**) जब इमरजेंसी लगायी गयी तो मैं प्रदर्शन आदि के लिए किसी को भी दिल्ली नहीं लाया । यहां वयोवृद्ध नेता श्री कमलापति त्रिपाठी जी बैठे हैं मैं उनके फैसले को मानने के लिए तैयार हूं । श्रीमती गांधी जी उन्हें इस मामले की जांच का काम सौंप सकती हैं, वह भी तब यदि आपका उन पर आज भी विश्वास है ।

मैं जो भी पत्र श्रीमती गांधी को लिखता हूं उन सब की रसीदें अपने पास रखता हूं, यह मेरी आदत है । 7 सितम्बर 1975 को मैंने एक पत्र लिखा जिसमें मैंने कहा था "मैडम, आप उन्हें एक चीते की सवारी कर रही हैं । आप इसे तुरन्त छोड़ दीजिएगा, *अन्यथा यह आपको ही निगल* जायेगा ।" आप कहते हैं मैंने इमरजेन्सी का समर्थन किया ।

मैं उनसे कहता रहा कि ऐसा न करें किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अन्त में उन्होंने कहा, "आपको जाना चाहिए ।" क्यों ? जब वह दल को मेरे खिलाफ न कर सकीं—(**व्यवधान**) तब उन्होंने मन्त्रियों को मेरे खिलाफ किया । वास्तव में मेरे मंत्रिमन्डल के 10 नामजद मंत्रियों को कहने के लिए कहा गया, "हम इस आदमी के साथ काम नहीं सकते ।" मैंने आसानी से उन्हें उन्होंने कहा, 'मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुख्य मंत्री नहीं रहना चाहता इसका एक कारण था । जिस दिन मैं मुख्य मन्त्री बनकर वहां गया था तो उनके ही कहने पर गया था । अत:मैंने सोचा कि नैतिक दृष्टि से यह कहना उचित है कि यदि वह मुझे मुख्य मन्त्री बने नहीं रहना चाहती तो मुझे हट जाना चाहिए । किन्तु उत्तर प्रदेश के कांग्रेस विधान सभा दल में उस दिन

मेरा भारी बहुमत था। बहुमत अथवा अविश्वास की वजह से मुझे मुख्यमन्त्री का पद नहीं छोड़ना पड़ा।

श्रीमती गांधी द्वारा बहुत सारी बातें कही गई हैं और उन्होंने हिटलर का भी उल्लेख किया है और यह भी मालूम है कि पश्चिम के लोगों द्वारा कैसे हिटलर की प्रशंसा की जा रही है। मुझ इसमें कुछ संदेह लगता है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि सम्भवतः लोग उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे और मुझे इसमें कुछ खतरा दिखाई देता है। लोग उनकी जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। और इसी में खतरा है। इससे मुझे यह स्मरण रहा है कि संभवतः वे उन्हें हिटलर बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनमें हिटलर के गुण मिलते हैं—(व्यवधान) और वे उन्हें तूल दे रहे हैं ओर वह कहती हैं "यदि मैं तानाशाह हू तो मैं चुनाव क्यों कराऊं ?" मैं नहीं समझता कि लोग श्री एन्थनी के पास जाते ही क्यों हैं। मुझे आश्चर्य है क्योंकि उन्होंने एक कमजोर तर्क दिया है यदि वह मुफ्त में भी आयें फिर भी मैं उन्हें नियुक्त करूंगा। आज सुबह वह कह रहे थे, यदि साम्यवादी सत्ता में आते हैं तो वे कभी भी चुनाव नहीं करायेंगे।" वह हाथ का उदाहरण भूल गये हैं। पश्चिमी बंगाल में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी). वामपंथी मोर्चे ने चुनाव जीते हैं और यह सरकार चुनावों को टालने का प्रयत्न कर रही थी···(व्यवधान) मैं झुक नही रहा हूं :—

श्री फ्रैंक एन्थनी . मरोदय, वह जानबूझ कर—वह जानबूझकर—(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय है +

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी, आप असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। श्री एन्थनी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? आपने असंसदीय बात कही हैं (**व्यवधान**) क्या आप बैठेंगे ? श्री एन्थनी किसी कीं बात नहीं सुनते। आप असंसदीय बात क्यों कर रहे हैं ? कृपया इसे वापस लीजिए। आपने जो शब्द प्रयोग किया हैं यह असंसदीय है, मैंने इसकी अनुमति नहीं दी हैं। यह असंसदीय भाषा है। इसकी अनुमति नहीं है मैं इन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी : आपने उन्हें अनुमति क्यों दी जब कि वह जानबूझ कर* इस बारे में—?

अध्यक्ष महोदय : मैंनें अनुमति नहीं दी है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : अध्यक्ष महोदय, आपने उन्हें मुझे मेरे व्यवसाय में बदनाम करने की अनुमति क्यों दी—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं करूंगा।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

* अध्यक्ष पीट के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दिया गया।

श्री फ्रेंक एन्थनी : आप मेरी बात नहीं सुनोगे ? मैं अपने शब्द वापस लेता हूं मुझे अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। जब वह मुझे श्रीमती गांधी के मकान में मिले...वर्ष— (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप बाद में बोल सकते हैं–इस तरह से नहीं।

श्री चन्द्रशेखर (बालिया) :अध्यक्ष महोदय, उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उन्होंने वापस ले लिए हैं ;

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या असंसदीय है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वापस ले लिए हैं। अब कृपया बैठ जाइए।

श्री फ्रेंक एन्थनी : कृपया मुझे अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं उन शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटासिंह) : उन्होंने जो असंसदीय शब्द प्रयोग किए हैं वे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप बैठ नहीं जाते तब तक मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। श्री एन्थनी कृपया बैठ जाइए। क्या आप बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ कहेंगे वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान) *

कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं किन्तु देखिए यह किस किस्म के वकील हैं और सत्ताधारी दल किस प्रकार के तर्क यहां दे रहा है। उस दल की ओर से यह तर्क दिया गया था कि साम्यवादी चुनाव होने नहीं देंगे—

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया वाद-विवाद तक सीमित रहेंगे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय श्री सदस्य फ्रेंक एन्थनी के कथन को

* अध्यक्ष पी० को आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया।

बात कर रहा हूं उन्होंने कहा कि यदि साम्यवादी सत्ता में आते हैं तो वे कभी भी चुनाव नहीं करायेंगे। मैं पूछ रहा हूं, किसने चुनाव कराये और किसने चुनाव बन्द किये। हम देखें कि कौन चुनाव में बाधा डालने का प्रयत्न कर रहा है और कौन चुनाव नहीं करना चाहता था। लोक सभा की अवधि को श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा संविधान में संशोधन कर एक एक वर्ष और बढ़ाया गया। वे कौन लोग हैं जिन्होंने हाथ में बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के चुनावों में बाधा डाली है? वे कौन लोग हैं जो गढ़वाल चुनावों में बाधक बने? यह एक छोटा उप-चुनाव था। वे कहते हैं, "आप अपने को बहुत समझते हैं।" मैं नहीं समझता। माननीय ज्योति बसु, मुख्य मन्त्री बंगाल ने प्रधान मन्त्री से कहा: यह आप हैं जिन्होंने यह स्थिति पैदा की है, अन्यथा हमें श्री बहुगुणा से कोई सरोकार नहीं है।" जून 1981 में गढ़वाल संसदीय चुनाव में उस पक्ष के द्वारा की गई जो लूट और धोखाधड़ी पकड़ी गई है वह चुनाव आयोग के रिकार्ड में है। उन्होंने ही पुनः नवम्बर, 1981 में चुनाव स्थगित कराने के लिए कहा है ··· **(व्यवधान)**: मैंने कभी नहीं कहा। मैंने एक भी ऐसा पत्र नहीं लिखा है जिसमें मैंने चुनाव स्थगित करने के लिए कहा हो यहां तक कि जब मैं पैर पर चोट के कारण अस्पताल में था फिर भी मैंने नहीं लिखा। इसके विपरीत मैंने अपने पत्रों में उप-चुनाव कराने की मांग की है। अस्पताल में लिखा गया मेरा पत्र चुनाव आयोग के पास है। माननीय विधि मन्त्री इसे कभी भी देख सकते हैं।

एक मुद्दा उठाया गया है और उन्होंने सोचा कि यह बड़ी भारी बात है। उन्होंने कहा कि श्री बहुगुणा ने लोक सभा से त्याग पत्र दिया है। किन्तु फिर उन्होंने क्या कहा। किसी युवक के मुंह से यह कहलाया गया। उसने आगे कहा, "उसके मित्रों की क्या स्थिति है? वे भी क्यों त्याग-पत्र नहीं देते?" यह प्रश्न कौन पूछ रहा है। वे लोग जिनकी सारी शक्ति दल-बदल पर निर्भर करती है। मेरे और माननीय प्रधानमन्त्री के बीच असहमति का यह पहला मुद्दा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आये दल-बदल द्वारा सत्ता में आये। इसी महान सभा में जो सदस्य आपके दल के विरुद्ध चुने गये थे अब दल-बदल कर आपके दल में स्थान ग्रहण किये हुए हैं। आपका दल अपने आप को कांग्रेस (आई) कहने में सम्मानित महसूस करता हैं— **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी: आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह नाम हमने नहीं बल्कि चुनाव आयोग ने दिया है। यह उन्होंने अपने आप दिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: मानता हूं अब चूंकि चुनाव आयोग ने आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा है तो आप इस शब्द कांग्रेस (आई) को क्यों नहीं छोड़ते? ··· **(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी: नहीं, क्योंकि कई कांग्रेस पार्टियां हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: आपके निहित स्वार्थ हैं। प्रधान मन्त्री का इस देश की राजनीति सहित सारी बातों में निहित स्वार्थ है। उन्होंने इसका राष्ट्रीय करण नहीं किया है किन्तु जैसा वे कहते हैं एक संयुक्त स्टाक कम्पनी की तरह इसे एक संयुक्त स्टाक कम्पनी बनाना

है। ..(व्यवधान) मेरे मित्रों हम क्यों न रिकार्ड देखें (व्यवधान)। जब कि वर्तमान मामला उस मामले से भिन्न है जो कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने बनाया है। वे कहते हैं कि मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने घर आने के लिए कहा है। कई वार यह समाचार पत्रों में आया है—(व्यवधान)। वह अपने आप आई थी और केवल यही नहीं, उन्होंने मुझसे अपनी पार्टी में आने का अनुरोध किया था और अन्त में (व्यवधान) तत्कालीन कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष द्वारा मुझे निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिए कहा गया। मेरे पास उन निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की सूची है जहां मुझे जाने के लिए कहा गया। मैं 118 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में गया था जिनमें दिल्ली के माननीय सदस्य श्री टाइटलर का निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। (व्यवधान) मैं अपने मित्रों से त्यागपत्र देने के लिए कहने के लिए तैयार हूं बशर्ते कि वे भी उस प्रत्येक स्थान से त्यागपत्र दें जिसमें प्रचार करने के लिए मैं गया था अथवा मेरे मित्र अब्दुल्ला बुखारी प्रचार के लिए गये थे। क्या वे यह करने के लिए तैयार हैं? यदि वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। (व्यवधान) महोदय, इस देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और मैंने इसके बारे में प्रश्न उठाया है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : इसमें पश्चिम बंगाल के दंगे भी शामिल है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हां, सर्वत्र प्रधान मन्त्री ने एक पत्र में श्री बुखारी, जामा मस्जिद के शाही को इमाम वायदा किया था कि यदि साम्प्रदायिक दंगा होता है —यह स्वयं कांग्रेस (आई) के छपे पत्र में लिखा है—तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जायेगा। मैंने एक प्रश्न उठाया है कि कई साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं किन्तु क्या एक भी अधिकारी को कहीं भी दण्ड दिया गया है? नही। अतः महोदय, चाहे ये अनुसूचित जाति के लोग हों, सरकार की उनके जीवन की रक्षा करने में रुचि नहीं है।

साथ ही, महोदय, माननीय सदश्य, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने प्रधान मंत्री के वक्तव्य के बारे के एक प्रश्न उठाया है कि मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन के लिए अरब से रुपया आ रहा है। प्रधान मंत्री ने न तो इसका खंडन किया हैं और न उन्होंने एक भी शब्द इस बारे में कहा है। यह इस देश के समस्त मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध मिथ्या आरोप हैं जिसका विरोध किया जाना चाहिए और इस सभा द्वारा इसकी आलोचना की जानी चाहिए क्योंकि वह प्रत्येक मुसलमान को यह समझने का प्रयत्न कर रही है कि मानो वह एक खरीदी जाने वाली वस्तु है। यह एक ऐसी बात हैं जो इस देश की एकता के लिए खतरनाक रूप से बुरी है।

अंत में, महोदय, प्रधान मंत्री ने जो गुस्सा दिखाया है उससे मुझे गहरी निराशा हुई है किन्तु साथ ही मुझे इस बात की खुशी है कि लक्ष्य पूरा हुआ है। मुझे आशा है कि यह सभा ··

प्रो० मधु दण्डवते : वह मधुर हो सकती थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह हो सकती हैं यदि वह चाहें किन्तु कभी-कभी यह खतरनाक होता है क्योंकि एक लेखक ने उन पर लिखी एक पुस्तक में लिखा है—और श्री साठे इसे

नोट करें—यदि वह बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं तो समझिये आपके लिये खतरा है।

अन्त में, महोदय, मैं इस सरकार पर एकाधिकारियों के साथ साँठ-गाँठ करने का आरोप लगाती हूं, मैं इस सरकार पर श्रमिक वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाता हूं तथा इस पर किसान विरोधी, मध्यम वर्ग विरोधी, हरिजन विरोधी होने का आरोप लगाता हूं और इसलिए इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नही है। बहुमत हो सकता है, 1977 के चुनावों से पहले भी सारे देश में आपका भारी बहुमत था किन्तु लोगों की आकांक्षाओं और उनके क्रोध की तुलना में आपका बहुमत इस सभा में असंगत हो गया है।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है उसे पारित किया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। माननीय सदस्य ने काफी गलत वक्तव्य दिये हैं। उन्होंने अपनी ही कहानी कही है जिसका कोई आधार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मन्त्रि-परिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत—विभाजन संख्या : 14

आचार्य, श्री वसुदेव
आर्य, श्री कुम्भा राम
अशफाक हुसैन, श्री
आजमी डा० ए० यू०
बाग, श्री अजित
बागड़ी, श्री मनीराम
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री

चन्द्रशेखर, श्री

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्भुज, श्री

चौधरी, श्री त्रिदिव

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो० मधु

दंडवते, श्रीमती प्रमिला

दास, श्री रेणुपद

दत्त, श्री अमल

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस०

दिगम्बर सिंह, श्री

गंगवार, श्री हरीश कुमार

घोष, श्री नीरेन

घोष, गोस्वमी, श्रीमती बिभा

गिरि श्री सुधीर

गोयल, श्री कृष्ण कुमार

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरिकेश बहादुर, श्री

हसदा, श्री मतिलाल

हीरो, श्री एन० ई०

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

इन्द्रा कुमारी, श्रीमती

जगपाल सिंह, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

करुणानिधि, श्री थाझाई एम०

कश्यप, श्री जयपाल सिंह

खाँ, श्री गयूर अली

खाँ, श्री गुलाम मोहम्मद
खाँ, श्री महमूद हसन
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता प्रो० अजित कुमार
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माल, श्री
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री समर
मुलतान सिंह, चौधरी
नाडार, श्री ए० नीलालोहिथादसन
नेगी, श्री टी० एस०
निहाल सिंह, श्री
पाल, प्रो० रुप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परांजये, श्री बाबूराव
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आनन्द
पाटिल, श्री जे० एस०
प्रेमी, श्री मंगल राम
राही, श्री रामलाल
राय, श्री एम० रामन्ना
राजन, श्री के० ए०

राजदा, श्री रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
राकेश, श्री आर० एन०
राम अवध, श्री
राम किंकर, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
रार, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सैनी, श्री मनोहर लाल
सारण, श्री दौलत राम
षाडंगी, श्री रूद्र प्रताप
शाक्य, श्री दया राम
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन० के०
सिंह, श्री बी० डी०
सिंह, श्री धर्मवीर
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
उन्नीकृष्ण, श्री के० पी०
वाजेपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री चन्द्र देव प्रसाद
वर्मा, श्री फूलचन्द्र

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह

वर्मा, श्री शिव शरण

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद

जायनल अबेदिन, श्री

अब्बासी, श्री काजी जलील

अब्दुल समद, श्री

अहमद, श्री मोहम्मद असरार

अहमद, बेगम आबिदा

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अजीत प्रताप सिंह

अलूरी, सुभाष चन्द्र बोस

अमीरचन्द्र सिंह, श्री

आनन्द सिंह, श्री

अंकिनीडू, श्री एम०

अंकिनीड प्रसाद राव, श्री पी०

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

एन्थनी, श्री फ्रैंक,

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद

अनवर अहमद, श्री

अल्लालानायडू, श्री एस० आर० ए० एस०

अरूणाचलम, श्री एम०

आजाद, श्री भगवत झा

आजाद, श्री गुलाम नबी

बागुन सुम्बरुई, श्री

बेरवा, श्री बनवारी लाल

बैठा, श्री डूमर लाल

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी

बालेश्वर राम, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बन्सी लाल, श्री

बरोट, श्री मगनभाई

बैरो, श्री ए० ई० टी०

बरवे, श्री जे० सी०

बहेरा, श्री रास बिहारी

भगत, श्री बी० आर०

भगत, श्री एच० के० एल०

भगवान देव, आचार्य

भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भीखाभाई, श्री

भोई, डा० कृपासिन्धु

भोये, श्री रेशमा मोतीराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

बोड्डेपल्ली, श्री राजगोपाल राव

ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर

ब्रजेन्द्रपाल सिंह, श्री

बूटा सिंह, श्री

चन्द्रशेखर सिंह, श्री

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चरणजीत सिंह, श्री

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चव्हाण, श्री यशवन्त राव

चव्हाण, श्री एस० बी०

चिंगवांग कोनयक, श्री

चिन्नास्वामी, श्री सी०

चौधरी श्री के० बी०

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

चौहान, श्री फतेहभान सिंह

दाभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

डामोर, श्री सोमजीभाई

दास, श्री अनादि चरण

डेनिस, श्री एन०

देव, श्री संतोष मोहन

देवराजन श्री ी०

दंडपाणि, श्री सी० टी०

धोटे, श्री जाम्बुवंत

दिग्विजय सिंह, श्री

डोगरा, श्री गिरधारी लाल

डूंगर सिंह, श्री

दुबे, श्री विन्देश्वरी

दुबे, श्री रामनाथ

एक्का श्री क्रिस्टोफर

ईरा अनावारासु, श्री

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

फर्नांडीस, श्री ओस्कर

गाडगिल, श्री वी० एन०

गधावी, श्री भेरावदन के०

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गामित श्री छीतूभाई

गांधी, श्रीमती इन्दिरा

गांधी, श्री राजीव

गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह

गावित, श्री मानिकराव होडल्य

गहलोत, श्री अशोक

गुफारान आजम, श्री

गिरिराज सिंह

गोहिल, श्री जी० बी०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गौडर, श्री ए० सेनापति

गौजगिन, श्री एन०

गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते

गौडा, श्री एच० एन० नन्जे

गुलशेर अहमद, श्री

हाकम सिंह, श्री

हेमब्रम, श्री सेत

जदे, श्री दौलतसिंहजी

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री भीकू राम

जैन, श्री निहाल सिंह

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

जमीलुर्रहमान, श्री

जैना, श्री चिन्तामणि

झा, श्री कमलनाथ

जितेन्द्र प्रसाद, श्री

कैलाशपति, श्रीमती

कमला कुमारी, कुमारी

कडास्वामी, श्री एम०

कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
केन, श्री लालाराम
कैयर भूषण, श्री
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एस० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कृष्णन्, श्री जी० आई०
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुंवर राम, श्री
कुरियन, प्रो० पी० जे०
लकप्पा, श्री के०
लक्ष्मन्, श्री जी०
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
महाजन, श्री वाई० एस०
महाला, श्री आर० पी०
महेन्द्र प्रसाद, श्री
मकवाना, श्री नरसिंह
मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लु, श्री अनन्त रामुलु

माने, श्री आर० एस०

मणि, श्री के० बी० एस०

मन्नी लाल, श्री

मायातेवर, श्री के०

मिश्र, श्री गार्गी शंकर

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री उमा कान्त

मिश्र: श्री हरिनाथ

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती: श्री बृजमोहन

मोहिते, श्री यशवन्तराव

मोहसिन, श्री एफ० एच०

मोरे, श्री रामकृष्ण

मोतीलाल सिंह, श्री

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल

मूर्ति, श्री एम० राजशेखर

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मुरुगैयन, श्री एस०

मुथु कुमारन, श्री आर०

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद

नागरत्नम, श्री टी०

नगीना राय, श्री

नहाटा, श्री बी० आर०

नायडू, श्री पी० राजगोपाल

नायकर श्री डी० के०

नायर, श्री बी० के०

नन्दी येल्लैया, श्री

नारायण, श्री के० एस०

नायक, श्री मृत्युंजय

नेहरू, श्री अरुण कुमार

नेताम, श्री अरविन्द

निहालसिंहवाला, श्री जी० एस०

नीखरा, श्री रामेश्वर

पांडे, श्री कृष्णचन्द्र

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि

पनिका, श्री राम प्यारे

पराशर, प्रो० नारायण चन्द

पारधी, श्री केशवराव

पार्थसारथी, श्री पी०

पटेल, श्री अहमद मोहम्मद

पटेल, श्री अमृत

पटेल, श्री सी० डी०

पटेल, श्री मोहन भाई

पटेल, श्री शान्तुभाई

पटेल, श्री उत्तमभाई एच०

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री बालासाहब विखे

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पाटिल, श्री शंकरराव

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, श्री उत्तमराव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पाटिल, श्री विजय एन०

पटनायक, श्रीमती जयन्ती

पट्टाभिरामा राव, श्री एस० बी० पी०

पत्तुस्वामी, श्री डी०

पवार, श्री बालासाहिब

पेंचालैया, श्री पसाला

फुलवारिया, श्री विरदा राम

पाइलट, श्री राजेश

पुजारी, श्री जनार्दन

पीटदुखे, श्री शान्ताराम

प्रभु, श्री आर०

प्रधानी, श्री के०

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

पुलटया, श्री टारूर

काजी नलीम, श्री

कादरी, श्री एस० टी०

रहीम, श्री ए० ए०

राजामल्लू, श्री के०

राम, श्री राम स्वरूप

राममूर्ति श्री, के०

रणवीर सिंह, श्री

रंगा, प्रो. एन० जी०

रणजीत सिंह, श्री

राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द

राव, श्री जगन्नाथ

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० एस० संजीवी

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री वी० पी० नरसिंह

रथ, श्री रामचन्द्र

राठौर, श्री उत्तम

राउत, श्री भोला
रुवाणी, श्री नवीन
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री जी० एस०
रेड्डी, श्री जी० नरसिन्हा
रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी० बायपा
रेड्डी, श्री पी० वेंकट
रेड्डी, श्री टी० दामोदार
रौत, श्री जयनारायण
रोथूआमा, डा० आर०
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, श्री नारायण
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सज्जन कुमार, श्री
समीनुद्दीन, श्री
संगमा, श्री पी० ए०
षाडंगी, श्री रूद्र प्रताप
साठे, श्री वसन्त
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, श्री टी० एम०
सईद, श्री पी० एम०
सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सैलवाराजू, श्री एन०
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी

शक्यवार, श्री नाथूराम

शंकरानन्द, श्री बी०

शनमुगम, श्री पी०

शर्मा, श्री चिरंजीलाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नन्दकिशोर

शर्मा, श्री प्रताप भानु

शर्मा, डा० शंकर दयाल

शास्त्री, श्री धर्मदास

शास्त्री, हरिकृष्ण

शिगड़ा, श्री डी० बी०

शिवशंकर, श्री पी०

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

शुक्ल, श्री विद्याचरण

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिगारावाडीवेल, श्री एस०

सिंह, डा० बी० एन०

सिंह, श्री सी० पी० एन०

सिंह, श्री धर्मगज

सिंह, कुमारी पुष्पादेवी

सिंह, देव, श्री के० पी०

सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी

सोलंकी, श्री बाबूलाल

सोलंकी, श्री नटवरसिंह

सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरन, श्री हरिहर

सुन्दरराजन, श्री एन०

स्पैरो, श्री आर० एस०

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी०

स्टीफन, श्री सी० एम०

सुब्बा, श्री पी० एम०

सुखबन्श कौर, श्रीमती

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सुन्दर सिंह, श्री

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

स्वामीनाथन, श्री आर० वी०

टन्डन श्री प्रभुनारायण

तपेश्वर सिंह, श्री

तारिक अनवर, श्री

तेइयेन, श्री ोंग

तैयब हुसन, श्री

तिवारी, श्री कृष्ण प्रकाश

थोरट, श्री भाउसाहिब

थुगोन, श्री पी० के०

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री राम गोपाल

त्रिपाठी, श्री कमलापति

त्रिपाठी, श्री राम नारायण

टुडु, श्री मनमोहन

टाईटलर, श्री जगदीश

उइके, श्री छोटेलाल

उरांव, श्रीमती सुमति

वैराले, श्री मधुसूदन

वर्मा, श्री जय राम

वेंकटरामन, श्री आर०

वेंकटसुब्बया, श्री पी०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

वर्मा, श्रीमती उषा

विजयराघव, श्री वी० एस०

वीरभद्र सिंह, श्री

व्यास, श्री गिरधारी लाल

बाघ, डा० प्रताप

वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

यादव, श्री सुभाष चन्द्र

याजदानी, डा० गोलम

यूसफ, श्री मोहम्मद

जैनल बशर, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम* में इस प्रकार रहा :

पक्ष में : 110

विपक्ष में : 327

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

9.03 **म० प०**

तत्पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-दान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्व श्री ए० के० बालन और हेमवती नन्दन बहुगुणा;

विपक्ष में : श्री केदार पांडे, श्री रामायण राय, श्री रामजी भाई खोडाभाई चावडा, श्री बसन्त राव पाटिल, श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन ।

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रेस, 42, पण्डित रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006 द्वारा मुद्रित ।